नगरीय आपदा प्रबंधन योजना, कटिहार

स्वामित्व : नगर निगम कटिहार, पिन कोड – 854105

सम्पोषण : बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना–800001

तकनीकी सहयोग : प्रो॰ जी॰ पी॰ सिन्हा सेन्टर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट,
रोड नं॰ 10(एच), राजेन्द्र नगर, पटना । पिन कोड – 800016
दूरभाष : 0612–2671820, मो॰ 9334766107
Email ID : gpscdmrdpat@gmail.com

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना, कटिहार 2022

आपातकालीन संपर्क

नगर निगम नियंत्रण कक्ष –	245305
जिला नियंत्रण कक्ष –	239025 / 239026 / 242400
नागरिक सुरक्षा (मुख्य वार्डेन) –	9431229081
अग्नि सुरक्षा –	101 / 8544402106
एम्बुलेन्स –	102 / 108

स्वामित्व : **नगर निगम कटिहार**, पिन कोड – 854105

सम्पोषणः बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,

तकनीको सहयोग : **प्रो॰ जी॰पी॰सिन्हा सेन्टर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट,**
रोड नं॰ 10(एच), राजेन्द्र नगर, पटना । पिन कोड : 800016
दूरभाष : 0612–2671820, मो॰ 9334766107
Email ID : gpscdmrdpat@gmail.com

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

परिभाषाएँ :

धारा–2 (घ) ''आपदा'' से किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से उद्भूत ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिष्ट, विपत्ति या घोर घटना अभिप्रेत है जिसका परिणाम जीवन की व्यापक हानि या मानवीय पीड़ाएँ या संपति का नुकसान और विनाश या पर्यावरण का नुकसान या अवक्रमण है और ऐसी प्रकृति या परिमाण (व्यापक) का है, जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे है।

धारा–2 (ड.) ''आपदा प्रबंधन'' से योजना, संगठन, समन्वयन और कार्यान्वयन की निरन्तर और एकीकृत प्रक्रिया अभिप्रेत है जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक या समीचीन है –

i. किसी आपदा के खतरे या उसकी आशंका का निवारण,

ii. किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणामों के जोखिम का शमन या उनमें कोई कमी,

iii. क्षमता निर्माण,

iv. किसी आपदा से निपटने के लिए तैयारियाँ,

v. किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से तुरंत बचाव

vi. किसी आपदा के प्रभाव की गंभीरता या परिमाण का निर्धारण,

vii. निष्क्रमण, बचाव और राहत,

viii. पुनर्वास और पुनर्निर्माण

अध्याय	विषय	पृष्ट सं॰
	कार्यकारी सारांश Executive Summary	**XI**
1	**परिचय Introduction** 1.1 संदभ 1.2 योजना का उद्देश्य 1.3 योजना का दायरा 1.4 योजना तैयार करने की कार्य प्रणाली 1.5 नगरीय आपदा प्रबंधन योजना का क्रियान्यवयन 1.6 योजना का पुनर्विलोकन एवं सुधार	1–6
2	**नगर का सामान्य विवरण City Profile** 2.1 नगर परिचय 2.2 भूगोल 2.3 प्रशासनिक विभाजन 2.4 जलवायु एवं मौसम की रूपरेखा 2.5 जनसाख्यिको 2.6 आर्थिक रूपरेखा 2.7 व्यावसायिक रूपरेखा 2.8 योजना और जोनिंग 2.9 सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 2.10 जीवन रक्षक संरचना (ट्रैफिक एवं परिवहन व्यवस्था, अस्पताल, विद्यालय/महाविधालय/जलापूर्ति व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट, सीवर, ड्रेनेज, रिहायशो मकान, ठोस कचरा प्रबंधन) 2.11 उद्योग एवं कल–कारखाने 2.12 प्राकृतिक संसाधन 2.13 वनस्पति एंव जीव	7–19
3	**आपदा सुरक्षित शहर Disaster Resilient City** 3.1 पूर्व चेतावनी तंत्र तक प्रत्येक नगरवासी की पहुँच 3.2 जोखित सापेक्ष योजना (पूर्व तैयारी, न्यूनीकरण एवं आपदा मोचन) 3.3 पारिस्थितिकी संरक्षण 3.4 पूर्व से बेहतर निर्माण	20–30
4	**खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता तथा क्षमता विश्लेषण** **Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity Analysis** 4.1 खतरा विश्लेषण (शहर विशेष में पूर्वघटित, संभावित दुष्प्रभाव) 4.2 खतरों का प्रकार (प्राकृतिक, मानवनिर्मित, महामारी, शहरी बाढ़ इत्यादि) 4.3 संवेदनशीलता एवं जोखिम विश्लेषण (वार्डवार खतरे के दायरे में स्थित जनधन तथा संवेदनशीलता का आकलन) 4.4 क्षमता विश्लेषणः संसाधन सूची संकलन तथा मान चित्रण	31–47

5	**संस्थागत व्यवस्था Instituional Arrangement** 5.1 नगर निगम की संरचना 5.2 मुख्य संस्थागत ढांचा 5.3 आपातकालीन संचालन केन्द्र की संभावना 5.4 बहु संस्था समन्वय प्रक्रिया तथा दायित्व 5.5 जिला आपदा प्रबंधन योजना से इस योजना का संयोजन	48—52
6	**पूर्व तैयारी की कार्यवाही Preparedness Measures** 6.1 विभिन्न एजेंसी तथा हितधारकों की मुख्य भूमिका एवं कर्त्तव्य 6.2 आपदावार भिन्न–भिन्न विभागों संस्थाओं की पूर्व तैयारी से संबंधित दायित्व एवं कर्त्तव्य 6.3 आपदा जोखिम प्रबंधन के आरम्भिक पहल की सूची	53—60
7	**क्षमता निर्माण Capacity Building -** 7.1 संस्थागत क्षमता निर्माण 7.2 समाज/समाजिक संस्थाओं का क्षमता निर्माण 7.3 जन–जागरण	61—63
8	**आपदा मोचन योजना Response Plan** 8.1 मोचन योजना 8.2 आपदा मोचन हेतु शहरी नियामक संस्था का प्रशासन तंत्र 8.3 नगर कन्ट्रोल रूम 8.4 पूर्व सूचना तंत्र 8.5 सहायक यंत्र–सयंत्र (लाजिस्टिक सपोट) 8.6 जिला प्रशासन तथा अन्य एजेंसी से संयोजन 8.7 नगर आपदा प्रबंधन समिति 8.8 आपात्कालीन सहायता कार्य 8.9 घटना प्रतिक्रिया तंत्र तथा उसके मानक संचालन नियमावली 8.10 विभिन्न संस्थाओं (गैर सरकारी) के बीच समन्वय	64—70
9	**आपदावार प्रत्युत्तर कार्य एवं उत्तरदायित्व** **Disaster wise Response Activity & Responsibilities** 9.1 आपदावार प्रत्युत्तर कार्य 9.2 नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षदगण (मानव संसाधन) की सूची 9.3 सरकारी एवं निजी मानव, भौतिक एवं यांत्रिक संसाधनों की सूची 9.4 वार्डवार संकरी गलियों की पहचान 9.5 शहर में कार्यरत एन॰जी॰ओ॰ एवं एस॰एच॰जी॰ की सूची 9.6 शहर में कार्यरत मीडियाकर्मियों की सूची 9.7 सिविल डिफेन्स कटिहार के पास उपलब्ध मशीनरी	71—116
10	**पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापन Reconstruction & Rehabilitation** 10.1 क्षति आकलन प्रक्रिया तथा प्रपत्र 10.2 पीड़ितो को राहत 10.3 आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन 10.4 जीवन प्रदायी भवनों की मरम्मती 10.5 अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मती/पुनर्निर्माण 10.6 जीविका का पुनर्स्थापन 10.7 चिकित्सीय सुविधा का पुनर्स्थापन 10.8 दीर्घकालिक पुर्नवापसी	117—120

11	**न्यूनीकरण योजना Mitigation Plan** 11.1 अल्पकालीन न्यूनीकरण योजना 11.2 दीर्घ कालीन न्यूनीकरण कार्य योजना 11.3 अन्य विकास योजना से संम्मिलन (Convergence)	121—129
12	**वित्तीय व्यवस्था Financial Arrangement** 12.1 योजना का बजट तथा वित्तीय संसाधन 12.2 नगर निगम को अन्य श्रोतो से प्राप्त निधि 12.3 वर्तमान आय श्रोत 12.4 संभावित आय के श्रोत	130—131
13	**अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अद्यतनीकरण** **Monitoring, Evaluation & Updation** 13.1 नगरीय आपदा प्रबंधन योजना की निगरानी, मूल्यांकण तथा सुधार	132—133
	अनुलग्नक—अनुक्रमणिका Annexure	134—146

(सारणी)

1	**सारणी** – **1.1** नगर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के प्रमुख चरण एवं मुख्य गतिविधियां	4
2	**सारणी** – **2.1** सामान्य तापक्रम तथा आपेक्षिक आर्द्रता	9
3	**सारणी** – **2.2** मध्य गति हवा तथा दिशा	9
4	**सारणी** – **2.3** विशेष मौसमी घटनाएं	10
5	**सारणी** – **2.4** नगर परियच	10
6	**सारणी** – **2.5** शहर की आकृति :	10
7	**सारणी** – **2.6** जी.पी.एस. लोकेसन	11
8	**सारणी** – **2.7** प्रकाश व्यवस्था :	11
10	**सारणी** – **2.8** नाली प्रवाह :	11
11	**सारणी** – **2.9** रसोई :	11
12	**सारणी** – **2.10** इंधन का उपयोग :	11
13	**सारणी** – **2.11** धारित संपत्तियाँ :	12
14	**सारणी** – **2.12** विभिन्न पेशा में नियोजित जनसंख्या	15
15	**सारणी** – **2.13** पेयजल के श्रोत	16
16	**सारणी** – **2.14** शौचालय :	17
17	**सारणी** – **2.15** मकानों की सं॰ तथा प्रतिशत जिनके उपयोगित जल को घर के बाहर प्रवाहित	17
18	**सारणी** – **3.1** वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक शहरी वानिकी अंतर्गत वृक्षारोपण	26
19	**सारणी** – **3.2** खतरा एवं संवेदनशीलता	27
20	**नगरीय आपदा तीव्रता कैलेन्डर**	31
21	**सारणी** – **4.1** कटिहार शहर में हुई अगलगी की घटनाएं	33
22	**सारणी** – **4.2** कोविड–19 हेतु की गई जाँच और रोगियों की संख्या	34
23	**सारणी** – **4.3** कटिहार शहर में एच.आई.वी. से संक्रमित व्यक्तियों की पहचान	34
24	**सारणी** – **4.4** जिले में टी.बी. मरीजों की पहचान (माह जनवरी से दिसंबर)	34
25	**सारणी** – **4.5** उच्च शक्ति हवा	35
26	**सारणी** – **4.6** आँधी तूफान की घटनाएं	35
27	**सारणी** – **4.7** शहरी क्षत्र में हुई सड़क दुर्घटना (2016–2021 जुलाई)	36
28	**सारणी** – **4.8** कटिहार नगर निगम क्षेत्र में मलिन बस्ती तथा इसमें सृजित जन सुविधा	37
29	**सारणी** – **4.9** अतिरिक्त हाईड्रेन्ट की आवश्यकता	40
30	**सारणी** – **4.10** 10 वर्षो में शहरी क्षेत्र में अगलगी की प्राप्त सूचना	41

31	**सारणी** – **4.11** नगर निगम क्षेत्र में विद्यालयों का विवरण	41
32	**सारणी** – **4.12** वार्डो में उपलब्ध भौतिक एवं यांत्रिक संसाधन	42
33	**सारणी** – **4.13** वार्ड में उपलब्ध मानव संसाधन	42
34	**सारणी** – **4.14** शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हाईड्रेन्ट एवं उनके स्थल	43
35	**सारणी** – **4.15** शहर में उपलब्ध अग्निशमन संसाधन	43
36	**सारणी** – **4.16** सदर अस्पताल में विभिन्न कोटि के स्वीकृत पदों की विवरणी	44
37	**सारणी** – **4.17** चिकित्सीय सुविधा	44
38	**सारणी** – **4.18** शहर में उपलब्ध मानव संसाधन	45
39	**सारणी** – **4.19** शहर में उपलब्ध भौतिक संसाधन सूची	45
40	**सारणी** – **4.20** संवेदनशीलता एवं जोखिम विश्लेषण : (खतरा, संवेदनशील एवं जोखिम)	46
41	**सारणी** – **5.1** नगर निगम के कार्यो का वर्गीकरण	52
42	**सारणी** – **6.1** भूकम्प की स्थिति में कर्त्तव्य	54
43	**सारणी** – **6.2** अग्नि सुरक्षा की स्थिति में कर्त्तव्य	56
44	**सारणी** – **7.1** नगर निगम क्षेत्र में कार्यरत पदाधिकारियों,कर्मियों का प्रशिक्षण	61
45	**सारणी** – **10.1** संभाग वार आपदा क्षति आकलन की पद्धति तथा उत्तरदायी एजेंसी	118
46	**सारणी** – **11.1** जल बहिर्निकासी स्थल का ब्योरा	122
47	**सारणी** – **11.2** अग्नि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विभिन्न सस्थाओं का दायित्व	125
48	**सारणी** – **11.3** शहरी उष्ण टापू प्रभाव के कम करने के विभिन्न तकनीक	126
49	**सारणी** – **12.1** कटिहार नगर निगम के वर्ष 2020–21 की बजटीय स्थिति	130

अनु॰ सं॰	(अनुलग्नक–अनुक्रमनिका)	पृष्ट सं॰
1	औद्योगिक इकाईयों की सूची एवं नाम पता	134
2	नगर निगम एवं अन्य विभागों के पदाधिकारीगण	138
3	स्थानीय आपदा में सड़क दुर्घटना को विलोपित करने की अधिसूचना	139
4	स्थानीय आपदा की अधिसूचना	140
5	अग्निकाण्ड से निपटान हेतु मानक संचलन प्रक्रिया (SOP)	141
6	अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित आवश्यक सूचना	145
7	16 बिंदु अग्नि सुरक्षा भेद्यता मैट्रिक्स	146

संक्षिप्तियाँ
ABBREVIATIONS

1.	अमृत –	अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अरबन ट्रांसफोरमेशन
2.	बी एस डी एम ए –	बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी
3.	बी एस डी आर एन –	बिहार स्टेट डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क
4.	सी जी डब्लू बी –	सेन्टरल ग्राउड वाटर बोर्ड
5.	सी.पी.एस.बी. –	सेन्ट्रल पोल्यूशन कॅट्रोल बोर्ड
6.	डी डी एम ए –	डिस्ट्रिक डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी
7.	एम क्यु आर टी –	मेडिकल क्विक रिसपॉस टीम
8.	एम टी –	मीन टेम्परेचर
9.	एन जी ओ	नन गवर्मेंट ऑग्रेनाईजेसन
10.	एन जी टी –	नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
11.	एन बी पी डी सी एल –	नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीबूशन कंपनी लि॰
12.	एन डी आर एफ –	नेशनल डिजास्टर रिसपॉस फोर्स
13.	पी एस ए प्लांट –	प्रेशर स्विंग एडजोर्प्शन प्लांट
14.	क्यु आर टी –	क्विक रिसपॉस टीम
15.	एस डी आर एफ –	स्टेट डिजास्टर रिसपॉस फोर्स
16.	एस एच जी –	सेल्फ हेल्थ ग्रुप
17.	भी आई –	वलनरेविलिटी इंडेक्स

संदर्भ
REFERENCES

1. आपदा प्रबंधन अधिनियम – 2005
2. बिहार नगरपालिका अधिनियम – 2022
3. बिहार भवन निर्माण उपविधि – 2022
4. बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना – 2014
5. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन नीति – 2007
6. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी अगलगी के रोकथाम संबंधी मार्गनिर्देशिक – 2018
7. जिला आपदा प्रबंधन योजना कटिहार–2022
8. 16 Point Fire Safety Vulnerability Matrix
9. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन मार्ग निर्देशिका – 2007
10. शहरी स्थानीय निकायों का "आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन" पर प्रशिक्षण – 2021
11. National Disaster Management Policy – 2009
12. Compendium on Laws on Disaster Management
13. National Guidelines for Recovery & Reconstruction (Draft)
14. National Guidelines on (available at website NIDM/NDMA)
    - i. Disability inclusive DRR
    - ii. Temporary Shelter for Disaster affected families
    - iii. Management of Thunderstorm & Lightening/Squal/Dust Storm/Hail Storm & strong wind.
    - iv. Boat Safety
    - v. Minimum Standard of Relief – 2016
    - vi. Seismic Retro Fitting of Different buildings & structures – 2014
    - vii. Management of Urban Floods – 2010
    - viii. Management of Earthquake – 2007
15. नगर ठोस कचरा (प्रबंधन एवं निस्तारण) नियम – 2000 (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय)
16. Municipal Solid Waste Management Manual – 2016 (CPHEEO)
17. बिहार आपदा प्रबंधन विभाग, प्राधिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग से निर्गत अधिसूचना, सकलर, पत्र, नियमावली इत्यादि।
18. District Establishment Day Souvenir – 2011
19. Bihar Economic Survey – 2019–20, 2020–21
20. District census Hand book – 2011
21. Bihar Heat wave Action Plan – 2019
22. Minister of District Road Safety Communities
23. Bihar State Fire Service Rule – 2021

:=:=:=:=:=:

कार्यकारी सारांश – कटिहार
EXECUTIVE SUMMARY – KATIHAR

1. नगरीय आपदा प्रबंधन योजना बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की देखरेख में, नगर निगम, कटिहार के नगर आयुक्त के नेतृत्व में तथा प्रो. जी. पी. सिन्हा सेन्टर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एण्ड रूरल डेवलपमेंट, पटना के तकनीकी सहयोग से सम्पन्न हुआ। इस कार्य हेतु उपरोक्त तीनों संस्थाओं के बीच दिनांक 03.03.2021 को त्रिपक्षीय समझौता हुआ।

2. नगरीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करते समय आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005, बिहार नगरपालिका अधिनियम–2022, कटिहार शहर के लिए शहर विकास योजना तथा जिला आपदा प्रबंधन योजना में तालमेल बनाये रखा गया है। बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप में अंकित ''सुरक्षित शहर'' का निर्माण को ध्यान में रखा गया है।

3. इस योजना का प्रारंभिक उद्देश्य शहर के आपदा जोखिम अनुकूलन (Disaster Risk Resilience) हेतु नगर निगम क्षेत्र की भू–जलवायु परिस्थिति, जन–सांख्यिकी, पूर्व के आपदा इतिहास तथा सामाजिक, आर्थिक, पर्यावर्णीय पारिस्थितकी के आधार पर नगर की बहुआपदा जोखिम के अनुसार संवेदनशील स्थलों, आबादी, रिहायशी, जनसंख्या, सरकारी तथा निजी सपत्तियां, आधारभूत संरचनायें तथा मूलभूत सुविधा प्रदान करने वाली सेवाओं के संदर्भ में जोखिम की पहचान कर रोडमैप के अन्तर्गत 2015–30 तक के लिए निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करना है।

4. नगरीय आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी के क्रम में नगर निगम के पदाधिकारी, सुपरवाईजर, लाइन विभागों के अधिकारी, पार्षदगण, नागरिकों से सामूहिक तथा लाइन विभागों से अलग–अलग बैठकें आयोजित कर इसे सहभागी योजना बनाने का प्रयास किया गया है।

5. उत्तर–पूर्व बिहार के पूर्णियाँ प्रमंडल अंतर्गत कटिहार जिले का मुख्यालय कटिहार नगर में अवस्थित है। इस शहर के नगरीय प्रशासन के लिए सन् 1905 में नगर पालिका का गठन किया गया था जिसे 01 जुलाई 2009 में नगर निगम के रूप में उत्क्रमित किया गया । कटिहार नगर निगम सम्प्रति 45 वार्डो में विभक्त है तथा 25. 52 वर्ग कि॰मी॰ क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ की कुल आबादी 2,40,838 (जनगणना–2011) तथा शहर की जनसंख्या का घनत्व 9437 प्रति वर्ग कि॰मी॰ है।

6. कटिहार के शहरी क्षेत्र को आपदा से सुरक्षित बनाने के लिए ठोस कचरा के प्रसंस्करण एवं निपटान, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन, ई–कचरा प्रबंधन, निर्माण सामग्री अपशिष्ट प्रबंधन एवं परिस्थितिकी संरक्षण कार्य जैसे विषयों पर विशेष बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त शहर में वानिकी एवं जल जीवन हरियाली के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों का लेखा जोखा किया गया है।

7. कटिहार शहर भूकंप जोन–IV में अवस्थित है अतः निर्माण कार्य में विशेष ध्यान देन की जरूरत है। साथ ही जल जमाव, अगलगी, मलिन बस्ती का उत्थान तथा सड़क सुरक्षा जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गयी है। भूकंप की स्थिति में संभावित क्षति का अनुमान लगाया गया है। योजना निर्माण के क्रम में भवन उपविधि के अनुपालन पर विशेष बल दिया गया है।

8. खतरा विश्लेषण के रूप में विगत काल में घटित आपदा से संबंधित आंकड़ा विभिन्न श्रोता से संकलित किया गया है। उसी प्रकार से खतरों के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक तथा मानव निर्मित खतरों की तीव्रता तथा संभावित कालखंड को निम्न सारणी में दर्शाया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में नगर में उपलब्ध संसाधन को भी आंका गया है। अध्याय–4 में कटिहार शहर का संभावित खतरा तथा जोखिम के अलावा उससे जुड़े संवेदनशील वार्डों की पहचान की गयी है।

नगरीय आपदा तीव्रता कैलेन्डर :

क्र॰ स॰	समस्या	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	भूकम्प												
2	जलजमाव												
3	अगलगी												
4	स्वास्थ्य												
5	चक्रवाती तूफान /तीव्रगति हवा												
6	ठनका												
7	ओलावृष्टि												
8	गर्मी/लू												
9	शीतलहर												
10	सड़क दुर्घटना												
11	औद्योगिक दुर्घटना												
12	पर्यावरण												
13	मेला, भीड़ सुरक्षा												

तीव्रता मापक – उच्च मध्यम

9. किसी भी आपदा में शहर में अवस्थित संस्थागत व्यवस्था इस स्थिति स निपटने में कारगर होता है। कटिहार शहर में सिविल डिफेन्स की एक पूर्ण विकसित इकाई है तथा इसके पास कई उपकरण भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नगर निगम की समितियां, जिला सड़क सुरक्षा समिति, बिहार राज्य डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क आदि उपलब्ध है। जिला में केन्द्रीय मिलिट्री बल भी स्थापित है।

10. आपदा को स्थिति में विभिन्न एजेंसी तथा हितधारकों की मुख्य भूमिका एवं कर्तव्य की चर्चा की गई है तथा विभिन्न आपदाओं में किये जाने वाले पूर्व तैयारी से संबंधित आपदा जोखिम प्रबंधन के प्रारम्भिक की सूची तयार की गई है।

11. इस योजना में इस बात पर जोर दिया गया है कि शहर में संभावित विभिन्न आपदाओं को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम व्यवस्था, सरकारी तथा गैरसरकारी, उपलब्ध हो। इस दृष्टिकोण से इस योजना में संस्थागत क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न हितधारकों तथा उनको दिये जाने वाले प्रशिक्षण के विषयों को शामिल किया गया है। हर स्तर पर प्रशिक्षित कर्मी हीं आपदा से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं।

12. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधान के अनुसार L_1 स्तर की आपदाओं का प्रत्युत्तर कार्य स्थानीय स्तर पर किया जाना है। इस संबंध में आपदा की तीव्रता का निर्धारण जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिलाधिकारी) द्वारा किया जाता है। आपदा मोचन योजना के कमाण्ड अधिकारी भी जिलाधिकारी होते ह। उनके निर्देशन तथा नेतृत्व में सभी हितधारको को कार्य करना होता है।

आपदा के समय सामान्यतः जिलाधिकारी के नेतृत्व तथा निर्देशन में नगर निगम वो सभी कार्य सम्पन्न करेगा जो इसकों सौंपा जायेगा या स्वीकृत जिला आपदा प्रबंधन योजना में नगर निगम के लिए निर्दिष्ट किया गया है। इस दायरे में नगर आपदा प्रबंधन समिति, जिसका ढांचा अध्याय–5 में विनिदिष्ट है, द्वारा आपदा मोचन के सभी कार्य किये जायेंगे।

13. भीषण आपदाओं के दौरान निजी अथवा सार्वजनिक अंतः संरचनाओ में व्यापक क्षति होने के कारण आपदा के घटित होने के साथ ही दैन्दिनी की कई गतिविधियाँ पूर्णतः या आंशिक रूप से बाधित हो जाती है। अत्यंत संवेदनशील संरचनाय यथा बिजली, सड़क संपर्क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, रोजगार इत्यादि ठप हो जाते ह। जीवन–यापन को सामान्य बनाने हेतु पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही संभागवार आपदा क्षति आकलन की पद्धति तथा उत्तरदायी एजसियों को भी चिह्नित किया गया है।

14. न्यूनीकरण के अंतर्गत भूकंपीय जोखिम का शमनीकरण, जल बहिर्निकासी स्थल का ब्योरा, अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत अनिवार्य अनुपालन, अग्नि सुरक्षा, शहरी उष्ण टापू प्रभाव के कम करने के विभिन्न तकनीक, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, सड़क सुरक्षा आदि क्षेत्रों में किये जाने वाले विभिन्न कार्यो का ब्योरा सम्मलित है।

15. कटिहार नगर निगम क्षेत्र के बजट प्रावधान में मकानों (होल्डिंग) की कुल संख्या 29770 हैं, जिसमें 29529 आवासीय तथा 241 गैर आवासीय गृह हैं। इस तरह से निगम को वर्ष 2020 – 2021 में होल्डिंग टैक्स क मद में कुल अपेक्षित आय 10,45,04,939/– रूपये होनी चाहिए थी, जबकि होल्डिंग टैक्स से वास्तविक राजस्व की वसूली मात्र 4,20,75,884/– रूपये ही हो सकी। यह अपेक्षित आय का मात्र 40.26 प्रतिशत है। विगत 5 वर्षों से ऐसी ही स्थिति है, जिसमें सुधार किया जाना है। इस हेतु नगर निगम क्षेत्र के निवासियों को ई–टैक्स पेमेंट के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। लम्बित राशि (सरकारी भवनों से) की प्राप्ति के लिए सभी उपयुक्त प्रयास किया जा रहा है।

16. योजना की सफलता हेतु अनवरत अनुश्रवण एवं मूल्यांकण, नियमित पुनर्विलोकन, इसकी प्रभावशीलता की जाँच, योजना का अद्यतिकरण, समन्वय तथा लोक जागरण पर बल दिया गया है।

17. प्रत्युत्तर योजना दो अध्यायों में रख गया है, जिसमें अध्याय–9 में आपदा के दौरान किसे क्या–क्या करना है तथा संसाधन की जानकारी सम्मिलित है। परिशिष्ट में शहर में उपलब्ध मानव संसाधान एवं मशीनरी का विस्तृत लिस्ट समायोजित किया गया है। संपूर्ण योजना में खतरे, जोखिम तथा संसाधन की उपलब्धता को आसानी से समझ विकसित करने हेतु नक्शे का प्रयोग किया गया है।

:=:=:=:=:=:

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना, कटिहार

अध्याय : 1

परिचय
INTRODUCTION

1.1 संदर्भ :– नगरीय आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015–30 का स्वीकृत राज्यादेश संख्या आ॰प्र॰विविध–01/2011/1867/आ॰प्र॰, पटना, दिनांक 10.05.2016 के प्रस्तावना में उल्लखित क्रिया कलापो में "सुरक्षित शहर", सुरक्षित आजीविका, सुरक्षित बुनियादी सेवायें तथा सुरक्षित अत्यावश्यक आधारभूत संरचनाओं के संदर्भ में तैयार किया गया है।

उक्त प्रस्तावना के अनुसार सुरक्षित शहर से तात्पर्य है, शहरवासियों में लोचपूर्ण सुरक्षित संव्यवहार एवं आदता (Resilient and Safe Behavior) का विकास, शहरी सामुदायिक संस्थाओं का क्षमतावर्द्धन तथा उनके उपयोग की समझ विकसित करना, पूर्व चेतावनी तथा आपात्कालीन सेवाओं तक आमजनो की पहुँच सुनिश्चित करना तथा इन क्रियाकलापों के माध्यम से शहरवासियों में छोटी आपदाओं (L_1 स्तर की) से शहर स्तर पर निपटने की क्षमता विकसित करना।

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना की पृष्टभूमि और संदर्भ

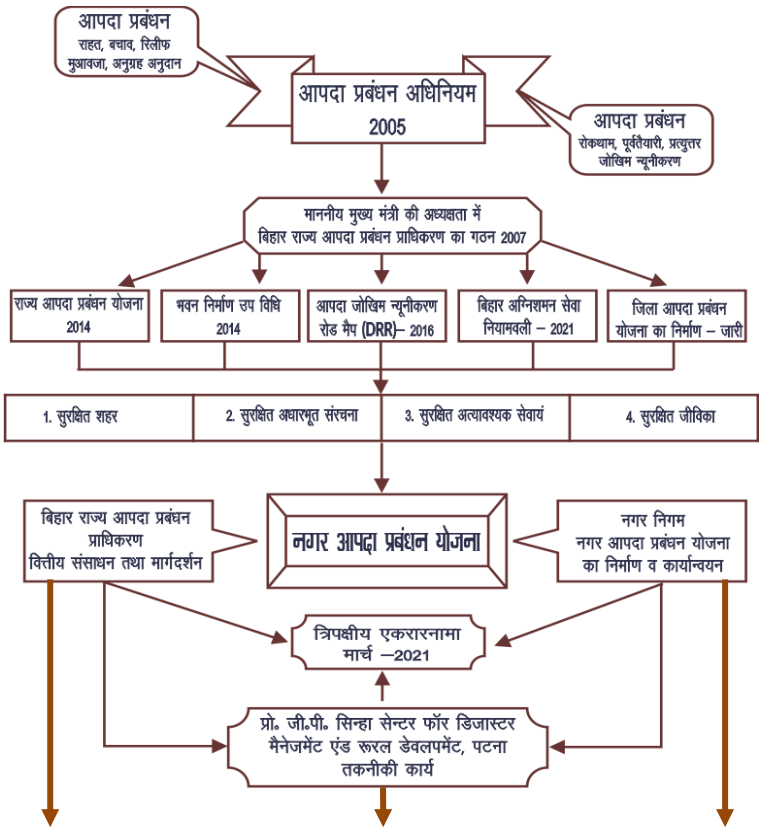

भूमिका :–

▪ क्षेत्र के सरकारी कार्यालयों तक आंकड़ा एकत्रीकरण हेतु पहुँच सुगम बनाना । ▪ समन्वय । ▪ टेम्पलेट की स्वीकृति। ▪ प्रगति की समीक्षा एव योजना की स्वीकृति।	▪ सी॰डी॰एम॰पी॰ की तैयारी । ▪ आंकड़ा संकलन हेतु प्रपत्र बनाना। ▪ आंकड़ों का सत्यापन। ▪ बि॰रा॰आ॰प्र॰प्रा॰ को विश्लेषणात्मक रिपोर्ट बना कर देना। ▪ समय बद्ध काम करना। ▪ सी॰डी॰एम॰पी॰ पर नगर निगम से अनुशंसा प्राप्त कर बि॰रा॰आ॰प्र॰प्रा॰ को प्रेषित करना।	▪ वरीय पदाधिकारी को प्रभारी नामित करना । ▪ प्रभारी द्वारा बैठकें एवं विचार विमर्श आयोजित करना। ▪ सभी संबंधित आंकड़ा उपलब्ध कराना तथा जिला/नगर स्थित अन्य कार्यालयों से समन्वय। ▪ हितधारकों के साथ बैठक, समूह चर्चा में सूत्रधार का कार्य करना।

सुरक्षित बुनियादी सेवाएं (Resilient Basic Infrastructure) से तात्पर्य है स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता एवं संपर्क आदि से संबंधित सेवाओं को बेहतर आपदा प्रतिरोधक (Disaster Resistant) बनाना एवं आपदाओं के समय इन सेवाओं को अनवरत जारी रखने के ससमय उपाय करना। इसके लिए आपदा जोखिम की पहचान कर संबंधित विभागों का क्षमता विकास एवं लोचपूर्ण (Flexible) तथा आपदा प्रतिरोधक संरचनाओं के निर्माण की योजना तैयार करना है। सुरक्षित अत्यावश्यक आधारभूत संरचना (Resilient Critical Infrasturctue) से तात्पर्य सड़क, पुल पुलिया, विद्युत संचार, दूर संचार, तटबंध, परिवहन प्रणाली सेवायें आदि महत्वपूर्ण संरचनाओं को आपदा प्रतिरोधी बनाने एवं आपदाओं के समय इन्हें अनवरत चालू रखना है।

इसी संदर्भ में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) द्वारा सभी नगर निगमों को एक विस्तृत नगरीय आपदा प्रबंधन योजना, (CDMP) जिसमें आपदा प्रबधन के सभी अवयवों को समावेशित किया जा सके, तैयार करने के लिए सभी आवश्यक तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है। BSDMA द्वारा नगर निगम कटिहार को CDMP तैयार करने में सहयोग करने के लिए प्रो॰ जी॰पी॰ सिन्हा सेन्टर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट को नियुक्त किया गया है। तत्संबंधी एक त्रिपक्षीय एकरारनामा दिनांक 03.03.2021 को संपन्न हुआ। इसी के परिप्रेक्ष्य में यह योजना तैयार किया गया है।

1.2 योजना का उद्देश्य :– इस योजना का प्रारंभिक उद्देश्य शहर के आपदा जोखिम सुरक्षित (Disaster Risk Resilience) हेतु नगर निगम क्षेत्र का भू–जलवायु परिस्थिति, जन–सांख्यिकी, पूर्व के आपदा इतिहास तथा सामाजिक, आर्थिक, पर्यावर्णीय पारिस्थितिकी के आधार पर नगर की बहुआपदा जोखिम के अनुसार सवेदनशील स्थलों, आबादी, रिहायशी, जनसंख्या, सरकारी तथा निजी संपत्तियां, आधारभूत संरचनाय तथा मूलभूत सुविधा प्रदान करने वाली सेवाओं के संदर्भ में जोखिम की पहचान कर रोडमैप के अन्तर्गत 2015–30 तक के लिए निर्धारित निम्नांकित लक्ष्यो को हासिल करना है।

(क) वर्ष 2030 तक प्राकृतिक आपदाओं से मानवक्षति को मूलाधार (Base Line) आंकड़ों की तुलना में 75 प्रतिशत कम करना।

(ख) वर्ष 2030 तक परिवहन संबंधी आपदाओं (सड़क, रेल, नाव दुर्घटना) में मूलाधार आंकड़ों की तुलना में पर्याप्त कमी करना ।

(ग) वर्ष 2030 तक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में मूलाधार आंकड़ों की तुलना में 50 प्रतिशत की कमी करना।

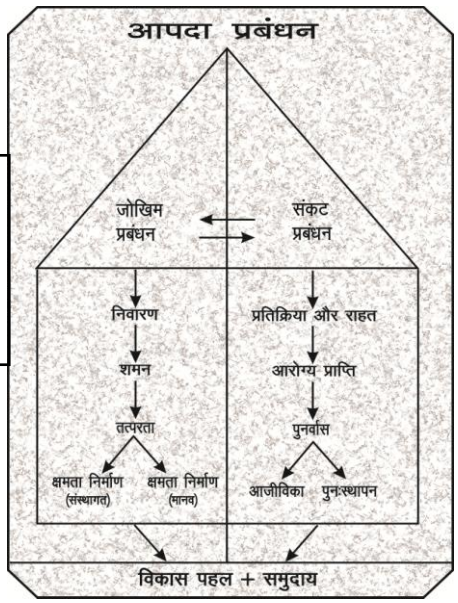

इसके साथ ही आपदा जनित संकट काल में प्रत्युत्तर, राहत एवं बचाव, जीविका एवं बसावट की पुनर्प्राप्ति तथा पुनर्वास एवं अत्यंत जरूरी जन सेवाओं की यथाशीघ्र बहाली का कार्य कटिहार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नेतृत्व एवं निर्देशन में कराये जा सकेगें।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप (2015–30) में उल्लेखित निम्न लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को इस नगर आपदा प्रबंधन योजना में शामिल किया गया है :–

आपदा जोखिम प्रबंधन की आरंभिक क्रियाओं की सूची :–

- आपदा जोखिम की पहचान, उसके संबंध में पूरी जानकारी तथा इसका विस्तृत विश्लेषण।
- सहभागी, विस्तृत एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोखिमो का विश्लेषण करते हुए आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु वार्ड स्तरीय विकास याजनाओं का निरूपण एवं क्रियान्वयन।
- जोखिमों की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर तदनुसार सभी हितधारको का पर्याप्त क्षमता वर्द्धन ।

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उद्देश्यों को हासिल करने हेतु योजना बद्ध तरीके से हितधारको से संवाद स्थापित करना।
- इस योजना मे कार्यान्वयन योग्य (Actionable and Doable) लक्ष्यों को हासिल करने का भी प्रयास किया गया है। (DRR रोड मैप द्रष्टव्य)

1.3 योजना का दायरा :– इस योजना में 25.5 वर्ग कि॰मी॰ की परिधि में फैली तथा 45 वार्डो में विभक्त कटिहार नगर निगम क्षेत्र में सभी प्रकार की संभावित आपदाओं, यथा प्राकृतिक, मानव प्रेरित, सामाजिक आपदाएं,वैश्विक महामारी या जलवाय परिर्वन के प्रतिकूल प्रभावों के कारण उत्पन्न हो, इसके संदर्भ में एक व्यापक खतरा–जोखिम– संवेदनशीलता–क्षमता विश्लेषण किया गया है। विगत दशको में बहुत बड़ी मात्रा में ग्रामीण जनसंख्या का शहरों में परिवर्तन हुआ है। इसके कारण शहरी जनसंख्या में एक दशक में 26.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व 9445 प्रति वर्ग कि॰मी॰ का कुप्रभाव वहाँ की नागरिक सुविधाओं पर पड़ा है। शहर के सभी 45 वार्डो में कुल 29770 होल्डिंग है जिसमें 241 गैर आवासीय हैं। इन विभिन्न बसावटों पर आपदाओं के कारण कई बार व्यापक जान–माल की हानि के साथ जन सुविधाओ, शिक्षा, चिकित्सा तथा संचार–संपर्क अतः संरचना की क्षति या सुविधाओ में व्यवधान होता आया है। विगत 10–15 वर्षो के आपदा इतिहास के आधार पर पूर्व में घटित तथा भविष्य में संभावित बहु–खतरा का विश्लेषण एवं इसका मानचित्रण भी किया गया है।

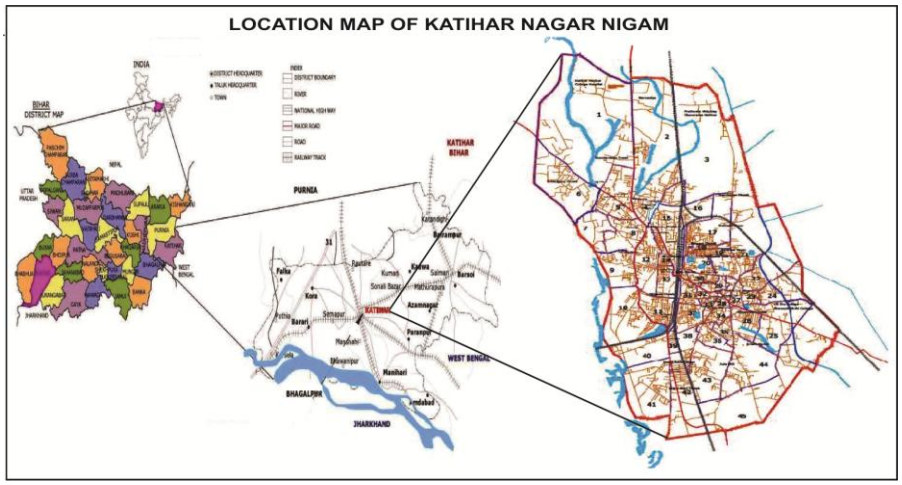

वर्ष के बारह महीनों में सभी आपदाओं के घटित होने का एक संभावित काल खंड अनुमानित किया गया है जिसे आपदा तीव्रता कैलेन्डर में दर्शाया गया है। इस वार्षिक आवति काल के आधार पर इनकी अधिकतम तीव्रता (पूर्व अनुभव आधारित) इसके चपेट म आने वाले संभावित वार्डा तथा वहाँ स्थित संवेदनशील जान–माल तथा आधारभूत संरचनाओं की क्षति का जोखिम नागरिक सेवाओं तथा सुविधाओं में व्यवधान का पूर्वानुमान लगाने एवं स्थानीय स्तर पर इससे निपटने की क्षमता का आकलन किया गया है। आपदाओं की विभीषिका की एक सीमा से अधिक होने पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध क्षमता से इसका सामना करना संभव नहीं होने पर बाहरी सहायता की आवश्यकता होगी। अतः ऐसी विषम परिस्थिति में नगर निगम की इन बाहरी सहायता श्रोत तक पहुँच होना/बनाना आवश्यक होगा। बाहरी मदद श्रोत का व्यवहारिक आकलन करते हुये इस तक त्वरित पहुँच बनाने तथा सहायता प्राप्त करने की औपचारिकताओं को भी चिह्नित करने का प्रयास किया गया है।

1.4 योजना तैयार करने की कार्य प्रणाली :– इस योजना का निर्माण एक त्रिपक्षीय एकरारनामा के आलोक में किया गया है। तदनुसार तीनो पक्षों की बहुमूल्य सहभागिता रही है। नगर निगम कटिहार के द्वारा कटिहार स्थित विभिन्न विभागों से नगरीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए जरूरी आंकड़े तथा सूचनायें एकत्रित करने का हर संभव प्रयास किया गया है। इस योजना की तैयारी में तकनीकी सहयोग के लिये नियुक्त संस्था, प्रो॰जी॰पी॰ सिन्हा सेन्टर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट ने नगर निगम के संबंधित पदाधिकारियों, नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों के स्थानोय कार्यालयों, जन प्रतिनिधियों, वार्ड सदस्यों तथा सामाजिक कायकताओं से व्यापक विमर्श, चर्चा एवं क्षेत्र भ्रमण कर जानकारियाँ एकत्रित की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक आंकडें विभिन्न वेब साईट,

जिला गजेटियर, जिला जनगणना हस्त पुस्तिका, साख्यिकी प्रतिवेदनो तथा अन्य श्रोतो से एकत्रित किया गया है। साथ ही बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से नगरीय आपदा प्रबंधन योजना प्रतिवेदन की संरचना, सरकारी आदेश, अनुदेश, परिपत्र, मानक संचालन प्रक्रिया, जन जागरण हेतु पत्रक, पोस्टर इत्यादि प्राप्त किये गये है।

सारणी–1.1नगर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के प्रमुख चरण एवं मुख्य गतिविधियों का ब्योराः

गतिविधि	प्रमुख चरण	मुख्य गतिविधि
1	2	3
A.	शुरूआत (10.08.21)	शुरूआती प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण एवं समर्पण
B.		विहित प्रश्नावली के आलोक मं आंकड़ा संकलन
C.		PRA Exercise द्वारा आंकड़ों का सत्यापन
D.	BSDMA को मध्यक्रम प्रगति प्रतिवेदन प्रेषित करना (10.11.21)	आंकड़ों का दस्तावेजीकरण, डाटा इंन्ट्री विश्लेषण तथा व्याख्या।
E.	योजना की तैयारी	मानक संचालन प्रक्रिया एवं संबंधित आदेश का संकलन।
F.		खतरा जोखिम संवेदनशीलता तथा क्षमता विश्लेषण (HRVCA)
G.		आपदा की रोकथाम, पूर्व तैयारी, जोखिम न्यूनीकरण, हेतु अन्य संबंधित सरकारी योजनाओं से इस योजना का संयोजन।
H.	BSDMA को समर्पण (02.06.22)	ड्राफ्ट योजना की तैयारी एवं BSDMA को समर्पण।
I.	BSDMA द्वारा ड्राफ्ट योजना की समीक्षा एवं अभियुक्ति (21.12.22)	BSDMA द्वारा समीक्षा के क्रम में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण।
J.	BSDMA द्वारा स्वीकृति (2023)	अंतिम रिपोर्ट की तैयारी एवं समर्पण।

नगर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु (PERT CHART)

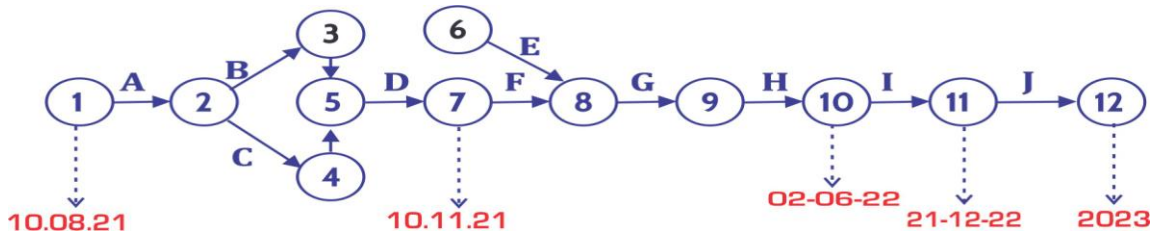

अन्य श्रोता से प्राप्त आंकड़ो का सत्यापन, पूर्व के आपदा इतिहास संबंधी जमीनी स्तर की सूचनाएँ एवं वास्तविक अनुभवों का संकलन, स्थानीय स्तर पर घटित आपदाआ का अबतक प्रचलित परंपरागत निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी की कार्यवाहियो की जानकारी एकत्र करने के लिए सहभागी सूचना (PRA Exercise) संकलन पद्धति अपनाई गई। सभी वार्ड सदस्यों एवं विगत आपदाओं के दौरान सक्रिय रहे सरकारी गैर सरकारी संस्थाओ के प्रतिनिधियो, नगर के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठकर चर्चा की गई एवं अपेक्षित सूचनाएँ एकत्रित की गई।

इन आंकड़ो का दस्तावेजीकरण तथा व्याख्या तैयार की गई। विभिन्न सारणी, चाट, ग्राफ तथा डाईग्राम तैयार किया गया। इनको निरूपित करते हुये बहु आपदा खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता का विस्तृत विश्लेषण तैयार किया गया। पुनः इस विश्लेषण के साथ सभी हितधारकों क साथ बैठके कर उनको इसके फलाफल की जानकारी दी गई तथा उनसे आपदा प्रबंधन के सभी मुख्य अवयवो के संबंध में उनके दायित्व एवं कर्त्तव्या तथा अपेक्षाआ की चर्चा की गई। इस चर्चा के आधार पर आपदा पूर्व तैयारी की स्पष्ट रूपरेखा तय की गई जो आपदा के शमनीकरण न्यूनीकरण तथा आपदा मोचन के लिए सहायक तथा प्रभावी हो।

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना को ससमय, त्वरित, तथा प्रभावी रूप से लागू करने की लिए एक सुगठित आपात्कालीन संचालन केन्द्र की रूपरेखा, प्रभावी प्रक्रिया, कार्यबलों के संस्थागत ढांचा का स्वरूप तय किया

गया। इसके अतिरिक्त संसाधन सूची तैयार की गई। भौतिक संसाधन तथा मानव संसाधन की वर्तमान उपलब्धता एवं गुणक्ता के आधार पर इसकी प्रभावकता में उतरोत्तर सुधार करने का कार्यक्रम बनाया गया है। क्षमतावर्द्धन के लिए प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षण सामग्रियां भी चिह्नित किया गया। आपदा प्रभावित लोगों के बीच खतरों तथा जोखिम की पहचान तथा स्थानीय स्तर पर बाहरी सहायता पहुँचाने के पूर्व तक बचाव कैसे की जाय। इस बारे में उन्हें जागरूक करने के सभी उपायों की विस्तृत चर्चा की गइ है।

कई प्रकार की आपदा के दौरान प्रत्युत्तर योजना, सहयोगी संस्थाओं की भूमिका तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नेतृत्व एवं निर्देशन में आपसी सहयोग एवं समन्वय की मानक संचालन प्रक्रिया तय की गई है। पूर्व चेतावनी तंत्र का विकास, नियंत्रण कक्ष की कार्य प्रणाली एवं सतत् सेवा सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है। आपदा प्रभावितों या संवेदनशील आबादी को सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरण तथा राहत शिविरो के संचालन की मानक प्रक्रिया का विशेष उल्लेख किया गया है।

इस योजना निर्माण में क्षति आकलन, पीड़ितो को राहत, पुनर्वास, आधारभूत संरचनाओ का पुनर्स्थापन जीवनदायी सेवा प्रदान की जाने वाली संस्थाओं के भवनो की त्वरित मरम्मति या क्षतिग्रस्त संरचना का पुनर्निर्माण के लिए समय–समय पर सरकार द्वारा निर्गत निर्देश, परिपत्र, दिशा निर्देशो को उद्धृत किया गया है।

योजना में प्रस्तावित कार्यो के लिए नगर निगम के वित्तीय संसाधनो की उपलब्धता का विशलेषण किया गया है। विकास कार्यो के लिए किये जा रहे निवेश से भविष्य में आपदारोधी संरचनाओ के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है।

योजना का निरूपण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं अद्यतनीकरण को सरल एवं सुलभ बनाने का पूरा प्रयास किया गया है।

1.5 नगरीय आपदा प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन :– बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कटिहार नगर आपदा प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन की जवाबदेही बिहार राज्य नगरपालिका अधिनियम 2007 के अनुच्छेद 21 एवं 22 के आलोक में "नगर निगम की सभी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करते हुये सशक्त स्थाई समिति की होगी।" इसी अधिनियम के अनुच्छेद 28(2) के आलोक में सशक्त स्थाई समिति, लिखित आदेश द्वारा, इस आदेश में यथा विनिर्दिष्ट शर्त्तो के अध्यधीन, अपने किन्हीं शक्तियों या कार्यो को मुख्य पार्षद या मुख्य नगर पालिका पदाधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

बिहार म्यूनिसीपल एक्ट 2022 के अध्याय 39 में उद्दृत धारा 361 :

प्राकृतिक या प्रौद्योगिक आपदा का प्रबंधन – **(1)** जहाँ तक संभव हो सकेगा, नगरपालिका मौसम विज्ञान संबंधी कार्यालय सहित केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के सबद्ध पदाधिकारियों के सहयोग से मौसम आधृत नक्शा तथा प्रभावी क्षेत्र– आरेख तैयार कराएगा तथा अन्य सुसंगत आंकड़े एकत्र करेगा और प्राकृतिक तथा प्रौद्योगिक आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए अधिष्ठापन तथा अन्य अपेक्षित सहायक उपकरण को स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

(2) नगरपालिका आपदा प्रबंधन के संबंध में आपातकालीन क्रिया–कलाप आयोजित करेगी तथा जन चेतना को बढ़ावा देगी।

(3) नगरपालिका योजना तथा नगर विकास प्राधिकारों के द्वारा उच्च भूकम्पीय क्षेत्रों में भ्कम्प की यथा भयानकता को कम करने तथा इस संबंध में नागरिक चेतना जगाने के लिए बनाए गये विनियमों को यदि कोई हो, कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त उपाय करेगी।

इस योजना के क्रियान्वयन में सरकार की नीतियाँ, बिहार नगर पालिका अधिनियम, विभिन्न आपदाओं से संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाओं, नये सहाय्य मानदर एवं भूकम्प, चक्रवाती तूफान, भीड़ प्रबंधन, आपदाओं से बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, वृद्धो एवं असहाय जनो की सुरक्षा, पालतू जानवरों एवं मवेशियों की सुरक्षा, मलवों का निपटान से संबंधित मार्गदर्शिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। हितधारको एवं सहयोगी संस्थानों का क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से किया जायेगा।

आपदा प्रबंधन समिति :– इस समिति के नियंत्रणाधीन विभिन्न कार्यो के लिए अलग–अलग कार्यदल गठित किये जायेगे और उन्हें जागरूकता एवं पूर्व तैयारी, त्वरित सूचना संचार, मोचन कार्य यथा निकासी तथा बचाव, शिविर संचालन, संसाधन प्रबंधन, के कार्यों में प्रवृत करने हेतु समुचित नेतृत्व, निर्देशन, समन्वय इत्यादि कार्य किये जायेंगे। यह समिति जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन, विभिन्न सहभागी एवं हितधारक संस्थाओं से सम्पर्क तथा समन्वय कर इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में अपनी भूमिका अदा करेगी।

इस योजना के क्रियान्वयन में सरकार की नीतियाँ बिहार नगर पालिका अधिनियम, विभिन्न आपदाओं से संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाओं, नये सहाय्य मानदर एवं भूकम्प, चक्रवाती तूफान, भीड़ प्रबंधन, आपदाओं से बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, वृद्धो एवं असहाय जनो की सुरक्षा, पालतू जानवरों एवं मवेशियों की सुरक्षा, मलबों का निपटान से संबंधित मार्गदर्शिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। हितधारको एवं सहयोगी संस्थानों का क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से किया जायेगा।

1.6 योजना का पुनर्विलोकन एवं सुधार :– नगर निगम की सशक्त स्थाई समिति प्रत्येक आपदा के बाद एक निश्चित समय अंतराल पर योजना के अवयवों तथा उसके क्रियान्वयन की विवेचना करेगी अथवा बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुच्छेद 33(1) में उल्लेखित शक्तियों का उपयाग करते हुये नगर आपदा प्रबंधन योजना का पुनर्विलोकन एवं सुधार के लिए एक तदर्थ समिति का गठन करेगी जो ऐसे कार्य करेगी या जाँच पड़ताल करेगी या अध्ययन करेगी जिसमें रिपोर्ट देना भी शामिल है, जैसा इस संबंध में प्रस्ताव द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय। अनुच्छेद 33(2) के आलोक में कोई भी व्यक्ति जो पार्षद नहीं है, किन्तु तदर्थ समिति के प्रयोजनार्थ विशेष योग्यता रखता है तो उसे तदर्थ समिति के सदस्य के रूप में संबद्ध किया जा सकेगा। यह तदर्थ समिति विवेचना के दौरान आपदा प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन के समय महसूस की गई कठिनाईया को ध्यान में रखकर योजना के प्रावधानो में आवश्यक सुधार प्रस्तावित करेगी। प्रत्येक वर्ष संसाधन सूची अद्यतन करेगी तथा अपने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपलब्धियो की समीक्षा कर आगामी वर्ष के लिए नये लक्ष्य निर्धारित करेगी। इन सभी सुधारों को अन्ततः सशक्त स्थाई समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

:=:=:=:=:=:

अध्याय : 2

नगर का सामान्य विवरण

CITY PROFILE

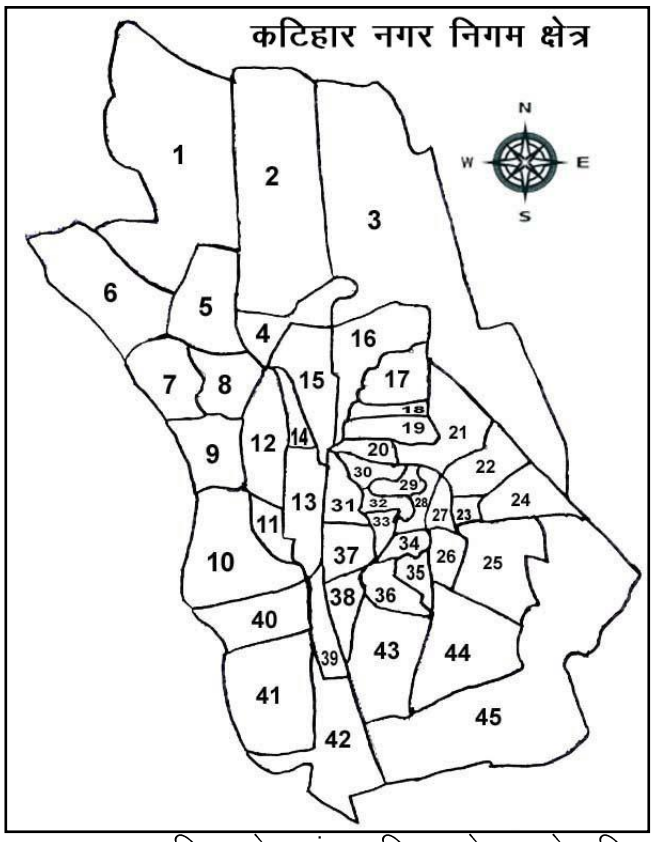

2.1 नगर परियच :– उत्तर–पूर्व बिहार के पूर्णियाँ प्रमंडल अंतर्गत कटिहार जिले का मुख्यालय कटिहार नगर में अवस्थित है। इस शहर के नगरीय प्रशासन के लिए सन 1905 में नगर पालिका का गठन किया गया था जिसे 01 जुलाई 2009 में नगर निगम के रूप में उत्क्रमित किया गया । कटिहार नगर निगम सम्प्रति 45 वार्डो में विभक्त है तथा 25.52 वर्ग कि॰मी॰ क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ की कुल आबादी 2,40,838(जनगणना–2011) तथा जनसंख्या घनत्व 9437 प्रति वर्ग कि॰मी॰ है।

गंगा, कोसी एवं महानन्दा की गोद मे बसा कटिहार जिला विरासत में मिली चुनौती एवं संघर्ष का सामना करते हुए आज राज्य एवं देश के पटल पर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इस जिले की एतिहासिक धरोहर में कटिहार रेल जंक्शन का नाम अपनी एक अलग पहचान लिए हुए है। पूर्वोत्तर भारत का मुख्य द्वार, कटिहार रेल मंडल बिहार के अलावे पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम में 1598 कि॰मी॰ तक फैला हुआ है, जो कटिहार का गौरवान्वित करता है। सामरिक दृष्टिकोण से यहाँ पर अवस्थित आर्मी एवं आई॰टी॰बी॰पी॰ कैम्प की महत्वपूर्ण भूमिका है। विशेषकर पूर्वोत्तर भारत के लिए कटिहार जिला अपनी ऐतिहासिक पहलू के कारण भी गौरवमय रहा है। कटिहार शहर के दुर्गास्थान चौक के समीप अवस्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर अपनी प्रसिद्धि के लिए जग जाहिर है। काली मंदिर भी धार्मिक रूप से आस्था का केन्द्र माना जाता है। शहर के डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद पथ में अवस्थित श्री श्री 108 कष्ट हरणनाथ शिव मंदिर भी सबसे प्राचीनतम मंदिर में से एक है।

2.2 भूगोल :– गंगा के मैदानी भाग मं गंगा, कोसी एवं महानन्दा की गोद मे बसा कटिहार बिहार के सीमांचल क्षेत्र में 25^0 32′ उत्तरी अंक्षा" । तथा 87^0 35′ पूर्वी देशान्तर पर कटिहार नगर अवस्थित है। यहाँ की भूमि औसतन समतल है तथा समुद्र तल से इसकी उँचाई 29 से 33 मीटर के आस–पास है। यहाँ की मिट्टी का प्रकार सामान्यतः जलोढ़ (Alluvium Soil) है तथा मौसम उष्ण–आर्द्र रहता है। कटिहार शहर के उत्तर में पो.सी.सी. रोड ओर सैन्य केन्द्र, पश्चिम में कोशी नदी, दक्षिण में चितौरियां एवं सिरनिया पंचायत तथा पूर्व में नहर तथा तियरपारा, बउगना, डिहरिया अंश पंचायत से घिरा हुआ क्षेत्र है।

2.3 प्रशासनिक विभाजन :– कटिहार शहर में नगर निगम कार्यालय के अतिरिक्त कटिहार जिला प्रशासन, सदर अनुमंडल तथा कटिहार उत्तरी प्रखंड एवं अंचल का मुख्यालय है। यहाँ जल संसाधन विभाग, बिहार के मुख्य एवं अधीक्षण अभियंता तथा अधीनस्थ प्रडल का मुख्यालय कार्यरत है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग के अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य समिति, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कटिहार, कृषि एवं बागवानी विभाग, परिवहन विभाग, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं

सदर थाना, श्रम विभाग तथा आपूर्ति विभाग के भी कार्यालय है। न्यायपालिका में जिला सत्र न्यायाधीश तथा अधीनस्थ कोर्ट कचहरी कार्यरत् है।

2.4 जलवायु एवं मौसम की रूप रेखा – भारत मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में प्रकाशित पुस्तिका 'बिहार की जलवायु' में कटिहार जिला का जलवायु का अध्ययन वृत्त प्रस्तुत किया गया है। इस के अनुसार शहर में जलवायु आम तौर पर सौम्य शीत ऋतु (Mild Winter), संतुलित उष्ण ग्रीष्मऋतु एवं उष्ण आर्द्र वर्षाऋतु क रूप में उद्धृत किया गया है। शीतऋतु सामान्यतः नवंबर माह के उत्तरार्द्ध से मध्य मार्च तक, इसके उपरांत मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु होता है। उत्तरार्द्ध जून से ही दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगाज हो जाता है जो सितंबर तक जारी रहता है। अक्टूबर एवं नवंबर माह वर्षाऋतु तथा शीतऋतु का समय होता है।

2.4.1 वर्षापात – कटिहार जिला में 12 स्थानों पर 30 वर्षो से अधिक वर्षापात मापन संयंत्र से एकत्रित आकड़ो का विश्लेषण भी इस अध्ययन वृत में समाहित है। कटिहार उत्तरी प्रखंड कार्यालय म स्थित वर्षापात मापन स्थल पर एकत्रित आकड़ो के आधार पर ऋतुवार सामान्य वर्षा (मि.मी.) में निम्न प्रकार से पाया गया है :–

क. ग्रीष्म कालीन वर्षा (मि.मी.)		**ख. दक्षिण–पश्चिम मॉनसून वर्षा (मि.मी.)**	
मार्च	5.1	जून	194.5
अप्रैल	28.5	जुलाई	362.7
मई	102.9	अगस्त	244.7
कुल	**136.5**	सितंबर	270.2
		कुल	**1071.90**
ग. उत्तर पश्चिम वर्षा (मि.मी.)		**घ. शीतकालीन वर्षा (मि.मी.)**	
अक्टूबर	57.2	जनवरी	8.6
नवंबर	02.4	फरवरी	4.9
दिसंबर	05.3	**कुल**	**13.5**
कुल	**64.9**		

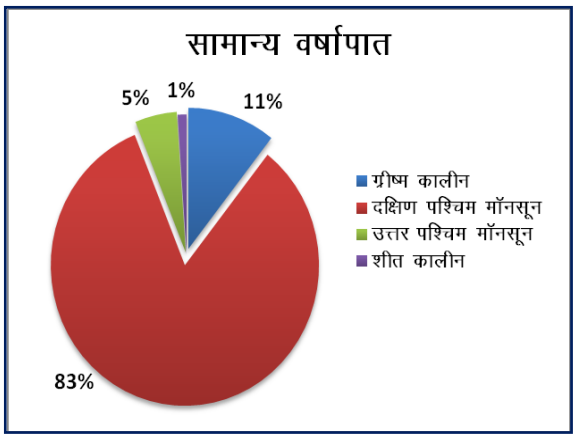

2.4.2 तापक्रम एवं सापेक्षिक आर्द्रता : – भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की कटिहार वेधशाला में संकलित आंकड़ा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित बुलेटिन संख्या–8 "बिहार की जलवायु" नामक पुस्तिका में संधारित किया गया है। इन आकड़ों को निम्न सारणी में दर्शाया गया है। जनवरी माह में अधिकतम औसत तापक्रम 24.0 ^{0}C तथा न्यूनतम औसत तापक्रम 7.8 ^{0}C है। भारद ऋतु के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के साथ शीत लहर की स्थिति भी बनती है। कटिहार वेधशाला में 31 जनवरी 1971 को अब तक का सबसे न्यूनतम तापक्रम 1.3 ^{0}C दर्ज किया गया। जबकि 27 मई 1916 को अब तक का सबसे अधिकतम तापक्रम 43.9 ^{0}C दर्ज पाया गया है।

दिसबर तथा जनवरी के महीने में यहाँ औसत तापक्रम 8 से 9 ^{0}C के बीच रहता है। सुबह में सापेक्ष आर्द्रता 80 प्रतिशत के आसपास रहने की कारण ही घने कोहरे की स्थिति बनी रहती है।

सारणी – 2.1 सामान्य तापक्रम तथा आपेक्षिक आर्द्रता

क्र. सं.	महीना	मध्य तापक्रम	न्यूनतम मध्य तापक्रम	उच्चतम अधिक तापक्रम		न्यूनतम न्यून तापक्रम		आपेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत)	
		°C	°C	°C	दिनांक	°C	दिनांक	प्रातः 9.30	संध्या 5.30
	वार्षिक	**30.7**	**18.00**	**43.9**	**27.5.1916**	**1.3**	**31.1.1971**	**77**	**66**
1	जनवरी	24.0	7.8	29.3	29.1.1990	1.3	31.1.1971	80	64
2	फरवरी	26.7	10.0	34.4	28.2.1896	1.7	8.2.1891	70	51
3	मार्च	32.0	14.5	40.6	29.3.1941	5.4.	5.3.1973	58	39
4	अप्रैल	35.4	19.7	43.3	15.4.1891	10.4	4.4.1965	62	43
5	मई	34.7	22.4	43.9	27.5.1916	15.3	11.5.1971	73	59
6	जून	33.7	24.4	43.0	6.6.1979	17.85	6.6.1906	82	73
7	जुलाई	32.0	24.8	39.9	14.7.1972	20.7	28.7.1971	88	82
8	अगस्त	32.2	24.9	37.7	12.8.1926	19.6	30.8.1970	86	81
9	सितंबर	32.1	24.1	39.6	11.9.1999	18.0	29.9.1972	86	82
10	अक्टूबर	31.4	20.6	36.0	11.9.1991	10.0	31.10.1891	80	76
11	नवंबर	29.1	14.1	34.8	5.11.1996	4.6	29.11.1970	76	72
12	दिसंबर	25.4	9.0	30.6	3.12.1953	2.1	5.1.1965	79	70

स्त्रोत : बिहार की जलवायु भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, पुणे से प्रकाशित।

2.4.3 हवा की गति :– आमतौर पर पूरे वर्ष हल्की से मध्यम हवा गति देखने को मिलता है। सर्दी या गर्मी के आरंभिक दिनों में हवायें या ता शांत रहती है अथवा पश्चिमी दिशा से आती है। प्री मानसून या मानसून के दिनों में प्रायः पूर्वी हवा चलती है।

सारणी – 2.2 मध्य गति हवा तथा दिशा (कटिहार)

क्र.सं.	महीना	हवागति कि.मी/घंटा	दिशा प्रवाह प्रातःकाल	दिशा प्रवाह संध्या काल
	वार्षिक	**4.0**	–	–
1	जनवरी	2.4	शां/प.	शां/प.
2	फरवरी	3.6	प.	शां/प.
3	मार्च	4.7	प./पू.	प./शां
4	अप्रैल	6.1	पू.	पू./प.
5	मई	6.6	पू.	पू.
6	जून	5.7	पू.	पू.
7	जुलाई	4.8	पू.	पू.
8	अगस्त	4.7	पू.	पू.
9	सितंबर	3.9	पू.	पू./शां
10	अक्टूबर	2.4	शां/पू.	शां.
11	नवंबर	1.6	शां/पू./प.	शां
12	दिसंबर	1.8	शां/प.	शां

स्त्रोत : "बिहार की जलवायु" भारतीय मौसम विभाग, पुणे से प्रकाशित

शां=शांत, पू=पूर्वा, प=पछिया

2.4.4 विशेष मौसमी घटनायें :– मानसून अवधि में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सतह के उपर उत्पन्न होने वाले कम दबाव के क्षेत्र के कारण उत्पन्न तूफान का प्रवेश कटिहार शहर में होता है। इस दौरान व्यापक बारिश और तेज हवायें चलती है बिजली गिरती है तथा काफी तबाही लाती है। गर्मियों में कभी–कभी पश्चिमी विक्षोभ क दौरान धूल भरी आंधीयां चलती है।

सारणी –2.3 विशेष मौसमी घटनाएं

क्र.सं.	महीना	घटनाओं से भरे दिवसों का मध्यमान			
		आंधी तूफान	ओला	धूल की आंधी	घना कोहरा
	वार्षिक	**10.6**	**0.9**	**0.8**	**1.3**
1	जनवरी	0.1	0.0	0.0	0.6
2	फरवरी	0.1	0.0	0.0	0.0
3	मार्च	0.5	0.0	0.0	0.0
4	अप्रैल	0.9	0.0	0.1	0.0
5	मई	2.1	0.1	0.2	0.0
6	जून	2.1	0.0	0.1	0.0
7	जुलाई	1.3	0.2	0.1	0.1
8	अगस्त	1.5	0.2	0.1	0.0
9	सितंबर	1.5	0.2	0.1	0.1
10	अक्टूबर	0.4	0.1	0.1	0.1
11	नवंबर	0.0	0.0	0.0	0.0
12	दिसंबर	0.1	0.1	0.0	0.4

स्त्रोत : "बिहार की जलवायु" भारतीय मौसम विभाग, पुणे से प्रकाशित

सारणी – 2.4 नगर परियच :–

क्र.सं.	विषय	विवरण
1	**2**	**3**
1	स्थापना का वर्ष नगर पालिका एवं नगर निगम	सन् 1905 एवं सन् 2009
2	वार्डो की कुल संख्या	45
3	कुल आबादी (जनगणना 2011)	2,40,838 (जनगणना 2011)
4	कुल क्षेत्रफल	25.52 वर्ग कि॰मी॰
5	जनसंख्या घनत्व	9437 व्यक्ति प्रति वर्ग कि॰मी॰
6	कुल होल्डिग आवासीय गैर आवासीय कुल परिवारों की संख्या	29770 29529 241 46902 (जनगणना 2011)

सारणी –2.5 शहर की आकृति :

क्र.सं.	शहर की पहचान	विवरण
1	**2**	**3**
1	रिहाय" ाी मुहल्ला	हृदय गंज, मझौली, मिरचाई बाडी, लरकनियां टोला, आफिसर्स कॉलोनी, हरीगंज मुहल्ला, त्तियरपाड़ा, रानीघाट गोशाला, तिनगछिया, शरीफगंज, वर्मा कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी, ललयाही इत्यादि
2	मुख्य बाजार	पालिका बाजार, न्यू मार्केट, कर्पूरी बाजार, प्रगति बाजार, जहूर ब्लाक, उत्कर्ष बाजार, अम्बेडकर बाजार, सब्जी मार्केट, मंगल बाजार इत्यादि
3	टेम्पो स्टैड(चौक–चौराहा)	उदामा रहिमा, शहीद चौक, बस स्टैंड, स्टेशन कटिहार जंक्सन
4	खेल मैदान/पार्क	नगर पालिका मैदान, दुर्गा स्थान, LDC मैदान, हरिशंकर नायक स्कूल मैदान, राजेन्द्र स्टेडियम, रेलवे पार्क, मेजर आशुतोष पार्क
5	स्कूल कॉलेज	सूर तुलसी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एम.जे.एम. महिला कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज, के.बी.झा कॉलेज, सीताराम चमरिया महाविद्यालय, लॉ कॉलेज, दर्शन साह महाविद्यालय, स्काटिश स्कूल, त्रिवेणी नायक मिडल स्कूल, गौशाला जिला स्कूल इत्यादि
6	धार्मिक स्थल	छीटांबाड़ी काली मंदिर, ललियाही दुर्गा मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, मनाकामना मंदिर, बड़ी दुर्गा मंदिर, सत्संग मंदिर, श्री श्री 108 श्री हरण नाथ शिव मंदिर, काली मंदिर, बजरंगबली मंदिर, तिनगछिया काली मंदिर, महावीर मंदिर, जामा मस्जिद इत्यादि
7	अन्य प्रमुख भवन	समाहरणालय, जिला न्यायालय, परिसदर, कटिहार मॉडल रेलवे स्टेशन, डी.आर.एम. भवन, नगर निगम कार्यालय, सदर अस्पताल, कल्याणी नर्सिंग होम, हवा महल, रेडियेट हॉस्पीटल

सारणी – 2.6 जी.पी.एस. लाकेशन

अक्षां" ा – 25^0 32′ उत्तर

देशान्तर – 85^0 35′ पूरब

समुद्र तल से उँचाई – 29 से 33 मीटर के बीच

औसत ढलान – उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमिक ढलान

मिट्टी – जलोढ़ एवं बलुआही

सारणी – 2.7 प्रकाश व्यवस्था :

क्र.सं.	प्रकाश व्यवस्था	परिवार जिन्हें उपलब्ध है	प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	बिजली	32834	70.01	
2	किरासन तेल	13610	29.02	
3	सौर उर्जा	67	0.14	
4	अन्य तेल	216	0.46	
5	अन्य कोई	70	0.15	
6	बिना प्रकाश के	105	0.22	

स्त्रोत : (PCA)–2011

सारणी – 2.8 नाली प्रवाह :

क्र.सं.	नाली प्रवाह	परिवार जिन्हें उपलब्ध है	प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	बंद नाली	6209	13.24	
2	खुली नाली	17917	38.2	
3	कोई नाली नहीं	22776	48.56	

स्त्रोत : (PCA)–2011

सारणी – 2.9 रसोई :

क्र.सं.	घर के भीतर रसोई	परिवार जिन्हें उपलब्ध है	प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	रसोई युक्त	24973	53.25	
2	रसोई रहित	15127	32.25	
	घर के बाहर रसोई			
4	रसोई युक्त	2586	5.51	
5	रसोई रहित	4048	8.63	

स्त्रोत : (PCA)–2011

सारणी – 2.10 इंधन का उपयोग :

क्र.सं.	इंधन का उपयोग	परिवार की संख्या	प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	लकड़ी	17006	36.26	
2	फसल अवशेष	4441	9.47	
3	गोबर के उपले	1023	2.18	
4	कोयला	487	1.04	
5	किरासन तेल	336	0.72	
6	एल.पी.जी.	23084	49.22	
7	बिजली	19	0.04	
8	बायोगैस	86	0.18	
9	अन्य साधन	252	0.54	
10	कोई साधन नहीं	168	0.36	

स्त्रोत : (PCA)–2011

सारणी – 2.11 धारित संपत्तियाँ :

क्र.सं.	धारित संपत्तियाँ	परिवार की संख्या	प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	बैकिंग सेवा युक्त	26135	55.72	
2	रेडियो/ट्राजिस्टर	8341	17.78	
3	टेलोविजन	24678	52.62	
4	इंटरनेट युक्त कम्प्यूटर लैपटॉप	1263	2.69	
5	इंटरनेट रहित कम्प्यूटर लैपटॉप	3617	7.71	
6	लैंड लाईन फोन	1551	3.31	
7	मोबाईल टेलीफोन	26836	57.22	
8	लैंड लाईन एवं मोबाईल दोनों	2840	6.06	
9	साईकिल	22414	47.79	
10	स्कूटर मोटर साईकिल	8380	17.87	
11	कार/जीप/वैन	1139	2.43	
12	कोई संपति नहीं	8843	18.85	

स्त्रोत : (PCA)–2011

2.4.5 इतिहास : कोशी महानंदा एवं गंगा नदी के कछार में बसा यह शहर पौराणिक काल में ''अंग'' राज्य का अंश हुआ करता था। ई॰पूर्व छठी शताब्दी तक अंग एक स्वतंत्र राजशाही थी। बौद्ध काल में इसे बिंबिसार ने अपने राज्य मगध में मिला लिया था। 9वीं शताब्दी तक यह क्षेत्र पाल राजवंश के अधीन रहा। 1905 में कटिहार शहर को नगर पालिका प्रशासन के अंदर लाया गया तथा 104 वर्षो क बाद 2009 में इसे नगर निगम के तौर पर उत्क्रमित किया गया है। 1972 में कटिहार पूर्ण रूप से जिला घोषित किया गया । उससे पूर्व यह पूर्णियाँ जिला का एक अनुमंडल था।

2.5 जन सांख्यिकी :– वर्ष 2011 में की गई जनगणना के आंकड़े उपलब्ध है। 2021 के वास्तविक या अनुमानित आंकड़े उपलब्ध नहीं है। जनगणना 2011 के आलोक मे कटिहार नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों का विवरण निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है –

विवरण	कुल	पुरूष	महिला
आबादी 2011	240838	127240	113598
वृद्धि दर	26.17 प्रतिशत		
घनत्व (प्रतिवर्ग कि॰मी॰)	9495		
लिंगानुपात	893		
बच्चों का आबादी (0–6 वर्ष)	34553	17882	16651
साक्षरता	162501	91648	70853
औसत साक्षरता	67.47 प्रतिशत	72.03 प्रतिशत	62.37 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	26276	13771	12505
अनुसूचित जन जाति	5447	2869	2578

स्त्रोत : कटिहार जिला जनगणना हस्त पुस्तिका 2011

2.5.1 भूमि उपयोग योजना : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा कटिहार सहित सभी नगर निकायों का नगर विकास योजना बनाई गई है। इस योजना में शहर के भू उपयोग विवरणी को चित्र में देखा जा सकता है।

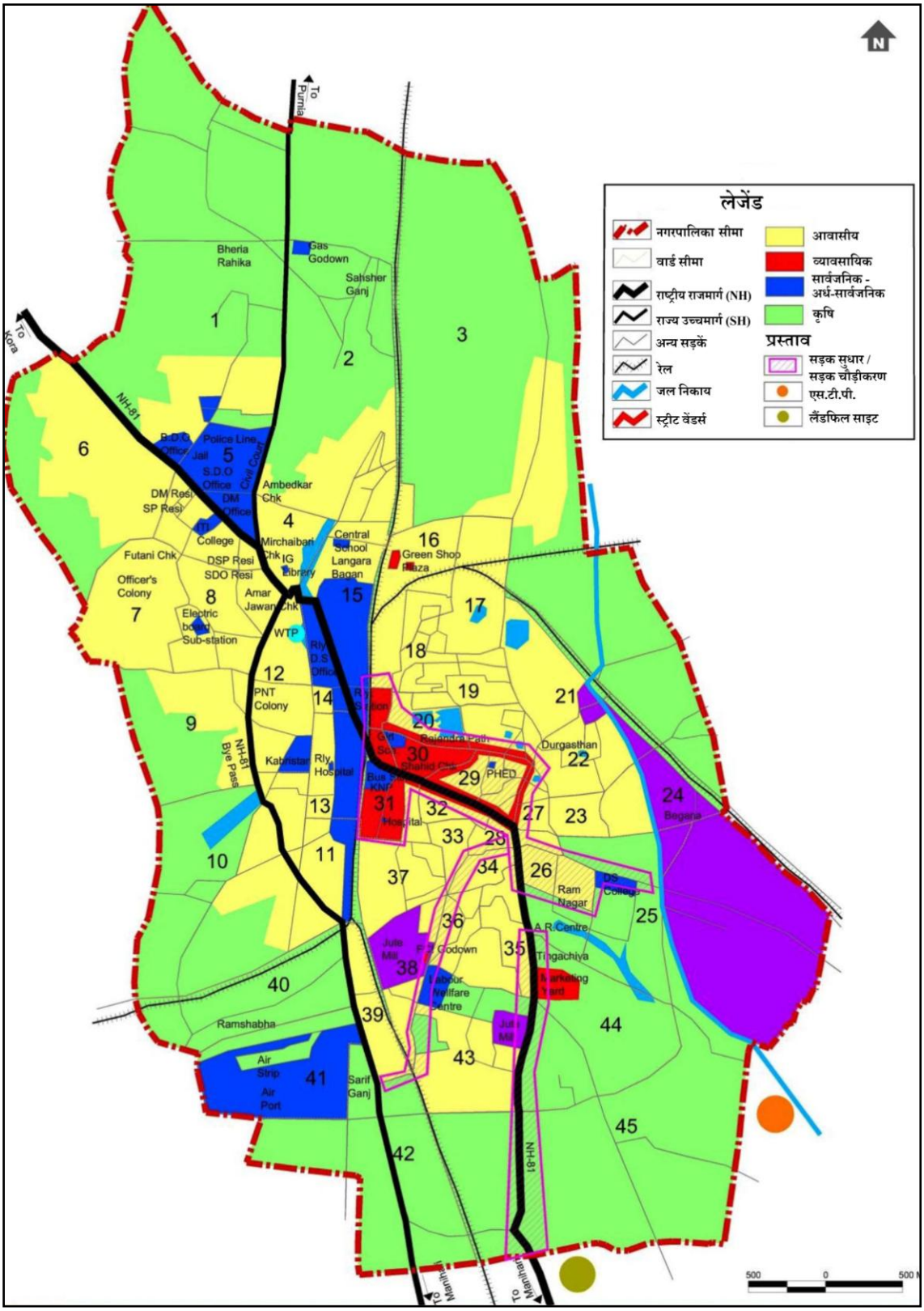

स्त्रोत : नगर विकास योजना, कटिहार नगर निगम

इस मानचित्र में भूमि का उपयोग प्रायः वाणिज्यिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, सार्वजनिक भूमि, सुरक्षित वन क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि, जल जमाव वाले क्षेत्र तथा अन्य उपयोग यथा सड़क, राजमार्ग, सरकारी भवन, निजी आवासीय क्षेत्र इत्यादि के रूप में दर्शाया गया है।

2.5.2 शहर का बदलता स्वरूप : इस शहर का स्वरूप 1901 के बाद से धीरे–धीरे समरूप गति से बदलता हुआ आज की स्थिति में पहुँचा है। शहर के बीचो बीच आवासीय बस्तियां घनी हुई हैं। वाणिज्यिक प्रतिष्ठान की संख्या बढ़ी है। उत्तर पूर्व फ्रांटियर रेलवे का यहाँ प्रमंडलीय कार्यालय हे जो वार्ड सं॰ 13, 14, 15 में अवस्थित है। शहर के रिहाय" ाी एवं वाणिज्यि उपयोग के बाद काफी बड़ा क्षेत्र एग्रो इन्डस्ट्री के रूप में विकसित हो रहा है।

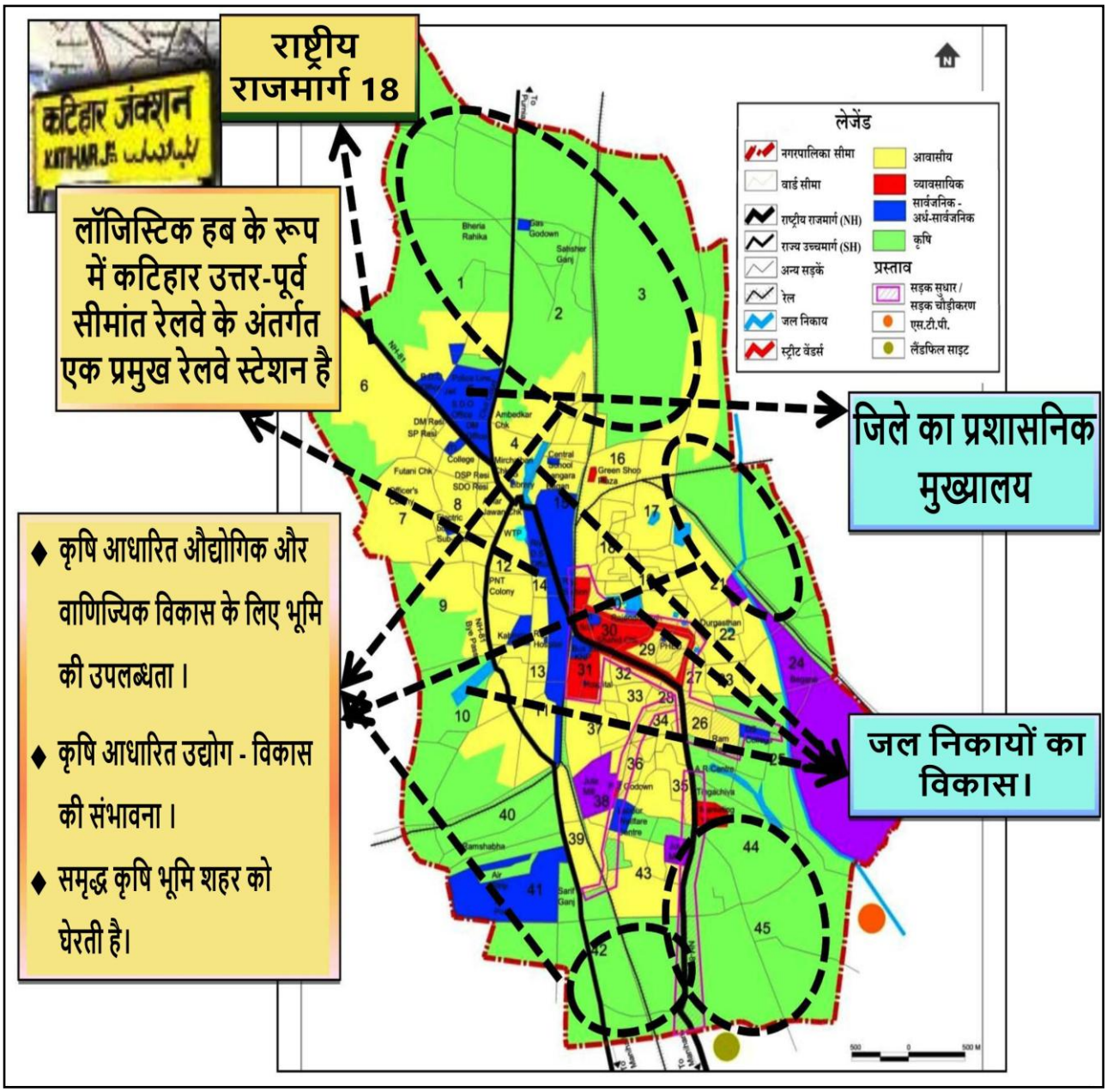

स्त्रोत : नगर विकास योजना, कटिहार नगर निगम

2.6 आर्थिक रूपरेखा :– जिला जनसंख्या हस्त पुस्तिका 2011 में अकित आंकड़ों के अनुसार कटिहार नगर निगम क्षेत्र में बसे लोगों का पेशागत जनसंख्या का विवरण निम्न प्रकार से है।

सारणी – 2.12 विभिन्न पेशा में नियोजित जनसंख्या :

क्र॰सं॰	प्रकार	पशा विवरण	कुल जनसंख्या	पुरूष	महिला
1	2	3	4	5	6
1	औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार मुख्य कर्मी	कुलकर्मी	68205	58251	9954
		मुख्य कर्मी	56928	49907	7021
		कृषक	24064	20603	346
		कृषि मजदूर	5407	4662	765
		घरेलू उद्योग कर्मी	1655	1305	350
		अन्य कर्मी	47460	41880	5580
2	औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार सीमांत कर्मी	सीमांत कर्मी	11277	8344	2933
		कृषक	626	510	116
		कृषि मजदूर	3597	2522	1075
		घरेलू उद्योग कर्मी	741	511	230
		अन्य कर्मी	6313	4801	1512
		गैर कार्यकर्त्ता	172633	68989	103644

स्त्रोत : (PCA)–2011

2.7 योजना एवं जोनिंग :– होल्डिंग टैक्स वसूली के दृष्टिकोण से शहर के होल्डिंग को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है।

- प्रधान मुख्य सड़क से जुड़ा होल्डिंग
- मुख्य सड़क से जुड़ा होल्डिंग
- अन्य सड़क से जुड़ा होल्डिंग

कटिहार नगर के लगभग सभी वार्डो में जल–जमाव की समस्या उत्पन्न होती है। इसे छः जोन में बांटकर सभी नालों की सफाई कर जल मल निकासी को सुगम बनाने का कार्य किया जा रहा है।

- पुर्वोत्तर जोन
- पूर्वी जोन
- पश्चिमोत्तर जोन
- दक्षिण पश्चिम जोन
- मध्य जोन
- दक्षिणी जोन

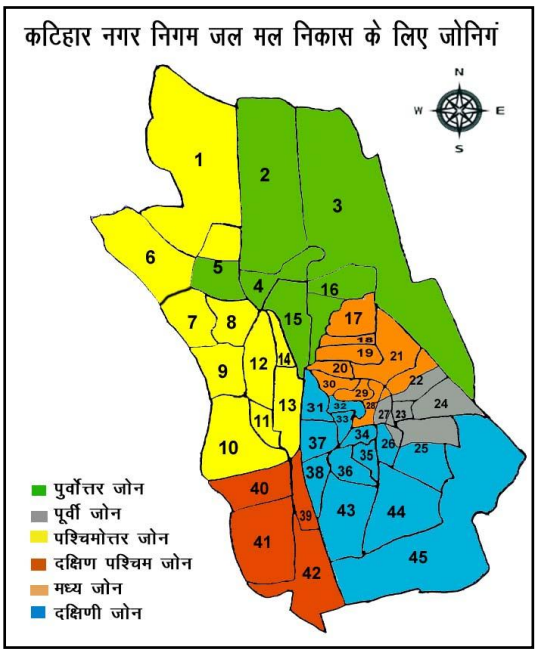

शहर के सवागीण विकास एवं विस्तार के दृष्टिकोण से क्षेत्रोय विकास प्राधिकरण द्वारा जोनिंग किया जाना अपेक्षित एवं प्रतीक्षित है।

2.8 महत्वपूर्ण बुनियादो ढांचा एवं भवन :– कटिहार नगर निगम के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भवनों में वैसे सभी सार्वजनिक भवनो को आपदा रोधी तथा जोखिम रहित बनाये रखने पर बल दिया गया है जिसमें आमतौर पर अथवा किसी अवसर विशेष पर अनेको लोग एकत्रित होते हैं। इस श्रेणी

में सर्वप्रथम प्रशासनिक कार्यालय, स्कूल एवं अस्पताल भवन, धर्मशाला, सार्वजनिक उत्सव हॉल, बड़े–बड़े मॉल, मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर, बड़े पार्क, स्टेडियम, खेल मैदान है।

2.9 शहर के अंतर्गत उपलब्ध अन्य महत्वपूर्ण अंतःसंरचना का ब्योरा निम्नांकित है –

(क) जलापूर्ति व्यवस्था : शहर में मुख्य रूप से जलापूर्ति का श्रोत भूगर्भजल है। प्राथमिक सम्पति सर्वेक्षण (PCA)2011 के अनुसार 33872 (72.22%) घरों में हैन्ड पम्प है। 4670 (9.96%) घरों में गहरे ट्यूब वेल तथा 'बोर होल' से जलापूर्ति होता है। नगर निगम द्वारा हर घर नल का जल योजना के तहत् पाईप से पानी पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ भूमिगत जल स्तर, भू–सतह से 2–5 मीटर नीचे है।

सारणी – 2.13 पेयजल के श्रोत : (कुल परिवार 46902)

क्र.सं.	पेयजल के श्रोत	परिवार जिन्हें उपलब्ध है	प्रतिशत
1	2	3	4
1	शोधित नल का जल	4753	10.13
2	अशोधित नल का जल	2079	4.43
3	ढक्कन वाला कुआँ	190	0.41
4	बिना ढक्कन वाला कुआँ	517	1.1
5	चापाकल	33872	72.22
6	ट्यूब वेल	4670	9.96
7	झरना	14	0.03
8	नदी/नहर	16	0.03
9	तालाब/पोखर/झील	62	0.13
10	अन्य स्त्रोत	729	1.55

स्त्रोत : (PCA)–2011

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा पूर्व निर्मित 2 ओभरहेड टैंक के माध्यम से कुल 2.60 लाख गैलन प्रति दिन जलापूर्ति की जाती है जो औसतन 4 घंटे प्रतिदिन तथा 75 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन है। आपूर्ति पूर्व शोधन की कोई व्यवस्था नहीं है। मई 2022 तक नगर विकास प्रमंडल द्वारा 24 ट्यूब वेल तथा 22 पंप हाउस का निर्माण किया गया है। तेरह नया ओभर हेड वाटर टॉवर बनाना है जिसकी जलापूर्ति क्षमता 127.48 लाख लीटर हो जायेगा । अबतक 7 ओभर हेड वाटर टॉवर का निर्माण किया जा चुका है। शेष छः का निर्माण विभिन्न चरणों में है। नगर क्षेत्र मे जलापूर्ति हेतु अबतक 260434 मीटर डिस्ट्रीब्यूशन मेन पाईप बिछाया गया है एवं 24020 मकानों में जलापूर्ति के पाईप बिछाया जा चुका है। इनमें से 6 हजार घरों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त 10880 लीटर क्षमता के छः टावर का निर्माण किया गया है तथा दो टावर का निर्माण प्रगति में है। अबतक 22819 मकान में जलापूर्ति की जा रही है।

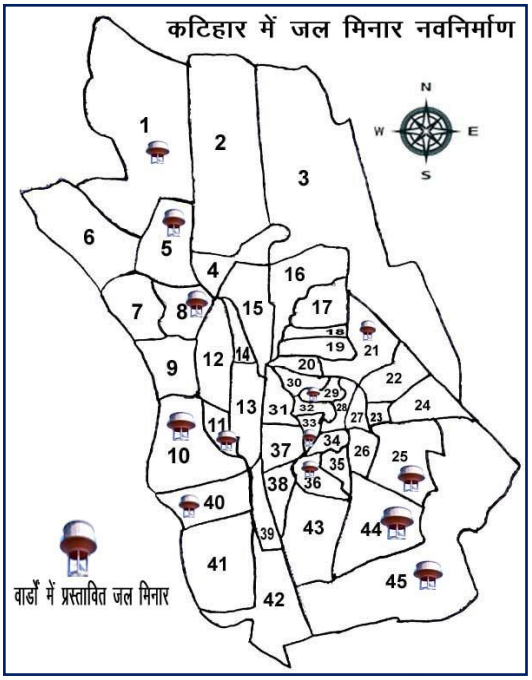

(ख) जलमल निकास तथा स्वच्छता : जिला जनगणना हस्त पुस्तिका 2011 के अनुसार कटिहार शहरी क्षेत्र में 4.53 प्रतिशत घरों को सोवर की सुविधा है। 52.41 प्रतिशत घरों में सेप्टीक टैंक युक्त सोवर व्यवस्था है जिसमें फ्लशिंग मात्र 4.84 प्रतिशत घरों में ही उपलब्ध है। 8.92 प्रतिशत घरों में गड्ढ वाले शौचालय है। 2010 में कटिहार शहर के जलमल की मात्रा 3.673 करोड़ लीटर प्रति दिन आंकी गई है।

सारणी – 2.14 शौचालय : (कुल परिवार 46902)

क्र.सं.	फ्लस पावर शौचालय	परिवार जिन्हें उपलब्ध है	प्रतिशत
1	2	3	4
1	पाईप युक्त सीवर	2126	4.53
2	सेप्टिक टैंक युक्त	24582	52.41
3	अन्य युक्ति	2271	4.84
4	स्लैब सहित हवादार	3279	6.99
5	बिना स्लैब के	906	1.93
6	खुला नाली में मल बहाव	253	0.54
7	मानव द्वारा मल उठाव	207	0.44
8	पशु द्वारा मल उठाव	255	0.54
9	सार्वजनिक शौचालय एवं अन्य	1322	2.82

स्त्रोत : (PCA)-2011

सारणी –2.15 मकानों की संख्या तथा प्रतिशत जिनके उपयोगित जल को घर के बाहर प्रवाहितः

वैसे मकानों की संख्या तथा प्रतिशत जिसमें उपयोगित जल को घर के बाहर प्रवाहित किया जाता है।

बन्द नाली में	6209 (13.4 प्रतिशत)
खुला नाली में	17917 (38.2 प्रतिशत)
बिना नाली के खुले में	22776 (48.56 प्रतिशत)

स्त्रोत : (PCA)–2011

(ग) जल निस्सरण (Drainage) : शहर में खुले पक्के नालो की लम्बाई 45.5 कि॰मी॰ हैं जो लगातार एक दूसरे से संयुक्त नहीं है। इसके अतिरिक्त 22 कि॰मी॰ की लम्बाई में कच्चा नाला है। शहर की बसावट तस्तरीनुमा जमीन पर है जहाँ चारों ओर उँची जमीन और बीच में नीची जमीन है। जिसके कारण भीषण जल जमाव की समस्या आती है। वर्ष 2020 के सितम्बर माह में हुई अतिवृष्टि के बाद लगभग 25 वार्डो में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई थी। वर्ष 2021 के मई माह में ''यास'' तूफान के कारण पूरे शहर में जल जमाव हुआ था। यहाँ के लिए Storm Water Drainage System का निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है और नगर विकास प्रमंडल द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा है।

(घ) ठोस कचरा प्रबंधन : शहर में प्रतिदिन 32 टन ठोस कचरा निकलता है, इसमें से लगभग 60 प्रतिशत ही इकट्ठा किया जाता है। सभी 45 वार्डो को छः जोन में विभक्त कर सफाई का कार्य किया जाता है। 30 वार्डो में सभी सड़कों की सफाई का कार्य गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है तथा शेष 15 वार्डो में सफाई काम नगर निगम द्वारा गठित 4 दलों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक दल का नेतृत्व एक सहायक अभियंता द्वारा किया जाता है तथा उनके अधीन कनीय अभियंता जामादार इस कार्य का पर्यवेक्षण करते ह।

कटिहार नगर निगम ठोस कचरा प्रबंधन के लिए जोनिगं

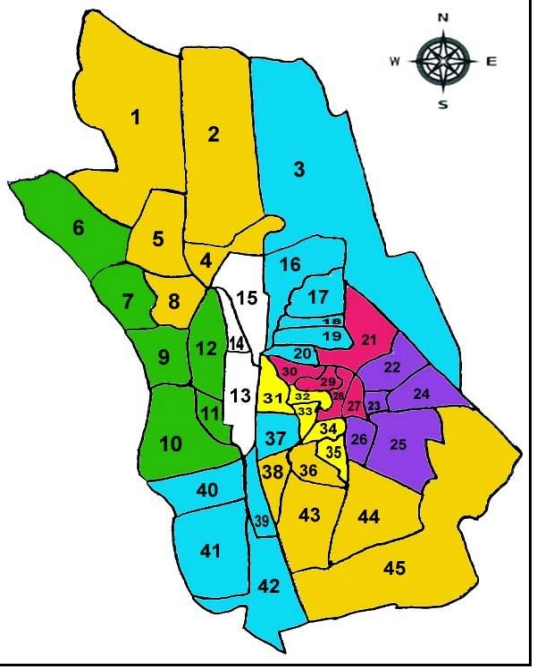

(ङ॰) टफिक तथा परिवहन : यहाँ की सड़के आवश्यकतानसार चौड़ी तो हैं परंतु कुछ इलाकों में अतिक्रमण के कारण ट्रैफिक आवागमन में दिक्कत होती है। नगर निगम के परिक्षेत्र में कुल 166 कि॰मी॰ की लंबाई में सड़कों का निर्माण हुआ है। इसका 39 प्रतिशत कच्चा 29 प्रतिशत खरजा (ईट सोलिंग) 20 प्रतिशत पी.सी.सी. तथा 12 प्रतिशत पिच रोड है। 10 प्रधान मुख्य

सड़क, 12 मुख्य सड़क तथा शेष अन्य सड़के है। सार्वजनिक परिवहन के लिए टेम्पो, ऑटो रिक्सा तथा साइकिल रिक्सा का प्रयोग किया जाता है। शहर में पाकिग की ठोस व्यवस्था नहीं है। शहर में अम्बेदकर चौक, अमर जवान चौक, इस्लामिया चौक, गाँधी चौक, शहीद जगदेव चौक इत्यादि प्रमुख चौराहा है।

(च) सड़क पर बिजली–बत्ती : इस शहर में कुल 20 'हाईमास्ट लाईट' स्थापित किये गये है, इनमें से 12 कार्यरत है। अंबेदकर चौक पर एक नया 'हाईमास्ट लाईट' प्रस्तावित है जिसका निर्माण जिला योजना से किया जायेगा तथा इसका रख–रखाव नगर निगम द्वारा किया जायेगा। पूरे नगर निगम क्षेत्र में कुल 9645 एल.ई.डी. लाईट विभिन्न जगहों पर लगाये गये ह। इन सभी प्रकाश व्यवस्था की उचित रख–रखाव के लिए चार रख–रखाव दल नियोजित किये गये है। इन सबो को सम्मलित करते हुए एक वाटसएप ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम Katihar Maintence रखा गया है, कोई भी व्यक्ति शहर के किसी सार्वजनिक स्थान पर बिजली बत्ती की समस्या होने पर उस स्थान GPS लोकेशन तथा फोटोग्राफ अपलोड कर शिकायत दर्ज कर सकते ह। शिकायत प्राप्त होते ही तुरंत मरम्मती की जायेगी। इस संपूर्ण प्रकाश व्यवस्था के लिए नगर निगम द्वारा प्रतिमाह 22 लाख रुपये विद्युत आपूर्ति कंपनियों को दिया जा रहा है।

(छ) अस्पताल : यहाँ एक 300 बेड का जिला अस्पताल, 11 डिस्पेन्सरी तथा कुछ छोटे क्लोनिक है।

(ज) स्कूल : कटिहार नगर क्षेत्र में 15 के करीब प्राइमरी स्कूल, 21 मिडिल स्कूल, 4 सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल, एक पॉलिटेक्निक संस्थान, 1 मेडिकल कॉलेज तथा 5 महाविद्यालय है।

(झ) पार्क : यहाँ शहीद स्मारक पार्क, मेजर आशुतोष पार्क तथा इंदिरा गाँधी पार्क । ये तीन पार्क आम जनता के लिए उपलब्ध है।

2.10 उद्योग एवं कल कारखाने :– कटिहार शहर में कुछ दशक पूर्व तक अपेक्षाकृत एक मजबूत औद्यागिक आधार रहा है। इसमें जूट मिल, फ्लावर मिल, बिस्कुट तथा कागज बनाने के कारखाने प्रमुख है। उर्जा समस्या के कारण अधिकांश कल कारखाने बंद हो चुके है। वर्तमान में यहाँ एक कागज का कारखाना तथा कुछ छोटे कारखाने क्रियाशोल है। इनमें प्रमुख है –

- RBHM जूट फैक्टरी, गौशाला रोड कटिहार,
- कटिहार जूट मिल,
- विष्णु आटा मिल,
- मनसा जूट मिल,
- सन–बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रा॰ लि॰,
- पवन पुत्र ट्वीन मिल,
- गेट ग्रिल और जेनरल इजोनियरिंग फेब्रिकेशन,
- कम्प्यूटर रिपेयर एंड सर्विसिंग,
- मोबाईल रिपेयर एंड सर्विसिंग,
- मखाना प्रोसेसिंग,
- अगरबत्ती की तिल्ली,
- पीतल और कांसा का बर्तन इत्यादि।

2.11 प्राकृतिक संसाधन –

2.12.1 मिट्टी :– कटिहार की मिट्टी आम तौर पर जलोढ़ (Alluvial) है। मध्यम उर्वरता वाली यह मिट्टी बिना चूना का (Non-calcarious) एवं गैर लवणीय है। इसमें विभिन्न जगहों पर विभिन्न अनुपात में चिकनी मिट्टी (Clay) गाद (Silt) तथा महीन बालू (Fine silt) का मिश्रण पाया जाता है।

2.12.2 भूगर्म एवं सतही जल :– कटिहार शहर में कई तालाब एवं बड़े जल भंडार है। इसके पूर्वी सीमा के निकट शहर से हो कर कोशी नहर गुजरती है जिसका उद्‌गम बथनाहा के निकट कोशी ब्रांच कैनाल है। यह कोशी बराज से निकलने वाली कोशी पूर्वी नहर से निकला है। वर्तमान में नगर निगम ने 'जल जीवन हरियाली' कार्यक्रम के तहत शहर में अवस्थित 16 कुआँ को जीणाद्धार हेतु चिह्नित किया है।

मानसून पूर्व भूगर्भ जल का जलस्तर भूमि की सतह से 2 से 5 मीटर नीच पाया जाता है। इसका उपयोग पेयजल तथा सिंचाई के लिए व्यापक पैमाने पर किया जाता है। इस भूगर्भ जल की गुणवत्ता विभिन्न पैमानों पर स्वीकार्य सीमा के अंतर्गत है। PH का मान 8.0 के आस–पास है जो इसे हल्का क्षारीय बनाता है। (स्त्रोत– कद्रीय भूगर्भ जल बोर्ड)

2.12 वनस्पति एवं जीव :– कटिहार नगर निगम क्षेत्र में कही भी सुरक्षित वन क्षेत्र नहीं है। सड़का के किनारे, तालाब, जलाशयों, खुले मैदानों के किनारो पर एवं सरकारी आवासीय कॉलोनी तथा कार्यालय परिसरों में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा व्यापक वनरोपण कार्य किये जाने के कारण यहाँ साल, सखुआ, गम्हार, टिक, शीशम तथा फलदार वृक्ष पाये जाते है।

जीव जंतुओ की विभिन्न प्रजातियों का लेखा जोखा उपलब्ध नहीं है। आम तौर पर गाय, बैल, भैस, बकरी, भेड़, सूअर, घोड़े, गदहे, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश, गिलहरी इत्यादि पाये जाते हैं। पंछियों में तोता, मैना, कबूतर, चील, बगुला, कौआ इत्यादि देखे जा सकते है। नम भूमि में स्थित तालाबो/जलाशयों में सर्दियों में परदेशी पक्षी भी देखे जाते ह।

:=:=:=:=:=:

अध्याय : 3

आपदा सुरक्षित शहर

DISASTER RESILIENT CITY

3.1 आपदा से सुरक्षित शहर :– कटिहार नगर को एक आपदा सुरक्षित नगर के रूप में विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि यहाँ के वार्ड सं॰ 1 से 45 तक में आवासित सभी परिवार, व्यक्ति एवं विभिन्न समुदायिक समूह एक स्वतः स्फूर्त तथा गतिशील सामाजिक इकाई के रूप में मिलजुल कर कार्य करते हुये ऐसी क्षमता हासिल कर लें जिससे कि बहुआपदा एवं जलवायु परिवर्तन उत्प्रेरित जोखिमों का पूर्वानुमान कर सकें। इस पूर्वानुमान आधारित चेतावनी या सलाह को आपदा के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवारों तक पहुँचाने के लिए प्रभावी तंत्र क्रियाशील किये जा सके। आपदा जोखिम की सटीक जानकारी के परिप्रेक्ष्य में ही शमनीकरण, न्यूनीकरण, प्रत्युत्तर की तैयारी की जा सके तथा नये विकास योजनाओं का निरूपण एवं क्रियान्वयन किया जा सके। पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करते हुये पारिस्थितिकी संरक्षण पर पर्याप्त बल दिया जा सके। आपदाओं से उबरने के उपरांत पूर्व से बेहतर सन्निर्माण कार्य किये जायें।

समुदाय द्वारा एक सुरिक्षत जीवन शैली अपनाई जायेगी तदनुसार समुचित आचार–विचार–व्यवहार अपनाये जायेगें जैसे कि :–

- सुरक्षित मकान का निर्माण ।
- आपदा काल में सुरक्षित जगहों पर पनाह लेना ।
- आपदा के बारे में कल्पित पूर्व धारणाओं से दूरी बनाना।
- महामारी से बचाव हेतु सुरक्षित एवं स्वच्छ व्यवहार अपनाना ।
- स्वच्छ पेयजल का उपयोग एवं सुरक्षित भंडारण करना।
- आजीविका (जीवन जीने के कौशल) से युक्त होना ।

नगरीय भावना को आत्मसात करने, सामुदायिक सहयोग, टिकाउ जीविका विकल्प तथा जीवन व्यवहार को अपनाने पर विशेष बल दिया जायेगा।

(i) नगर निगम द्वारा न्यून तीव्रता की आपदाओ को अपने स्तर पर ही निपटान करने की क्षमता हासिल की जायेगी।

(ii) शहरी समुदाय तक पूर्व चेतावनी सूचना ससमय पहुँचाना तथा निकासी, खोज एवं बचाव और सुरक्षित जगह पर स्थानान्तरण के साथ आपात्कालीन स्वास्थ्य सहायता तथा अन्य सेवाओं की निरन्तरता बनाये रखने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा बिहार नगर पालिका अधिनियम 2022 में किये गये प्रावधानों के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

(iii) जीवंत सामुदायिक संस्थाओं द्वारा जोखिम विश्लेषण, जोखिम सूचना प्रवाह, पूर्व तैयारी तथा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अभियान को गति प्रदान की जायेगी। इसके लिए –

- वार्ड स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम 2022 की कंडिका 30 के आलोक में 'वार्डो की समिति' गठित की जायेगी जो जोखिम विश्लेषण आधारित जोखिम न्यूनीकरण की योजना का क्रियान्वयन करेगी।
- वार्ड स्तर पर बिहार नगर पालिका अधिनियम 2022 की कंडिका 31 के आलोक में गठित 'वार्ड समिति और क्षेत्र सभा' आपात्कालीन प्रत्युत्तर दल (ERT) का काम करेगी। इसमें वार्ड सदस्य,

नागरिक सुरक्षा से जुड़े सदस्य, सेवा प्रदाता संस्थाये तथा समुदाय से चुने गये गणमाण्य लोग होगे जो पूर्व तैयारियों एवं प्रत्युत्तर का पूरा–पूरा ख्याल रखगे।

(iv) जोखिम विश्लेषण, योजना का निरूपण, सूचना प्रसारण, पूर्व तैयारी तथा न्यूनीकरण के उपाय समावेशी एवं सहभागी तरीके से की जायेगी जो बच्चों, किशोरों, बुढ़ों, महिलाओं, विकलांगो, तथा पारंपरिक रूप से अभावग्रस्त, अल्पसंख्यक समूह के आवश्यकताओं तथा इन सभी की क्षमताओं के मद्देनजर समुचित तकनीकी यथा (GIS Mapping) या अन्य विधाओ का उपयोग किया जायेगा। यह कार्य बिहार नगरपालिका अधिनियम 2022 की कंडिका 32 के आलोक में गठित 'विषय समितियों' के सहयोग से किया जायेगा।

(v) पहले से जमा किये गये जरूरी सामानों तथा जीवन बचाने वाले उपकरणों तक समुदाय की पहुँच सुलभ और आसान बनाई जायेगी।

(vi) हर हाल में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण सेवा, आवास, उर्जा आपूर्ति, पुल–पुलिया, सड़क संपर्क तथा दूर संचार सेवाओं को शहर में सतत् बहाल रखने का प्रयास किया जायेगा या इसमें व्यवधान आने पर इसे यथाशीघ्र बहाल करने की कार्रवाई की जायेगी।

3.1.1 ठोस कचरा प्रबंधन :

- 2016 की मार्गदर्शिका का प्रभावी अनुपालन हेतु एवं Landfill हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग का पत्रांक 610 दि॰ 26.02.2019 द्वारा स्थानीय निकाय के कर्त्तव्यों को निर्धारित किया गया है। साथ ही बिहार सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति एवं रणनीति के तहत् केन्द्रीकृत तथा विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण दोनो का विकल्प दिया गया है। कचरा के उत्पन्नकर्त्ता को अपशिष्ट को पृथककृत (Segregation) का अलग–अलग डिब्बो में भंडारित करने का दायित्व है तथा नगर निकायों को पृथककृत कचरा को एकत्रित कर प्रसंस्करण स्थल तक परिवहन कर प्रसंस्करण करने का दायित्व है।

ठोस कचरा का प्रसंस्करण एवं निपटान

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा सभी नगर निगमों को उपलब्ध करायी गयी मार्गदर्शिका–ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण एवं निपटान– में इस बात का उल्लेख है कि अन्य नगर निगमों में किये जा रहे विशिष्ट कार्यों को अपने निकाय में अपनाया जा सकता है । इस क्रम में –

- *पिट कम्पोस्टिंग – मुजफ्फरपुर मॉडल का जिक्र है जिसमें कचरे से खाद बनाने की विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख हैं साथ ही "मुजफ्फपुर जैविक खाद" के नाम से पैकेजिंग बेचने एवं राजस्व–रिकार्ड संधारण के तरीके बताये गये है।*
- *इसी प्रकार से ठोस कचरा प्रबंधन के मुंगेर एवं सुपौल मॉडल का भी जिक्र है जिसे सुविधानुसार अपनाया जा सकता है।*
- *मार्गदर्शिका में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कचरों में से कुछ चुनिन्दे वस्तुओं को एकत्रित कर कबाड़ी वालों के हाथ बेचने तथा इस कार्य में लगे महिलाओं को 200/– रूपये तक भुगतान का जिक्र है।*

- NGT द्वारा Sanitary landfill विकसित करने का निदेश निर्गत किया गया है। नगर विकास विभाग के पत्रांक 936 दि॰ 02.04.19 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत् Sanitary landfill विकसित करने के लिए रैयती भूमि के अधिग्रहण किये जाने का निदेश निर्गत है। इसका मापदंड है शहर से आबादी विहीन इलाके में 10 कि॰मी॰ की दूरी के अंतर्गत 10 एकड़ (नगर निगम के लिए) भूमि भरण स्थल नदी से 100 मीटर तालाब से 200 मीटर, राजमार्गो, आवास स्थलों, सार्वजनिक उद्यानों और जल आपूर्ति कुओं से 200 मीटर पर होनी चाहिये। नमभूमि, संवदेनशील भंगुर (brittle) क्षेत्रो और 100 वर्षो से यथा दर्ज बाढ़ के मैदानो के अंदर भूमि भरण स्थल के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है।

- कम्पोस्टिग के साथ सूखे कचरे का भी Reuse करने की व्यवस्था कबाड़ी के माध्यम से की जानी है। विकेन्द्रित कचरा प्रसंस्करण पर विशेष बल दिया गया है। बिहार सरकार नगर एवं आवास विभाग के पत्रांक 1353 दि॰ 28.05.19 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत Door to Door Collection Transportation के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शिका निर्गत किया है।

3.1.2 चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन : नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, जाँच घर, दवा दुकान तथा नर्सिंग होम से कई प्रकार का जैव चिकित्सीय अपशिष्ट निकलता है। दवा दुकानों से एक्सपायर की हुई दवा, जाँच घर से संक्रमित खून, पेशाब, पैखाना इत्यादि का नमूना अथवा हाईपो (रसायन),नर्सिंग होम से संक्रमित मरहम–पट्टी इत्यादि उत्सर्जित होता है। अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज से उपरोक्त सभी प्रकार के चिकित्सीय अपशिष्ट बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होता है। इन सबों को अन्य ठोस अथवा कार्बनिक अपशिष्ट के लिए निर्धारित वेस्ट डिस्पोजल स्थानों पर "डम्प" करने से पर्यावरण क प्रदूषित होने का खतरा कई गुणा बढ़ जाता है। साथ हीं ये अपशिष्ट संक्रामक प्रकृति के होते है। इस प्रदूषण से शहर को बचाने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पषर्द द्वारा जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 (2018 तथा 2019 में संशोधित) तथा विभिन्न मार्गदर्शिकाओ के अनुसार ही उत्सर्जित अपशिष्ट का शत प्रतिशत निस्तार किया जाना अपेक्षित है। यह अपशिष्ट चिकित्सा, जाँच अथवा कोविड–19 के क्वारन्टाइन मरीजा के कारण उत्पन्न होता है। इनके हैंडलिंग, उपचार तथा निस्तार के दौरान इन मार्गनिर्देशिकाओं तथा नियमों का अनपालन अनिवार्य होगा। प्रमुख दिशा निर्देश निम्नांकित है –

- *कटिहार चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार फार्म–IV मे समर्पित जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निष्पादन संबंधी रिपोर्ट में कहा गया हे कि 635 शय्या वाले अस्पताल ने वर्ष 2019 में 318 क्विंटल अवशेषों को इनसिनिरेटर के माध्यम से नष्ट किया है। ये सभी जैव चिकित्सा अपशिष्ट यथा निर्धारित पीला, लाल, उजला, नीला तथा सामान्य ठोस कचरा श्रेणी के थे जिन्हें विभिन्न कलर कोडेड "कन्टेनर" में एकत्र किया गया था।*
- *अस्पताल प्रबंधन ने ऑन–साईट कचरा निष्पादन हेतु 1000 किलो की क्षमता वाला 300 वर्ग फीट में स्टोर का निर्माण किया है। इसने निष्पादन हेतु इनसिनिरेटर, ऑटोक्लेव, श्रेडर, नीड्ल–टीप कटर मशीनें लगा रखी हैं। इनसिनिरेटर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक संयंत्र भी लगाया गया है।*
- *अस्पताल स्तर पर विहित प्रावधानों के अनुसार "बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कमिटि" गठित किया गया है।*
- *नगरीय आपदा प्रबंधन योजना बनाने के क्रम में यह सुझाव आया कि चूंकि कटिहार में बड़ा सदर अस्पताल बन रहा है तथा पूर्णियां में स्वतंत्र राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल की स्थापना की गयी है, इसलिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट की मात्रा में बेतहाशा वृद्धि होने की आशंका है। ऐसे में दोनों शहरों में से किसी एक में या कटिहार के वर्तमान अस्पताल की क्षमता बढ़ाते हुए उसे एक 'कैरेज भान' उपलब्ध कराने का प्रबंध किया जा सकता है।*

1. कचरे को उचित कूड़ेदान (कलर कोडेड) में ही डाले ।
2. बायोमेडिकल कचरे को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियमावली 2016 के अनुसार साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र पर ही भेजी जाये।
3. कचरे को उचित रंग के थले में ही डालें।
4. कचरे की उत्पत्ति स्थान पर ही उसे अलग करें।
5. कचरे को सही रूप से उपचार करने हेतु उसे उचित लाइनर में रखे।
6. कचरे को इकट्ठा करने व लाने –लेजाने के समय इसे मिश्रित न करें।
7. बिखरे हुये तरल पदार्थ का तुरंत प्रबंधन किया जाय।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने बिहार के सभी जिलो के वैसे स्वास्थ्य उपचार सुविधा संस्थानो को सूचीबद्ध किया है जिन्होने जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का सुरक्षित निष्पादन से संबंधित पर्षद से सहमति अथवा प्राधिकार प्राप्त नहीं किया है। यह सूची वेब साईट bspcb.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। इसमें कटिहार जिले के 98 स्वास्थ्य उपचार सुविधाओं (HCF) वाली संस्थानों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। समय–समय पर असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अनुश्रवण किया जाता है।

22 फरवरी 2022 को राज्यस्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में लिए गये निर्णयों के अनुसार सभी सिविल सर्जन एवं जिला पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि ऐसे सभी स्वास्थ्य उपचार सुविधाओ (HCF) जो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से बिना प्राधिकार प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित है को बंद करने की कार्रवाई की जाय।

सिविल सर्जन कटिहार ने बताया है कि कटिहार में उक्त निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

3.1.3 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन : अपशिष्ट प्लास्टिक नियमावली 2016 के अनुसार "प्लास्टिक" से एसी सामग्री अभिप्रेत है जिसमें उच्च घनत्व पॉलीइथाइलीन, विनाईल, कम घनत्व पॉलीइथाइलीन, पॉलीप्रोपलिन, पॉलीस्टाइरीन रेसिन, एक्रोलोनी ट्रीइलीन, बूटाडीन स्टाइरिन जैसी बहु सामग्री, पॉलोफिनाइलीन आक्साईड, पॉलीकाबानेट, पोलीबूटीलीन टेरेफियासेट जैसी उच्च पालीमर के आवश्यक तत्व अंतर्विष्ट है।

उपरोक्त रासायनिक मिश्रण से बने ठोस तत्व अपने मूल स्वरूप में तब तक बने रहते हैं जब तक इन्हें जलाया न जाय या दूसरे रसायनो से गलाया न जाय। मिट्टी या पानी के बीच जमा होकर ये माइक्रोआर्गेनिज्म के या जलीय जीव जंतुओं के जीवन चक्र में अनेक प्रकार से व्यवधान उत्पन करते है तथा पारिस्थितिकी तंत्र का स्वरूप बदलने की क्षमता रखते है। अतः, सतर्कता पूर्वक इसका प्रबंधन आवश्यक है। प्लास्टिक अपशिष्ट का पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित पद्धति से एकत्रीकरण, भंडारण, परिवहन, पुनः चक्रण, पुनः प्राप्ति, पुनः उपयोग, कम्पोस्टिंग इत्यादि किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त अधिनियम की कंडिका 6 में "स्थानीय निकाय का दायित्व" का विस्तार से उल्लेख किया गया है एवं कंडिका 5 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में किये जाने वाले प्रक्रिया तथा मानदंडो का उल्लेख है। अन्य कंडिकाओं में विभिन्न हितधारको के विहित दायित्वों एवं कर्तव्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। यह अधिनियम प्लास्टिक कचरे के उत्पादन को कम करने, प्लास्टिक कचरे को फैलने से रोकने और अन्य उपायो के पूर्व स्त्रोत पर ही कचरे का अलग भंडारण सुनिश्चित करने पर जोर देता है साथ ही स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतो अपशिष्ट उत्पादकों खुदरा विक्रेताओं, खासकर फुटपाथ विक्रेताओं के लिए भी जिम्मेदारियां तय करता है।

<u>नगर निगम कटिहार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि–2018</u>

नगर निगम कटिहार के सशक्त स्थाई समिति की बैठक (प्रस्ताव संख्या–3 दि॰ 19.11.2018) द्वारा उक्त उपविधि के मॉडल को बिहार नगरपालिका अधिनियम 2022 की धारा 422 की उपधारा (क), (ख), (ग) के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए पारित की गई है। इसे शासकीय गजट के द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस उपविधि के अध्याय–6 में मॉनिटरिंग क्रियाविधि का विस्तार से चर्चा किया गया है। इसके अनुसार जिला स्तरीय समीक्षा एवं मॉनिटरिंग समिति (जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में) की स्थापना का प्रावधान है।

उसी प्रकार एक सिटी स्क्वाड/टास्क फोर्स का गठन जिला प्रशासन, शहरी स्थानीय निकाय के पदाधिकारियों तथा स्थानीय निकाय की अधिकारिता के भीतर उपविधि के क्रियान्वयन लागू करने हेतु गठन किया जाना है। इस टास्क फोर्स में शहरी स्थानीय निकाय के पदाधिकारी (नगर आयुक्त, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर प्रबंधक/सहायक अभियंता) तथा जिला प्रशासन के पदाधिकारी के अलावा एन.जी.ओ. तथा एस.एच.जी. को सदस्य के रूप में शामिल किया जाना है। यह टास्क फोर्स पॉलिथीन बैगों को जब्त करने तथा नियम का उल्लंघन करने वालो पर जुर्माना अधिरोपित करने हेतु सक्षम होगा।

2016 के बाद 2019, 2021 एवं 2022 में इस अधिनियम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अनेको संशोधन किये ह। इसमे प्लास्टिक का 4 श्रेणियो में वर्गीकरण, पैकेजिग विधि का निर्धारण, विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र के प्रावधान "प्रदूषण भुगतान सिद्धांत", पर्यावरण मुआवजा, मॉनिटरिंग तथा नियंत्रण के लिए CPCB द्वारा केन्द्रोकृत ऑनलाईन पोर्टल की स्थापना का आह्वान किया गया है।

उपरोक्त अधिनियमों के आलोक में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के पोर्टल bspcb.bihar.gov.in के Notice board पर क्रमांक 12 पर सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, संग्रहण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर दिनांक 01.07.2022 से पूर्ण प्रतिबंध लगाये जाने की सूचना सदस्य सचिव बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा जारी की गई है। इसमें पॉलिस्टाइरीन एवं एक्सपेंडेड पॉलिस्टाइरीन अथवा थर्मोकोल स बने इयर बड की प्लास्टिक की डंडी, बैलून का प्लास्टिक डंडी, कैंडी में लगी प्लास्टिक की डंडी, आईसक्रीम की डंडी, थर्मोकोल का सजावट में उपयोग, इसका प्लेट, कप, गिलास जैसे कांटा, चम्मच, छूरी, स्ट्रा, मिठाई के डब्बो को लपटने हेतु पतले प्लास्टिक के सीट, आमंत्रण पत्र, सिगरेट की पैकेट की पैकेजिग 100 माईक्रोन से कम के पी.वी.सी. बैनर इत्यादि जो कंपोस्टिग योग्य नहीं है तथा सभी प्रकार के कैरी बैग के उत्पादन, आयात, परिवहन, संग्रहण, वितरण एवं बिक्री पर दिनांक 01.07.2022 से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

इस नियम का उल्लघन किये जाने पर नियम संगत कार्रवाई की चेतावनी के साथ 30.06.2022 तक स्टाक शून्य करने का निर्देश दिया गया है। पूर्व में इस अधिनियम लागू करने की समय सीमा हितधारका के अनुरोध पर कई बार बढ़ाया जा चुका है।

3.1.4 ई–कचरा प्रबंधन : नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित रिहाय" ी मकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानो, सरकारी दफ्तरों, शिक्षण संस्थानो तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों मे विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रीकल तथा इलेक्ट्रॉनिक सामानों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। इनमें से प्रतिवर्ष अनेको उपकरण या तो अपनी "कार्य जीवन" पूरा कर लेने के कारण, किसी कम्पोनेट के जल जाने के कारण अथवा द्रुतगति से तकनीकी उन्नयन के कारण प्रचलन से बाहर कर दिये जा रहे है। किसी इलेक्ट्रीकल तथा इलेक्ट्रॉनिक सामान का नया प्रतिरूप आते ही पुराना बेकार होकर अपशिष्ट में बदल जाता है जो ई–कचरा के नाम से जाना जाता है। इनम से मुख्य है – पुराने मोबाईल हैण्ड सेट तथा इसके 'एक्सेसरिज', बैट्री, इयर/हेड फोन इत्यादि। पुराने कम्प्यूटर, प्रिंटर, को–बोर्ड, माउस, सी.डी., सी.पी. यू., मॉनिटर स्क्रीन, स्पीकर, एवं इससे संबंधित 'एक्सेसरिज' तथा टी.वी., एयर कंडीशनर, रेफ्रीजेरेटर, एल.ई.डी./सो.एफ.एल.–बल्ब/ट्यूब लाईट, मिक्सी, माईक्रोवेभ ओवन, घड़ी तथा अन्य उपकरण भी ई–कचरा पैदा कर रहा है। इन संयंत्रो के निर्माण में पारा, रांगा, आरसेनिक, कैडमियम, सेलेनियम, हेक्सावेलेंट क्रोमियम इत्यादि हजारो जहरीले पदार्थो का उपयोग होता है, जिसे खुले वातावरण में अन्य ठोस कचरो को तरह निपटारा नहीं किया जा सकता। अन्यथा, कालान्तर में यह पर्यावरण को प्रदूषित कर मानवता के लिए घोर संकट पैदा कर सकते है। इसका खुले मं निस्तारण स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को खतरा पैदा कर सकता है।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने बिहार के सभी जिलो के लिए ई–वेस्ट कलेक्शन के लिए कुछ विशिष्ट निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानो को चिह्नित किया है, जो इसका सुरक्षित निपटारा करने की तकनीकी प्रक्रिया से वाकिफ है। इसकी सूची वेब साईट bspcb.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है । कटिहार के लिए नामित संस्थानो की सूची निम्नवत है –

कंपनी का नाम/पता	दूरभाष
फास्ट रॉक कम्यूनिकेसन, विजन टेक, शहीद चौक, अब्बास कटरा, कटिहार	9122234247
एम.टेक इन्फार्मेशन लि॰, पप्पु इलेक्ट्रानिक्स, पानी टंकी चौक, कटिहार	9430482571
सैमसंग इन्ना इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि., हरिओम इन्टरप्राईजेज, चूनापट्टी, विनोदपुर, कटिहार	06452–240670

सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने बिहार के ई–अपशिष्ट प्रबंधन हेतु इससे जुड़े निर्माता, उत्पादक, मुख्य डीलर, पुनः चक्रणकर्ता एवं खुदरा व्यापारियो के लिए निर्देशों का पालन करने हेतु विभिन्न समाचार पत्रो/मिडिया के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया गया है जो उनके लिए बाध्यकारी है, अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

3.1.5 निर्माण सामग्री अपशिष्ट प्रबंधन : तीव्र विकास की प्रक्रिया में पुराने भवन, रोड, पुल–पुलिया, कारखाना परिसर इत्यादि को ध्वस्त कर उसकी जगह नई इमारतें तथा संरचनाओं का निर्माण के क्रम में बहुत बड़ी मात्रा में ठोस अपशिष्ट उत्सर्जित होता है। नगर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन स्वच्छता एवं सफाई से उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट के साथ इन निर्माण सामग्री अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन तथा पूर्व निर्धारित लैंडफिल साईट पर डिस्पोजल किये जाने से अनेक समस्याये उत्पन्न हो सकती है। अतः इन निर्माण अपशिष्टों तथा साईट क्लीयरेंस से उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट के कम से कम मात्रा को चिह्नित लैंड फिल साईट तक ले जाया जाय इसके लिए इसका सुविचारित प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इसमें से पुर्न उपयोग लायक सामग्रियों को अलग कर उन्हें लैंड फिल साईट तक पहुँचने से रोका जा सकता है।

निर्माण अपशिष्टों में मुख्यतः कंक्रीट के बड़े छोटे टुकड़े, लकड़ी के तख्ते तथा चौखट, धातु, ईट, पत्थर, ग्लास और प्लास्टर के टुकड़े मिलते है। धातु, लकड़ी ग्लास का पुनचक्रण आसान है परंतु कंक्रीट तथा प्लास्टर के टुकड़ो का भी पुनचक्रण के नवाचारी प्रयोग किये जा सकते है। देखा गया है कि जहाँ तहाँ बिखरे सामग्री वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बनता है तथा वायुमंडल में कई दिनों तक बना रहता है।

3.1.6 औद्योगिक परिसर एवं अस्पताल से बहिस्राव प्रवाह का प्रबंधन : पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले श्रोता में औद्योगिक परिसर तथा अस्पताल से बहिस्त्राव प्रवाह (तरल एवं गैस तथा रेडियोधर्मीता) का प्रमुख स्थान है।

औद्योगिक प्रदूषण को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चार श्रेणियों में विभक्त किया है। इसके श्रेणीकरण का आधार प्रदूषण सूचकांक है। इस प्रदूषण सूचकांक द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठान का उत्सर्जन जो वायु प्रदूषण फैलाता है, प्रवाह जो सतही एवं भूगर्भ जल श्रोत को प्रदूषित करता है। आपदाजनक अपशिष्ट जिसमें खतरनाक रसायन हो तथा प्राकृतिक संसाधनो की अत्यधिक खपत की माप–तौल पर तय किया जाता है। प्रदूषण स्तर के आधार पर ही प्रदूषण सूचकांक निर्धारित किया जाता है। जो निम्वत है –

क्र.सं.	प्रदूषण सूचकांक	औद्योगिक श्रेणी
1	0–20	सफेद (White)
2	21–40	हरा (Green)
3	41–59	नारंगी (Orange)
4	60 या अधिक	लाल (Red)

पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील इलाको में लाल श्रेणी में सूचिबद्ध उद्योगो को नहीं स्थापित किया जा सकता है। इन चारों श्रेणियों में सूचिबद्ध उद्योगो की सूची वेबसाईट www.mapofindia.com के विषय colour codes of industry for environment clearance पर देखा जा सकता है।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पषर्द ने इन सबों के सुरक्षित संग्रहण, परिवहन तथा निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे रखा है। नगर निगम द्वारा बिहार नगर पालिका अधिनियम 2022 की सुसंगत धाराओं के अतंर्गत समुचित कार्रवाई की जायेगी। कटिहार अवस्थित श्रम विभाग के कारखाना निरीक्षक ने बताया है कि विभाग के पास पूरी सूची उपलब्ध है तथा किसी कारखाने का 'खतरनाक' श्रेणी में होने पर यथोचित कारवाई की जाती है। असैनिक शल्य चिकित्सा–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने अस्पतालो से होने वाले बहिस्राव पर निगरानी रखते हुए समुचित कारवाई करने की बात कही।

नोट – उपरोक्त आपदा के शमनीकरण हेतु सभी अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित हितधारकों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980 के संगत नियमों के तहत् अनिवार्य रूप से वार्षिक रिपोर्ट समर्पित विभिन्न प्रपत्रों का विवरण अध्याय 11 के कंडिका 11.1.3 में संधारित है।

3.2 जलवायु प्रेरित जोखिम :– जलवायु परिवर्तन प्रेरित जोखिम सहित अन्य आपदा से उत्पन्न जोखिम की जानकारी के अनुसार पूर्व तैयारी, न्यूनीकरण, आपदा मोचन, आपदाओं से उबरने के उपरांत पूर्व से बेहतर निर्माण के लिए नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच आपसी तालमेल एवं समन्वय के साथ सभी कार्य किये जायगे। भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, पृथ्वी विज्ञान विभाग, भारत सरकार तथा प्रदूषण नियंत्रण पर्षद कटिहार इकाई से समय–समय पर प्राप्त चेतावनी तथा सलाह के अनुरूप सभी हितधारको के साथ सभी नगरवासी मिलकर एक सकुशल और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने हेतु आपदा का शमनीकरण एवं न्यूनीकरण के लिए खतरो एवं जोखिम की पहचान कर सकेंगे। इसके लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाया जायेगा।

3.3 पर्यावरण पर पड़ रहे असर के आलोक में पारिस्थितिकी संरक्षण कार्य :– शहर की परिस्थितिकी तंत्र (Eco. system), प्राकृतिक जल बहाव मार्गो तथा बसावटो की आकृति के आधार पर बिहार भवन उपविधि 2014 के अध्याय 3 में उल्लेखित कंडिका 27 के आलोक में भूमि का क्षेत्रीकरण (Zoning) करने के बाद ही शहरीकरण योजना का स्वरूप निर्धारित किया जायगा। नगर विकास विभाग द्वारा वर्ष 2011 में City Development Plan तैयार कराई गई है। इसमें पारिस्थितिकी संरक्षण का पूरा ध्यान रखा गया है। सम्प्रति कटिहार वन प्रमंडल द्वारा शहर के विभिन्न सरकारी एवं निजी परिसरों में वृहत् पैमाने पर वृक्षारोपण कराया जा रहा है। नगर निगम द्वारा पूरे शहर मे पार्को, सार्वजनिक स्थलों, सरकारी आवासीय/कार्यालय परिसरों में वृक्षारोपण का दायित्व वन प्रमंडल कटिहार को दिया गया है।

शहरी विकास एवं नये निर्माण कार्यो के लिए कभी–कभी कोई वृक्ष बाधा प्रतीत होते हैं। जबकि ऐसे वृक्षों से शहरी Heat Island effect को कम करने, छाया मुहैया कराने, प्रदूषण नियंत्रित करने, भू–क्षरण रोकने, कार्बन संचयन इत्यादि के दृष्टिकोण से अमूल्य है। साथ ही ये असंख्य पशु–पक्षियों एवं कीटों की आश्रय स्थली भी है। ये वृक्ष समूह स्वयं में एक पारिस्थितिकी तंत्र है। वृक्षो की अंधाधुध कटाई से वर्तमान समय म बढ़ते प्रदूषण तथा वैश्विक तापमान वृद्धि (Global warming) एवं इस कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन का मनुष्य एवं पशुओं पर कुप्रभाव पड़ता है।

सारणी – 3.1 वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक शहरी वानिकी अंतर्गत वृक्षारोपण

क्र. सं.	योजना का नाम	वृक्षारोपण वर्ष/समय	कार्य स्थल	भौतिकी लक्ष्य पौधों की सं.
1	2	3	4	5
1	पथ तट फार्म (शहरी वानिकी)	2017 (वर्षाकाल)	ऑफिसर कॉलोनी रोड से कोशी बांध तक	250
			राजेन्द्र स्टेडियम	100
			काली बाड़ी से डेहरिया चौक	200
			रेलवे सिटी से डी॰एस॰ कॉलेज तक	200
			शहीद चौक से पानी टंकी तक	200
2	पथ तट फार्म	2017–2018	हर परिसर हरा परिसर 27 परिसर	1100
3	पथ तट फार्म (शहरी वानिकी)	2018–2019 (वर्षाकाल)	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
4	पथ तट फार्म (शहरी वानिकी)	2019–2020 (वर्षाकाल)	कटिहार शहर से विद्या पब्लिक स्कूल से सिरसा ग्राम तक	1000
5	पथ तट फार्म (हर परिसर –हरा परिसर)	2019–2020 (वर्षाकाल)	श्रम कल्याण केन्द्र डेहरिया	1000
			एम.जे.एम. महिला महाविद्यालय	100
			दर्शन साह महाविद्यालय	200
			के.बी.झा महाविद्यालय	250
			आई.टी.बी.पी. शिशिया कैम्प, कोढ़ा	1000
			मधुरा मध्य विद्यालय, कोढ़ा	500
			फुलवरिया मध्य विद्यालय, कोढ़ा	500
			मध्य विद्यालय नजरा चौक	500
			गुरूकुल इंटरनेशनल स्कूल, मनिहारी	500
			रामदेव शारदा महाविद्यालय, सालमारी	250
			उत्क्रमित उच्च विद्यालय, मुकुरिया, आजमनगर	200
			मध्य विद्यालय जिगिन, आजमनगर	300
6	पथ तट फार्म (वन महोत्सव)	2019–2020 (वर्षाकाल)	केन्द्रीय विद्यालय	150
			बी.एम.पी. 7 परिसर	600
			योग	**9100**

स्त्रोत : वन प्रमंडल कार्यालय, पूर्णिया

3.3.1 वायु गुणवत्ता :– सुरक्षित एवं संरक्षित पर्यावरण में शहर की वायु गुणवत्ता एक अहम पहलू है। यह विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य पर सामान्य से गंभीर असर डालता है। मानसून अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले तूफान और डिप्रेशन, जो जिले और उसके पड़ोस की ओर उत्तर–पश्चिम से उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है, व्यापक रूप से बारिश और तेज हवाओं का कारण बनता है। नीचे की तालिका से कटिहार शहर की वायु गुणवत्ता स्पष्ट है।

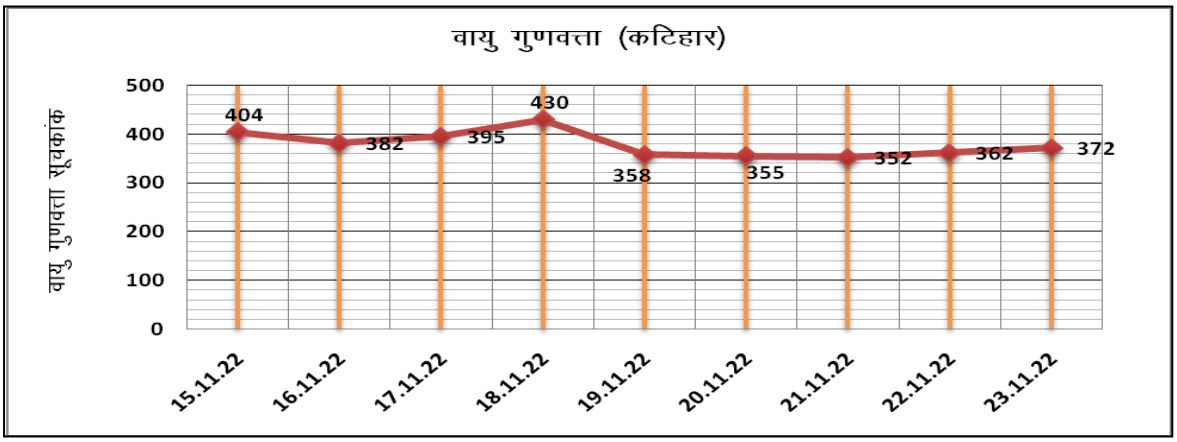

स्त्रोत : बिहार प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (BSPCB), पटना

सारणी – 3.2 खतरा एवं संवेदनशीलता :

गुणवत्ता सूचकांक	गुणवत्ता का प्रकार	संभावित प्रभाव
0–50	अच्छा	न्यूनतम प्रभाव
51–100	संतोषजनक	संवेदनशील लोगों को श्वास में मामूली असुविधा
101–200	मध्यम	फेफड़ें अस्थमा, हृदय रोग वाले लोगों को श्वास में असुविधा
201–300	खराब	लंबे समय तक संपर्क में रहने वाले ज्यादातर लोगों को श्वास लेने में परेशानी
301–400	बहुत खराब	लोगों पर बहुत खराब श्वसन की बोमारी की संभावना
401–500	गंभीर	स्वस्थ लोगों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, मौजूदा बोमारियों वाले लोगों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

स्त्रोत : बिहार प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (BSPCB), पटना

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (BSPCB) ने कटिहार शहर के लिए वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना मिरचाई बाड़ी में की है जिसका इस वर्ष से वायु गुणवत्ता संबंधित रिपोर्ट आना शुरू हो गया है। नवम्बर माह के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के अवलोकन से ज्ञात होता है कि शहर के वायु प्रदूषण की स्थिति 'बहुत खराब स्तर' तक पहुँच चुकी है। सूचकांक के अध्ययन से पता चलता है कि नवम्बर में सात दिन ऐसे रहे जहाँ प्रदूषण गुणवत्ता सूचकांक 350 अंकों के पार रही। उपरोक्त तालिका उस दिन का औसत सूचकांक है, अर्थात दिन भर में किसी समय स्थिति और भी खराब होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। शहर में पी.एम.(पार्टिकुलेट मैटर) 2.5 तथा पी.एम.10 की स्थिति ज्यादा रही है। पी. एम.2.5 और पी.एम.10 की बीच का अंतर उसका आकार है, पी.एम. हवा में कण पदार्थो को संदर्भित करता है। वे कण कार्बनिक धूल, वायुजनित बैक्टीरिया, निर्माण काय से धूल, कचरे का धूल और बिजली संयत्रों से कोयले के कण जैसी चीजें है। एक्यूआई का स्तर जितना अधिक होगा, वायु प्रदूषण की स्तर भी उतना ही अधिक होगा और स्वास्थ्य संबंधी चिंता उतनी हीं अधिक होगी। कटिहार का प्रमुख प्रदुषक पी.एम. 10 (मोटे धूलकण) पाया गया है।

वायु प्रदूषण के मुख्य कारण :–

- कचरे का खुले में निष्पादन होना।
- खुले में कचरा/कृषि अवशेष का जलाना।
- सड़कों की खराब स्थिति तथा 'पेवमेंट' का निर्मित नहीं होना।
- शहर पर जनसंख्या का दबाव।
- पेट्रोल, डीजल वाली पुरानी वाहनों तथा ऑटो रिक्शा द्वारा वायु प्रदूषण ।
- बिना ढ़के बालू, मिट्टी या कचड़ा का ढोना।
- निर्माण कार्य से अनियंत्रित धूलकण उड़ते रहना।
- मौसम साफ नहीं रहने से वायुमंडल में धूलकण बना रहना।
- ईट भट्टे या उद्योगों से अनियंत्रित वायु प्रदूषण।
- जिले में जलोढ़ मिट्टी का लगातार वायु में उड़ते रहना।

न्यूनीकरण :–

- जिला प्रशासन तथा नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से 'एक्शन प्लान' तैयार करने की आवश्यकता है ताकि उसे संबंधित विभागों के साथ मिलकर अनुपालन कराने की जिम्मेवारी का निर्वहन किया जा सके । वर्तमान में शहर में सामाजिक वानिकी के अंतर्गत हरियाली (पेड़–पाधे) लगाने का वृहत काम किया जा रहा है।
- प्रदूषण बढ़ने पर जहरीली हवा से दूर रहना तथा मास्क का प्रयोग।
- जलावन के उपयोग को सीमित करना।
- लोगों द्वारा गरम खाना, ताजे फल, गर्म पानी एवं प्रोटीनयुक्त आहार का सेवन।
- ई–रिक्शा, इलेक्ट्रिक बस एवं सीएनजी वाले ऑटो रिक्शा का प्रोत्साहन।
- मीडिया द्वारा वायु प्रदूषण के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार ।
- वृक्षारोपण।

3.3.2 जल–जीवन हरियाली :– जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप वर्षापात में कमी एवं भू–गर्भ जल का अत्यधिक दोहन करने के कारण भू–जल स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।

उक्त के आलोक में राज्य में बढ़ती जनसंख्या, मानवीय गतिविधि एवं जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न परिस्थितिकीय चुनौतियों से निपटने तथा राज्य में परिस्थितिकीय संतुलन का संधारण करने के व्यापक एवं बहुआयामी उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतिश कुमार ने 'जल–जीवन हरियाली' कार्यक्रम को अनूठी पहल की जिसे इस शहर के नगर निगम क्षेत्र में भी लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत –

- जल को प्रदूषण मुक्त रखने
- जल स्तर का संतुलित बनाये रखने
- पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने
- हरित (वृक्ष/वन) आच्छादन को बढ़ावा देने

- नवीकरणीय उर्जा के उपयोग
- उर्जा की बचत पर बल देने तथा बदलते पारिस्थितिको परिवेश के अनुरूप कृषि

इस मद में प्राप्त राशि का उपयोग नगर निगमों द्वारा जल–जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत निम्नलिखित घटकों के लिए किया जाएगा :–

(क) नगर निकायों के स्वामित्व के भवनों में Rain Water Harvesting निर्माण
(ख) अतिक्रमण मुक्त कुआँ के पास सोख्ता निर्माण
(ग) खुले मैदानों में सोख्ता निर्माण
(घ) प्याऊ/स्टैंड पोस्ट/चापाकल के पास सोख्ता निर्माण
(ड.) अतिक्रमण मुक्त तालाबों/पोखरों का उड़ाहीकरण/जीर्णोद्धार
(च) अतिक्रमण मुक्त कुओं का उड़ाहीकरण/जीर्णोद्धार

कार्य (लक्ष्य)	लक्ष्य प्राप्ति
पुराने कुओं का जीर्णोद्धार–बाटा चौक वार्ड 30, न्यू मॉकेट वार्ड 20, दुर्गा स्थान वार्ड 22, शिव मंदिर वार्ड 27, जगरनाथ मंदिर वार्ड 12, संग्राम चौक वार्ड 16, डाईवर टोला वार्ड 16, लाल कोठी वार्ड 17, लड़निया टोला वार्ड 18, मंगल बाजार वार्ड 31, रामपाड़ा (सलामत) वार्ड 23, रामपाड़ा (आबिद) वार्ड 23, मोफरगंज वार्ड 36, चौधरी मुहल्ला वार्ड 26, कोरइया टोली वार्ड 27, बरबन्ना वार्ड 29	11 कुओं का जीर्णोद्धार पूर्ण है।
चापाकल की संख्या–161	कार्य पूर्ण है।
सोख्ता –50	25 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
वर्षा जल संचयन–2 (नगर निगम कार्यालय एवं न्यू बस पड़ाव)	1 का कार्य पूर्ण, शेष में काम जारी।
पोखरा –2 (परतैली वार्ड–45 तथा बी.एम.पी. 7 मुख्यालय)	कार्य पूर्ण है।

नोट :– इसके अतिरिक्त हरित वृक्ष रोपण का कार्य वन प्रमंडल द्वारा कराया गया है।

3.4 आपदा के उपरांत पूर्व से बेहत्तर निर्माण :– बिहार नगर पालिका अधिनियम 2022 की कंडिका 33 के आलोक में गठित 'तदर्थ समिति' द्वारा अपने स्तर पर पूर्व से बेहतर निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया जायेगा जिसकी स्वीकृति सशक्त स्थाई समिति द्वारा दी जायेगी।

इसके अलावा इस योजना का उद्देश्य आपदा जोखिम के प्रबंधन हेतु नगर निगम एवं नगर में स्थित विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण तथा भौतिक एवं मानव संसाधन के संदर्भ में पर्याप्त क्षमतावर्द्धन करना है। नगर में जो भी निवेश होने जा रहे है, वे सभी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के दृष्टिकाण से भी जांच परख कर किये जाएगे।

भविष्य में आनेवाली सभी प्रकार के उच्च, मध्यम एवं न्यून तीव्रता की आपदाओं के दौरान प्रभावी प्रत्युतर के लिए हर प्रकार की पूर्व तैयारी समय से पूर्व कर ली जायगी तथा आपदा के बाद पुनर्वासन, पुनर्स्थापन तथा पूर्व से बेहतर पुननिर्माण की कार्रवाई की जायेगो ।

बहु संस्था सामंजस्य तथा आपातकालीन आदेश श्रृंखला को स्पष्ट किया जायेगा। सभी हितधारको के दायित्व एवं कर्तव्यों का स्पष्ट निर्धारण किया जायेगा ताकि किसी प्रकार का असमंजस अथवा अवरोध की स्थिति न बन पाये। इस योजना के ठोस क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा सतत् सुधार की दिशा पहले से तय रहेगी ताकि मानव को इसका अधिकतम लाभ मिले।

ईंट–भट्ठों हेतु मापदंड

अधिकांश ईंट–भट्ठा ग्रामीण इलाकों में होते है जो मृदा नष्ट करते हैं, परंतु वे शहरों के वायु प्रदूषण में प्रमुख कारक भी होते हैं। बिहार सरकार इस उद्योग से होने वाली पर्यावरणीय क्षति को रोकने/कम करने हेतु कटिबद्ध है। फलस्वरूप, ईंट– भट्ठों की स्थापना के संबंध में, बिहार राज्य की परिसीमा में नये ईंट–भट्ठों की स्थापना हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 17/25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 17/21 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य पर्षद् द्वारा अधिसूचना 11, दि॰ 23.03.2022 निर्गत किया गया है, तथा नये मानदंड निर्धारित किये गये है जिनका अनुपालन करना अनिवार्य है–

- *ईंट–भट्ठे की स्थापना/निर्माण कार्य पूर्णतः स्वच्छतर तकनीक (जिग–जैग तकनीक या वर्टिकल शॉफ्ट) पर आधारित एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुरूप होगा।*
- *ईंट–भट्ठा की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल की दूरी आबादी, सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय/अस्पताल/नर्सिंग होम, न्यायालय, सरकारी कार्यालय एवं फलदार बागीचा से कम से कम 800 मीटर होगी।*
- *केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (CGWA) द्वारा घोषित अतिदोहित/गंभीर/अर्ध गंभीर क्षेत्रों में नये ईंट–भट्ठे की स्थापना को वर्जित किया गया है।*
- *केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित दिशा निदेशों के अनुरूप ईंट भट्ठा इकाई से उत्सर्जन की निगरानी हेतु चिमनी में पोर्ट–हॉल एवं प्लेटफार्म की स्थापना करना अनिवार्य होगा।*
- *ईंट–भट्ठों के संचालन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा अनुमोदित ईधनों यथा कोयला, लकड़ी, कृषि अपशिष्ट एवं पाइप्ड प्राकृतिक गैस का ही अनिवार्य रूप से उपयोग करना होगा।*
- *पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इको–सेंन्सीटिव जोन(क्षेत्र) में ईंट–भट्ठा संचालन/गतिविधि पूर्णतः वर्जित है।* ***(विस्तृत जानकारी बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के वेबसाईट*** **bspcb.bihar.gov.in** ***पर उपलब्ध है)।***

:=:=:=:=:=:

अध्याय : 4

खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता तथा क्षमता विश्लेषण

HAZARD, RISK, VULNERABILITY & CAPACITY ANALYSIS

4.1 खतरा विश्लेषण (पूर्व में घटित तथा संभावित घटनाओं के आलोक में) : – कटिहार शहर में विगत काल में घटित आपदा से संबंधित आंकड़ा विभिन्न श्रोतो से संकलित किया गया है।

खतरों के प्रकार (प्राकृतिक एवं मानव जनित) :– कटिहार नगर में घटित आपदाओं का खतरा विश्लेषण के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक तथा मानव जनित खतरों की तीव्रता तथा संभावित कालखंड को निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

नगरीय आपदा तीव्रता कैलेन्डर :

क्र॰ स॰	समस्या	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	भूकम्प												
2	जलजमाव												
3	अगलगी												
4	स्वास्थ्य समस्या												
5	चक्रवाती तूफान /तीव्रगति हवा												
6	ठनका												
7	ओलावृष्टि												
8	गर्मी/लू												
9	शीतलहर												
10	सड़क दुर्घटना												
11	औद्योगिक दुर्घटना												
12	पर्यावरण दुर्घटना												
13	मेला, भीड़ सुरक्षा												

तीव्रता मापक – उच्च मध्यम

4.1.1 भूकम्प :– भूकम्प एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसके घटित होने का न तो समय निर्धारित है और न ही स्थान। घटना के पूर्व इसकी तीवता का भी अनुमान लगाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। किन्तु इसके घटित होने की संभावना हर क्षण बनी ही रहती है। निर्जन वनों, पहाड़ो, रेगिस्तान इत्यादि भू–भागों पर आये भूकम्प से कोई क्षति नहीं होती है परंतु घनी रिहाय" ाी इलाको या इसके निकट समुद्र मे आये भूकम्प से इसकी तीव्रता के सापेक्ष ही जन–धन की क्षति होती है।

क्र.सं.	तारीख	तीव्रता	भूकम्प का केन्द्र
1	2	3	4
1	15.01.1934	8.0	पूर्वी नेपाल में ल्हान से 19 कि॰मी॰ पर जमीनी सतह से 15 कि॰मी॰ नीचे ।
2	15.02.1993	5.0	कटिहार से 37–38 कि॰मी॰ उत्तर सतह से 29.7 कि॰मी॰ नीचे ।
3	27.03.2012	5.0	कटिहार से 70 कि॰मी॰ उत्तर पूर्व में सतह स 29.0 कि॰मी॰ नीचे।
4	25-26.04.2015	7.8	भरतपुर मध्य नेपाल से 67 कि॰मी॰ पर सतह से 10 कि॰मी॰ नीचे ।
5	08.03.2020	4.5	कटिहार से 76 कि॰मी॰ पश्चिम सतह से 10 कि॰मी॰ नीचे।

4.1.2 जल जमाव एवं शहरी बाढ़ :– कटिहार नगर निगम क्षेत्र में प्राकृतिक तथा मानवकृत आपदाओं में सबसे अधिक तीव्रता, प्रभावकता तथा विस्तार, जल जमाव एवं शहरी बाढ़ के रूप में प्रत्येक वर्ष एक या एक से अधिक बार घटित हो रही है। पिछले 15 वर्षो से अमूमन प्रत्येक वर्ष यहाँ की आबादी इस विभिषिका को झेल रही है तथा अनेको बार इसके कारण जान–माल की क्षति के साथ ही नगर वासियों

के रूटीन जीवनयापन में लंबी अवधि तक व्यवधान, आवागमन में कठिनाई एवं जल जनित स्वास्थ्य समस्याय उत्पन्न होता है।

निकट अतीत में वर्ष 2016 से 2018 में सामान्य वर्षा के दिनों में भी शहर में जल–जमाव की समस्या उत्पन्न हुई थी। वर्ष 2020 के सितंबर माह मे शहर के लगभग 25 वार्डों में भीषण जल–जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई थी। पुनः मई 2021 में 'यास' तूफान के कारण पूरे शहर में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हुई थी। वर्ष 2016–17 में बाढ़ का पानी रेलव ट्रैक पर आ गया था जिससे कई दिनों तक आवागमन बाधित रहा। सुदूर अतीत में वर्ष 1971 तथा 1987 में भी नगर–वासी बाढ़ एवं जल–जमाव से प्रभावित हुये थे तथा बड़ी मात्रा में जान माल की हानि हुई थी। हजारो लोगों को राहत शिविरों में स्थानान्तरित कर उनको सुरक्षा प्रदान की गई थी। सामान्य अवधि में भी शहर के कई हिस्सों में महीनों तक जल–जमाव की समस्या बनी रहने की स्थिति देखी गई है। शहर से होकर गुजरने वाली अधिकांश प्राकृतिक ड्रेनेज लाईन पर अतिक्रमण कर पक्की सरचना का निर्माण इसका मुख्य कारण है। इसमें कई छोटे–बड़े कम्पार्टमेंट बन गया है जहाँ पानी भरने पर यह प्राकृतिक जल बहाव मार्ग तक नहीं जा पाता है और कई सप्ताह तक वहीं जमा रह जाता है।

शहर की बनावट कटोरानुमा है। कोशी नदी जो शहर के पश्चिम से होकर गुजरती है का जल स्तर शहर के भू–स्तर से ऊँचा होने के कारण शहर में जमा हुआ पानी Gravity flow से नदी में नहीं जा पाता है। पश्चिम मे निर्मित शहर सुरक्षा तटबंध के एंटी फ्लड स्लुइस स वार्ड संख्या 6 एवं 7 का पानी तभी निकलता है जब नदी का जल स्तर काफी नीचे रहता है। वार्ड संख्या 9, 10 एवं 11 का पानी ललियाही धार होकर प्राकृतिक जल बहाव मार्ग में मिलता है। वार्ड सं॰ 5 जहाँ समाहरणालय तथा अन्य प्रशासनिक कार्यालय भवन है इस पॉकेट का पानी फुटानी चौक पर स्थापित पंप से बाहर करना पड़ता है। वार्ड सं॰ 2 एवं 4 में जमा पानी को रेलवे कॉलोनी हो कर ही वार्ड सं॰ 21 तक पहुँचा कर वहाँ वर्मा नगर में दुर्गा स्थान के पीछे स्थित सम्प हाउस में जमा कर नहर में पंप आउट किया जाता है परंतु रेलवे प्रशासन तथा सिविल प्रशासन के बीच समन्वय के अभाव के कारण कठिनाई हुई है। वार्ड सं. 12 में जमीन की सतह अपेक्षाकृत नीचे होने के कारण इसमें जमा हुआ पानी को पंप आउट कर वार्ड संख्या 6 या 7 ले जाकर आगे इसे ललियाही धार में ले जाया जाता है।

4.1.3 अगलगी :– अगलगी एक भयावह प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदा है। इसके कारण मनुष्य एवं पशुधन के साथ–साथ संपत्ति की भी हानि होती है, जो आगे चलकर उत्पादन और विकास दर पर दूरगामी प्रभाव डालता है। आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रति वर्ष 14 से 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जाता है। राज्य सरकार ने अग्नि से उत्पन्न होने वाले खतरे और जोखिम को देखते हुए इसे 'स्थानीय आपदा' घोषित किया गया है तथा मृत्यु होने या जान–माल की क्षति होने की स्थिति में तय मानक दर से अनुग्रह राशि प्रदान किया जाता है।

अन्य जिलों में घटित प्रमुख अग्निकांड

पटना के जी.वी. मॉल (मई 2017) में भीषण आग, पटना में ही (नवम्बर 2018) मोबाईल के तीन गोदामों में अगलगी से करोड़ो रूपये की संपत्ति का नुकसान हुआ। पटना के निर्माण भवन, सचिवालय में (मई 2022) में शॉट सर्किट से लगी आग में दस्तावेजों का काफी नुकसान हुआ। हरनौत में मई 2017 में चलती बस में आग लगने से (8 मृत, 12 घायल), मुजफ्फरपुर में दिसम्बर 2018 में चिप्स कारखाना में (5 मृत, 20 झुलसे), पूर्णिया शहर में सरकारी बस स्टैंड(अगस्त 2019), पटुआ गोदाम, गुलाब बाग (नवम्बर 2020), पुनरासर जूट पार्क, बियाडा (जनवरी 2021) में, बस के टकराने से, पटाखे की चिनगारी तथा बिजली के शॉट सर्किट से प्रतिवेदित हुई। दिसम्बर 2021 में नूड्लस कारखाना, मुजफ्फरपुर में अगलगी (7 मृत), इस तरह के हादसे बिहार के किसी भी शहर में हो सकते है जिससे सीख लेने की आवश्यकता है।

कटिहार शहर में नगर क्षेत्र का विस्तार, शहरी जनसंख्या घनत्व में वृद्धि, बेतरतीब बसावट, मलिन बस्ती का विस्तार एवं औद्योगिक क्षेत्र के कारण अगलगी होने पर व्यापक जानमाल के हानि की संभावना बनी रहती है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक प्रतिवेदन के अनुसार अगलगी की घटनाओ में 35 प्रतिशत केवल बिजली के शॉट सर्किट के कारण हो रहा है जो कि इस शहर के लिए भी सही प्रतीत होता है। नीचे की सारणी में कटिहार के शहरी क्षेत्रों में अगलगी की घटनाओं को चिह्नित किया गया है जिससे आग के खतरे और उससे होने वाली जोखिम की पहचान कर निवारण का काम किया जा सके।

सारणी –4.1 कटिहार शहर में हुई अगलगी की घटनाएं :–

क्र.सं.	अगलगी का स्थान	अगलगी का कारण	आग बुझाने के प्रयास
1	2	3	4
1	दवा का गोदाम, आर.के. मिशन रोड, वार्ड नं. 29 दि. 31.3.2022	शॉट सर्किट	20 घंटे तक प्रयास,10 दमकल(पूर्णिया तथा मनिहारी से भी मंगाया गया) पानी/फोम काम नहीं कर रहा था।
2	मनसाही थाना क्षेत्र में कच्चा मकान दि. 1.3.2022	शॉट सर्किट	स्थानीय सहायता से बुझाया गया। 20 बकरी की मृत्यु।
3	सहायक (नगर) थाना के कुसला खटाल में दि. 2.1.2022	अज्ञात	अग्निशमन कर्मियों द्वारा प्रयास। बड़ी संख्या में पशु झुलस कर मरे।
4	भूसा का ढ़ेर दि.6.5.2021	अज्ञात	पूर्णतया जल गया ।
5	रेलवे कंट्रोल रूम दि. 6.5.2021	शॉट सर्किट	स्थानीय स्तर पर लोगों ने बुझाया।
6	रेलवे लाईन के पास पेड़ में, दि. 11.3.2021	अज्ञात	अग्निशमन कर्मियों द्वारा प्रयास।
7	ललियाही इदगाह, दि. 9.3.2021	अज्ञात	
8	एम.जी.रोड, कॉपी किताब की दुकान दि. 5.3.2021	बिजली शॉट सर्किट	अग्निशमन कर्मियों द्वारा प्रयास।
9	विनोदपुर पुरानी फॅलावर मिल परिसर, वार्ड नं.37, दि॰ 24.1.2019	गैस कटर के चिंगारी से	अग्निशामालय कटिहार, मनिहारी, एवं पूणिया के सहयोग से ।
10	डहेरिया पुराना जुट मिल, नगर निगम, कटिहार दि॰ 13.12.2019	बिजली शॉट सर्किट	अग्निशमन कर्मियों द्वारा प्रयास।
11	राम नगर, वार्ड 25, दि॰ 6.4.2020	बिजली शॉट सर्किट	अग्निशमन कर्मियों द्वारा प्रयास।
12	मंगल बाजार, चुड़ी पट्टी, वार्ड नं. 31 दि॰ 2.2.2021	बिजली शॉट सर्किट	अग्निशमन कर्मियों द्वारा प्रयास।
13	विनोदपुर पावर हाउस रोड, वार्ड नं. 37 दि॰ 23.4.2021	बिजली शॉट सर्किट	अग्निशमन कर्मियों द्वारा प्रयास।

स्त्रोत : अग्निशामालय, कटिहार, से प्राप्त जानकारी पर आधारित

4.1.4 स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं :– वैश्विक महामारी कोविड–19 ने संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था पर अचानक अतिरिक्त बोझ डाला है। ऐसी स्थिति में जहाँ एक ओर सामान्य लोगों की जान बचाना था तो दूसरी ओर राज्य और जिले स्तर, पर बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिये चिकित्सा केन्द्रों को विशेष प्रयत्न करना पड़ा। पहले दौर (2019) में, वायरस ने अचानक सबको चौका दिया तथा दूसरी दौर (2020) में मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि, शय्या की कमी और ऑक्सीजन की अतिरिक्त आवश्यकता ने उपलब्ध चिकित्सीय व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा। तीसरे दौर (2021) में ऑमिक्रान वायरस का सरकार ने बेहतर ढंग से सामना किया। चूंकि कोरोना वायरस एकदम नया था इसलिए इससे उत्पन्न हो रहे खतरे को देखते हुए समय–समय पर गाइडलाईन्स जारी किया गया।

असैन्य शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वरीय चिकित्सा पदाधिकारी, वेक्टर जनित संचारी रोग पदाधिकारी, जिला एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण इकाई के पदाधिकारी, जिला यक्ष्मा नियंत्रण पदाधिकारी आदि के साथ नगरीय आपदा प्रबंधन योजना हेतु वैसे रोगों की पहचान की गई जिसके अनुसार शहर या जिले में चिकित्सीय व्यवस्था को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

सदर अस्पताल को जिले का मातृ चिकित्सा संस्थान के रूप में देखा जाये तो कटिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में निम्नलिखित खतरों को मुख्य रूप से चिह्नित किया जा सकता है।

(क) कोराना वायरस,

(ख) एच॰आई॰वी॰,

(ग) टी॰बी॰ एवं

(घ) आंत्र" ाोध

कटिहार शहर से अधिकांश संख्या में प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों में काम करते ह, साथ ही पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से रोज का आना जाना रहता है इस वजह से कोरोना वायरस से बचाव तथा चिकित्सा हेतु विशेष प्रयत्न किये गये । कोरोना महामारी के दूसरे फेज में सदर अस्पताल पर अतिरिक्त बोझ पड़ा

जो नीचे की सारणी से स्पष्ट है –

सारणो – 4.2 कोविड–19 हेतु की गई जाँच और रोगियों की संख्या :

क्र.सं.	वर्ष	कुल जाँच	+Ve मरीज	मृत्यु
1	2	3	4	5
1	2020 मार्च–दिसंबर	522028	7297	30
2	2021 जनवरी–दिसंबर	1441044	11185	319
3	2022 जनवरी–अप्रैल	542957	1633	23
	कुल	**2506029**	**20115**	**372**

स्त्रोत : सदर अस्पताल, कटिहार

नोट : अबतक 244 मृतक के परिवारों को अनुग्रह राशि दी जा चुकी है ।

कटिहार की भोगौलिक संरचना के कारण बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का आवागमन तथा राष्ट्रीय उच्चमार्ग के निकट होने की वजह से एच॰आई॰वी॰ का खतरा एवं उससे होने वाले जोखिम ने स्वास्थ्य प्रशासन को सजग रहने हेतु विव" ा किया है। कोरोना की तरह एच.आई.वी. भी 'नोटिफिएबल' बीमारी घोषित है, इससे संक्रमित प्रत्येक मरीज का ब्योरा सरकारी अस्पताल को सूचित करना जरूरी है। इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कटिहार में बड़ी संख्या में बच्चे अपने माता–पिता के माध्यम से एच.आई.वी. से संक्रमित पाये गये है। वर्तमान में एच.आई.वी. ग्रसित लोगों का ब्यौरा निम्नवत है।

सारणी – 4.3 कटिहार शहर में एच.आई.वी. से संक्रमित व्यक्तियों की पहचानः

क्र.सं.	वर्ष	एच.आई.वी. मरीजो की खोज	मृतकों को संख्या	एंटीरेट्रो वायरल रोगोपचार
1	2017–18	340	अब तक कुल –433 (पुरुष 298, महिला 107, बच्चे 22, बच्चियॉ 6) एच. आई.वी./एड्स से मृत्यु दर्ज है।	वर्तमान में 1692 (पु॰ 762, म॰ 775, बच्चे 101, बच्चियां 54) ए.आर.टी. सेन्टर में इलाजरत है। 128 मरीज दुसरे राज्यों मे ट्रान्सफर किये गये। जबकि 147 मरीजो का फॉलोअप में पता नहीं है।
2	2018–19	324		
3	2019–20	247		
4	2020–21	42		
5	2021–22	81		
	कुल	**1034**		

नोट : 2010 से अबतक कुल एच.आई.वी.+Ve की संख्या 2433 है। स्त्रोत : सदर अस्पताल, कटिहार

तीसरा सबसे बड़ा जोखिम टी॰बी॰ है। जिसके मरीजो की संख्या तत्काल 5000 के करीब है। इनको विशेषज्ञों की देखरेख में चिकित्सा मुहैया करायी जा रही है। वर्तमान में टी.बी. के मरीजों का ब्यौरा निम्नवत है।

सारणी –4.4 टी.बी. मरीजों की पहचान (माह जनवरी से दिसंबर)

क्र.सं.	वर्ष	कटिहार में	मृतकों की संख्या
1	2018	1238	अद्यतन 139 टी.बी. मरीजों की मृत्यु दर्ज है।
2	2019	2016	
3	2020	अनुपलब्ध	
4	2021	अनुपलब्ध	

स्त्रोत : सदर अस्पताल, कटिहार

नोट : इसमें 62 दवा प्रतिरोधी टी॰बी॰ रोगी है।

4.1.5 ठनका/तेज हवायें तथा आँधी तूफान :– कटिहार नगर एवं इसके आस–पास ठनका से प्रतिवर्ष जान–माल की क्षति होती है। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों से संकलित निम्न आंकड़े इस आपदा की गंभीरता बताती हैं।

क्र.सं.	तिथि	मृत्यु	घायल
1	12 मई 2016	x	3
2	मई 2017	5	2
3	25 जून 2018	3	1
4	1 जून 2019	2	x
5	8 जुलाई 2020	1	x

प्रतिवर्ष अप्रैल–मई (हिन्दी कैलेन्डर के अनुसार वैशाख) के महीने में तेज गति हवायें तथा चक्रवाती तूफान का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोग इसे 'काल–वैशाखी' भी कहते है। बंगाल की खाड़ी में कम

दबाव का क्षेत्र उत्पन्न होने पर ऐसी परिस्थिति आती है। वर्षा के दौरान ठनका गिरने की घटनायें अधिक होती है। इसके चपेट में आने पर जान–माल की हानि होती है। 22 अप्रैल 2015 के रात्रि 9.15 से 11 बजे के बीच 150 से 200 कि॰मी॰ प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का प्रकोप से कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा तथा सहरसा जिले में बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ था। बाँस–बल्ली पर टिकी टिन की छता वाली झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों में काफी घरो को नुकसान हुआ था। वर्ष 2021 के मई माह में 'यास' तुफान कटिहार जिले से होकर गुजरा था। इस दौरान भयंकर बारिश के कारण पुरे शहर में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हुई थी। बड़ी संख्या में पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ गई, बिजली के खंभों एवं टेलीफोन के खंभों को नुकसान हुआ। 19 मई 2022 को भी इसी तरह की चक्रवाती तूफान एवं ठनका के दौरान कटिहार शहर में एक व्यक्ति की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ है।

सारणी – 4.5 उच्च शक्ति हवा :

जिला	उच्च शक्ति हवा (हवागति मीटर/सेकेण्ड)			
	55 – 50	47	44 – 39	33
कटिहार	0	100	0	0

स्त्रोत : वलनविलिटी एटलस ऑफ इंडिया

सारणी – 4.6 आँधी तूफान की घटनाएं :

वर्ष	2016	2017	2018	2019	2020
मृत्यु	14	9	10	11	12

स्त्रोत : बिहार आर्थिक सर्वेक्षण–2020–21

पूर्व में 20 अप्रैल 2022 को स्थानीय स्तर पर वायुमंडल के घटे दवाब से देर रात 40–50 कि॰मी॰/घंटा की रफ्तार से तेज हवा के कारण शहर के कई घरों के टिन वाले छत, सड़कों पर पेड़ तथा बिजली के खम्भे उखड़ गये, गामीण क्षेत्र में ज्यादा नुकसान हुआ।

4.1.6 ओलावृष्टि :– विगत 8 अप्रैल 2012 को कटिहार में मूसलाधार बारि" ा के साथ ओलावृष्टि हुई थी। ओलावृष्टि का दुष्प्रभाव खेत में खड़ी फसलों, बगीचे में लगे फल/फूल एवं कमजोर छत वाल झुग्गी–झोपड़ियों में रहने वालो पर पड़ता है।

4.1.7 गर्मी/लू :– बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित हीटवेभ एक्सन प्लान 2018 में कटिहार का हीट भलनेरेबिटी इंडेक्स (HVI) 3 अर्थात उच्च सामान्य तीव्रता का बताया गया है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सचेत किया है कि ग्लोबन वार्मिंग के कारण भविष्य में गर्मी/लू की तीव्रता, बारम्बारता तथा ठहराव (प्रतिशत) में वृद्धि होने की संभावना है। इससे प्रभावित लोगों को चक्कर आने, उल्टी–दस्त, डायरिया होने, बेहोश हो जाने, मांस पेशियों में दर्द होने, अत्यधिक पसीना निकलने के कारण डिहाईड्रेसन होने का खतरा रहता है। कुछ परिस्थितियों में मृत्यु भी हो सकती है। जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आम लोगों की दिनचर्या बाधित हो जाती है। खास कर बाजारों में रेलवे एवं बस स्टैंड पर तथा ट्रेफिक पोस्ट के निकट शुद्ध पेय जल आपूर्ति नहीं रहने के कारण ट्रेफिक/गस्ती पुलिस, अन्य सरकारी कर्मचारियों तथा आम जानों को गर्मी के दिनों में काफी कठिनाई का सामान करना पड़ता है।

■ **शहरी उष्ण टापू प्रभाव** (Urban Heat Island Effect)

कटिहार में अनियोजित शहरीकरण के दौर में कई बाजार एवं बसावटे ऐसी बनी हैं जहाँ भवनों में ऐसे निमाण सामग्रियों का उपयोग किया गया है जो सूर्य से विकरित प्रकाश एवं उर्जा का अत्यधिक अवशोषण कर गर्म होकर अपने आसपास उष्णता का उत्सर्जन करते है एवं इस दायरे में जो भी रिहाय" ाी मकान एवं दुकान आते है, वह भट्ठी की तरह गर्म हो जाता ह। कुछ सीमित कमरों को ठंढ़ा करने के लिए वातानुकूलित संयंत्र लगाये जाते है। जो बदले में उष्मा उत्सर्जित करते हैं और आस–पास के गैर वातानुकूलित क्षेत्रो को

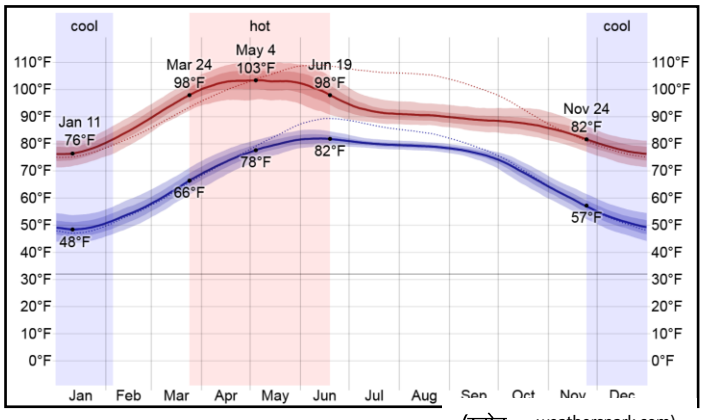

(स्त्रोत – weatherspark.com)

और अधिक गर्म करती है। इस प्रकार के ''शहरी उष्ण टापू प्रभाव'' की पहचान कर तथा उन क्षेत्रो में शहरी उष्ण टापू की तीव्रता का विधिवत अध्ययन कर इसे शीतलीकरण का हर संभव प्रयास करना जरूरी है या फिर निर्माण सामग्रियों में परिवर्तन तथा निर्माण विधि में ऐसे सुधार की समाविष्ट किया जाना चाहिये ताकि शहरी उष्ण टापू का निर्माण न हो सके। शहरी उष्ण टापू के तौर पर चिह्नित मुहल्लों, बाजारो में गर्मी के दिनों में उष्णता जनित बीमारियों का जोखिम अधिक रहता है। डायरिया तथा निर्जलीकरण की समस्याये आम हो जाती है।

इस ग्राफ में विभिन्न महीनों में तिथिवार प्रत्येक घंटे का औसत तापक्रम में से उच्च तथा निम्न तापक्रम को दर्शाया गया है। 4 मई को सर्वाधिक उच्च तापक्रम 39.44^0 सेंटीग्रेट तथा 11 जनवरी को न्यूनतम तापक्रम 8.88^0 सेंटीग्रेट रिकार्ड किया गया है। **(नोट– संभावित शहरी उष्ण टापू प्रभाव के शमनीकरण के विभिन्न तकनीकों का विवरण इस योजना के अध्याय 11 के कंडिका 11.1.5 पर संधारित है।)**

4.1.8 शीतलहर :– शीतलहर के दिनों में लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शीतलहर के दौरान मनुष्य तथा पशु–पक्षी सभी प्रभावित होते है। यह सार्वजनिक सेवाओं, व्यवसायिक गतिविधियां, शैक्षणिक तथा प्रशासनिक क्रिया कलापों को भी प्रभावित करता है। मलिन बस्ती के निवासी तथा सड़क के फुटपाथ पर रात बिताने वाले गृहविहीन तथा साधन विहीन आमजन, वृद्धजन तथा बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कटिहार में वार्षिक औसत न्यूनतम तापक्रम 9^0C रहता है। कभी–कभी यह तापक्रम 6^0 C से नीचे भी चला जाता है।

4.1.9 औद्योगिक दुघटना :– कटिहार स्थित निम्न लघु एवं मध्य स्तर के कारखानो में असावधानी के कारण यदा–कदा दुर्घटनाय घटती है।

RBHM जूट फैक्टो, गौशाला रोड कटिहार, कटिहार जूट मिल, विष्णु आटा मिल, मनसा जूट मिल, सन–बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रा॰ लि॰, पवन पुत्र ट्वीन मिल, गेट ग्रिल और जेनरल इजोनियरिंग फेब्रीकशन, कम्प्यूटर रिपेयर एंड सर्विसिंग, मोबाईल रिपेयर एंड सर्विसिंग, मखाना प्रोसेसिंग, अगरबत्ती की तिल्ली, पीतल और कांसा का बर्तन इत्यादि।

4.1.10 सड़क दुर्घटना :– शहरी क्षेत्र में पूर्व में घटित सड़क सुरक्षा की स्थिति को जानने के लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति के सचिव, जिला परिवहन पदाधिकारी तथा पुलिस (ट्रैफिक) से संवाद स्थापित कर चर्चा की गयी। जिलाधिकारी सह अध्यक्ष द्वारा 2019 में DRSC के गठन के बाद से 22.09.2021 तक कुल 9 बैठक आयोजित की गयी है। जिसमें सड़क दुर्घटनाओं सहित इसके विभिन्न आयामों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी है और उचित सुझाव भी दिये गये है। जिनका 'न्यूनीकरण' (Mitigation) के अध्याय में विस्तृत चर्चा की गयी है। इसके अनुपालन से बिहार आपदा न्यूनीकरण रोड मैप–2030 के अनुरूप सड़क दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सकती है। वर्तमान में कटिहार के शहरी क्षेत्रों (नगर निगम क्षेत्र) में घटित सड़क दुर्घटनाएं (2016–21) निम्नवत है।

सारणी – 4.7 शहरी क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना (2016–2021 जुलाई) :

क्र.सं.	वर्ष	दुर्घटना	मृत्यु	घायल
1	2	3	4	5
1	2016	12	04	05
2	2017	07	04	03
3	2018	03	01	–
4	2019	03	01	02
5	2020	01	01	–
6	2021	02	02	02
	कुल	28	13	12

स्त्रोत : पुलिस अधिक्षक एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति, कटिहार

उपर की तालिका का विश्लेषण करने से पता चलता है कि राष्ट्रीय उच्च पथ (NH) पर सड़क दुर्घटना की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में दुर्घटनाएं कम हुई है परतु मृत्यु की संख्या लगभग बराबर है, परंतु घायलों की संख्या उच्च पथ की बजाय शहर में काफी कम रहा है।

शहरी क्षेत्र में सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चलाना माना गया है। ज्यादातर घटनाएँ वाहनों के सीधी टक्कर या पीछे से टक्कर के कारण हुआ है।

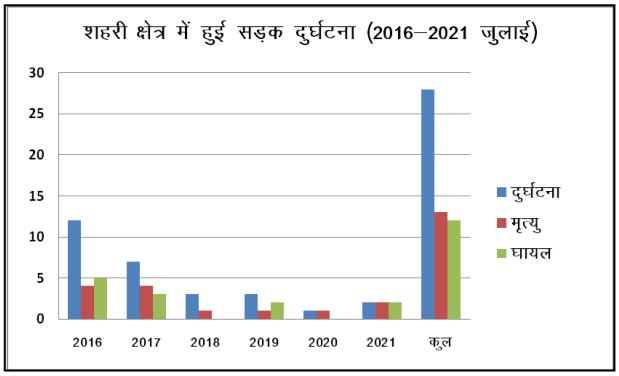

4.1.11 भगदड़ :– पर्व त्योहारों के समय आयोजित मेलों में काफी लोग एकत्र होकर उत्सव मनाते ह। विभिन्न धार्मिक अवसरों पर अलग–अलग समुदायों द्वारा जुलूस निकाला जाता है। भीड़ को भगदड़ में बदलने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। जरा सी असावधानी, शरारत, अफवाह, आकस्मिक दुर्घटना के वक्त बेसब्री तथा आयोजका का कुप्रबंधन से कभी भी भीड़ भगदड़ में बदल सकती है। इन सभी हालातों के मद्देनजर किसी भी आयोजन को भीड़ प्रबंधन की दृष्टि से देखा जाता है।

4.2. **संवेदनशीलता** :– किसी व्यक्ति, समूह, समुदाय के लिए किसी आपदा के दौरान उसके जीवन या जीवन चर्या उसकी मानसिक शारीरिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की तीव्रता को संवेदनशीलता कहेंगे।

4.2.1 बहु–आपदा संवेदनशीलता :– बच्चे, बुढ़े, दिव्यांग, गर्भवती महिलायें, बीमार लोग अपने शारीरिक दुबलता के कारण सभी प्राकृतिक एवं जलवायु प्रेरित आपदाओं के प्रति संवेदनशील माने जाते ह। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, खासकर बी.पी.एल. परिवार, असंठित क्षेत्र के कामगार व्यक्ति या समुदाय सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने के कारण किसी भी आपदा के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। पुराने व अस्थाई मकान या संरचनाय भी कुछ आपदाओं के प्रति संवेदनशील होते ह। शहरी स्लम अथवा मलिन बस्तियों के निवासी भी झुग्गी–झोपड़ियों में तथा अस्वास्थ्यकर वातावरण में रहने को मजबूर है। **उपयुक्त सुरक्षा कवच क अभाव में मौसम आधारित खतरे जैसे ठनका, तेज गति हवा काल बैशाखी, ओलावृष्टि, शीतलहर एवं गर्मी/लू इत्यादि के प्रति भी अत्यंत संवेदनशील है।**

परिवहन के माध्यम, पेयजल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, संचार के संसाधनो, सस्ता राशन आपूर्ति में व्यवधान के कारण इनकी दिनचर्या रूक सी जाती है। इनकी जीविका के साधन अस्त–व्यस्त हो जाते हैं। रसोई में नियमित चूल्हा जलाना संभव नहीं हो पाता है। खाने–पीन, सोने रहने में कठिनाई होने लगती है। इनका पूरा जीवन अस्त–व्यस्त हो जाता है।

सारणी–4.8 कटिहार नगर निगम क्षेत्र में मलिन बस्ती तथा इसमें सृजित जन सुविधा :

क्र. सं.	मलिन बस्ती का नाम	वार्ड सं.	क्या अधिसूचित है	परिवार की सं.	जनसंख्या	पक्की सड़क कि.मी.	नाली का प्रकार	निजी शौचालय फ्लश युक्त	विद्युत कनेक्सन घरेलू	सड़क पर प्रकाश स्तम्भ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मेरिया रहिका	2	नहीं	200	1000	0.5	खुलो	15	71	7
2	तेजा टोला	4	नहीं	800	4000	0.5	खुली	14	13	10
3	महिपाल नगर	3	नहीं	125	625	0.5	खुली	12	71	10
4	तेजा टोला	3	नहीं	200	1000	0.5	खुली	14	72	13
5	तेजा टोला	3	नहीं	200	1000	0.5	खुली	14	71	8

6	तेला टोला	3	नहीं	200	1000	0.5	खुली	14	7	8
7	पिउन क्वाटर	5	नहीं	300	1500	0.5	खुली	15	70	13
8	शमशेर गंज	3	नहीं	350	1600	0.5	खुली	14	71	13
9	नेपाली टोला	5	नहीं	300	1500	0.5	खुली	15	72	12
10	रिफ्यूजी कॉलोनी	2	नहीं	400	2000	0.5	खुली	15	68	8
11	डूमरी खल	2	नहीं	350	1400	0.5	खुली	15	70	10
12	हरिजन टोला	2	नहीं	300	1500	0.5	खुली	14	71	13
13	हृदय गंज	1	नहीं	500	2450	0.5	खुली	13	69	8
14	उरांव टोला	1	नहीं	250	1000	0.5	खुली	14	70	8
15	संथाली टोला	1	नहीं	300	1500	0.5	खुली	15	70	12
16	सियलपाड़ा सबदल टोला	–	नहीं	300	1500	0.5	खुली	12	142	12
17	उरांव टोला	3	नहीं	250	1000	0.5	खुली	14	70	8
18	ललियाही इंदिरा नगर	7	नहीं	200	1000	0.5	खुली	14	70	8
19	चौधरी मुहल्ला सैफगंज	26	नहीं	70	280	0.5	खुली	29	31	2
20	चौधरी मुहल्ला हुसैनाबाद	–	नहीं	200	800	0.5	खुली	15	71	12
21	चौधरी मुहल्ला	26	नहीं	200	800	0.5	खुली	14	73	9
22	चौधरी टोला	26	नहीं	150	600	0.5	खुली	18	25	3
23	पासवान टोला	23	नहीं	125	500	0.5	खुली	15	70	7
24	विवेकानंद कॉलोनी	21	नहीं	60	300	0.5	खुली	23	0	18
25	बिहान टोला	4	नहीं	110	550	0.5	खुली	10	72	13
26	आदर्श स्कूल के पीछे	7	नहीं	200	1000	0.5	खुली	10	70	11
27	कोरैया टोली	27	नहीं	95	380	0.5	खुली	15	5	9
28	लियाही बरमसिया	7	नहीं	800	4000	0.5	खुली	15	73	12
29	कुरमा टोला	7	नहीं	100	500	0.5	खुली	16	26	3
30	पासवान टोला	7	नहीं	60	300	0.5	खुली	12	8	1
31	शीतला स्थान	7	नहीं	300	1500	0.5	खुली	16	73	13
32	चौहान टोला	6	नहीं	80	400	0.5	खुली	30	21	7
33	शिकार टोला	6	नहीं	200	1000	0.5	खुली	14	71	13
34	धाँगड़ टोली	6	नहीं	100	500	0.5	खुली	10	71	10
35	हरिशंकरनायक के निकट	5	नहीं	100	500	0.5	खुली	15	71	8
36	ड्राइवर चमार टोली	7	नहीं	300	1500	0.5	खुली	14	72	12

स्त्रोत : जनगणना 2011

4.2.2 भूकम्पीय संवेदनशीलता :– कटिहार के निकटवर्ती क्षेत्र में आये कुछ भूकम्प – बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अगस्त 2013 में एक अध्ययन कराया गया जिसका शीर्षक "Damage Scenario Under Hypothetical Recurrence of 1934 Earthquake Intensities in Various District (Block wise) of Bihar" है, का प्रकाशन किया गया है। यह अध्ययन पद्मश्री (स्व॰) डॉ. आनंद स्वरूप आर्य, तत्कालीन सदस्य बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार एवं पूर्व भूकंपीय सलाहकार, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार कराई गई है। इस वैज्ञानिक अध्ययन में जिलावार एवं प्रखंडवार 1934 में आये भूकंप की पुनारावृत्ति की संभावना के मद्देनजर अनुमानित क्षति का ब्योरा प्रस्तुत किया गया है। इसमें वर्ष 2011 की जनगणना आकड़ा के आधार पर मानव जीवन एवं संपत्ति की क्षति का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2015 में आये भूकंप के बाद राज्य सरकार ने सभी जिलों को क्षति आकलन हेतु निर्देश दिया गया है।

भ्कंपीय जोखिम, परिस्थितियों के अनुसार कम एव अधिक हो सकतो है। जिस समय अधिकांश आबादी अपने घरो या मकानों के बाहर हों, वैसे समय में घटित भूकंप के दौरान सम्पति की हानि अधिक होती है और मानव जीवन की क्षति अपेक्षाकृत कम होता है। इस अनुकूल समय में घटित भूकंप माना गया है।

समय के कुछ काल खंड ऐसे होते ह जबकि लोग प्रभावित इलाको में अपने घरों/दफ्तरो/स्कूल–कालेज, अस्पताल, सिनेमा हॉल, थियेटर इत्यादि में मौजूद हो और उच्च तीव्रता का भूकंप घटित हो जाय तो मानव जीवन की क्षति में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है। इसे प्रतिकूल समय में घटित भूकंप माना गया है।

भूकंप जोखिम, घरों मकानो तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाओं की मजबूती पर भी निर्भर करता है। विभिन्न निर्माण सामग्रियो से बने मकानों का नुकसान की श्रेणी (Damageability grade) निर्धारित किया गया है।

कटिहार प्रखंड जिसका अधिकांश भाग कटिहार नगर निगम के अंतर्गत आता है के लिए जोखिम एवं संवेदनशीलता निम्नवत् अनुमानित है। भूकम्पीय जोन – IV

- **विभिन्न निर्माण सामग्रियों से निर्मित मकानों का विवरण–**

(क) मिट्टी/कच्ची ईंट/बिना चिनाई या चिनाई वाले पत्थर से बने दीवार वाले मकान	5977
(ख) पक्की ईंट से निर्मित दीवार वाले मकान	42169
(ग) लकड़ी से निर्मित दीवार वाले मकान	671
(घ) कंक्रीट के पीलर बीम छत वाले मकान	1135
(ड.) घास फूंस/प्लास्टिक/बांस तथा GI भाोट/धातु/अलाबस्टर भाोट की छत वाले मकान	25724
कुल	**75676**

- **विभिन्न (नुकसान की) श्रेणी वाले मकानो की संख्या –**

NG5 – पूर्णतः ध्वस्त संरचना	598
NG4 – व्यापक विनाश (दीवारें अलग हो जाना, आशिक रूप से ढहना, अंदरूनी दीवार गिरना)	8700
NG3 – भारी क्षति (दीवार में तथा प्लास्टर में लंबी गहरी दरारें चिमनी, छज्जा का ढहना)	32256
NG2 – साधारण क्षति (दीवार, प्लास्टर में छोटी दरारे, प्लास्टर का झड़ना)	8128

- **क्षति अनुमान –**

प्रतिकुल समय में घटित भूकंप के दारान मानव जीवन की क्षति	244
अनुकूल समय में घटित भूकंप के दौरान मानव जीवन की क्षति	78
भवन जिसके पुनर्निर्माण आवश्यक होगी	9297
भवन जिसकी मरम्मति आवश्यक होगी	40384

कटिहार नगर निगम क्षेत्र में अत्यधिक घनत्व वाले बसावटे पायी जाती ह। यहाँ पूर्व में निर्मित आवासीय अथवा व्यवसायिक भवन काफी लंबाई में एक दूसरे से सटा कर बनाये गये ह। साथ ही सड़के भी काफी संकरी हैं। तीव्र भूकम्प के समय कमजोर भवनों को जोखिम होगा इसके साथ ही आस–पास के भवन भी प्रभावित होगा।

4.2.3 जल–जमाव/नगरीय बाढ़ के प्रति संवेदनशीलता :– शहर में सबसे संवेदनशील वार्ड संख्या 2,4,16,17,18 एवं 19 है जिसका पानी वार्ड संख्या 17 में के. बी.झा कॉलेज के पास उच्च शक्ति (80 HP) का पंप लगाकर वार्ड सं. 21 वाले पॉकेट में तथा पुनः वार्ड सं. 21 होते हुए बहिर्निकास संख्या 1, दुर्गास्थान के पीछे उच्च शक्ति का पंप लगाकर नहर में प्रवाहित कराया जाता है। यहाँ कुल 45 वार्ड है जिसमें वार्ड सं. 13,14 एवं 15 में कटिहार रेल प्रमंडल कार्यालय एवं आवासीय कॉलोनी अवस्थित है। यहाँ का प्राकृतिक जल बहाव मार्ग दक्षिण पूर्व में परतेली धार, उत्तर पश्चिम में कारी कोशी नदी, उत्तर पूर्व में रामपाड़ा नहर एवं दुर्गा स्थान नहर, दक्षिण पश्चिम में ललियाही कोशी धार अवस्थित है।

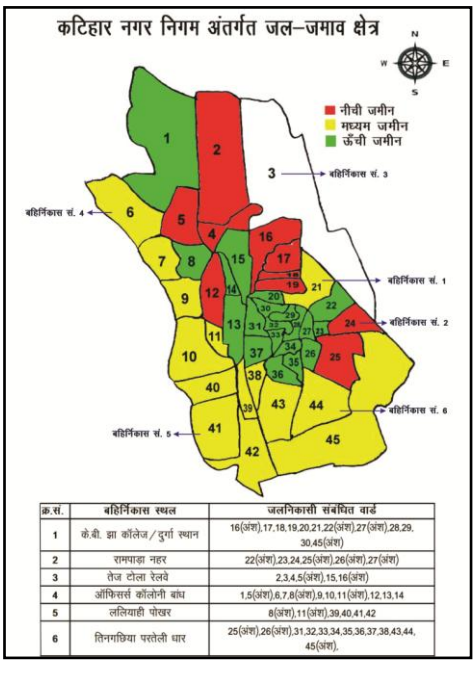

क्र.स.	बहिर्निकास स्थल	जलनिकासी संबंधित वार्ड
1	के.बी. झा कॉलेज/दुर्गा स्थान	16(अंश),17,18,19,20,21,22(अंश),27(अंश),28,29, 30,45(अंश)
2	रामपाड़ा नहर	22(अंश),23,24,25(अंश),26(अंश),27(अंश)
3	तेज टोला रेलवे	2,3,4,5(अंश),15,16(अंश)
4	ऑफिसर्स कॉलोनी बांध	1,5(अंश),6,7,8(अंश),9,10,11(अंश),12,13,14
5	ललियाही पोखर	8(अंश),11(अंश),39,40,41,42
6	तिनगछिया परतेली धार	25(अंश),26(अंश),31,32,33,34,35,36,37,38,43,44, 45(अंश),

जल जमाव की दृष्टि से कटिहार नगर का वार्ड सं. 38,39,43 (देहरिया क्षेत्र), कोशी नहर के पश्चिम में बसा हुआ मोहिनी कॉलोनी संवेदनशील है। इन इलाको म बसे हुये परिवारा के घर से निकलने वाले जल–मल नाली का निकास किसी प्राकृतिक जल बहाव मार्ग से जुड़ा न होने के कारण उसी स्थान के खाली जमीन में अथवा सड़का पर फैल कर कठिनाईयाँ उत्पन्न करता है।

वार्ड संख्या 8,13,14,15,20,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42 कुल 21 वार्ड अपेक्षाकृत ऊँची जमीन पर अवस्थित हैं परंतु इन क्षेत्रो में निर्मित नाला में जमा गाद की नियमित तथा मुकम्मल सफाई न होने की वजह से, जल निकासी के प्राकृतिक मार्ग बंद अथवा अवरूद्ध हो गये हैं। इसके कारण शहर के इस हिस्से में सामान्य वर्षा के दिनो में भी जल–जमाव तथा सडका पर नाली का पानी बहते हुये अस्वास्थयकर स्थिति तथा आवागमन में बाधा उत्पन्न करते है। इसके अतिरिक्त वार्ड सं. 5 एवं 6 जहाँ अधिकांशतः प्रशासनिक कार्यालय भवन तथा आफिसर्स कॉलोनी है। वार्ड सं. 7,9,10,11,12,24,25,44,45 इत्यादि में भी जल–जमाव की समस्या होती है। वर्ष 2022 मॉनसून के पूर्व सभी 45 वार्डों में पूर्व से निर्मित नाले जो उड़ाहीकरण के अभाव में अप्रभावी हो गया। उसकी युद्ध स्तर पर उड़ाही कार्य के लिए नगर निगम द्वारा "मिशन 100 डेज" विशेष अभियान चला कर कार्य पूर्ण किया। इसके अंतर्गत प्रत्येक जोन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

इन सभी संवेदनशील 24 वार्डो में अवस्थित मलिन बस्तियों के निवासी गृह विहीन, स्कूली बच्चे, बूढ़े, गर्भवती या बीमार महिलाये, दिव्यांगजन तथा गंभीर रोगी को बृहत्तर कठिनाईयां झेलनी पड़ती है। नगर निगम प्रशासन तथा जिला प्रशासन को भी समस्यागस्त इलाकों में संवैधानिक नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है।

4.2.4 अग्नि संवेदनशीलता :– संपूर्ण कटिहार नगरीय क्षेत्र तथा वहाँ बसने वाले लोग और संरचनाएँ अगलगी के प्रति संवेदनशील है। जिला समादेष्टा–सह–जिला अग्निशमन कार्यालय के पदाधिकारिया से चर्चा में जिन स्थलों को विशेषरूप से संवेदनशील पाया गया वो है – (क) औद्योगिक क्षेत्र, (ख) न्यू मार्केट कटिहार, (ग) मंगल बाजार, (घ) बड़ा बाजार एवं (ड.) विनोदपुर। इन पाँच स्थानों के अतिरिक्त वैसे भवन तथा आधारभूत संरचनाएँ जहाँ बिजली के तार अव्यवस्थित हो, उचित अर्थिंग का अभाव, बिजली का लोडिंग क्षमता से ज्यादा उपयोग तथा बिजली बोर्ड का पैनल सार्वजनिक रूप से खुला हो वैसे भवन अति संवेदनशील श्रेणी में है।

खतरे और जोखिम के साथ उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए यह महसूस की गयी है कि शहर में कुछ आर जगहों पर अतिरिक्त हाईड्रेन्ट की आवश्कता होगी जिससे अग्निशमन के कार्यों में ज्यादा सहुलियत हो और जान–माल की सुरक्षा बेहतर ढंग से हो सके। जिन स्थलों पर जिला अग्निशामालय ने अतिरिक्त हाईड्रेन्ट की आवश्कता जताई है, वे स्थल निम्नवत है –

सारणी – 4.9 अतिरिक्त हाईड्रेन्ट की आवश्यकता :

क्र.सं.	हाईड्रेन्ट की आवश्यकता	वार्ड सं.	कारण	अभियुक्ति
1	डी.एस.कॉलेज रोड	45	पानी की अनुपलब्धता।	बड़ी वाहन में पानी लेने हेतु।
2	गेडाबाड़ी बाजार कोढा	02		
3	फलका बाजार	8		
4	कुर्सेला बाजार	11		
5	बरारी बाजार	15		
6	प्राणपुर बाजार	12		
7	मनसाही बाजार	7		
8	मुफस्सील थाना, चंद्रमा चौक	3		
9	रौतारा बाजार			

स्त्रोत : अग्निशामालय, कटिहार, से प्राप्त जानकारी पर आधारित

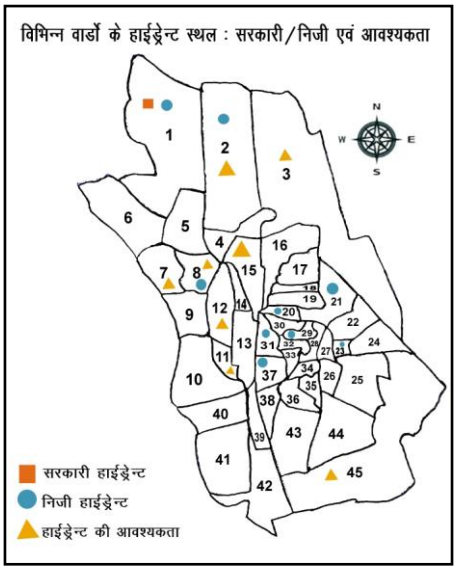

इसके अतिरिक्त नगर विकास प्रमंडल द्वारा शहर में 12 स्थलों पर पंप के साथ जल मिनार का निर्माण कराया जा रहा है, अतः उन स्थलों पर भी हाईड्रेंट का निर्माण कर अगलगी की संवेदनशीलता का बेहतर प्रबंध किया जा सकता है। जिन जगहों पर नये जल मिनार बन रहे है जो वार्ड संख्या 1,5,8,10,11,21,25,29,33,36,40,44 एवं 45 के क्षेत्र में आता है। विगत 12 सालों का प्रतिवेदित फॉयर कॉल की जानकारी प्राप्त करने पर अधिकारिक तौर पर 'फॉयर कॉल' की संख्या में कमी पायी है परंतु अगलगी की भयावहता में इजाफा हुआ है। संरचनाओं में बेतरतीव विद्युतीकरण तथा गोदामो में अगलगी की घटनाओं में वृद्धि दर्ज हुई है। विगत वर्षों के फॉयर कॉल की संख्या नीचे को सारणी से स्पष्ट है ।

सारणी –4.10 10 वर्षों में शहरी क्षेत्र में अगलगी की प्राप्त सूचना :

क्र.सं.	वर्ष	फायर कॉल	क्र.सं.	वर्ष	फायर कॉल
1	2011	34	7	2017	17
2	2012	33	8	2018	19
3	2013	26	9	2019	17
4	2014	26	10	2020	22
5	2015	24	11	2021	27
6	2016	40	12	2022 (अप्रैल तक)	5

स्त्रोत : जिला अग्निशामालय, कटिहार

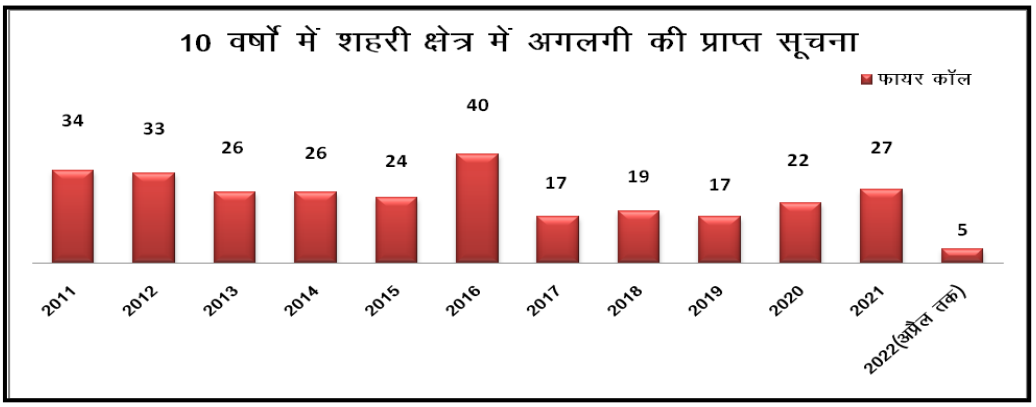

4.2.5 स्कूल संवेदनशीलताः–

- वैसे बच्चे जो घर से असुरक्षित बस/टेम्पू में स्कूल आते है।
- वैसे बच्चे, शिक्षक एवं अन्य जिन्होंने आपदा जोखिम से निपटने हेतु मॉकड्रिल नहीं किया है।
- कमजोर विद्यायल भवन।
- वसे स्कूल जहाँ सड़क पर 'साईनेज' नहीं है।
- वैसे स्कूल जहाँ भवन में प्रवेश एवं निकास हेतु 'रूट चार्ट' नहीं है।

सारणी – 4.11 नगर निगम क्षेत्र में विद्यालयों का विवरण :

क्र.सं.	विद्यालय के प्रकार	नामांकित
1	2	3
1	प्राथमिक	29
2	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक	26
3	प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक	2
4	केवल माध्यमिक	1
5	माध्यमिक, उच्च माध्यमिक	6
	कुल जोड़	**64**
1	**कुल नामांकन**	**28266**
2	**कुल प्रशिक्षत शिक्षक**	**64**

स्त्रोतः बिहार शिक्षा परियोजना, कटिहार संभाग

4.2.6 स्वास्थ्य एवं अस्पताल संवेदनशीलता :–

- कोरोना के प्रति कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति सबसे ज्यादा संवेदनशील है।
- जिन्होंने कोरोना वायरस हेतु सरकार/निजी अस्पताल के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही टीकाकरण नही करवाया है।
- जो मास्क, भीड़ में दूरी या हाथ की सफाई का पालन नहीं करते, वे भी ज्यादा संवेदनशील है।
- एच॰आई॰वी॰ क प्रति प्रवासी मजदूर, ट्रक चालक एवं खलासी, स्वय नियमित सुई से 'ड्रग्स' लेने वाले व्यक्ति, पड़ोसो राज्य में प्रति दिन आजिविका के लिए आने जाने वाले व्यक्ति, महिला 'सेक्स वर्कर', ग्रसित गर्भवती महिला आदि संवेदनशील है।

- बाढ़ प्रवण इलाके में रहने वाले तथा गैर–हवादार घरा में नियमित वास करने वाले टी॰बी॰ रोग से ग्रस्त व्यक्ति, कुपोषित, ईट–भट्ठा में काम करन वाले, सीमेंट कार्य में लगे श्रमिक तथा अन्य श्वसन रोगी टी॰बी॰ रोग के प्रति संवेदनशील है।
- अन्य स्वास्थ्य समस्या में जठरांत्र से लोग प्रभावित होते ह। ऐसे रोगियों को पेट संबंधी समस्याएँ होती है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस बीमारी से 2019–20 में करीब 8783 लोग ग्रस्त थे, वहीं उसके पिछले साल 13248 रोगी पाये गये। कुत्ते का काटना और सर्पदंश की घटना में वृद्धि भी चिन्तनीय है।
- सदर अस्पताल के विशेषज्ञों ने दूषित पानी, अस्वच्छ वातावरण में बने खाना आदि को गैस्ट्रोइन्टाइटीस/एन्ट्रोकोलाइटिस रोग का कारण होता है।

4.2.7 सड़क दुर्घटना : जिले की वैसी सड़के जहाँ पर बाजार है तथा जहाँ अंदर की सड़के मुख्य तिराहे या चौराहे पर मिलती है उनको सड़क दुर्घटना के लिए संवेदनशील माना गया है। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क दुर्घटना से संबंधित राष्ट्रीय तथा राज्य मानक के अलावा जिस स्थल पर कम से कम तीन व्यक्तियों की मृत्यु होती है उसे संवेदनशील मानते हुए उसका विश्लेषण प्रतिवेदन एवं इससे संबंधित कार्रवाई की प्रतिवेदन (ATR) संवेदनशीलता को कम करने की चेष्टा का निर्देश निर्गत है।

जिला सड़क सुरक्षा समिति की दिनांक 11.06.2019 की बैठक में दुर्घटना संभावित संवेदनशील स्थल में वैसी सड़के जहाँ विद्यालय, घनी आबादी, तेज ढलान, तीखा मोड़, खुले गड्ढे, लेन ड्राइविंग की अवहेलना, सड़कों का मिलन स्थल है, उसे संवेदनशील माना गया है। गेड़ाबाड़ी चौक तथा कारगिल चौक (पार्क के पास) को सड़क सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। इसके अतिरिक्त के.बी.झा कॉलेज तथा NH31 से सटा सड़क भी संवेदनशील पाया गया है। शहर में कोई भी 'ब्लैक स्पॉट' चिह्नित नहीं है।

4.2.8 शहरी उष्ण टापू प्रभाव – इसके लिए संवेदनशील बाजार एवं मुहल्लों में बड़ा बाजार हरिगंज मुहल्ला, गामी टोला, मिलन चौक एवं मारवाड़ी पाठशाला के इर्द–गिर्द बसे मुहल्ले, कदवा मुहल्ला इत्यादि घनी आबादी वाली इलाको पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

4.2.9 भगदड़ – नगर निगम क्षेत्र में मुख्यतया नगर पालिका मैदान, दुर्गा स्थान, एल.डी.सी. स्थान तथा हरिशंकर नायक स्कूल के मैदान में विभिन्न प्रकार के मेला, त्योहार एवं धार्मिक अनुष्ठान आयाजित किये जाते ह। इसके अतिरिक्त स्थानीय हितधाराकों से बातचीत के क्रम में गोशाला चौक, बनिया टोला, शिवशंकर चौक, तेजा टोला, बी.एम.पी. छठ घाट, ईदगाह आदि भीड़ के दृष्टिकोण से संवेदनशील चिह्नित किया गया है।

4.3 क्षमता विश्लेषण :– विभिन्न आपदाओं का प्रभावी रूप से सामना करने के लिए नगर निगम क्षेत्र में उपलबध निजी भौतिक एवं यांत्रिक संसाधन तथा मानव संसाधन का ब्योरा निम्नवत है । वार्डवार उपलब्धता अनुलग्नक–2 एवं 2क पर देखा जा सकता है।

सारणी – 4.12 वार्डो में उपलब्ध भौतिक एवं यांत्रिक संसाधन :

वार्ड सं॰ (1–45)	विद्यालय	महाविद्यालय	अस्पताल	सरकारी भवन	कुँवा चबुतरा	जनवितरण दुकान	जे॰सी॰बी॰	वाटर टेंकर	ट्रैक्टर ट्रेलर	टेन्ट हाउस	आरा मशीन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कुलयोग	97	10	72	80	12	97	8	7	141	59	6

सारणी– 4.13 वार्ड में उपलब्ध मानव संसाधन :

वार्ड सं॰ (1–45)	डॉक्टर	नर्स	शिक्षक	नल मिस्त्री	बिजली मिस्त्री	राज मिस्त्री	भूतपूर्व सैनिक	एन.सी.सी.	मैकेनिक	आशा कार्यकर्ता	आंगनवाडी सेविका	विकास मित्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुलयोग	200	314	636	240	301	1306	248	81	370	89	197	35

स्त्रोत – फिल्ड नोट्स

4.3.1 अग्नि – शहर में अवस्थित 13 हाईड्रेन्ट में से 11 निजी क्षेत्र में है। अगलगी से सामना करने हेतु निजी परिसर में स्थापित हाईड्रेन्ट पर ज्यादा निर्भरता है। किसी भी अगलगी की घटना में उपलब्ध मानव संसाधन, मशीनरी तथा उपयुक्त क्षमता का हाईड्रेन्ट होना आवश्यक है। वर्तमान में 4500 लीटर पानी क्षमता वाली दो 'वाटर टेंडर' साथ ही 300 लीटर पानी तथा 50 लीटर फोम वाली आठ मिस्ट टेक्नालॉजी वाहन उपलब्ध है। कटिहार शहरी क्षेत्र में घनी आबादी और जनसंख्या में बढ़ोत्तरी हुई है, साथ ही उपलब्ध 'फॉयर टेंडर' काफी पुरानी है। इसके मद्देनजर 5000 लीटर क्षमता वाली चार बड़ी फायर टेंडर तथा एक फोम टेंडर वाली गाड़ी की आवश्यकता महसूस की गयी है। जिसे उपलब्ध करा कर जिला अग्निशामालय की क्षमता में वृद्धि की जा सकेगी। वर्तमान में जिला अग्निशामालय में 33 स्वीकृत पद है जिसके विरूद्ध सिर्फ 13 कार्यरत है जबकि 20 रिक्त पद है। अग्निशामालय पदाधिकारी तथा सहायक पदाधिकारी का एक–एक पद तत्काल में खाली है। वर्तमान में आग बुझाने हेतु उपलब्ध वाहनों तथा कुछ अतिरिक्त वाहनों की आवश्यकता निम्न सारणी से समझा जा सकता है।

सारणी – 4.14 शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हाईड्रेन्ट एवं उनके स्थल :

क्र.सं.	स्थापित हाईड्रेन्ट एवं स्थल	वार्ड सं.	सरकारी/निजी	अग्निशामालय से दूरी
1	अग्निशामालय, कटिहार परिसर	2	सरकारी	00 कि॰मी॰
2	कटिहार मेडिकल कॉलेज, करीमबाग	1	अर्ध सरकारी	4 कि॰मी॰
3	राजस्थान होटल, शहीद चौक	37	निजी	6 कि॰मी॰
4	जे.एम.डी. होटल, मिरचाई बाड़ी	8	निजी	3 कि॰मी॰
5	सत्कार होटल, न्यु मार्केट	20	निजी	7 कि॰मी॰
6	वी मार्ट, मिरचाई बाड़ी	8	निजी	3 कि॰मी॰
7	कटिहार सेवा सदन	31	निजी	7 कि॰मी॰
8	अजीज मेमोरियल हॉस्पीटल	23	निजी	8 कि॰मी॰
9	एस.बी. आई. ब्रांच, अमलाटोला	29	निजी	7 कि॰मी॰
10	जुगत बेकरी इंडस्ट्रीयल एरिया	21	निजी	9 कि॰मी॰
11	वी मार्ट, न्यु मार्केट	20	निजी	7 कि॰मी॰
12	मंसा जुट मिल, सिरसा दलन	2	निजी	4 कि॰मी॰
13	अनुश्री कोल्ड स्टोर, बथनाहा		निजी	12 कि॰मी॰

स्त्रोत : जिला अग्निशामालय, कटिहार

सारणी – 4.15 शहर में उपलब्ध अग्निशमन संसाधन :

क्र.सं.	अग्निशामालय	गाड़ी का प्रकार	जल क्षमता
1	कटिहार मुख्यालय	वाटर टेंडर –2	4500 लीटर
2		मिस्ट टेक्नोलौजी – 8	300 लीटर पानी 50 लीटर फोम

अतिरिक्त फायर टेंडर की आवश्यकता

क्र.सं.	गाड़ी का प्रकार /क्षमता	कारण
1	4 बड़ी फायर टेंडर – 5000 लीटर	दो बड़ी फायर टेंडर गाड़ी प्रतिनियुक्त है जो बहुत पुरानी है ।
2	1 बड़ी फोम टेंडर	

स्त्रोत : जिला अग्निशामालय, कटिहार

4.3.2 स्कूल सुरक्षा –

1. जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति गठित है।
2. सभी विद्यालय में एक फोकल शिक्षक नामित हैं।
3. प्राइमरी, मध्य, माध्यमिक तथा मदरसा के स्कूलों में सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।
4. जिला के विद्यालयों में कुल 40 मास्टर ट्रेनर है तथा शहर समेत सभी स्कूलों में एक फोकल शिक्षक है।

5. स्कूल सुरक्षा हेतु जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला शिक्षा परियोजना परिषद् का पूर्ण सहयोग प्राप्त है।

4.3.3 स्वास्थ्य –

- सत्तर (70) की संख्या से बढ़ाकर तीन सौ शय्या वाला सदर अस्पताल भवन का निर्माण जारी है तथा शीघ्र ही वृहत्त चिकित्सा हेतु उपलब्ध किया जा सकेगा।
- इसमें सभी तरह की मार्डन फिटिंग लगाये जाने की व्यवस्था होगी।
- एच.आई.वी. हेतु ए.आर.टी. सेन्टर, टी.बी., के मरीजों के लिए टी. बी. सेन्टर सदर अस्पताल में कार्यरत है जिसके माध्यम से निगरानी रखी जा रही है।
- कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में क्षमता का निर्माण हुआ है, साथ ही बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन किया जा रहा है।

बढ़ती हुई जनसंख्या, शहरों पर दबाव, बोमारियाँ तथा अगल–बगल के जिलों तथा सटे राज्य से आने वाल लोगों के लिए चिकित्सीय व्यवस्था पर दबाव बढ़ा है। साथ ही नये सदर अस्पताल के निर्माण से प्रत्येक स्तर पर मानव बल की ज्यादा जरूरत ह। वर्तमान में निम्न कमियों को दूर कर क्षमता विकसित करनी होगी।

- चिकित्सक तथा पारामेडिकल स्टाफ की आवश्यकता :– वर्तमान में सदर अस्पताल में चिकित्सक समेत विभिन्न वर्गों के 352 पदों के विरूद्ध सिर्फ 134 कार्यरत है जबकि 218 पद रिक्त है।
- वर्तमान में तीन त्वरित चिकित्सीय प्रत्युत्तर दल (एम.क्यू.आर.टी.) कार्यरत है परंतु उसे मानक स्तर (1 डाक्टर, +2 पारामेडिकल, +2 स्ट्रेचर वाहक, +2 ऑन साईट गाईड) पर लाने का प्रयत्न किया जायेगा।
- बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर के रूप में लोग रोजाना पश्चिम बंगाल से अथवा पर्व त्योहार में अन्य जगहों से समय–समय पर आते रहते है उन पर विशेष ध्यान रखी जायेगी।
- जैव चिकित्सा अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन हेतु 'इनसिनिरेटर' की व्यवस्था या तो नव निर्मित सदर अस्पताल में की जा सकती है या फिर निजी कटिहार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्थापित 398 क्विटल प्रतिवर्ष की क्षमता को बढ़ाते हुए एवं अतिरिक्त कैरेज वाहन उपलब्ध कराया जा सकता है।

सारणी – 4.16 सदर अस्पताल में विभिन्न कोटि के स्वीकृत पदों की विवरणी –

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्त पद
1	2	3	4	5
1	विशेषज्ञ चिकित्सक	37	19	18
2	सामान्य चिकित्सक	20	15	5
3	परिचारिका श्रेणी 'ए'	100	45	55
4	अटेन्डेन्ट	30	18	12
5	टेकनिशियन, मेट्रौन, सहायक एवं अन्य	112	16	106
6	लैब टेकनिशियन, स्वीपर एवं अन्य	24	2	12
	ICU में उपलब्धता			
7	चिकित्सा पदाधिकारी	5	1	4
8	नर्सिंग सिस्टर	2	0	2
9	स्टॉफ नर्स ग्रेड 'ए'	4	3	1
10	ए एन एम (सदर + आई सी यु)	18	15	3
	कुल	**352**	**134**	**218**

स्त्रोत : सदर अस्पताल, कटिहार के आंकडों पर आधारित

सारणी–4.17 चिकित्सीय सुविधा :

क्र.सं.	चिकित्सीय सुविधा	शहरी क्षेत्र	कार्यरत	बंद / लाइसेंस अनवीकृत
1	2	3	4	5
1	चिकित्सा अस्पताल, नसिंग होम, क्लिनिक	421	257	164
2	एक्स–रे, अल्ट्रासाउण्ड, सी.टी. स्केन आदि	35	26	09
3	पैथोलॉजिकल सेन्टर	143	95	48
4	ब्लड बैंक वाले अस्पताल	01	01	–
5	प्रेसर स्विंग एडजॉर्ब्शन प्लांट (PSA)	4	5	कुल क्षमता 2377 / LPM
6	पोर्टेबल वेन्टिलेटर	6	6	–

7	डी तथा बी टाईप ऑक्सीजन सिलिंडर	469	469	—
8	ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर	99	99	—
9	शहर में ICU की सुविधा (सदर अस्पताल तथा दो निजी अस्पताल)	15	15	—
10	जिला कोविड अस्पताल (DCH)	शहर/जिला क वायरस ग्रसित मरीजों को भागलपुर तथा मधेपुरा अवस्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज कराया गया।		
11	डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर (DCHC)	मुख्यालय तथा अनुमंडल स्तर पर छः जगहों में 166 शय्या उपलब्ध कराये गये।		
12	कोविड केयर सेन्टर (CCC)	जिले में प्रारम्भिक चिकित्सा तथा देख रेख हेतु 11 स्थलों पर 400 शय्या उपलब्ध कराये गये।		

स्त्रोत : सदर अस्पताल, कटिहार के आंकडों पर आधारित

सारणी —4.18 शहर में उपलब्ध मानव संसाधन :

क्र.सं.	मानव संसाधन का ब्योरा	संख्या
1	जिला आपूर्ति शाखा में पदास्थापित पदाधिकारी	1
2	वन प्रमंडल पदाधिकारी पूर्णिया के पदाधिकारो	1
3	बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के पदाधिकारी	2
4	वार्ड पार्षद	43
5	नगर निगम कार्यालय में प्रतिनियुक्त कर्मी	6
6	शिक्षा विभाग के पदाधिकारी	1
7	शहर में उपलब्ध मुख्य चिकित्सक	5
8	पथ निर्माण के पदाधिकारी	1
9	जिला अग्निशमन कार्यालय पदाधिकारी	2
10	भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारी	1
11	प्रशिक्षित शिक्षक (मास्टर ट्रेनर) स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम	40

स्त्रोतः विभिन्न कार्यालयों से एकत्रित

सारणी — 4.19 शहर में उपलब्ध भौतिक संसाधन सूची :

क्र.सं.	संसाधन का ब्योरा	संख्या	विवरण
1	2	3	4
1	अग्निशमन यांत्रिक संसाधन	10	सारणी — 4.16
2	नगर में हाईड्रेंट की संख्या	13	सारणी— 4.15
3	रेडियो/ट्राजिस्टर धारक नागरिक	8341	सारणी 2.8
4	इंटरनेट सहित कम्प्यूटर लैपटॉप की संख्या	1263	
5	लैंड लाईन फोन	1551	
6	मोबाइल फोन	26836	
7	साईकिल, मोटर साईकित एवं स्कूटर	30494	
9	कार,जीप, भैन	1139	BSDRN पोर्टल

स्त्रोतः विभिन्न कार्यालयों से एकत्रित

4.3.4 जन वितरण प्रणाली : प्रत्येक वार्ड में जनवितरण प्रणाली की दुकाने उपलब्ध है।

4.3.5 यातायात सुविधाये यथा ट्रक, बसे, ट्रैक्टर आदि उपलब्धता : BSDRN पोर्टल पर उपलब्ध ।

4.3.6 खोज एवं बचाव हेतु जे.सी.बी. बुलडोजर, क्रेन इत्यादि : BSDRN पोर्टल पर उपलब्ध ।

4.3.7 नजदीकी NDRF और SDRF यूनिटो का विवरण —

- समादष्टा SDRF बिहटा, पटना के नियंत्रणाधीन जिला स्कूल पूर्णिया (कटिहार मुख्यालय से 35 कि॰मी॰ की दूरी पर) में SDRF की एक टीम स्थाई रूप से कमांडर के नेतृत्व में प्रतिनियुक्त है।

इसमें 2SI, 33 कर्मी के साथ तथा एक ट्रक Tata 709 (BR-01GD 3775) एक जिप्सी (BR-01PF 2688) एवं राहत एवं बचाव कार्य के लिए सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध है।

- राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक इकाई (बटालियन सं॰ 9) पटना, बिहटा में अवस्थित किया गया है जिसकी कटिहार से दूरी 333 कि॰मी॰ है। कटिहार से सबसे नजदीक अवस्थित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल सिलीगुड़ी में है जिसकी दूरी 193.6 कि॰मी॰ है।
- बिहार सैन्य पुलिस बल की 8वीं बटालियन का मुख्यालय कटिहार में है।
- प्रशिक्षित पदाधिकारी, प्रोफेसनल्स तथा सामुदायिक संगठनों के स्वयंसेवको की विस्तृत सूची BSDRN पोर्टल पर उपलब्ध है।

सारणी – 4.20 संवेदनशीलता एवं जोखिम विश्लेषण :– (खतरा, संवेदनशील एवं जोखिम)

क्र. सं.	खतरा	प्रभावित वार्ड	संवेदनशील स्थल	संवेदनशील आबादी	जोखिम
1	2	3	4	5	6
1	**भूकम्प**	सभी वार्ड (जोन–IV)	स्कूल भवन, कॉलेज, प्रशासनिक कार्यालय, रेलवे कॉलोनी, आवासीय भवन, मॉल, सिनेमाघर, अस्पताल, इत्यादि	मिट्टी/कच्ची ईट/बिना चिनाई वाले पत्थर से बने दीवार वाले मकान–5977 पक्की ईट से निर्मित दीवार वाले मकान– 42169	मकान के क्षतिग्रस्त होने पर जान–माल का नुकसान।
2	**अग्नि**	23,25,29,31, 37	नगर की मलिन बस्ती, कागज/पेपर की दुकान तथा गोदाम, पेट्रोल पंप, फ्लावर मिल, जूट का कारखाना एवं गोदाम इत्यादि	36 मलिन बस्तियों में रहने वाली आबादी, न्यू मार्केट, मंगल बाजार, बड़ा बाजार एवं विनोदपुर में रहने वाली आबादी	मनुष्य एवं पशुधन संपत्ति।
3	**शहरी बाढ़**	2,3,4,10,12, 16,22,23,27, 35,43,44,45	ललियाही कोशी धार, परतेली धार तथा कारी कोशी के किनारे तथा नदी तल बसने वाली आबादी	प्रभावित वार्डों के निवासी	आवागमन एवं जीविका दैनिक दिनचर्या में व्यवधान कोमॉरबिडीटी' होने पर चिकित्सा में व्यवधान, शैक्षणिक गतिविधि में रूकावट गर्भवती महिलाओं के लिए कठिन समय/ जल जनित बीमारी।
4	**जल जमाव**	2,4,6,7,9,10, 11,12,21,24, 25,38,39,43, 44,45	कृष्णानगर, एम जी रोड, न्यू मार्केट रोड, रामपाड़ा मुहल्ला, बैगना मुहल्ला, मिल्लक नगर, रसूलपुर, आबिद कॉलोनी, चौधरी मुहल्ला, बरमसिया, महेश नगर, हृदयगंज, विवेकानंद कॉलोनी, तेजा टोला, विद्यानगर, न्यू मार्केट, सिंधी मुहल्ला, अमला टोला, उहेरिया, लालू नगर, गड़ेरी टोला इत्यादि	इन वार्डों के निवासी	आवागमन एवं जीविका दैनिक दिनचर्या में व्यवधान'कोमॉरबिडीटी' होने पर चिकित्सा में व्यवधान, शक्षणिक गतिविधि में रूकावट गर्भवती महिलाओं के लिए कठिन समय/ जल जनित बीमारी।
5	• **ठनका चक्रवाती तूफान तेज गति**	सभी वार्ड	• खुला मैदान, मलीन बस्ती, बिजली संयंत्र, पेड आदि । •• खुली सड़क, बस स्टैंड,	लगभग आधी आबादी • कच्ची सामग्रियो के मकानों में रहने वाले सदस्य।	मानव जीवन, अस्थाई छत, पेड़ पौधे, स्कूलों तथा अन्य काम के समय में परिवर्तन, अस्पताल में

	हवा, ओलावृष्टि ••गर्मी / लू •••शीतलहर		घनी आबादो, स्कूल वाहन, मलीन बस्ती आदि। ••• मलीन बस्ती, खुला मैदान आदि।	•• वृद्ध, स्कूली बच्चे, दैनिक मजदूर, गरीब आदि। ••• वृद्ध, खुले में सोने वाले मजदूर आदि।	अतिरिक्त भार।
6	**भगदड**	2,3,4,12,16, 22,31,32,33, 35,45	नगर पालिका मैदान, LDC मैदान, हरिशंकर नायक स्कूल मैदान, बीएमपी छठ घाट, तेजा टोला, दोनदहा छठ घाट, इदगाह, दुर्गा स्थान, न्यू मार्केट, मंगल बाजार, बनिया टोला, शिव मंदिर, काली मंदिर, रोजितपुर इत्यादि	किसी एक स्थान पर एकत्रित होने वालों की संख्या अत्यधिक होने पर भगदड़ की संभावना बनती है। अनियंत्रित भीड़, आमतौर पर बाहरी तथा अंजान व्यक्तियों के समूह का नतीजा होता है।	भगदड़ में कुचलकर घायल होने दम घुटने तथा मरने की संभावना रहती है।
7	**सड़क दुर्घटना**	1,2,3,4,6,10, 12,17,21,28, 38,39,40,41, 42	एन एच–31, गेड़ाबाड़ी, अंबेदकर चौक, छीटाबाड़ी, मिरचाई बाड़ी, ललियाही, पी.एन.टी. चौक, के.बी. झा कॉलेज के पास, आजाद चौक, शरीफ गंज, गौशाला चौक, हवाई अड्डा चौक, कारगिल चौक इत्यादि	शहर से बाहर निकलने वाली सड़को पर विभिन्न चौक चौराहा के निकट छोटे गोलंबर के कारण तथा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के कारण	सड़क दुर्घटना में जान–माल का नुकसान होता है। दुर्घटनाग्रस्त वाहनो के अनुपयोगी होने तथा चालक सवार एवं सडक पर चल रहे पदयात्री, साइकिल यात्री या वाहन चालक की मृत्यु तथा घायल होने का जोखिम रहता है।
8	**रेल दुर्घटना**	3,39,40,42	कालीबाड़ी फाटक, गौशाला जूट मिल की ओर जाने वाली रेल लाईन एवं चौक सिकंदर गुमटी के पास	प्रभावित वार्डों के निवासी	मनुष्य एवं पालतू पशु की मृत्यु एवं घायल होने का जोखिम
9	**स्वास्थ्य कोरोना महामारी**	सभी वार्ड	पूरा नगर निगम क्षेत्र	अधिकांश घनी बासावट वाले मलिन बस्ती	मानव जीवन की हानि, टी.बी., एच.आई.वी.एड्स, एन्ट्रोकोलाईटिस, कुत्ता काटना, सर्प दंश

भगदड़ के चार मूल कारक (FIST)

(Force) भीड़ का बल – संख्या आधारित।

(Infromation) सूचना – सही या गलत।

(Space) जगह – बैठने की, कॉरिडोर, निकास आदि।

(Time) समय – घटना का कार्यकाल।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कई तरह की आपदा की स्थितियों की पहचान की है। इसमें भीड़ प्रबंधन भी शामिल है। भगदड़ या किसी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए चार तंत्र विकसित किये जाने चाहिए–

पहला– पंजीकरण की व्यवस्था।

दूसरा– पुलिस एवं स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण देने की जरूरत ।

तीसरा– मौक ड्रील के रूप में भीड़ को नियंत्रित करने का पूव अभ्यास।

चौथा– कार्य योजना का लिखित रूप में होना।

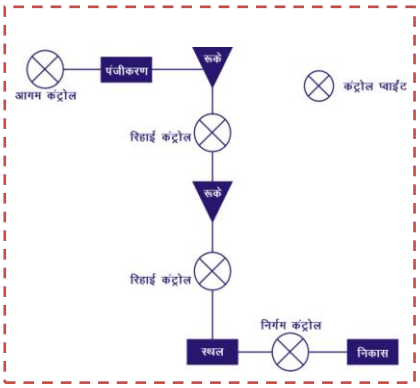

:=:=:=:=:=:

अध्याय : 5

संस्थागत व्यवस्था

INSTITUTIONAL ARRANGEMENT

5.1 नगर निगम की संरचना :– भारतीय संविधान के 74वीं संशोधन के अनुरूप 'स्थानीय स्वशासन' के लिये शहरी स्थानीय निकाय के उद्देश्य से बिहार नगरपालिका अधिनियम–2022 को मुर्त्त रूप दिया गया है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015–30 में सुरक्षित शहर की कल्पना की गई है, अतः नगरीय स्तर पर ''फर्स्ट रिस्पॉंडर'' मानते हुए आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से नगर निगम की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। खतरों का पूर्वानुमान प्राप्त होने पर प्रभावित होने वाले समूह/समुदाय तक चेतावनी, सलाह या पूर्व सूचना को पहुँचाने में प्रमुख भूमिका वहन करेगें।

5.1.1 उपरोक्त अधिनियम के विभिन्न अनुच्छेदों के अनुसार निम्न समितियाँ क्रियाशील होगी । इसके सदस्य वार्डो के चुने हुऐ पार्षद हागे। इन्हीं के निदेशन में नगर निगम अपने कृत्यों का संपादन करेगी।

नगर निगम की समितियाँ

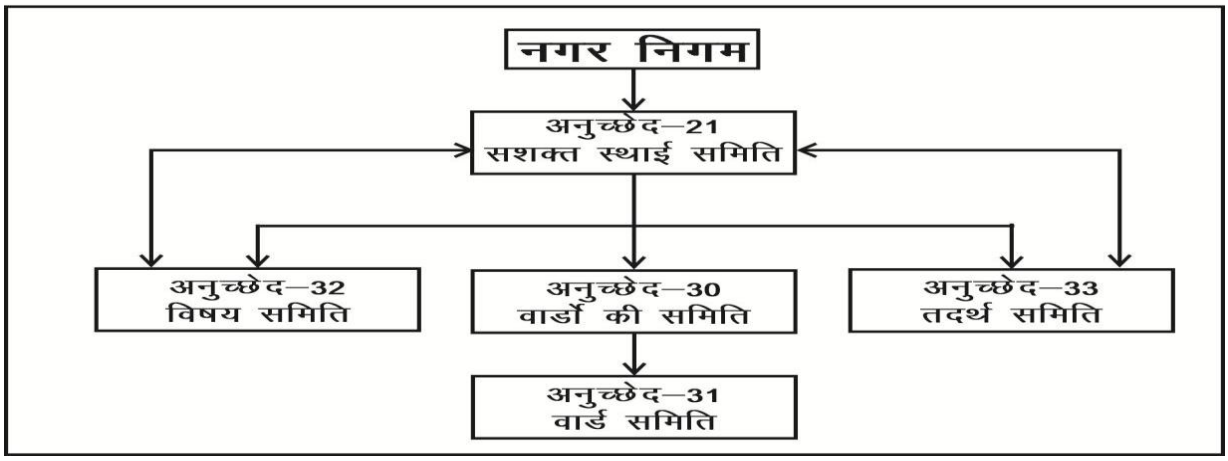

वार्ड समूह की सभी समितियां, सशक्त स्थाई समिति के सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन, वार्डो के समूह की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत परिसरो के संभरण, पाईपों एवं जल निकासी एवं मल निकासी संयोजनों, वर्षा के कारण या अन्यथा सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर जमा जल का निकासी, ठोस अपशिष्टों के संग्रह और हटायें जाने, विसंक्रमण के उपबंध, स्वास्थ्य परीक्षण सेवाओं तथा गंदी बस्ती सेवाओं के उपबंध, रोशनी की व्यवस्था, कोटि 4 एवं कोटि 5 की सड़कों की मरम्मति, पार्कों, नालियों और गलियों का रख रखाव का कार्य सशक्त समिति द्वारा समय–समय पर अवधारित विनियमावली के अनुरूप करेगी।

5.1.2 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 32 एवं 41 के आलोक में नगर निगम कटिहार, आपदा प्रबंधन से जुड़े अपने विभिन्न दायित्वों एवं कृत्यों का बिहार नगर पालिका अधिनियम 2022 का अनुच्छेद 47 (5) क तथा 361 द्वारा प्रदत्त अधिकारिता के साथ निम्न संस्थागत स्वरूप में निर्वहन करेगी।

नगर निगम के पदाधिकारियों की भूमिका

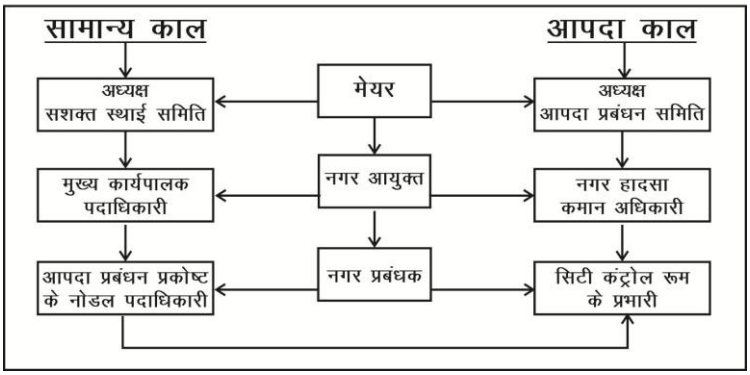

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 32 के अनुसार भी प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार (नगर निगम) की अपने क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करना है। आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के पत्रांक 1388 दि॰ 24.07.2004/1004 दि॰ 08.07.2005, 2016 दि॰ 14.08.2006 एवं 3883 दि॰ 11.12.2007 के आलोक में गठित जिला, नगर निगम तथा वार्ड स्तर पर गठित बाढ़ राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति का दायित्व निर्धारित किया गया है।

इस अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद–20 में नगरपालिका के अधिकार प्रदत्त पदाधिकारियो को चिन्हित किया गया है तथा इस हेतु नगर निगम में निम्नवत संस्थागत व्यवस्था की गयी है :–

5.1.3 संप्रति नगर निगम कटिहार के पदाधिकारियों/कर्मियो के स्वीकृत पद के अनुसार संस्थागत स्वरूप निम्नवत है:–

कटिहार नगर निगम का संगठनात्मक ढांचा

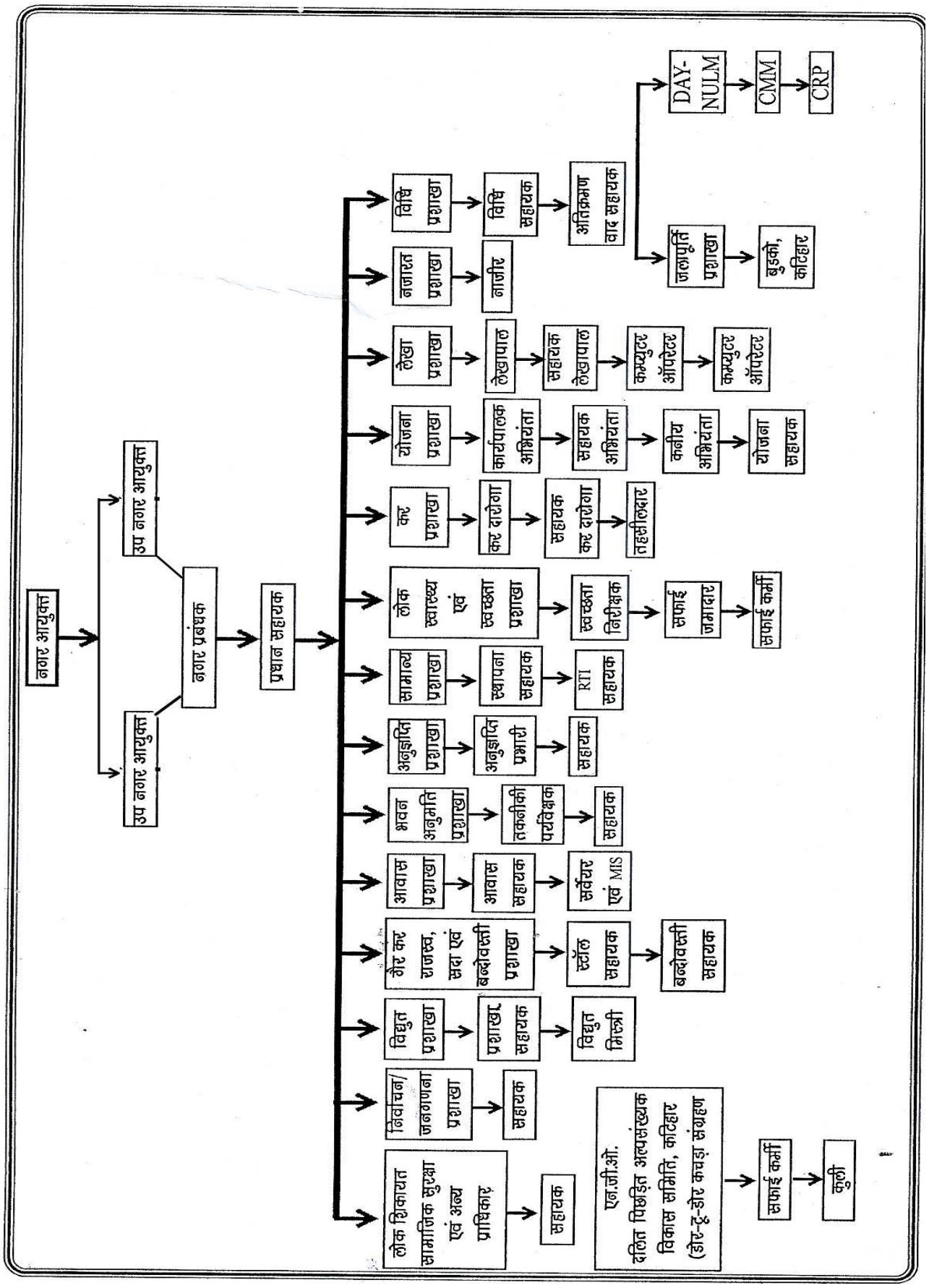

नगर निगम के बैठकों की अध्यक्षता मेयर करेग। अनुच्छेद–21 के अनुसार सशक्त स्थायी समिति में मेयर, उप–मेयर तथा सात अन्य वार्ड सदस्य हागे। अनुच्छेद–22 के अनुसार नगर निगम के सभी कार्यकारी शक्ति सशक्त स्थायी समिति में निहित होगें जो नगर निगम के लिए उत्तरदायी होगा।

5.2 मुख्य संस्थागत ढांचा :– कटिहार जिल में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित है। यहाँ जिला सड़क सुरक्षा समिति भी गठित है। जिला में आपदा प्रबंधन कोषांग समाहरणालय भवन में अवस्थित है।

5.2.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण :– आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25(1) में सन्निहित प्रावधान के आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा दिनांक 30.06.2008 को निर्गत राज्यादेश से बिहार के सभी 38 जिलों में (कटिहार सहित) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस आदेश के अनुसार इस प्राधिकरण में निम्नलिखित अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है।

- जिलाधिकारी – पदेन अध्यक्ष
- जिला परिषद् के अध्यक्ष – सह अध्यक्ष
- पुलिस अधीक्षक – सदस्य
- उपविकास आयुक्त – सदस्य
- असैनिक शल्य चिकित्सक – सदस्य
- वरीय अपर समाहर्ता – सदस्य/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
- जिला में वरीयतम अभियंता – सदस्य

5.2.2 बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र राज्य/जिला/नगर का आपदा प्रबंधन योजना तैयार कराने के अतिरिक्त प्रशिक्षण, कार्यशाला, तात्कालिक गंभीर विषयों पर सेमिनार/वेबोनार, सुरक्षा सप्ताह तथा जागरूकता अभियान चलाना है। प्राधिकरण नगरीय आपदा प्रबंधन में नगर निकाय के विभिन्न स्तर के पदाधिकारीया तथा कर्मियों को प्रशिक्षित करने में सहयोग कर सकेगा। नगर के लिए तैयार की कई योजनाओं की सफलता के लिए क्षमता निर्माण की अध्याय–7 में चर्चा है जिसको सफल बनाने में प्राधिकरण विशेषज्ञ सहायता दे सकता है। प्राधिकरण ने विशेष कर प्रशिक्षण के लिए कई माड्यूल तयार किया है जिसका नगर निकाय उपयोग कर सकता है। प्राधिकरण शहरी क्षेत्रों में किये गये कार्यों का मूल्यांकन अध्ययन भी कराता है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 16.11.2007 को गठित की गई है जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री है। इसके अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष तथा दो सदस्य सम्प्रति कार्यरत है।

5.2.3 आपदा प्रबंधन विभाग : बिहार सरकार का यह विभाग राज्य में प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए बिहार सरकार का नोडल विभाग है। यह रोकथाम, शमन, प्रतिक्रिया, राहत, पूनर्वास एवं पूनर्निर्माण के लिए जिम्मेदार है। विभाग आपदा प्रबंधन के संबंध में अधिनियम, निति निर्माण और क्षमता निर्माण के लिए भी जिम्मेदार है। विभाग संबंधित विभागों की विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्यधारा में लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

5.2.4 राज्य कार्यकारिणी समिति : राष्ट्रीय योजना एवं राज्य योजना को लागू कराने की जिम्मेदारी दी गई है। यह राज्य में आपदा के प्रबंधन के लिए समन्वय और निगरानी निकाय के रूप मे कार्य करती है। इसके अध्यक्ष मुख्य सचिव बिहार सरकार होते है।

5.2.5 जिला सड़क सुरक्षा समिति :– कटिहार जिला में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप जिला स्तर पर सड़क सुरक्षा समिति का गठन सन् 2019 में कर लिया गया है। इस समिति के पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी है तथा जिला परिवहन पदाधिकारी सचिव है। सदस्यों में नगर आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, असैन्य शल्य चिकित्सक, कार्यपालक अभियंता, सड़क निर्माण विभाग आदि को सदस्य के रूप म नामित किया गया है। समिति सड़क सुरक्षा संबंधित कार्यों की समीक्षा निर्देश अध्ययन तथा समय–समय पर सड़क दुर्घटनाओं के न्यूनीकरण हेतु संबंधित विभागो को आदेश जारी करता है।

5.2.6 मोटरवाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण(यथा संशोधित नियमावली 2021) : बिहार उन अग्रणी राज्यों में है जिसने सड़क दुर्घटना में मृतकों या गंभीर रूप से घायलों को त्वरित क्षतिपूर्ति/सहायता राशि प्रदान करने के उद्देश्य से मोटरवाहन अधिनियम में संशोधन करते हुए राज्य स्तरीय न्यायाधिकरण गठित किया है।

मोटरवाहन अधिनियम 1988 के अंतगत, बिहार मोटर गाड़ी (संशोधन–1) नियमावली 2021 का बिहार गजट में प्रकाशन किया गया है तथा वाहन जनित दुर्घटनाओं से उद्भूत मुआवजा वाद राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण में ही दायर किया जा सकेगा। उन मुआवजा वादों का निष्पादन उपर्युक्त नियमावली के विहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जा सकेगा। इस हेतु नियमावली में नियम 28 अंतःस्थापित किया गया है।

5.2.8 जिला परिषद्: भारत के संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर जिला परिषद् के साथ नगर निगम है। विकास तथा जनकल्याण योजना बनाने तथा जिला योजना समिति के स्तर पर इनके अन्य विकास एवं जनकल्याण की योजनाओं के साथ समेकन को जरूरी बना दिया गया है। नगर निगम को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के उद्देश्य से नगरीय योजना बनाने की जिम्मेदारी दी गइ है।

5.2.9 नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेन्स):– कटिहार जिला में सिविल डिफेन्स (नागरिक सुरक्षा) की इकाई कार्यरत है जिसके जिलाधिकारी अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा अनुमंडल पदाधिकारी नागरिक सुरक्षा के उपनियंत्रक तथा शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री अनिल कुमार चमरिया इसके मुख्य वार्डेन हैं। दिनांक 21 जनवरी 2010 को नागरिक सुरक्षा (संसोधन) अधिनियम 2009 लागू किया गया है जिसके तहत नागरिक सुरक्षा को आपदा प्रबंधन से जोड़ा गया है। जिले में उपरोक्त पदनाम के अतिरिक्त प्रभारी अनुदेशक तथा डाटा इन्ट्री ऑपरेटर कार्यरत है। नागरिक सुरक्षा कोर, कटिहार अंतर्गत कुल सत्यापित स्वयंसेवक की संख्या 93 है। (उनके नाम, पता, मोबाइल नंबर सिविल डिफेस जिला कार्यालय में उपलब्ध है।)

नागरिक सुरक्षा कोर कटिहार ने 2017 में बाढ़ सहायता, 2019 के श्रावणी मेला में मनिहारी के गंगा धाट पर विधि व्यवस्था संधारण, विगत सात वर्षों से दुर्गापूजा, छठ आदि में भीड़ नियंत्रण तथा कोरोना काल में अस्पतालों में स्थापित Isolation Centre में पालीवार हेल्प डेस्क संचालित करने का काम किया है।

आपदाओं के दौरान बचाव एवं राहत प्रदान करने तथा आवश्यक सेवाओं को बहाल करने के लिए नागरिक सुरक्षा इकाईयों का उपयोग किया जाता है।

5.2.10 राष्ट्रीय आपदा मोचन बल : राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के दिये गये प्रावधान के अंतर्गत किया गया है। इस बल की एक इकाई (बटालियन सं॰ 9) पटना जिले के बिहटा में अवस्थित है जिसकी कटिहार से दूरी 333 कि॰मी॰ है। सबसे नजदीक अवस्थित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल सिलीगुड़ी में है जिसकी दूरी कटिहार से 193.6 कि॰मी॰ है।

5.2.11 राज्य आपदा मोचन बल : राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के तर्ज पर बिहार राज्य में मार्च 2010 में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा राज्य आपदा मोचन बल का गठन किया गया है जिसका मुख्यालय बिहटा में अवस्थित है। कटिहार नगर में सबसे नजदीक SDRF की टुकड़ी 35 कि॰मी॰ की दूरी पर पूर्णिया के जिला स्कूल परिसर में एक टीम लिडर के नेतृत्व में प्रतिनियोजित है।

5.2.12 शिक्षा से संबंधित सहयोगी संस्था : मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के सफलता हेतु निम्नलिखित विभागों, संस्थानों एवं संभागों के सहयोग से स्कूली सुरक्षा कार्यक्रम की जा रही है। वे है –

- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद्, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, जिला शिक्षा परियोजना परिषद्, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट), जिला शिक्षा पदाधिकारी, स्कूल स्तरीय शिक्षा समिति।

5.3 आपदा संचालन केन्द्र :– आपदा संचालन केन्द्र, जिला मुख्यालय में अवस्थित है। यह सभी सहयोगी एजेन्सियों के साथ आपदा प्रबंधन के कार्यों का समन्वय करता है। वर्तमान में जिला आपदा संचालन केन्द्र में एक Land line फोन तथा इन्टरनेट युक्त कम्प्युटर स्थापित है। साथ ही नगर निगम कार्यालय में इस कार्य हेतु एक टेलीफोन उपलब्ध है। कटिहार बहु आपदा प्रवण नगर है अतः यहाँ भी एक स्वतंत्र नगर आपदा संचालन केन्द्र स्थापित किया जायेगा। अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2022 की कंडिका 36(I) एवं 36(II) के आलोक में 24X7 कार्य करने वाला एक आंतरिक आपात्कालीन संचालन केन्द्र स्थापित की जायेगी। यह केन्द्र पूर्व–चेतावनी, सुझाव–सलाह का संभावित प्रभावितो के बीच प्रसारण, आपदा क दौरान मकान, पुल–पुलिया, पेड़–पौधा के ध्वस्त हो जाने पर इनके मलवों की सफाई इत्यादि कार्यो को सुचारू रूप से करने का दायित्व पूरा करेगी।

5.4 बहु–संस्था समन्वय प्रक्रिया तथा दायित्व :– खतरा शमनीकरण तथा जोखिम न्यूनीकरण की दृष्टि से प्रस्तावित अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यो में नगर निगम प्रशासन विभिन्न विभागों के साथ पूर्ण समन्वय के साथ कार्य करेगा। सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं को उनके उद्देश्यों एवं लक्ष्यों में

सुरक्षित शहर, सुरक्षित जीविका, सुरक्षित सार्वजनिक अंतःसंरचना तथा सेवाओं का समावेश करते हुये समन्वय के साथ कार्य करेगी।

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2022 के अनुच्छेद–45 में नगर निगम के मुख्य (कोर) कार्य क्षेत्र की चर्चा की गयी है। जिसमें कहा गया है कि निगम अपने दायित्वा को निभाने के क्रम में अन्य संस्थाओं के साथ समन्वय के लिए सशक्त स्थाई समिति द्वारा तय को गई प्रक्रिया के अनुसार कार्य करेगी ।

i. घरेलू, व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था।
ii. ड्रेनेज तथा सीवरेज।
iii. ठोस कचड़ा प्रबंधन ।
iv. विकास एवं सामाजिक न्याय (शहरी गरीबों हेतु स्लम सुधार तथा आधारभूत सुविधा) ।
v. संचार व्यवस्था, निर्माण, संधारण, सड़क, फुटपाथ, पैदल रास्ते, परिवहन टर्मिनल, पुल आदि ।
vi. परिवहन प्रणाली (ट्रेफिक इन्जिनियरिंग योजना, पार्क हेतु जगह, सड़क पर बिजली की व्यवस्था तथा बस पड़ाव) ।
vii. सामुदायिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण सुरक्षा (सड़क किनारे एवं अन्य जगहों पर वृक्षारोपण समेत)।
viii. मार्केट क्षेत्र एवं बुचड़खाना (स्लॉटर हाउस) ।
ix. शैक्षणिक, खेल कूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ।
x. सौंदर्य वातावरण।

- उपरोक्त कार्यो के अंतर्गत नगर निगम अपने प्रबंधन, तकनीको, एवं वित्तोय क्षमता के अनुरूप (अनुच्छेद–47) निम्न कार्य भी स्वयं अथवा इसे बढ़ावा देने का प्रयत्न करेगी :–

सारणी – 5.1 नगर निगम के कार्यो का वर्गीकरण :

क्र.सं.	कार्यो के नाम	किये जाने वाले कार्य
1	आपातकालीन कार्य	आग लगने पर मलवा निपटान,बाढ़/जलजमाव के रोकथाम हेतु कार्य।
2	पर्यावरण सुरक्षा	हरियाली योजना, पार्क, संस्थाओं में वृक्षारोपण, कचड़ा प्रबंधन।
3	जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	पानी की व्यवस्था, बारिश एवं अन्य समयों पर दवा छिड़काव।
4	सार्वजनिक सुविधा	सड़क की सफाई, कचरा उठाने की व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय।
5	विकास संबंधित	सड़क बनाना, नालियां खुदवाना, सड़कों पर प्रकाश एवं वाहन ठहराव।
6	प्रशासनिक कार्य	जन्म, मृत्यु पंजीयन आदि।
7	शिक्षा सम्बधित	लोक महत्त्व के विषयों का प्रचार–प्रसार (विज्ञापन, होडिंग आदि)।
8	विविध कार्य	जमीन एवं मकान का सर्वेक्षण एवं नक्शा, जनगणना की व्यवस्था।

- इस अधिनियम के अध्याय–39 के अनुच्छेद–361 आपदा प्रबंधन विषय पर विशेष रूप से चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि में नगर निगम द्वारा प्राकृतिक अथा तकनिकी आधारित आपदाओं में राज्य अथवा अन्य प्राधिकारियों के साथ सहभागी बनकर परिस्थितियों से निपटने का प्रयास करेगी। इस परिस्थिति में निगम मौसम विज्ञान केन्द्र से भी मदद लेगी। साथ ही नगर निगम आपदा से संबंधित विभिन्न आयामा का डाटा, संभावित प्रभावी क्षेत्रों का 'मैपिंग' तैयार करेगी। आपदा प्रबंधन के मद्देनजर नगर निगम का यह कर्त्तव्य होगा वह आपातकालीन कार्य का संचालन तथा लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। संभावित भूकंप को ध्यान में रखकर उन सभी शहरी विकास के कामों में उपयुक्त नियमों का पालन सुनिश्चित करायेगी।

5.5 जिला आपदा प्रबंधन योजना से इस योजना का संयोजन :– आपदा प्रबंधन अधिनिमय–2005 के प्रावधनों के अंतर्गत तीन स्तर यथा राज्य, जिला तथा नगर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने का प्रावधान है। राज्य योजना जहाँ नीतिगत वक्तव्य है वहीं जिला और नगर स्तर आपदा प्रबंधन योजना साध्य और कार्रवाई योग्य है। अतः इस योजना को तैयार करते वक्त इस बात का ख्याल रखा गया है कि नगर एवं जिला योजना में तालमेल बना रहे। इस हेतु इस योजना में भी बहुआपदा, खतरा एवं संवेदनशीलता का ध्यान रखा गया है। इस बात की विस्तृत चर्चा की गई है कि किस प्रकार नगर निगम, जिला प्रशासन एवं अन्य हितधारी तालमेल के साथ ऐसी परिस्थियों से निपटेगें। दोनों ही, नगर एवं जिला योजना, में मानव संसाधन एवं मशीनरी संसाधन का जिक्र किया गया है ताकि आपदा के समय एक दूसरे से सहयोग लिया जा सके।

:=:=:=:=:=:

अध्याय : 6

पूर्व तैयारी की कार्यवाही

PREPAREDNESS MEASURES

6.1 विभिन्न एजेंसी तथा हितधारको की मुख्य भूमिका एवं कर्तव्य :– आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार प्रत्येक एजेंसी को अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुये ध्यान रखना है कि उनके द्वारा किय जा रहे कार्य मं आपदा जोखिम का शमनीकरण एवं न्यूनीकरण शामिल हो। इसके अतिरिक्त प्रत्येक एजेंसी/हितधारक द्वारा अपने स्तर पर एक ठोस आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण किया जाना है जिसमें उनके कार्य क्षेत्र में खतरा, जोखिम एवं संवेदनशीलता की स्पष्ट पहचान की जा सके। तदनुसार उनकी अपनी क्षमता में यथा संभव वृद्धि करते हुये अन्य सहयोगी संस्थाओं से आपातकालीन सहायता हासिल करने व समन्वय के साथ मिल–जुल कर प्रत्युत्तर, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन के कार्य किये जा सके। सभी एजेंसियों द्वारा आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से पूर्व तैयारी क कार्य अवश्य किया जाना चाहिये।

> **आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005** का अनुच्छेद 2(ड) – "तैयारी" से किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तैयार रहने की स्थिति से अभिप्रेत है;
>
> अनुच्छेद 32 क(ii) – जिला प्राधिकरण के पर्यवेक्षण के अधोन रहते हुये स्थानीय प्राधिकारी आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगें जिसमें जिला योजना के अधिकथित क्षमता निर्माण तथा तैयारी से संबंधित उपायों को करने का उपबंध उपवर्णित होगा।
>
> अनुच्छेद 41(2) –स्थानीय प्राधिकारी ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझे।

6.1.1 जैसा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 में जो सुझाव दिया गया है तद्नुसार विभिन्न एजेसियों तथा हितधारकों द्वारा मुख्य रूप से निम्न पूर्व तैयारियाँ की जायेंगी :–

(i) नगर निगम स्तर पर आपदा प्रबंधन मुद्दों से निपटने के लिए विशिष्ट संस्थागत ढांचा यथा सिटी कन्ट्रोल रूम एवं आपात्कालीन संचालन केन्द्र की स्थापना की जायेगी।(अनुच्छेद 3.29)

(ii) सभी वार्डो में समुदाय तथा अन्य हितधारकों के बीच खतरों की पहचान करने तथा आपदा जोखिम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाये जायेंगे।

(iii) आपदा प्रबंधन स संबंधित संसाधनों (यंत्र,संयत्र, सुरक्षा किट तथा भारी मशीन) का इस प्रकार अनुरक्षण किया जायेगा जिससे कि आपदा के समय आकस्मिक उपयोग के लिए सदैव उपलब्ध रहे।

(iv) समय–समय पर प्रशिक्षित कर्मियों समुदाय तथा भौतिक संसाधनो के साथ नकली अभ्यास (मॉकड्रिल) आयोजित कर प्रत्युत्तर की तैचारियों का जायजा लिया जायेगा तथा त्रुटियां (यदि हो) को यथाशीघ्र दूर किया जायेगा।

(v) सभी सहयोगी संस्थाओं के साथ त्वरित संपर्क एवं पूर्ण समन्वय की सभी प्रक्रियायें(प्रोटोकॉल के अनुसार) पूरी करके रखी जायेंगी।

(vi) समुदाय स्तर पर क्रियाशील स्वयं सेवी/गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा समुदाय के साथ मिलजुल कर वार्ड/मुहल्ला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना बनाने/इस पर चर्चा आयोजित करने/ जागरूक करने/संवेदीकरण तथा स्वतः स्फूर्त प्रत्युत्तर प्रारंभ करने के लिए प्रेरित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा।

6.2 आपदावार भिन्न–भिन्न विभागों/संस्थाओं की पूर्व तैयारी से संबंधित दायित्व एवं कर्तव्य :–

6.2.1 भूकम्प :– राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन मार्गदशिका 2007 के अध्याय 6 के पारा 6.3.1 से 6.4.3 में संभावित भूकम्प के दौरान प्रत्युत्तर की पूर्व तैयारियों के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये है। इसका अनुपालन विभिन्न एजेंसियों द्वारा विधि सम्मत तरीके से किया जायेगा।

सारणी – 6.1 भूकम्प की स्थिति में कर्त्तव्य :

क्र. सं.	पूर्व तैयारी की कार्रवाई	विधि सम्मत दायित्व प्राप्त एजेंसी एवं इनके कर्त्तव्यों का संदर्भ
1	2	3
1	विभिन्न हितधारको का संवेदीकरण (Sensitisation)	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के आलोक में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
2	आपात्कालीन प्रत्युत्तर योजना का मॉक ड्रिल **(कार्य माह–जनवरी)**	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के आलोक में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
3	गैर सरकारी संस्थाओं तथा स्वयंसेवी समूहों का प्रशिक्षण उन्मुखीकरण **(कार्य माह–नवम्बर)**	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के आलोक में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
4	आपात्कालीन संचालन केन्द्र का सुदृढ़ीकरण **(कार्य माह–सितम्बर)**	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के आलोक में जिला आपदा प्रबधन प्राधिकरण एवं बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 361 (2) के अनुसार नगर निगम।
5	भूकम्प प्रबंधन योजना **(कार्य माह–जनवरी)**	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 23 के आलोक में राज्य कार्यकारिणी समिति।
6	जिला स्तर से समुदाय स्तर तक पूर्व तैयारी की विस्तृत योजना बनाना। **(कार्य माह–अक्टूबर)**	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (XVIII) के आलोक में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तय किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों एवं निर्देशो के आलोक में नगर निगम क्षेत्र के लिए नगर निगम।
7	संवेदनशील जगहों का चिह्नकरण **(काय माह–मार्च–अप्रैल)**	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 31 (3)(क) के आलोक में नगर निगम से परामर्श करने के पश्चात् जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ।

औद्योगिक इकाईयों, कार्यालयों, विद्यालयों, अस्पतालों, सिनेमा हॉल, मॉल, प्रेक्षागृह, सामुदायिक समाराह भवनों इत्यादि में एकत्रित आमजनो को किसी अचानक आये संभावित भूकम्प के दौरान सुरक्षा मॉक ड्रिल का समय–समय पर अभ्यास आयोजित किये जायेंगे। इन प्रमुख सार्वजनिक भवनों में एक आकस्मिकता प्रबंधक को नामित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा।

6.2.2 जल जमाव/नगरीय बाढ़ :–

नगर निगम का दायित्व एवं कर्तव्य :– नगर निगम विभिन्न संवेदनशील वार्डों में पूर्व चिह्नित स्थलों पर उपयुक्त क्षमता के पंप सेटो को स्थापित कर उसको चालू हालत में रखेगी। इन स्थलों का ब्योरा इस प्रतिवेदन के अध्याय 4 की कंडिका 4.2.3 पर देखा जा सकता है। नगर निगम द्वारा जल जमाव से ग्रस्त इलाकों में त्वरित जल निकासी के लिए निम्न पंजियो में सूचना दर्ज कर उपयुक्त कार्यवाई करेगी।

वार्डवार जल जमाव से ग्रसित स्थल एवं जल निकासी के उपाय की सूची :

वार्ड सं॰	जल–जमाव से ग्रसित स्थल का नाम	जल–जमाव के कारण	जल–जमाव को दूर करने हेतु प्रयास	समस्या का स्थायी उपाय

स्टैटिक/मोबाईल दलों की प्रतिनियुक्ति सूची :

क्र. सं.	अंचल का नाम	कार्यपालक पदा0/कार्यपालक अभि0 तथा सहायक स्वास्थ्य पदा0 का नाम/दूरभाष सं0	अंचल में पड़ने वाले मुख्य कॉलोनी का नाम	अंचल में अवस्थित मोबाईल दल सदस्यों का नाम	मोबाईल दल से संबद्ध मुख्य नाला	अंचल में अवस्थित का पम्पिंग स्टेशन का नाम/दूरभाष सं0	नगर निगम के पम्पिंग स्टेशनों पर स्टैटिक रूप से प्रतिनियुक्त पदा0/कर्म0

सुपर मोबाईल दलों की प्रतिनियुक्ति सूची :

क्र.	पदाधिकारी का नाम	कार्यक्षेत्र	निर्देश

नियंत्रण कक्ष में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न पंजियों का संधारण किया जाएगा कर्त्तव्य पंजी **(Attendance Register)** यह पंजी निम्नांकित प्रपत्र में संधारित की जाएगी :

क्रमांक	तिथि	पाली संख्या	कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्त पदा0/कर्म0 का नाम एवं पदनाम	पदा0/कर्म0 का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

कर्म पुस्तिका **(Log Book)** यह पंजी निम्नांकित प्रपत्र में संधारित की जाएगी :

क्रमांक	तिथि	समय	प्राप्त संवाद	श्रोत	सम्प्रेषित	संवाद किये दिया गया	सम्प्रेषण का समय	अभ्युक्ति

वर्षापात एवं वर्षा पूर्वानुमान पंजी– इस पंजी का संधारण निम्नांकित प्रपत्र में किया जायगा

वास्तविक वर्षापात			वर्षापात का पूर्वानुमान (पाँच दिनों के लिए)										
तिथि	वर्षापात मि. मी. में	स्थान	तिथि (प्रथम)	पूर्वानुमान	तिथि (द्वितीय)	पूर्वानुमान	तिथि (तृतीय)	पूर्वानुमान	तिथि (चतुर्थ)	पूर्वानुमान	तिथि (पंचम)	पूर्वानुमान	अभ्युक्ति

पत्र प्राप्ति एवं पत्र निर्गत पंजी – इसका संधारण मानक प्रपत्र में किया जायगा।

पंपिंग स्टेशन एवं पंपों की संख्या :

क्र.	एजेन्सी	पंपिंग स्टेशन	ट्रांसफार्मर		वर्तमान में पंपों की संख्या			कुल क्षमता	
			वर्तमान (के.भी.ए.)	कुल (के.भी.ए.)	विद्युत	डिजल	कुल (एच.पी.)	एच.पी.	एम.एल.डी.

(i) **जिला आपदा प्रबंधन प्रभाग –**

- आयरन रिमूवेबल हैंड पंप, शौचालय, स्नानघर, मानव एवं पशु हेतु सभी आधारभूत सुविधा युक्त उँचाई पर स्थित शरण स्थल को चिह्नित कर रखना। **(कार्य माह– अप्रैल)**
- जीवन रक्षक जैकेट, फ्लोटिंग रिंग, रस्सी एवं कुण्डा की खरीदारी एवं भंडारण।**(कार्य माह– अप्रैल)**
- EOC की स्थापना तथा संचालन प्रक्रिया का निर्धारण।**(कार्य माह– मई)**

(ii) **जिला आपूर्ति विभाग** – जल जमाव/नगरीय बाढ़ आपदा की दृष्टि से विभाग के पास उपलब्ध संसाधनो का आकलन कर राहत एवं अनाज अनुदान के लिए जरूरी मात्रा में अन्न का भंडारण/खरीदगी (आदेश सं॰ 01/प्रा॰ आ॰–16/2012/4095/आ॰ प्र॰ दिनांक 14.11.2014)

(iii) **स्वास्थ्य विभाग** –

- प्रभावितों को सतत् चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चलन्त अस्पताल हमेशा तैयार रखना तथा मोबाईल यूनिट का गठन करना। **(कार्य माह–जून)**
- सभी मुख्य अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में जेनेरेटर/इमरजेन्सी लाईट की सुविधा सुनिश्चित करना।**(कार्य माह–जून)**
- नगर में मौजूद सभी निजी चिकित्सकों एवं अस्पतालों की सूची बनाकर आपदा की स्थिति में बेहतर व प्रभावी काम करने हेतु समन्वय करना।**(कार्य माह–जून)**
- आपदा के समय सभी सरकारी तथा निजी एम्बुलेंस सेवा की उपलब्धता तथा संचालन की तैयारी रखना।

6.2.3 अगलगी :– बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (आपदा प्रबंधन विभाग) ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 18 (2) (घ) के आलोक में अगलगी की रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी एवं क्षमतावर्द्धन संबंधी मार्गदर्शिका 2018 प्रकाशित की गई ह। (BSDMA के वेबसाईट www.bsdma.org के Publication & Report विषय में डाउनलोड हेतु उपलब्ध)। किसी भी सरकारी या निजी, जिसमें औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संरचनाएं होंगी, उसमें यह सुनिश्चित कराना होगा कि क्या ऐसी संरचनाएँ, बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये, 16 Point Fire Safety Vulnerabilty Matrix, पर खड़ी उतरती है या नहीं। यह सुचकांक अस्पतालों पर भी लागू होगा। **(अनुलग्नक–7 पर देखा जा सकता है।)**

इस मार्गदर्शिका में प्रत्युत्तर हेतु की जाने वाली कार्रवाईयों के लिए आवश्यक पूर्व तैयारियों के निम्न बिन्दुओ पर हितधारको की भूमिकाए तय की गई है।

सारणी – 6.2 अगलगी की स्थिति में:

क्र. सं.	पूर्व तैयारी की कार्रवाई	विधि सम्मत दायित्व प्राप्त एजेंसी एवं इनके कर्त्तव्यों का संदर्भ
1	2	3
1	रिस्पांस के संबंध में विभिन्न माध्यमों से जन जागरूकता एवं समय–समय पर एडवाइजरी जारी करना।	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी एडवाइजरी वेबसाईट पर उपलब्ध है।
2	अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन करना। **(प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में)**	नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 675 दि॰ 30.05.2019 के आलोक में नगर निगम स्तरीय शहरों में अवस्थित बहुमजिले/विशेष भवनों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों के प्रतिष्ठापन एवं रख रखाव की व्यवस्था की जाँच जिला प्रशासन, नगर निगम एवं अग्निशमन कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना है।
3	सरकार के विभिन्न विभागों के बीच रिस्पांस कार्यो का समन्वय।	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (आपदा प्रबंधन अधिनिमय 2005 की धारा 30)।
4	अगलगी के संबंध में जन जागरूकता तथा मॉक ड्रिल । **(कार्य माह–मार्च)**	नगर निगम के साथ मिलकर बिहार अग्निशमन सेवा, बिहार सरकार (गृह विभाग) के नियंत्रणधीन जिला स्तरीय समादेष्टा, अग्निशमन कार्यालय में पदास्थापित पदाधिकारी एवं कर्मी ।
5	हॉट स्पाट को पहचान कर गर्मी के मौसम में फायर टेंडर का पूर्व नियोजन (Pre positioning) **(कार्य माह–मार्च)**	इस योजना के अध्याय–4 में कंडिका 4.2.4 में संवेदनशील स्थलों को दिखाया गया है। जिला अग्निशमन कार्यालय इस दिशा में यथोचित कार्रवाई करेगी। मलिन बस्तियों तक अग्निशमन वाहन पहुँचाने के लिए 12 मासी सड़क का निर्माण नगर निगम/पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। सभी वार्डो के समूह में एक–एक हाईड्रैन्ट सुनिश्चित किया जायेगा।
6	अग्निशमन कर्मियो के बचाव हेतु अग्निशमन किट की व्यवस्था।	
7	अगलगी घटना स्थल तक शीघ्र पहुँचने के लिए रूट चार्ट तैयार करना। **(कार्य माह–फरवरी)**	
8	अग्नि जोखिम क्षेत्र के समीप वाटर टैक/	

	हाईड्रेन्ट/पम्पसेट एवं अन्य जल श्रोतो की मैपिंग। **(कार्य माह–मार्च)**	
9	अग्निशमन दलों का क्षमतावर्द्धन तथा प्रशिक्षण। **(कार्य माह–जनवरी)**	
10	अगलगी की सूचना प्राप्त होते ही त्वरित रिस्पोंस/फायर ऑफिसरों की प्रतिनियुक्ति तथा बोफिंग की व्यवस्था करना। **(कार्य माह–मार्च)**	
11	शादी, पूजा या अन्य अवसरों पर लगाये जाने वाले पंडालों में अग्निरोधी कपड़ों का उपयोग करना तथा विद्युत कनेक्सन में सावधानी बरतना।	नगर प्रशासन, नगर निकाय, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लि॰, जिला अग्निशामालय।
12	मुख्यमंत्री विद्यायल सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली बच्चों एवं शिक्षकों को अगलगी की रोकथाम एवं बचाव हेतु जागरूक करना। **(सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम)**	शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन जिला शिक्षा परियोजना पदाधिकारी यथोचित कार्रवाई करेगें। एस.सी.ई.आर.टी. तथा 'डायट' का सहयोग लिया जायेगा।
13	अस्पतालों में बर्न वार्ड की व्यवस्था एवं अगलगी के उपचार में प्रयुक्त होने वाली औषिधियों, उपकरणों एवं अन्य सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।**(कार्य माह– फरवरी–मार्च)**	असैनिक शल्य चिकित्सक, सदर अस्पताल यथोचित कार्रवाई करेगे।
14	सभी पशु अस्पतालों में अगलगी के उपचार में प्रयुक्त होने वाली औषिधियों, उपकरणों एवं अन्य सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। **(कार्य माह– फरवरी–मार्च)**	जिला पशुपालन एवं पशु चिकित्सा पदाधिकारी ।
15	अगलगी पर समुदाय के क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन। **(कार्य माह– जनवरी–फरवरी)**	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। जिला अग्निशमन कार्यालय ।
16	निजी जलश्रोतों/पंपिग सेट/बोरिंग को तैयार रखना तथा प्रत्युत्तर काल में जन सहयोग एवं समन्वय बनायें रखना। **(कार्य माह– फरवरी–मार्च)**	सिविल सोसायटी, सामाजिक कार्यकर्त्ता एवं जन प्रतिनिधि।

6.2.4 ठनका, ओलावृष्टि, तेज गति हवा, काल वैशाखी :– NDMA द्वारा ठनका, ओला वृष्टि, धूल भरी आँधी, तेज गति हवा का प्रबंधन संबंधी मार्गदर्शिका के अनुच्छेद 4.2 के आलोक में निम्नांकित पूर्व तैयारी की जायेंगी –

आकस्मिक संचार व्यवस्था – वार्ड स्तर तक सेटेलाईट फोन/हैम रेडियो/F.M. रेडियो से प्रसारण की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। **(कार्य माह– मार्च)**

- Now Cast 30 मिनट से 3 घंटे पूर्व मोबाईल एप्प से प्राप्त सूचना में निहित पूर्वानुमान एवं चेतावनी को, करने योग्य सलाह (क्या करें, क्या न करें) के साथ जोड़कर सभी संवेदनशील वार्डो/समूहों/नागरिकों तक त्वरित आकस्मिक संचार व्यवस्था के माध्यम से पहुँचाया जायेगा।
- विभिन्न लाईन विभागों के पास प्रत्युत्तर तथा पुनर्वापसी के कार्य हेतु उपलब्ध मानव संसाधन/भौतिक संसाधन की जानकारी वार्ड–स्तरीय आपदा प्रबंधन दल को उपलब्ध कराई जायेगी।
- व्यापक जन जागरूकता सृजन, उपयुक्त प्रशिक्षण तथा समय–समय पर की जाने वाली मॉक ड्रिल के साथ सभी हितधारको संवेदनशील नगर निवासियों को भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाँच किये गये निम्न मोबाईल एप्प के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जायेगी।

  (i) DAMINI

  (ii) RAIN ALARM

  (iii) MAUSAM

(iv) UMANG

(v) MEGH DOOT

(vi) INDRAVAJRA

नोट :– आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार द्वारा तैयार कराये गये मोबाइल एप्प **इन्द्रवज्र** को किसी भी एड्रायड मोबाइल पर डाउन लोड किया जा सकता है। मोबाइल धारक को इसके 20 कि॰मी॰ के दायरे में होने वाले वज्रपात की चेतावनी **30 मिनट** पूर्व एलर्ट के साथ प्राप्त कराई जाती है। एप्प गुगुल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।)

6.2.6 सड़क दुर्घटनाः चिह्नित दुर्घटना प्रवण स्थल के निकट पुलिस पोस्ट तथा आकस्मिक चिकित्सा सुविधा युक्त एम्बुलेन्स की उपलब्धता बनाये रखना। त्वरित चिकित्सा दल (MQRT) का गठन, ''रेस्क्यू वाहन'' द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहनो को तुरंत हटाकर यातायात दुरूस्त करने को तत्पर एवं तैयार रहना। दुर्घटना प्रवण स्थल से नजदीकी अस्पताल या ट्रॉमा सेन्टर के बीच बाधा रहित यातायात व्यवस्था, ट्रैफिक पुलिस की सहायता से तैयार रखना। सदर अस्पताल कटिहार में तीन त्वरित चिकित्सा प्रत्युत्तर दल गठित है। **(कार्य माह– जनवरी)**

6.3 आपदा जोखिम प्रबंधन के आरंभिक पहल की सूची :–

1. आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए एक व्यवहारिक एवं तार्किक सामुदायिक इकाई को चिह्नित करना तथा उसके संबंध में सभी प्राथमिक सूचनाओं का संकलन। उदाहरणार्थ मुहल्ला, वार्ड, नगर।
2. समुदाय के प्रतिष्ठित, जानकार व्यक्तियों तथा लोकप्रिय जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक एवं चर्चा करना।
3. सामुदायिक संरचना के सभी अवयवों के बारे में विशिष्ट सूचना का संकलन। उनकी बनावट, बसावट, इतिहास, भूगोल, जनसांख्यिकी, सामाजिक आर्थिक संरचना इत्यादि के आधार पर विभिन्न आपदा के प्रति संवेदनशील तथा नाजुक समूहों, बसावट, सार्वजनिक सेवाओं प्रशासनिक महत्व की संरचना तथा अन्य अंत संरचना के बारे में जानकारियाँ एकत्रित करना।
4. समुदाय द्वारा अतीत में किसी आपदा के सबसे विनाशकारी स्वरूप का अनुभव के आधार पर भविष्य के खतरों तथा जोखिम के साथ ही अपनी सुरक्षा कवच या सुरक्षा करने की आंतरिक क्षमता का लेखा जोखा तैयार करना।
5. खतरा, जोखिम, संवदेनशीलता तथा आंतरिक क्षमता का सटीक लेखा–जोखा के आधार पर ही समुदाय द्वारा आपदा जोखिम प्रबंधन योजना तैयार की जा सकती है। संवेदनशील व्यक्तियों/समूह तथा इलाकों की पहचान करते समय वृद्ध जनो, दिव्यांगजन, गर्भवती महिलायें, विधवाओं, छोटे बच्चे, झुग्गी झोपड़ी तथा मलिन बस्तियों में रह रहे अभावग्रस्त परिवार उनके पालतू जानवर, जीविका के साधन इत्यादि को सूचीबद्ध करना आवश्यक है।
6. समुदाय द्वारा केमिकल तथा विस्फोटक के कारखानों, ज्वलनशील पदार्थ भंडारण करने वाले बड़े गोदाम, आवर्ती सड़क दुर्घटना वाले ब्लैक स्पाट, नगरीय बाढ़ एवं जल जमाव वाले क्षेत्र, ठोस कचरा तथा चिकित्सीय कचरो के निपटान की प्रक्रिया तथा जमा करने वाले स्थानो को एक मानचित्र पर चिह्नित कर रखना।
7. जोखिम प्रबंधन में सहायक प्रशिक्षित मानव संसाधन तथा उपयोगी यंत्र, संयंत्र, उपस्कर, उसको चालाने वाले आपरेटर, खोज, निकासी, बचाव, आकस्मिक त्वरित निष्कासन के साधन, राहत शिविर के उपयुक्त स्थलों का चुनाव, राहत शिविर के व्यवस्था के संसाधन इत्यादि का मानचित्रण तथा सूचीकरण किया जाना ।
8. आकस्मिक चिकित्सा की जरूरत पड़ने पर स्थानीय तौर पर तथा आस पड़ोस में उपलब्ध अस्पतालो, वहाँ उपलब्ध शैय्या एवं अन्य कर्मचारियों की विस्तृत सूचना का संकलन किया जाना ।

9. आपदा की पूर्व सूचना जरूरी चेतावनी तथा विशेषज्ञों की सलाह को प्रभावित एवं संवेदनशील इलाकों तक तीव्र गति से पहुँचाने के लिए उपलब्ध संचार के साधन यथा रेडियो, टेलीविजन, मोबाईल तथा लैंड लाईन फोन की जन पहुँच के मद्देनजर इनकी क्षमता तथा विस्तार का विस्तृत आकलन कर लेनी चाहिये ताकि समय पर इनका उपयोग तत्परता से किया जा सके।

10. आपदा की स्थिति में आकस्मिक परिवहन हेतु एम्बुलेंस, बस, टेम्पो, कार, जीप, ट्रक, टैक्सी तथा पक्के रोड का मानचित्र की जानकारी उपलब्ध रहना चाहिये। जलापूर्ति, स्वच्छता एवं सफाई, सरकारी तथा गैर सरकारी टैकर की सूची भी उपलब्ध होनी चाहिये। अस्थाई शिविर के लिए चिह्नित स्थल तथा शिविर व्यवस्था की पूरी तैयारी होनी चाहिये। आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति बनाये रखने की भी व्यवस्था पूर्व नियोजित होनी चाहिये।

11. स्थानीय स्तर पर आकस्मिक कार्यकारी बल या त्वरित प्रत्युत्तर दल का गठन उनका प्रशिक्षण तथा आकस्मिक डायरेक्ट्री की उपलब्धता सुनिचित किया जाना चाहिये।

12. खोज एवं बचाव दल, राहत वितरण समन्वय एवं निगरानी दल, पूर्व सूचना तथा चेतावनी प्रसारण दल जलापूर्ति एवं स्वच्छता दल, प्राथमिक उपचार तथा चिकित्सा दल, मानसिक आघात (ट्रॉमा) सलाह, इत्यादि दल का गठन तथा प्रशिक्षण किया जाना चाहिये। प्रत्येक दल द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत नियमित अंतराल पर इसका मॉकड्रिल होना चाहिये।

बिहार सरकार ने इंद्रव्रज (Indravajra) नाम से मोबाइल एप लॉन्च किया है

आपदा पूर्व तैयारी की समय सीमा (Time line) :

क्र० स०	समस्या	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
1	भूकम्प	मॉक ड्रिल				प्रत्युत्तर दल की प्रतिनियुक्ति				EOC का सुदृढ़ीकरण	योजना निर्माण समीक्षा	प्रशिक्षण	
2	जलजमाव				EOC का सुदृढ़ीकरण		सामग्री भंडारण						
3	अगलगी	प्रशिक्षण	Fire Audit	मॉक ड्रिल जनजागरण									
4	स्वास्थ्य		समीक्षा बैठक	जनजागरण	QRT का गठन								
5	चक्रवाती तूफान /तीव्रगति हवा		सतर्कता सलाह										
6	ठनका				सतर्कता सलाह								
7	ओलावृष्टि		सतर्कता सलाह										
8	गर्मी / लू			सतर्कता सलाह / समीक्षा									
9	शीतलहर											सतर्कता सलाह	
10	सड़क दुर्घटना				प्रशिक्षण						सतर्कता सलाह		
11	औद्योगिक सुरक्षा	सतर्कता सलाह	प्रशिक्षण										
12	पयावरण सुरक्षा						जल जीवन हरियाली अभियान						
13	मेला, भीड़ सुरक्षा									सतर्कता सलाह			

:=:=:=:=:=:

अध्याय : 7

क्षमता निर्माण

CAPACITY BUILDING

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 6 में स्थानीय प्राधिकारी शीर्षक के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी के कृत्य का स्पष्ट उल्लेख है। इस अधिनियम की भिन्न धाराओं के अनुसार :–

41(1) स्थानीय प्राधिकारी जिला प्राधिकरण के निर्देशो के अधीन रहते हुये–

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित हैं।

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित संसाधनों का इस प्रकार अनुरक्षण किया जा रहा है जिससे कि वे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में सदैव उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे।

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन या उसकी अधिकारिता के भीतर सभी सनिर्माण परियोजनाएं राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए अधिकधिक मानको और विनिर्देशो के अनुरूप है।

(घ) प्रभावित क्षेत्र में राज्य योजना और जिला योजना के अनुसार राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण के क्रिया कलाप किया जाना।

2. स्थानीय प्राधिकारी ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा जिन्हें आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझे ।

7.1 संस्थागत क्षमतावर्द्धन :– नगर आपदा प्रबंधन योजना के सफल क्रियान्वयन तथा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप के घोषित लक्ष्यो उद्देश्यो की पूर्ति की दृष्टिकोण से नगर निगम के सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों, अभियंताओं, अग्रिम पंक्ति के कर्मी एवं स्वयंसेवक जनप्रतिनिधियों का क्षमतावर्द्धन के उद्देश्य से प्रशिक्षण तथा जागरूकतावर्द्धन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयाजित करना अत्यंत ही आवश्यक है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सभी हितभागियो तथा नियाजित कर्मियो के कौशल विकास करना तथा उनकी निपुणता में उत्तरोत्तर वृद्धि करना है। प्रशिक्षण के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विभिन्न आयामों तथा जटिलताओ के प्रति अवधारणा (Concept) प्रमाणिक जानकारी (Authentic information) कौशल (Skill) दृष्टिकोण (Attitude) तथा व्यक्तिगत गुणवत्ता (Personal Quality) विकसित किया जायेगा।

इस प्रशिक्षण के अंतर्गत पदाधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों के लिए नगर क्षेत्र के लिए चिह्नित बहु–आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा विभिन्न आपदाओ के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्मित मानक संचालन प्रक्रियाओं, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015–30, जो 2016 में स्वीकृत हुई है तथा कटिहार का सिटी डेवलमेंट प्लान के मुख्य प्रावधाना से अवगत कराया जायेगा। आपदा से प्रभावित होने वाले लोगो को भी खतर एवं जोखिम को पहचान तथा उससे बचाव के तरीके की जानकारी।

सारणी –7.1 नगर निगम क्षेत्र में कार्यरत पदाधिकारियों,कर्मियों का प्रशिक्षण :

क्र॰ सं.	हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
1	2	3
01	(क) मेयर/उपमेयर (ख) वार्ड सदस्य (ग) सामुदायिक संगठन (घ) गैर सरकारी संगठन	1. वार्ड स्तरीय खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता, संसाधन (भौतिक एवं प्राकृतिक) का चित्रण। बाढ़, भूकंप, जलवायु परिवर्तन, तूफान, ठनका आदि पर विशेष बल। 2. वार्ड की विकास योजना में वार्ड स्तरीय आपदा प्रबंधन गतिविधियों का समायोजन। 3. आपदा प्रबंधन योजना की सफलता के लिए वार्ड स्तरीय संवैधानिक स्थायी समितियों की उपयोगिता। 4. खोज,बचाव, प्राथमिक चिकित्सा इत्यादि। 5. आपदारोधी भवन निर्माण एवं अगलगी की रोकथाम संबंधी मुख्य जानकारी।
02	(क)कार्यपालक पदा॰	1. बिल्डिंग वायलॉज।

	(ख) सिटी मैनेजर (ग) वार्ड पार्षद	2. नगर योजना। 3. आपदा प्रबंधन। 4. अग्नि सुरक्षा। 5. भीड़ प्रबंधन। 6. अवशिष्ट प्रबंधन। 7. भूकंप रोधी भवन–निर्माण का प्रशिक्षण।
03	चिकित्सक एवं कर्मी	1. आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 2. महामारी अधिनियम – 1897, महामारी (संसोधन) अधिनियम–2020 3. कोरोना प्रबंधन 4. ऑक्सीजन प्लांट का परिचालन, रख रखाव तथा नई तकनोक की जानकारी।
04	(क) स्कूल शिक्षक, छात्र एवं अन्य (ख) कॉलेज एम्बेसडर (छात्र–छात्रा)	1. शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से स्कूल सुरक्षा (भूकंप, आगजनी) एवं घरेलू आग (गैस चुल्हा, परम्परागत चुल्हा, ढिबरी, लालटेन इत्यादि से जनित) से बचाव। 2. छात्र/छात्रा को नियमित आपदा से बचाव के टिप्स तथा स्कूल सुरक्षा सप्ताह में किये जाने वाले कार्य का प्रशिक्षण। 3. सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का संचालन । (कोविड, डायरिया, निमोनिया, पेयजल एवं स्वच्छता, सर्पदंश, मस्तिष्कज्वर आदि से बचाव की जानकारी।
05	(क) आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका (ख) आशा कार्यकर्त्ता	1. बच्चों का कुपोषण से बचाव। 2. महिलाओं का स्वास्थ्य सुरक्षा एवं एनेमिया से बचाव। 3. आपदा के दौरान कैम्प संचालन।
06	कम्प्यूटर प्रशिक्षण (सभी स्तर पर प्रभारी अधिकारी द्वारा चयनित कर्मी)	सभी स्तरों के तथ्यों को संग्रहित करना तथा उपयुक्त जगहों पर प्रेषण की प्रक्रिया का प्रशिक्षण।
07	मिडिया (जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, प्रिंट तथा इलेक्ट्रोनिक)	1. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 2. बिहार नगर पालिका अधिनियम–2022 3. आपदा विषयों पर लेखन कार्य से समाज को जागृत करना 4. बेहतर पर्यावरण हेतु प्रचार–प्रसार 5. आपदा प्रबंधन में मिडिया की भूमिका

7.2 समुदाय तथा सामुदायिक संस्था :– स्थानीय नगर निकाय के सदस्यों शहरी विकास एवं आवास विभाग के पदाधिकरियों को जोखिम विश्लेषण, जोखिम की पूर्ण जानकारी के साथ योजनाओ के निरूपन स्वीकृति तथा जोखिम सुरक्षित पहल के लिए एक प्रभावो क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसके लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यशाला प्रदर्शनी, ज्ञानवर्द्धक परिभ्रमण, निर्णय–सहायक–उपकरण से निम्न विधाओ से परिचित कराया जायेगा।

क्र.सं.	हितधारक	प्रशिक्षण माड्यूल
1	**2**	**3**
1	नगर निगम एवं शहरी विकास तथा आवास विभाग के कर्मी, प्रथम पक्ति के कर्मी (सफाई कर्मी) सामुदायिक सेवा संस्थायें तथा स्वयं सेवक	▪ जोखिम विश्लेषण, जोखिम की जानकारी के साथ विकास योजना का निरूपण। ▪ जोखिम अनुकूलन से संबंधित चेक लिस्ट के आलोक में क्रियान्वयन की पहल ।
2	सामुदायिक आपदा प्रत्युत्तर दल	▪ सभी तरह की मानक संचालन प्रक्रिया, पूर्व तैयारी तथा प्रत्युत्तर क्रियायें।
3	वास्तविद, भवन निर्माण, अभियंता, पर्यवेक्षक (Supervisor),राज मिस्त्री, बार बाईन्डर, शटरिंग मिस्त्री तथा स्थानीय संवेदक	▪ भूकंप जोन (IV) के अनुसार बिहार भवन निर्माण उप संहिता 2014 के ससंगत प्रावधानों के आलोक में भवन निर्माण के मानक तथा रेट्रोफिटिंग के तरीके।
4	सामाजिक संस्था, युवा क्लब के सदस्य	▪ फर्स्ट एड

	कॉलेज के छात्र–छात्राय, शिक्षक, दुकानदार, पुलिस	▪ टैफिक नियम ▪ सुरक्षित वाहन चालन (धुंध, कुहासा सहित सभी परिस्थियों में) ▪ वाहन की फिटनेस के संबंध में ▪ दुर्घटना हो जाने पर नजदीकी पुलिस तथा ट्रामा सेन्टर से संपर्क करने के संबंध मे।

- मैनेजमेंट ऑफ एनिमल–इन–इमरजेंसी– ए भेटनरी हैन्डबुक फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – 2018
- मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (सुरक्षित शनिवार) शिक्षकों/प्रशिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका–जनवरी 2018
- राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण के लिए सचित्र मार्गदर्शिका–नवम्बर 2017
- शहरी स्थानीय निकायों का "आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन" पर प्रशिक्षण की हस्त पुस्तिका फरवरी 2021

7.3 जन–जागरण :– जागरूकता अभियान के द्वारा नगर आपदा प्रबंधन के विभिन्न सहभागियो, समुदाय सहित को चिह्नित आपदा के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाया जा सकता है। इस माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण बहुत सुलभ तरीके से संभव है। बिहार के संदर्भ में स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली छात्रों एवं शिक्षकों को विभिन्न आपदाओं के प्रति जागरूक बनाते हुए आपदा जोखिम न्यूनीकरण का कार्य बहुत व्यापक तरीके से किया गया है। जागरूकता अभियान विभिन्न आपदा क लिए तैयार आई॰ई॰सी॰ सामग्री का उपयोग कर नुक्कड़ नाटक, विद्यार्थियों के बीच वाद–विवाद प्रतियोगिता, होर्डिंग, पैम्पलेट, सोशल मिडिया, एफएम रेडियो, चलचित्र आदि के माध्यम से चलाया जा सकता है।

विभिन्न आपदाओं के प्रति संवेदनशील वार्ड/मुहल्ला में गठित आपदा प्रबंधन दल की जवाबदेही होगा कि वे हितधारक समूह के प्रतिनिधियो तथा स्थानीय स्वयं सेवक को जन–जागरूकता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए प्रेरित तथा प्रशिक्षत कर। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न आपदाओं के संदर्भ में जोखिम न्यूनीकरण तथा सुरक्षात्मक उपाय बचाव एवं राहत से संबंधित सुझाव–सलाह प्रसारित (Circulate) किये गये हैं। आपदावार तैयार इन सुझावों को योजना के परिशिष्ट में सम्मिलित किया गया है।

नोट : उपरोक्त संदर्भ में प्रशिक्षण प्राप्त विभिन्न पदाधिकारियों एवं अन्यों की सूची तथा विभिन्न विषयों पर तैयार की गई मॉड्यूल बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाईट (www.bsdma.org) के Our Activities विषय को क्लिक करने के बाद Training शीर्षक पर क्लिक करक देखा जा सकता है। भविष्य में नगरीय आपदा प्रबंधन के सिलसिले में आयोजित की जाने वाली प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई प्रशिक्षिण मॉड्यूल का सहारा लिया जायेगा, साथ ही प्रशिक्षित व्यक्तियों की सूची नगर निगम के वेबसाईट पर डालना अपेक्षित होगा।

:=:=:=:=:=:

अध्याय : 8

आपदा मोचन योजना

RESPONSE PLAN

8.1 मोचन योजना :– आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधान के अनुसार L_1 स्तर की आपदाओं का प्रत्युत्तर कार्य स्थानीय स्तर पर किया जाना है। इस संबंध में आपदा की तीव्रता का निर्धारण जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिलाधिकारी) द्वारा किया जाता है। आपदा मोचन योजना के कमाण्ड अधिकारी भी जिलाधिकारी होते है। उनके निर्देशन तथा नेतृत्व में सभी हितधारका को कार्य करना होता है।

आपदा के समय सामान्यतः जिलाधिकारी के नेतृत्व तथा निर्देशन में नगर निगम वो सभी कार्य सम्पन्न करेगा जो इसको सौंपा जायेगा या जिला आपदा प्रबंधन योजना में नगर निगम के लिए निर्दिष्ट किया गया हो। इस दायरे में नगर आपदा प्रबंधन समिति जिसका ढांचा अध्याय–5 में विनिर्दिष्ट है द्वारा आपदा मोचन के सभी कार्य किये जायेंगे।

8.2 आपदा मोचन हेतु शहरी नियामक संस्था का प्रशासन तंत्र :– आपदा मोचन हेतु नगर निगम में जिला आपदा प्रबंधन समिति के नियंत्रणाधीन नगर स्तर पर एक त्वरित प्रत्युत्तर दल कार्य करेगी जिसका स्वरूप निम्नवत है :–

1.	नगर आयुक्त	– अध्यक्ष
2.	उप नगर आयुक्त	– उपाध्यक्ष
3.	नगर प्रबंधक	– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
4.	कार्यपालक अभियंता नगर विकास एवं आवास प्रमंडल	– सदस्य
5.	मुख्य सफाई निरीक्षक	– सदस्य
6.	सफाई (स्वच्छता) निरीक्षक	– सदस्य
7.	विद्युत पर्यवेक्षक	– सदस्य
8.	तकनीकी पर्यवेक्षक	– सदस्य

8.3 नगर कन्ट्रोल रूम :– नगर निगम कटिहार के कार्यालय में नगर प्रबंधक के नेतृत्व में एक नगर कंट्रोल रूम आपदा के प्रारंभ से लेकर समाप्ति की घोषणा तक 24X7 क्रियाशील रहेगा। इस कंट्रोल रूम में एक लैंड लाईन फोन, एक मोबाईल फोन तथा एक इन्टरनेट सुविधा के साथ कम्प्यूटर, प्रिंटर, वेबकैमरा तथा स्पीकर स्थापित किया जायेगा। इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने, इसका संकलन करने, प्राधिकृत अधिकारी तक इस सूचना को पहुँचाने तथा उनके निर्देशो को पुनः संबंधित अधिकारी तक पहुँचाने के लिए तीनों पाली में 2–2 की संख्या में प्रशिक्षित कर्मी नियोजित किये जायेंगे। नगर कन्ट्रोल रूम में निम्न पंजियो का संधारण किया जायेगा :–

(i) उपस्थिति पंजी

(ii) शिकायत पंजी

(iii) सूचना एवं संदेश पंजी

(iv) शिकायत निवारण पंजी

8.4 पूर्व सूचना तंत्र :– अधिकृत एवं प्रमाणिक श्रोत से प्राप्त सभी सूचनाओं को सूचना एवं संदेश पंजी में दर्ज कर संबंधित अधिकारियो तक नगर कंट्रोल रूम के माध्यम से पहुँचाया जायेगा। आम जन तक किसी चेतावनी, सुझाव, सलाह तथा अन्य आपदा संबंधित सूचना को पहुँचाने के लिए नगर में लगभग 17.78 प्रतिशत लोग जो रेडियो या टांजिस्टर का उपयोग करने वाले है उन तक रेडियो समाचार के द्वारा तथा 52.62 प्रतिशत लोग जो टेलोवीजन रखते ह उन तक टी॰वो॰ के माध्यम से तथा अन्य 57.22 प्रतिशत लोग जो मोबाइल का उपयोग करते ह उन तक सोशल मिडिया के माध्यम से सूचना पहुँचाई जा सकती है। आपातकालीन परिस्थितियों में प्रत्येक आपदा प्रवण वार्ड में पूर्व निर्धारित स्थल से लाउडस्पीकर के माध्यम से सूचना संप्रेषित की जायेगी। वार्ड स्तर पर गठित आपातकालीन प्रत्युत्तर दल (ERT) तथा राहत निगरानी समिति के माध्यम से भी हितधारको तक पूर्व सूचना पहुँचाने की कार्रवाई की जायेगी।

8.5 सहायक यंत्र–संयंत्र :– आपदा मोचन के दौरान मुख्यतः निकासी, राहत एवं बचाव, राहत शिविर संचालन, घायलों को अस्पताल तक पहुँचाना, अस्पताल में उनका समुचित इलाज, खून की कमी वालो के लिए रक्तदान शिविरों का आयोजन, मृतको का अंतिम संस्कार, ध्वस्त जीवन सहयोगी संरचनाआ का मलवा निपटान तथा सार्वजनिक सेवाओ का त्वरित पुनर्स्थापन इत्यादि के लिए बहुत तरह के हल्के व भारी यंत्र–संयंत्र, उपस्कर उसको चलाने वाले प्रशिक्षित आपरेटर की आवश्यकता होती है। आपदा मोचन हेतु उपलब्ध संसाधन की सूची BSDRN पोर्टल पर संधारित है।

इन यंत्र–संयंत्र उपस्करों का नगर निगम क्षेत्र के सामान्य क्रिया कलापो में उपयोग सीमित मात्रा में और कुछ विशिष्ट यंत्र–संयंत्र का उपयोग नहीं के बराबर होता है। एम्बुलेंस तथा परिवहन वाहन तो मिल जाते ह परंतु अन्य कई उपस्कर, भारी निर्माण कार्य स्थलों पर औद्योगिक परिसर मरगा अथवा इडस्ट्रीअल सिटी कटिहार में स्थापित कारखाने के पास उपलब्ध है। नजदीकी NDRF केन्द्र तथा नजदीकी SDRF केन्द्र में भी मोचन में सहायक यंत्र संयंत्र उपलब्ध है।

8.6 बिहार राज्य डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क (BSDRN) – बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए वृहत 'डेटाबस' तैयार किया है। इस नेटवर्क पर जो कि वेब आधारित है, सरकार के पदाधिकारियों तथा आपदा प्रबंधको के लिए उपलब्ध है। इस क्षेत्र में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने खोज एवं बचाव उपकरण, कुशल मानव संसाधन, परिवहन, खाद्य एवं जलश्रोत, सुरक्षा एवं आश्रय तथा आपातकालीन आपूर्ति एवं सेवाएं जैसे छः वर्गो में सूचनाएँ उपलब्ध करायी है। इस पोर्टल पर लगभग 8000 उपलब्ध संसाधन की जानकारी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने बड़े स्तर पर मोबाईल एप्प के जरिये से सचेत रहने हेतु जन संदेश (Mass Massaging) पहुँचाने के लिए व्यवस्था की है। इसमें जिलाधिकारी (38), उप–समार्हता (38), बी.डी.ओ. (534), अंचलाधिकारी (534), फोकल शिक्षक (1542), नाव–नाविक मालिक (3820), पंचायत जन प्रतिनिधि (चयनित 207429, गैर चयनित 435699), जीविका दीदी (148890), आशा कार्यकर्त्ता (77542), आंगनबाड़ी सेविका (45946) अन्य प्रशिक्षित अभियंता एवं राजमिस्त्री आदि जुड़े है। अब तक इस जन संदेश का उपयोग पूर्व चेतावनी, आपदा की तैयारी, न्यूनीकरण, जागरूकता, बचाव, क्या करें, क्या न करें के विषयों पर किया गया है।

8.7 जिला प्रशासन तथा अन्य संस्थाओं से संयोजन :– नगर निगम क्षेत्र में सभी आपदाआ के प्रभाव को कम करने हेतु नित्य प्रति की कार्रवाईयों एवं राहत तथा अनुदान सहायता की स्वीकृति के लिए संबंधित

जिला के जिला पदाधिकारी अधिकृत हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार जिला पदाधिकारी को ही जिला के सभी विभागों के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षण की शक्ति प्रतिनियोजित की गई है।

नगर निगम क्षेत्र में आपदा प्रबंधन क संबंधित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शक्तियाँ एवं कृत्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की अध्याय 4 की धारा 30 की निम्न उपधाराओं में स्पष्ट किया गया है।

30.2.*(III)* – जिला प्राधिकरण यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिले में आपदाओं के संवेदनशील क्षेत्रो की पहचान की गई है। आपदाओं के निवारण और इसके प्रभावो के शमन के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागो द्वारा तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किये गये है।

30.2.*(IV)* – जिला प्राधिकरण यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के निवारण उनके प्रभावों के न्यूनीकरण तैयारी और राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मोचन के उपायों का जिला स्तर पर सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुश्रवण किया जाता है।

30.2.*(X)* – जिला में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के मोचन के लिए राज्य की क्षमताओं को पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबंधित विभागो या प्राधिकारियों को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो आवश्यक हो।

30.2.*(XI)* – तैयारी उपायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और जिला स्तर पर संबद्ध विभागो या संबद्ध प्राधिकारियों को जहाँ किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी उपायों को अपेक्षित स्तरों तक लाना आवश्यक हों, निर्देश दे सकेगा।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निहित प्रावधानो के आलोक में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक तथा मानवीय घटना घटित होने पर प्रत्युत्तर प्रक्रिया को पहल नेतृत्व तथा समन्वय का सम्पूर्ण दायित्व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार को है।

(अधिनियम की धारा 30.2.XVI से 30.2.XXIV तथा धारा 34(a) से 34(m) तक द्रष्टव्य है)। इसके आलोक में नगर निगम क्षेत्र में प्रत्युत्तर हेतु जिला आपदा प्राधिकरण के निर्देशानुसार यथोचित कारवाई की जायेगी।

8.8 नगर आपदा प्रबंधन समिति :– नगर निगम के अंतर्गत नगर आपदा प्रबंधन समिति का गठन मेयर/नगर आयुक्त की अध्यक्षता में निम्न प्रकार से किया जायेगा।

- मेयर – अध्यक्ष
- नगर आयुक्त – उपाध्यक्ष
- उप नगर आयुक्त – मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
- सिटी प्रबंधक – सदस्य
- कार्यपालक अभियंता नगर विकास एवं आवास प्रमंडल – सदस्य
- असैनिक शल्य चिकित्सक – सदस्य
- कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल – सदस्य
- कार्यपालक अभियंता जल निस्करण – सदस्य
- कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल – सदस्य

- कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल – सदस्य
- वन प्रमंडल पदाधिकारी – सदस्य
- जिला कृषि/उद्यान पदाधिकारी – सदस्य
- जिला पशु चिकित्सा पदाधिकारी – सदस्य
- आपूर्ति पदाधिकारी – सदस्य

8.9 आपात्कालीन समर्थन कार्य :– नगर निगम, किसी भी आपदा के दौरान, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के नेतृत्व तथा निर्देशन में वैसे सभी आपातकालीन समर्थन कार्य करेगी, जिसका अधिकारिता बिहार नगर पालिका अधिनियम–2022 द्वारा नगर निगम को प्राप्त है, एवं समय–समय पर शहरी विकास विभाग या अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा निर्देशित किया जाता है। नगर निगम, आपदा काल में प्रत्युत्तर के लिए एक त्वरित प्रत्युत्तर दल (Quick Response Team) का गठन करेगी जो न्यूनतम समय अंतराल में अपने दायित्वों की पूर्ति के लिये सदा सर्वदा 24x7 टीम लीडर एवं उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त कर्मी तथा आवश्यक यंत्र संयत्रो के साथ तैयार रहेगी। कटिहार नगर क्षेत्र में साफ सफाई के प्रर्यवेक्षण हेतु 10.02.22 को निर्गत कार्यालय आदेश में आठ दलों का गठन किया गया है। इसमें प्रत्येक दल का नेतृत्व उप नगर आयुक्त, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा किया जायेगा। इन दलों में एक प्रभारी कनीय अभियंता/कर्मी, चार जमादार तथा उपयुक्त संख्या में सफाई कर्मी आवश्यक यंत्र संयंत्रों के साथ प्रतिनियुक्त किया गया है।

इस QRT के सभो सदस्यों का नाम संपर्क, मोबाईल नम्बर उनकी विशेषज्ञता तथा कौशल की जानकारी संबंधी सारी सूचनायें टीम लीडर के पास उपलब्ध है। नगर निगम के पास प्रत्युत्तर हतु पूर्व से तैयार रखी गई यंत्र–संयंत्र जो चालू हालत में रखी गई हो तथा जमा की गई सामग्रियों की जानकारी भी हमेशा उपलब्ध रहेगी ताकि समय पर काम आये। आपात्कालीन प्रत्युत्तर के लिए अतिरिक्त सामग्री की जरूरत पड़ने पर आपूर्तिकर्त्ताओ को पहले से चिह्नित कर उन्हें संभावित क्रय आदेश निर्गत की जायेगी। नगर निगम के पास इन कार्यो को पूरा करने क लिए निधि का उपबंध बजट में किया जायेगा।

राज्य आपदा प्रबंधन योजना में निम्नांकित 15 प्रकार के आपातकालीन समर्थन कार्यो की सूची दी गई है जो निम्नांकित है :–

1. सूचना आदान–प्रदान
2. कानून व्यवस्था
3. खोज एवं बचाव
4. राहत एवं आश्रय
5. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता
6. पालतू पशु आश्रय एवं चारा
7. पेयजल आपूर्ति
8. उर्जा आपूति
9. परिवहन व्यवस्था

10. लाक निर्माण कार्य

11. मलवा निपटान एवं सफाई

12. क्षति आकलन

13. सूचना प्रवाह तथा सहायता केन्द्र

14. दान प्रबंधन

15. मीडिया प्रबंधन

8.9 घटना प्रक्रिया तंत्र और उसके मानक संचालन प्रक्रिया :

कटिहार नगर के किसी भी वार्ड या वार्ड समूहों में अथवा पूरे शहर में आने वाली विभिन्न आपदाओं के दौरान जिलाधिकारी के नेतृत्व एवं निर्देशन में उपरोक्त आपात्कालीन समर्थन कार्य हेतु नगर निगम द्वारा निम्न कार्रवाई की जायेगी। इस दौरान बिहार नगर पालिका अधिनियम 2022 के अनुच्छेद 30 एवं 31 के अनुसार गठित वार्डो की समिति तथा वार्ड समिति को सक्रिय किया जायेगा।

1. **सूचना आदान–प्रदान** :– जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से किसी आपदा के घटित होने की पूर्व सूचना प्राप्त होते ही नगर निगम कार्यालय का नियंत्रण कक्ष चौबीसो घंटे कार्य करना प्रारंभ कर देगा, जो आपदा की समाप्ति की घोषणा तक जारी रहेगा।

2. **कानून व्यवस्था** :– जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन तथा नागरिक सुरक्षा इकाई द्वारा किया जायेगा।

3. **खोज एवं बचाव** :– L_1 स्तर की अत्यंत साधारण आपदा काल में वार्ड स्तर पर गठित खोज, बचाव एवं निष्कासन दल द्वारा सम्पन्न किया जायेगा। किसी गंभीर आपदा के समय जिलाधिकारी स्तर पर SDRF, NDRF या सेना को खोज एवं बचाव कार्यो के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

4. **राहत एवं आश्रय** :– जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित सभी आश्रय स्थलो के निकट चलन्त शौचालय या अस्थाई स्वच्छ शौचालय का निर्माण, पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था हेतु अस्थाई चापाकल की स्थापना, जलमल निकासी एवं निपटान की व्यवस्था, ठोस कचरा निपटान एवं डी॰डी॰टी॰, ब्लीचिग पाउडर तथा सैनिटाइजर का छिड़काव एवं अन्य व्यवस्थायें जिलाधिकारी के निर्देशन में किया जायेगा।

5. **स्वास्थ्य एवं स्वच्छता** :–कटिहार शहर में चक्रवाती तूफान, भूकम्प, अग्नि, जल जमाव, मौसमी बोमारी, वैश्विक महामारी तथा अन्य व्यापक प्रभाव वाली आपदाओं के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था स्वच्छता व्यवस्था को निर्वाध बनाये रखने का हर संभव प्रयास नगर निगम द्वारा किया जायेगा।

6. **पालतू पशु आश्रय एवं चारा** :– जहाँ कहीं भी अस्थाई पालतू पशु आश्रय शिविर बनाये जात हैं वहाँ पशुओं का मल–मूत्र की सफाई तथा उसके इर्द–गिर्द स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। इसके लिए एक चिन्हित कार्य बल जरूरी यंत्र–संयत्र तथा कचरा परिवहन गाड़िया तैनात की जायेगी। डी॰डी॰टी॰, ब्लीचिग पाउडर तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था की जायेगी।

7. **पेयजल आपूर्ति** :– जहाँ कहीं पाईप एवं नल द्वारा पेयजल आपूर्ति की जाती है उन वार्डो में आपदा के कारण व्यवधान आने पर तत्काल टैंकर द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था की जायेगी अथवा अस्थाई चापाकल गाड़े जायेगें। साथ ही व्यवधान को शीघ्रताशीघ्र दूर करते हुये जलापूर्ति व्यवस्था पुनर्बहाल की जायेगी।

8. **उर्जा आपूर्ति** :– उर्जा प्रवाह बाधित होने पर उत्तर बिहार पावर होल्डिंग कम्पनी लि॰ (NBPHCL) द्वारा आवश्यक कदम उठाये जायेगे। इसके अतिरिक्त आश्रय शिविर स्थलों पर विद्युत मुहैया करायेगी।

9. **परिवहन व्यवस्था** :– आपदा काल में प्रभावितों को शरणस्थली तक पहुँचाने, रसद पहुँचाने तथा अन्य आपात्कालीन कार्यो के लिए जरूरी परिवहन व्यवस्था, जिला परिवहन पदाधिकारी कटिहार द्वारा की जायेगी।

10. **लोक निर्माण कार्य** :– सभी प्रकार के आकस्मिक निर्माण एव रख–रखाव कार्य निर्माण विभाग के द्वारा किया जायेगा।

11. **मलवा निपटान एवं सफाई** :– विभिन्न आपदाओं में भिन्न–भिन्न प्रकार का मलवा इकट्ठा होता है। जिसे यथाशीघ्र उस जगह से हटाकर सामान्य जीवन बहाल करना आवश्यक होता है।

    आपदावार मलवा निपटान एवं सफाई के लिए निम्न प्रकार का आपात्कालीन समर्थन कार्य की तैयारी नगर निगम के द्वारा की जायेगी।

    (क) भूकम्प – भूकम्प के दौरान जमींदोज हो गये भवन या पानी की टंकी का मलवा निपटान के लिए डोजर, डम्फर, जेसीबी इत्यादि मशीनों का तैयार रखा जायेगा। कंक्रीट के छोटे–छोटे टुकड़ों में काटकर तथा कंक्रीट के भीतर के सरिये को लेजर बीम से काटने का प्रबंध किया जायेगा। इन छोटे टुकडो को जेसीबी तथा डोजर से समेट कर डम्फर में लोड कर दिया जायेगा। जिसे शहर के इर्द–गिर्द नीचे गड्ढ को भरने के लिए अथवा ठोस कचरा निपटान स्थल पर भेज दिया जायेगा।

    (ख) जलजमाव – शहर में जलजमाव वार्ड सं॰ 2,4,7,9,10,11,12,16,17,18,19,24,25,38,39,43, 44,45 का प्रभावित करती है। जलजमाव के बाद शहरों की गलियों, सड़को तथा घरो से गाद एवं गीला कूड़ा बहुत बड़ी मात्रा में फैल जाता है। इसको समेटने के लिए वाइपर तथा डोजर का प्रयोग किया जायेगा तथा इसे भी शहर के निकट किसी गड्ढ या पूर्व निर्धारित कचरा निपटान स्थल पर भेज दिया जायेगा। अतिवृष्टि के कारण नगर निगम क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करने तथा सभी नागरिक सुविधाओं में आई रूकावट को दूर करने के लिए बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक 5133 दि॰ 27.9.19 द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक मे समुचित कार्य किया जायेगा। इसमें जल निकासी हेतु पंपो का उपयोग कर जल निकासी के उपरांत संक्रमण रोगा से बचने के उपाय, जल भरे गड्ढों को चिह्नित करने मेन हॉल को बंद रखने का आदेश अंकित है।

    (ग) अग्नि : अगलगी की अवस्था में तुंरत प्रत्युत्तर की कारवाई की जा सके इसक लिए आपदा प्रबंधन विभाग, पटना ने एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। इसे विस्तृत से अनुलग्नक –6 पर देखा जा सकता है।

    (घ) स्वास्थ्य : अस्पताल में अचानक जनहताहत, अग्निकांड या भूकंप आने की स्थिति में निम्नलिखित कार्यों को समन्वयित ढंग से संपन्न किया जायेगा जिसका ब्यौरा निम्नवत है–

    - **जनहताहत प्रबंधन** – चिकित्सा प्रशासन द्वारा जिला स्तर पर व्यवस्था को उत्प्रेरित करना, कमांड व्यवस्था को उत्प्रेरित, घायलों का वर्गीकरण, जाँचशाला, फार्मेसी आदि की आपूर्ति एवं सेवा की तैयारी रखना।

    - **अग्नि सुरक्षा प्रबंधन** – चिकित्सा प्रशासन एवं प्रणाली की तीव्र तत्परता, अस्पताल के आदेश प्रणाली की तीव्रता, रोगियों की निकासी, अग्निशमन सुरक्षा, जाँचशाला, फार्मेसी तथा आपूर्ति सेवा को बहाल रखना।

- **भूकम्प सुरक्षा प्रबंधन** – चिकित्सा प्रशासन तथा प्रणाली की तीव्रता, अस्पताल में आदेश प्रणाली की तीव्रता, रोगियों की निकासी, सुरक्षा, रोगियों का वर्गीकरण, जाँचशाला, फार्मेसी एवं आपूर्ति व्यवस्था को बहाल रखना।

नोट : उपरोक्त तीनों कार्य हेतु सदर अस्पताल द्वारा अलग–अलग उतरदायित्व, उपरोक्त कार्य हेतु समय सीमा (मिनट में) तथा उन कार्यो हेतु संबंधित चिकित्सक/मेडिकल स्टाफ/प्रबंधन की जवाबदेही निर्धारित करेगा। इसके लिए अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया जायेगा।

(ड.) चक्रवाती तूफान – इस आपदा के दौरान आम तौर पर बड़े–बड़े पेड़ सड़को पर गिर कर आवागमन बांधित कर देता है। इनको जल्द से जल्द हटाना आवश्यक होता है। छोटे–मोटे पेड़ पौधो को हटाने के लिए कुल्हाड़ी, कुदाल अथवा मोबाइल आरी मशीन से काटकर इनके छोटे टुकड़ो को एकत्रित कर इनका भंडारण किसी खुले स्थान में कर दिया जायेगा। जहाँ से यह वन विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

इस आपदा के दौरान टीन के छतो के उड़ने तथा अन्य हल्के पदार्थ बेतरतीब तरीके से सड़का पर फैलकर आवागमन को बाधित करता है। इसको इकट्ठाकर निपटान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आपदा के दौरान मृत लावारिस पशु तथा मनुष्य के शवो का विधिवत निपटान यथा दफनाने/जलाने का कार्य भी नगर निगम की आपदा कालीन प्रत्युत्तर दल की विशेष टीम द्वारा किया जायेगा।

12. **क्षति आकलन** – अध्याय 9 उपखंड 9.1 पर देखा जा सकता है।

13. **सूचना प्रवाह तथा सहायता केन्द्र** :– सभी विभागों/संभागों के साथ समन्वयित ढंग से सूचना का प्रवाह बनाये रखने का कार्य नगर कंट्रोल रूम के माध्यम से किया जायेगा।

14. **दान प्रबंधन** :– आपदा की स्थिति में गैर समुदायिक संगठनों एवं अन्य माध्यमों से सामग्री तथा राशि की सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे में इस कार्य हेतु एक नोडल ऑफिसर नामित होंगे जो दान दाता संगठनों को आवश्यक वस्तुओं की जानकारी उपलब्ध करायेगें तथा इनसे प्राप्त दान को एक समुचित पजी में दर्ज करेगें।

15. **मीडिया प्रबंधन** :– संभावित या घटित आपदाओं की स्थिति में विभिन्न मीडिया श्रोतों से सूचना का आदान–प्रदान सुनिश्चित करना। इस हेतु नगर निकाय, जिला प्रशासन या नामित नोडल ऑफिसर तय समय पर मीडिया ब्रिफिंग करेगें। ऐसा करने से प्रशासन द्वारा किये जाने वाले कार्यो के बारे में आम जनता को जानकारी दी जा सकेगी।

8.10 समन्वय : सभी हितभागी एजेसियों/विभागों के नोडल पदाधिकारियों के बीच आपसी समन्वय बनाये रखना प्रभावी आपदा मोचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अद्यतन बनाये रखने का सभी उपक्रम प्राथमिकता के तौर पर किये जायेगें। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर गठित आपातकालीन संचालन दल के मुखिया (Commander) जवाबदेह होगें दल में शामिल सदस्य कमांडर के निर्देशो का पालन करेगें।

:=:=:=:=:=:

अध्याय : 9

आपदावार प्रत्युत्तर कार्य एवं उत्तरदायित्व

Disaster wise Response Activity & Responsibilities

पूर्व के अध्याय –8 में प्रत्युत्तर योजना की विशेष रूप से चर्चा की गई है, जबकि इस अध्याय–9 में संभावित विषम परिस्थिति तथा आपदा काल में की जाने वाली कारवाई (आपदावार), विभिन्न हितधारका का दायित्व तथा वार्डवार उपलब्ध संसाधनों (सरकारी तथा निजी) की सूचो भी संलग्न की गई है। संसाधन तीन श्रेणीयों – मानव, भौतिक तथा यांत्रिक– में संकलित किया गया है। इसके अलावा शहर में अवस्थित संकरी गलियों की भी पहचान की गई है। सभी सूचनाएं एक जगह उपलब्ध होने से त्वरित कारवाई में सुविधा होगी। आपदा में किये जाने वाले कार्यों का समय–समय पर आवश्यकतानुसार बदलाव किया जा सकता है।

9.1 आपदावार प्रत्युत्तर कार्य :

भूकंप

अनुमानित अत्यंत विषम परिस्थिति	आपदा के दौरान की जानेवाली कारवाई	संबंधित विभाग/संभाग एवं कार्यालय का दायित्व
1	2	3
• **भूकंप की भविष्यवाणी नहीं हो सकती है। पूरा शहर को भूकंप के जोन–IV में है। जिसके कारण 'रिक्टर स्केल' – 5.5 या उससे उपर के कंपन होने से G_3 (भारी क्षति) लेवल की नुकसान होने की संभावना बना रहता है।** • **बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 1934 के विनाशकारी भूकंप की पुनरावृत्ति होने पर प्रतिकुल और अनुकूल समय पर होने वाली क्षति का अनुमान लगाया गया है।**	जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से आपदा घटित होने के पूर्व/पश्चात् सूचना प्राप्त होते ही नगर निगम कार्यालय का नियंत्रण कक्ष चौबीसो घंटे कार्य करना प्रारंभ कर देगा जो आपदा की समाप्ति की घोषणा तक जारी रहेगी।	**जिला आपदा प्रबंधन संभागः** नियंत्रण कक्ष–06452 239025/26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 7766027626 **नगर निगम** :नियंत्रण कक्ष – 064523 245305 नगर आयुक्त – 7488579960 सिटी मैनेंजर – 9570915811
	नगर स्तर टॉस्क फोर्स को सक्रिय करना। अगले 72 घंट के लिए एक कार्य योजना तैयार करना। प्रभावित क्षेत्र की स्थिति का प्रतिवेदन तैयार करना। राज्य आपदा संचालन केन्द्र (SEOC) से सहायता हेतु संपर्क स्थापित किया जायेगा।	**जिला आपदा प्रबंधन संभागः**नियंत्रण कक्ष–06452 239025/26 जिलाधिकारी –9473191375 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 7766027626 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 064523 245305 नगर आयुक्त – 7488579960 सिटी मैनेंजर – 9570915811
	जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन, नागरिक सुरक्षा समिति इकाई द्वारा निर्देशित कार्य किया जायेगा। सभी हताहत लोगों को अस्पताल पहुँचाना।	**पुलिसः** आरक्षी अधिक्षक –9431800001 डीएसपी (मुख्यालय) –9431476182/8544428447 **अस्पताल** : सिविल सर्जन – 9470003366 चिकित्सा पदाधिकारी –9431868655 **नागरिक सुरक्षा समिति** : मुख्य वार्डेन –9431229081

• **कटिहार नगर क्षेत्र को जनसंख्या घनत्व 9432 प्रति वर्ग किमी से अधिक है इसलिए प्रत्युत्तर कार्य को उच्च स्तर पर करने की आवश्यकता पड़ सकता है।** • **RCC संरचनाओं से इत्तर ईट–पत्थर से चिनाई कर बनाई गई दीवारों एवं छत वाले मकान जो भूकंप रोधी तकनीक अपनाकर नहीं बने हैं उनका ध्वस्त हो जाने के कारण बड़ी संख्या में लोगों का घायल होना मलवे में दब जाना।** • **संकरी गलियों में आवागमन अवरूद्ध हो जाना।** • **पुल–पुलिया ध्वस्त होने के कारण आवागमन अवरूद्ध हो जाना।**	जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन तथा नागरिक सुरक्षा समिति इकाई द्वारा निदेशित कार्य किया जायेगा। सभी हताहत लोगों को अस्पताल पहुँचाना। निजो अस्पतालों एवं ब्लड बैंक को तैयार रहने हेतु निर्देश जारी करना साथ ही एम्बुलेंस को तैयार रखना।	**पुलिसः** आरक्षी अधिक्षक –9431800001 सिविल सर्जन – 9470003366 चिकित्सा पदाधिकारी –9431868655 **ब्लड बैंक**– रेड क्रॉस सोसाईटी 94312 29081 **नागरिक सुरक्षा समिति** : मुख्य वार्डेन –9431229081 **भूतपूर्व सैन्यकर्मीः** वार्ड–2 सुशील कुमार 8405879189 वार्ड–3 कुमार भोला झा 8877549544,प्रदीप कु. साह 9534205998 **(विस्तृत सूची संलग्न)**
	L_1 स्तर की आपदा काल में वार्ड स्तर पर गठित खोज, बचाव एवं निष्कासन दल द्वारा सम्पन्न किया जायेगा। गंभीर आपदा की स्थिति में जिलाधिकारी स्तर पर SDRF को प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए खोज एवं बचाव कार्यो के लिए आमंत्रित किया जायेगा।	**जिला आपदा प्रबंधन संभागः** नियंत्रण कक्ष–06452 239025 / 26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 7766027626 **SDRF- जिला स्कूल प्रांगण पूर्णिया में स्थापित** – 9353212536
	जिला पदाधिकारी तथा पुलिस प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर खोज एवं बचाव के कार्य निम्नलिखित वार्डों में जो काफी सघन है, में क्लस्टर बना कर किया जायेगा ताकि अधिकतम जानमाल की रक्षा हो सके।(वार्ड सं.–18 से 20 तक, 23 तथा 26 से 37 तक) कुल आबादी – 70,244+ जिसमें 9965 होल्डिंग अवस्थित है। चूंकि ये इलाके ज्यादा घनत्व वाला है अतः इस कार्य के लिए दो से तीन क्लस्टर बना कर बचाव कार्य श्रेयस्कर होगा।	**जिला आपदा प्रबंधन संभागः**नियंत्रण कक्ष–06452 239025 / 26 जिलाधिकारी –9473191375 **पुलिसः** आरक्षी अधिक्षक –9431800001 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 064523 245305 नगर आयुक्त – 7488579960 **नगर विकास प्रमंडल** : स.अभियंता – 7858826791 **जिला अग्निशमन पदाधिकारी** : 8544402106 **SDRF- जिला स्कूल प्रांगण पूर्णिया में स्थापित** –9353212536 **BMP 07** वार्ड–2 –06452 222524 **भूतपूर्व सैन्यकर्मीः** वार्ड–25 प्रशांत कु. मंडल 7320082465 मुरारी कुमार साह 6303061795 वार्ड–28 उत्तम कुमार गुप्ता 9852310368 **(विस्तृत सूची संलग्न)**
	निदेशित सभी आश्रय स्थलो के निकट चलन्त शौचालय या अस्थाई स्वच्छ शौचालय का निर्माण, पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था हेतु अस्थाई चापाकल की स्थापना, जलमल निकासी एवं निपटान की व्यवस्था, ठोस कचरा निपटान एवं डी॰डी॰टी॰, ब्लिचिंग पाउडर तथा सैनिटाइजर का छिड़काव एवं अन्य व्यवस्थायें ।	**जिला आपदा प्रबंधन संभागः** नियंत्रण कक्ष–06452 239025 / 26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 7766027626 **नगर निगम** : सिटी मैनेंजर – 9570915811 सफाई निरीक्षक–6200776486 स्वच्छता सहायक – 9470259561 **खुले मैदान** : के. बी. झा कॉलेज, इंडोर स्टेडियम, नगर पालिका मैदान,दुर्गास्थान कैम्पस,एलडीसी मैदान,हरिशंकर नायक स्कूल मैदान

		लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल : कार्यपालक अभियंता –7858992333 **टेन्ट हाउस** : वार्ड–1 चुन्नू चौहान 8539996121, विनय चौहान 9471404388 वार्ड–7 सुनिल कुमार 9340584301 **(विस्तृत सूची संलग्न)**
	शहर की सफाई व्यवस्था को निर्वाध बनाये रखने का हर संभव प्रयास नगर निगम द्वारा किया जायेगा।	**नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 064523 245305 सिटी मैनेंजर – 9570915811 सफाई निरीक्षक–6200776480
	जहाँ कहीं भी अस्थाई पालतू पशु आश्रय शिविर बनाये जायग वहाँ पशुओं के मल–मूत्र की सफाई तथा उसके इर्द–गिर्द स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। इसके लिए एक चिह्नित कार्य बल, जरूरी यंत्र–संयत्र तथा कचरा परिवहन गाड़िया तैनात की जायेगी। डी॰डी॰टी॰, ब्लिचिंग पाउडर तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था की जायेगी।	**पशुपालन विभाग** : जिला पशुपालन पदा. – 9431267881 **नगर निगम** : सफाई निरीक्षक–6200776480
	जहाँ कहीं पाईप एवं नल द्वारा पेयजल आपूर्ति की जाती है उन वार्डो में आपदा के कारण व्यवधान आने पर लो.स्वा.अभि. प्रमंडल द्वारा तत्काल टैंकर से जलापूर्ति की व्यवस्था की जायेगी अथवा अस्थाई चापाकल गाड़े जायेगें। साथ ही व्यवधान को शीघ्रताशीघ्र दूर करते हुये जलापूर्ति व्यवस्था पुनर्बहाल की जायेगी।	**नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 064523 245305 सिटी मैनेंजर – 9570915811 **नगर निगम के संसाधन** – वाटर टैंकर –2 **लोकस्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडलः** कार्यपालक अभियंता –7858992333
	उर्जा प्रवाह बाधित होने पर उत्तर बिहार पावर होल्डिंग कम्पनी लि॰ (NBPHCL) द्वारा आवश्यक कदम उठाया जायेगा। इसके अतिरिक्त आश्रय शिविर स्थलों पर वैकल्पिक प्रकाश व्यवस्था की जायेगी।	**विद्युत विभाग** : टौल फ्री नं.18003456198 कार्यपालक अभियंता – 7763815099 सहायक अभियंता– 7763815334
	आपदा काल में प्रभावितों को शरणस्थली तक पहुँचाने, रसद पहुँचाने तथा अन्य आपात्कालीन कार्यो के लिए जरूरी परिवहन व्यवस्था की जायेगी।	**परिवहन विभाग** : जिला परिवहन पदा.–6202751075
	सभी प्रकार के आकस्मिक निर्माण एवं रख–रखाव कार्य निर्माण विभागों के द्वारा किये जायेग।	**जिला आपदा प्रबंधन संभागः** जिलाधिकारी – 9473191375 **नगर विकास एवं भवन निर्माण प्रमंडलः** कार्यपालक अभियंता– 8709837074 सहायक अभियंता (बुडको) 7858826731
	भूकम्प के दौरान जमींदोज हुए भवन या अन्य संरचना के मलवा निपटान के लिए डोजर, डम्फर, जेसीबी इत्यादि मशीनों को तैयार रखा जायेगा। कंक्रीट के छोटे–छोटे टुकड़ों में	**नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 064523 245305 सिटी मैनेंजर – 9570915811 **पथ निर्माण प्रमंडल** : कार्यपालक अभियंता– 8544401060

	काटकर तथा कंक्रीट के भीतर के सरिये को लेजर बीम से काटने का प्रबंध किया जायेगा। इन छोटे टुकड़ो को जेसीबी तथा डोजर से समेट कर डम्फर में लोड कर दिया जायेगा। जिसे शहर के इर्द–गिर्द नीचे गड्ढ को भरने के लिए अथवा ठोस कचरा निपटान स्थल पर भेज दिया जायेगा। संकरी गलियों में फसे संभावित लोगों के खोज बचाव को प्राथमिकता दी जायेगी।(गलियों की सूचो संलग्न)	सहायक अभियंता– 8789772676 / 8292037089 **SDRF : जिला स्कूल प्रांगण पूर्णिया में स्थापित** – 9353212536 **BMP 07** वार्ड–2 –06452 222524 **भूतपूर्व सैन्यकर्मी**: वार्ड–39 सिन्टु ठाकुर 6204331857, अरूण यादव–9709718687, वार्ड–41 नंदलाल यादव 7992345266 अशोक कुमार सिंह 8873936819 **(विस्तृत सूची संलग्न)** **नगर निगम के संसाधन** – जे.सी.बी. –2, ट्रेक्टर ट्रेलर–10, कटर मशीन–1 एवं ब्रेकर मशीन–1 **निजी ट्रेक्टर ट्रेलर**– वार्ड–1 नमूंदरा उरांव 8969584814, वार्ड–10 रमेश यादव 7903737826, वार्ड–24 मनोज झा 7909089276 वार्ड–35 राकेश गुप्ता 9431289325 वार्ड–37 सुरशे केशनामी 9955410643 **भारी वाहन** –वार्ड–20 कलीम अंसारी 7870448599 वार्ड–40 अमरेश सिंह 8409264357
	▪ आपदा के पश्चात् क्षति आकलन मुख्यतः संवेदनशील आबादी, अंतःसंरचना, संपत्ति की हानि तथा पर्यावरण क्षति की ओर केन्द्रित होना चाहिये तथा प्रत्युत्तर एव विकास कार्यो से संवेदनशीलता को क्रमशः घटाने में सहायक होना चाहिये। इसे मुख्यतः दो खंड़ों में विभक्त किया जा सकता हैं। **(क)** स्थिति का आकलन **(ख)** आवश्यकता का आकलन ▪ पूणतया एवं अत्यंत क्षतिग्रस्त मकानों, बर्बाद झोपड़ियों तथा मुफ्त सहाय वितरण का काम अविलंब राज्य आपदा रिस्पांस निधि के नये मानदर के रूप किया जायेगा।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 **अंचल कार्यालय (सदर)**: अंचलाधिकारी – 8544412598
	सभी विभागों / संभागों के साथ समन्वयित ढंग से सूचना का प्रवाह बनाये रखने का कार्य नगर कंट्रोल रूम के माध्यम से किया जायेगा।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग**: नियंत्रण कक्ष–06452 239025 / 26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 **जिला जनसंपर्क पदाधिकारी** : 7979061952 सभी मिडिया के प्रतिनिधि : सूची संलग्न।
	आपदा की स्थिति में सामुदायिक संगठनों एवं अन्य माध्यमों से सामग्री तथा राशि की सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे में इस कार्य हेतु एक नोडल ऑफिसर नामित होंगे जो दान दाता संगठनों को आवश्यक वस्तुओं की जानकारी उपलब्ध करायेगें तथा इनसे प्राप्त दान को एक समुचित पंजी में दर्ज करेगें।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 (सामुदायिक संगठन की सूची संलग्न है) **नागरिक सुरक्षा समिति** : मुख्य वार्डेन –9431229081

	संभावित या घटित आपदाओं की स्थिति में विभिन्न मिडिया श्रोतों से सूचना का आदान–प्रदान सुनिश्चित करना श्रेयस्कर होगा। इस हेतु नगर निकाय, जिला प्रशासन या नामित नोडल ऑफिसर तय समय पर मीडिया ब्रिफिंग करेगें। ऐसा करने से प्रशासन द्वारा किये जाने वाले कार्यो के बारे में आम जनता को जानकारी दी जा सकेगी।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 **नगर निगम** : सिटी मैनेंजर – 9570915811 **जिला जनसंपर्क पदाधिकारी** : 7979061952 सभी मिडिया के प्रतिनिधि : सूची संलग्न।
	शवों के अंतिम संस्कार के संदर्भ में मृतकों की पहचान/फोटो/ पोस्टमार्टम रिपोट के रख रखाव की व्यवस्था करना।	**पुलिसः** आरक्षी अधिक्षक –9431800001 **अस्पताल** : सिविल सर्जन – 9470003366 चिकित्सा पदाधिकारी –9431868655 **एम्बुलेंस** : सदर अस्पताल में 3 उपलब्ध **निजी एम्बुलेंस** : (वार्ड–1) निरंजन सादा 8092769141 (वार्ड–28) लीडर क्लब –9431097018
	मृत्यु, घायल या संपति की क्षति की स्थिति में "राज्य आपदा रिस्पॉस कोष एवं राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉस कोष से वर्ष 2022–23 से 2025–26 तक के लिए भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्रकृति से प्रभाावित व्यक्तियों/परिवारों के लिए निर्धारित सहाय मानदर के अनुरूप राशि प्रदान की जायेगी।" **(आपदा प्रबंधन विभाग–पत्रांक 01/प्रा॰आ॰(NDRF-SDRF) 06/2021/6304/आ॰प्र॰ दिनांक 31.12.2022)**	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06452 239025/26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 अंचलाधिकारी – 8544412598

नोट : सभी संसाधन सूची इस अध्याय के अंत में विस्तृत रूप से अंकित है।

शहरी बाढ़ / जलजमाव

अनुमानित अत्यंत विषम परिस्थिति	आपदा के दौरान की जानेवाली कारवाई	संबंधित विभाग / संभाग एवं कार्यालय का दायित्व
1	2	3 (इसे पूर्ण किया जाना है।)
• कटिहार शहरी क्षेत्र का एक मुख्य बड़ा हिस्सा भौगोलिक रूप से कटोरा के सदृश्य है। जिससे वर्षा के मौसम में शहर में जलजमाव का प्रकोप बना रहता है। • पूर्व में 2016 से 2018 में वर्षा से जलजमाव का दृश्य उत्पन्न हुआ था। वर्ष 2021 के मई महीने में ''यास'' तूफान के कारण शहर में जलजमाव हुआ था। • सितम्बर 2020 में भीषण वर्षा से 25 वार्डों में जलजमाव। • वर्ष 1971 एवं 1987 में भी नगरवासी बाढ़ एवं जलजमाव से प्रभावित हुए। • यहाँ जल निकासी का प्राकृतिक मार्ग दक्षिण–पूर्व में परतेली धार, उत्तर–पश्चिम में कारी कोसी नदी, उत्तर–पूर्व में रामपाड़ा नहर एवं दुर्गास्थान नहर, दक्षिण–पश्चिम में ललियाही कोसी धार तथा पूरब में रेलवे होते हुए निचले क्षेत्र में प्राकृतिक बहाव का मार्ग है। • कोशी नदी जो शहर के पश्चिम से होकर गुजरती है का जल स्तर शहर के भू–स्तर से उँचा होने के कारण शहर में जमा पानी	जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से आपदा घटित होने के पूर्व / पश्चात् सूचना प्राप्त होते ही नगर निगम कार्यालय का नियंत्रण कक्ष चौबीसो घंटे कार्य करना प्रारंभ कर देगा जो आपदा की समाप्ति की घोषणा तक जारी रहेगी।	**जिला आपदा प्रबंधन संभागः** नियंत्रण कक्ष–06452 239025 / 26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 7766027626 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 064523 245305 नगर आयुक्त –7488579960 उपनगर आयुक्त – 9431051812 सिटी मैनेंजर – 9570915811 सफाई निरीक्षक–6200776480 सहायक सफाई – 9470259561
	जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन तथा नागरिक सुरक्षा इकाई द्वारा किया जायेगा।	**जिला आपदा प्रबंधन संभागः** नियंत्रण कक्ष–06452 239025 / 26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 7766027626 **पुलिस** : आरक्षी अधिक्षक – 9431800001
	L_1 स्तर की आपदा काल में वार्ड स्तर पर गठित खोज, बचाव एवं निष्कासन दल द्वारा सम्पन्न किया जायेगा। गंभीर आपदा की स्थिति में जिलाधिकारी स्तर पर SDRF को प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए खोज एवं बचाव कार्यो के लिए आमंत्रित किया जायेगा।	**जिला आपदा प्रबंधन संभागः** नियंत्रण कक्ष–06452 239025 / 26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 7766027626 **SDRF- जिला स्कूल प्रांगण पूर्णिया में स्थापित** – 9353212536 **भूतपूर्व सैन्यकर्मीः** वार्ड–39 सिन्टु ठाकुर 6204331857, अरूण यादव–9709718687, वार्ड–41 नंदलाल यादव 7992345266 अशोक कुमार सिंह 8873936819 **(विस्तृत सूची संलग्न)**
	निर्देशित सभी आश्रय स्थलो के निकट चलन्त शौचालय या अस्थाई स्वच्छ शौचालय का निर्माण, पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था हेतु अस्थाई चापाकल की स्थापना, जलमल निकासी एवं निपटान की व्यवस्था, ठोस कचरा निपटान एवं डी॰डी॰टी॰, ब्लिचिग पाउडर तथा सैनिटाइजर का छिड़काव एवं अन्य व्यवस्थायें।	**नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 064523 245305 सिटी मैनेंजर – 9570915811 सफाई निरीक्षक–6200776480 सहायक सफाई – 9470259561 फोगिंग मशीन (नगर निगम)–2 **लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडलः** कार्यपालक अभि॰ –7858992333 **वाटर टैंकर** : नगर निगम के पास 2 बड़ी गाड़ियां उपलब्ध है। **खुले मैदान** : के. बी. झा कॉलेज, इंडोर स्टेडियम, नगर पालिका मैदान, दुर्गास्थान कैम्पस,एलडीसी मैदान,हरिशंकर नायक स्कूल मैदान **(विस्तृत सूची संलग्न)**

Gravity flow से नदी में नहीं जा पाता है। • **यहाँ जल जमाव के कारण लोगों की दिनचर्या ठप्प हो जाती है।** • **आवागमन बाधित हो जाता है। विद्युत स्पर्शाघात से बचाने के लिए विद्युत आपूर्ति बन्द करना पड़ता है।** • **शहर के सबसे संवेदनशील वार्ड संख्या 2,4,16,17,18,19,38,39,43 आदि है।** • **नालों का विस्तार नहीं होने तथा उसमें गाद का जमा होना जलजमाव के व्यापक्ता को बढ़ाता है।** • **शहर में सीवर एवं स्टॉर्म ड्रेनेज का अभाव है।**	शहर की सफाई व्यवस्था को निर्वाध बनाये रखने का हर संभव प्रयास नगर निगम द्वारा किया जायेगा।	**नगर निगम** : सफाई निरीक्षक–6200776480 सहायक सफाई – 9470259561
	जहाँ कहीं भी अस्थाई पालत् पशु आश्रय शिविर बनाये जायगे वहाँ पशुओं के मल–मूत्र की सफाई तथा उसके इर्द–गिर्द स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। इसके लिए एक चिह्नित कार्य बल, जरूरी यंत्र–संयत्र तथा कचरा परिवहन गाड़िया तैनात की जायेगी। डी॰डी॰टी॰, ब्लिचिग पाउडर तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था को जायेगी।	**नगर निगम** नियंत्रण कक्ष – 064523 245305 सिटी मैनेंजर – 9570915811 सफाई निरीक्षक–6200776480
	जहाँ कहीं पाईप एवं नल द्वारा पेयजल आपूर्ति की जाती है उन वार्डो में आपदा के कारण व्यवधान आने पर लो.स्वा.अभि. प्रमंडल द्वारा तत्काल टैंकर से जलापूर्ति की व्यवस्था की जायेगी अथवा अस्थाई चापाकल गाड़े जायेगें। साथ ही व्यवधान को शीघ्रताशीघ्र दूर करते हुये जलापूर्ति व्यवस्था पुनर्बहाल की जायेगी।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग**: नियंत्रण कक्ष–06452 239025/26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 7766027626 **परिवहन विभाग** : जिला परिवहन पदाधिकारी – 6202751075 **जिला खाद्य आपुर्ति विभाग** : जिला आपुर्ति पदाधिकारी – 8544426118
	उर्जा प्रवाह बाधित होने पर उत्तर बिहार पावर होल्डिंग कम्पनी लि॰ (NBPHCL) द्वारा आवश्यक कदम उठाये जायेगे। इसके अतिरिक्त आश्रय शिविर स्थलों पर विद्युत मुहैया करायेगी।	**विद्युत विभाग** : टौल फ्री नं.18003456198 कार्यपालक अभियंता – 7763815099 सहायक अभियंता– 7763815334
	आपदा काल में प्रभावितों को शरणस्थली तक पहुँचाने, रसद पहुँचाने तथा अन्य आपात्कालीन कार्यो के लिए जरूरी परिवहन व्यवस्था की जायेगो।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग**: नियंत्रण कक्ष–06452 239025/26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 7766027626 **परिवहन विभाग** : जिला परिवहन पदाधिकारी – 6202751075 **जिला खाद्य आपुर्ति विभाग**: जिला आपुर्ति पदाधिकारी – 8544426118
	सभी प्रकार के आकस्मिक निर्माण एवं रख–रखाव कार्य निर्माण विभागों के द्वारा किये जायेगे।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : जिलाधिकारी –9473191375 **नगर निगम** : नगर आयुक्त – 7488579960 **नगर विकास एवं भवन निर्माण प्रमंडल**: कार्यपालक अभियंता–9661696981 सहायक अभियंता (बुडको) 7858826731

	शहर में यह आपदा वार्ड सं॰ 2,4,5,6,7,9,10,11,12,16,17,18 एवं 19 को विशेष तौर पर प्रभावित करती है। उच्च शक्ति पंप लगाकर पानी को बाहर निकाला जायेगा। जलजमाव के बाद शहरों की गलियों, सड़को तथा घरो से गाद एवं गीला कुड़ा बहुत बड़ी मात्रा में फैल सकता है। इसको समेटने के लिए वाइपर तथा डोजर का प्रयोग किया जायेगा तथा इसे भी शहर के निकट किसी गड्ढे या पूर्व निर्धारित कचरा निपटान स्थल पर भेज दिया जायेगा। जल निकासी हेतु पंपो का उपयोग कर जल निकासी के उपरांत संक्रमण रोगो से बचने के उपाय, जल भरे गड्ढा को चिह्नित करने तथा मेन हॉल को बंद रखने का कार्य किया जायेगा।	**नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 064523 245305 सिटी मैनेंजर – 9570915811 सफाई निरीक्षक–6200776480 सहायक सफाई – 9470259561 **नगर निगम संसाधन** : जे.सी.बी. 2, टैक्टर टेलर 10, वाटर टैंकर 3, सकर मशीन 3, कॉम्पैक्टर 2, पंप सेट–5 एचपी डीजल चालित–4, 10एचपी डीजल चालित–3, 30एचपी डीजल चालित–2, 2एचपी से 5एचपी तक विद्युत चालित–6 **निजी संसाधनः** वाटर पंप वार्ड–1 मो. जाकिर 7631903419, मो. हाकिम 7654487582, मो. जहाँगीर 7004676356, मो. शहाशुन अंसारी 8228057512, मा. उरफत 7631224808, वार्ड –6 कृष्ण कुमार सिंह 9905472931 **ट्रेक्टर ट्रेलर**– वार्ड–1 नमूंदरा उरांव 8969584814, वार्ड–10 रमेश यादव 7903737826, वार्ड–11 शम्भू सरदार 6200400128, वार्ड–24 मनोज झा 7909089276 वार्ड–35 राकेश गुप्ता 9431289325 वार्ड–37 सुरशे केशनामी 9955410643 वार्ड–42 मो. साजिद रजा 7004982182
	जलनिकासी के प्रत्युत्तर कार्य :– ▪ 40एचपी पंप से के.बी.झा कॉलेज के पास से सड़क के दूसरे तरफ 60 फीट डिलिवरी पाईप लगाकर निकासी। वार्ड सं. 16,17,18,19,20,21 ▪ 40एचपी पंप से उपर के पानी को डायवर्ट कर के दुर्गास्थान टीयर पाडा से रेलवे लाईन के पार 100 फीट डिलिवरी पाईप से निकासी। वार्ड सं. 23,24,25 ▪ 40एचपी पंप से बी.एड. कॉलेज नहर ईदगाह के पास 50 फीट डिलिवरी पाईप से नहर में फेंकना। वार्ड सं.5,6,7,8 ▪ 40एचपी पंप से पुटानी चौक से 70 फीट डिलिवरी पाईप	**नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 064523 245305 नगर आयुक्त –7488579960 उपनगर आयुक्त – 9431051812 सिटी मैनेंजर – 9570915811 सहायक अभियंता – 9431096180 कनीय अभियंता 1 – 7870064066 कनीय अभियंता 2 – 9122323967 सफाई निरीक्षक – 6200776480 सहायक सफाई – 9470259561 **नगर निगम का पंप**– डीजल 10एचपी का तीन पंप, 20एचपी का

	द्वारा दूसरे नाले में–फिर इसी पानी को कारी कोशी बांध के बगल पंप लगाकर (100 फीट डिलिवरी पाईप) कोशी में फेंकना। वार्ड सं. 9 एव 12 ▪ 30एचपी पंप से पी एण्ड टी बरमसिया (नाला से नाला तक) 40 फीट डिलिवरी पाईप से निकासी। वार्ड सं. 10 एवं 11 ▪ 40एचपी पंप से ललियाही कोशी बांध पर 100 फीट डिलिवरी पाईप से कोशी में पानी डालना। वार्ड सं. 3 ▪ 20एचपी पंप से बधुआबाड़ी/छींटाबाड़ी सड़क पार कर के खुले मैदान में (50 फीट डिलिवरी पाईप)–फिर पंप लगाकर नहर से पानी छोड़ना (30 फीट डिलिवरी पाईप) ▪ 3X10एचपी पंप से डेहरिया से वार्ड 38,39 तथा 43 का पानी लेकर वार्ड 36 में गरेड़ी टोला (लाल बाबा मंदिर) श्रम संसाधन केन्द्र के पास पानी निकालना। टोटल पाईप 20X3फीट डिलिवरी पाईप का उपयोग।	तीन पंप, बिजली चालित 5एचपी का पाँच पंप, बिजली चालित 25एचपी का पंप **निजी पंप** – मो. जाकिर 7631903419, मो. हाकिम 7654487582, मो. जहाँगीर 7004676356, मो. शहाशुन अंसारी 8228057512, मो. उलफत 7631224808 सभी संसाधन हाजीपुर वार्ड सं.–1, पंप क्षमता अधिकतम 10एचपी। कृष्ण कुमार सिंह 9905472931 ऑफिसर्स कॉलोनी, वार्ड सं.6। **जे.सी.बी.**: वार्ड–2 आशिफ हुसैन 7634031305 वार्ड–17 बबलु सिन्हा 9431250880 **नोट** : जल जमाव के स्थिति में नगर निगम आवयकतानुसार वार्ड स्तर पर दलों का गठन करेगा। प्रत्येक दल में एक प्रशासकीय पदाधिकारी, एक अभियंता, सफाई निरीक्षक तथा जरूरत के हिसाब से सफाई कर्मचारी रहेगे। आवश्यक मशीनों का चेक लिस्ट तैयार रखेंगे ।
	▪ आपदा के पश्चात् क्षति आकलन, मुख्यतः संवेदनशील आबादी, अंतःसंरचना, संपत्ति की हानि तथा पर्यावरण क्षति की ओर केन्द्रित होनी चाहिये तथा प्रत्युत्तर एव विकास कार्यो से संवेदनशीलता को क्रमशः घटाने में सहायक होना चाहिये। इसे मुख्यतः दो खंड़ों में विभक्त किया जा सकता हैं। **(क)** स्थिति का आकलन **(ख)** आवश्यकता का आकलन ▪ पूर्णतया एवं अत्यंत क्षतिग्रस्त मकानों, बर्बाद झोपड़ियों तथा मुफ्त सहाय वितरण का काम अविलंब राज्य आपदा रिस्पांस निधि के नये मानदर के रूप किया जायेगा।	**जिला पदाधिकारी** : प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 **अंचल कार्यालय (सदर)**: अंचलाधिकारी – 8544412598
	सभी विभागों/संभागों के साथ समन्वयित ढंग से सूचना का प्रवाह बनाये रखने का कार्य नगर कंट्रोल रूम के माध्यम से किया जायेगा।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06452 239025/26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 **जिला जनसंपर्क पदाधिकारी** : 7979061952 सभी मिडिया के प्रतिनिधि : सूची संलग्न।

	आपदा की स्थिति में सामुदायिक संगठनों एवं अन्य माध्यमों से सामग्री तथा राशि की सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे में इस कार्य हेतु एक नोडल ऑफिसर नामित होंगे जो दान दाता संगठनों को आवश्यक वस्तुओं की जानकारी उपलब्ध करायेगें तथा इनसे प्राप्त दान को एक समुचित पंजी में दर्ज करेगें।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06452 239025 / 26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590
	संभावित या घटित आपदाओं की स्थिति में विभिन्न मीडिया श्रोतों से सूचना का आदान–प्रदान सुनिश्चित करना श्रेयस्कर होगा। इस हेतु नगर निकाय, जिला प्रशासन या नामित नोडल ऑफिसर तय समय पर मीडिया ब्रिफिंग करेगें। ऐसा करने से प्रशासन द्वारा किये जाने वाले कार्यो के बारे में आम जनता को सही जानकारी दी जा सकेगी तथा अफवाहों से बचा जा सकेगा।	**जिला आपदा प्रबंधन संभागः** नियंत्रण कक्ष–06452 239025 / 26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 7766027626 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 064523 245305 सिटी मैनेंजर – 9570915811 **जिला जनसंपर्क पदाधिकारी** : 7765887170 सभी मिडिया के प्रतिनिधियों का सूची संलग्न ।
	मृत्यु, घायल या संपति की क्षति की स्थिति में "राज्य आपदा रिस्पॉस कोष एवं राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉस कोष से वर्ष 2022–23 से 2025–26 तक के लिए भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्रकृति से प्रभाावित व्यक्तियों / परिवारों के लिए निर्धारित सहाय मानदर के अनुरूप राशि प्रदान की जायेगी।" **(आपदा प्रबंधन विभाग–पत्रांक 01 / प्रा॰आ॰(NDRF-SDRF) 06 / 2021 / 6304 / आ॰प्र॰ दिनांक 31.12.2022)**	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06452 239025 / 26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590

अगलगी

अनुमानित अत्यंत विषम परिस्थिति	आपदा के दौरान की जानेवाली कारवाई	संबंधित विभाग/संभाग एवं कार्यालय का दायित्व
1	2	3
• **शहरी क्षेत्र में घनी आबादो (9437/वर्ग किमी.) है।** • **बढ़ता शहरीकरण, तंग बस्तियां तथा शहर में अवस्थित 36 मलिन बस्तियों में आग लगने पर भयावहता की आशंका बनी रहती है।** • **पूर्व की अगलगी ने औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा बड़े गोदाम एवं दूकानों में आग लगने की घटनाओं को उजागर किया है।** • **इसके अतिरिक्त शादी, सभा या धार्मिक उत्सव स्थल पर बांस बल्ली तथा ज्वलनशील कपड़ो से बने पंडाल।** • **बिजली के शार्ट सर्किट से भी अगलगी की घटना में बढ़ोत्तरी हुई है।** • **औद्योगिक क्षेत्र, न्यू मार्केट, मंगल बाजार, बड़ा बाजार, विनोदपुर आदि संवेदनशील क्षेत्र है।** • **वर्तमान में शहर में 13 हाईड्रेंट में केवल दो ही सरकारी है, जबकि शेष निजी हैं।**	जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से आपदा घटित होने के पश्चात् सूचना प्राप्त होते ही नियंत्रण कक्ष चौबीसो घंटे कार्य करना प्रारंभ कर देगा जो आपदा की समाप्ति की घोषणा तक जारी रहेगी। जिला फायर ऑफिसर तुरंत घटना स्थल रवाना होगें। भयंकर अगलगी की स्थिति में जिलाधिकारी स्वयं घटना स्थल पर पहुँचेगें।	**जिला आपदा प्रबंधन संभागः** नियंत्रण कक्ष–06452 239025/26 जिलाधिकारी –9473191375 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 064523 245305 सिटी मैनेंजर – 9570915811 **फायर ऑफिस** : 101 **जिला अग्निशमन पदाधिकारी** : 8544402106 **सहायक अग्निशमन पदाधिकारी** : 8210550627
	जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन तथा नागरिक सुरक्षा इकाई द्वारा किया जायेगा। अस्पताल को तैयार रहने हेतु तुरंत सूचित किया जायेगा।	**जिला आपदा प्रबंधन संभागः** नियंत्रण कक्ष–06452 239025/26 जिलाधिकारी –9473191375 **पुलिसः** आरक्षी अधिक्षक –9431800001 डीएसपी (मुख्यालय) –9431476182/8544428447 **अस्पताल** : सिविल सर्जन – 9470003366 चिकित्सा पदाधिकारी –9431868655 **नागरिक सुरक्षा समिति** : मुख्य वार्डेन –9431229081
	L_1 स्तर की आपदा काल में अग्निशमनालय को सूचित कर बुलाया जायेगा। वार्ड स्तर पर गठित खोज, बचाव एवं निष्कासन दल को सक्रिय किया जायेगा। गंभीर आपदा की स्थिति में जिलाधिकारी स्तर पर SDRF को प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए खोज एवं बचाव कार्या के लिए आमंत्रित किया जायेगा। संकरी गलियों में आग लगने की स्थिति में छोटे फायर टेंडर का उपयोग तथा उपलब्ध जलस्त्रोतों की पहचान की जायेगी। **(गलियों की सूचि संलग्न हैं)**	**जिला आपदा प्रबंधन संभागः** नियंत्रण कक्ष–06452 239025/26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 7766027626 **जिला अग्निशमन पदाधिकारी** : 8544402106 **सहायक अग्निशमन पदाधिकारी** : 8210550627 **अग्निशमनालय** : 2 वाटर टेन्डर (4500 लिटर) तथा 8 छोटे मिस्ट टेकनोलॉजी (300 लिटर, 50 लिटर फोम) **हाईड्रेन्ट** : कुल–13, निजी–11 **SDRF- जिला स्कूल प्रांगण पूर्णिया में स्थापित** –9353212536 **भूतपूर्व सैन्यकर्मीः** वार्ड–39 सिन्टु ठाकुर 6204331857, अरूण यादव–9709718687, वार्ड–41 नंदलाल यादव 7992345266 अशोक कुमार सिंह 8873936819 **(विस्तृत सूची संलग्न)**

• **मलिन बस्ती वार्ड सं. 1 से 5 तक, 6 एवं 7, 21, 23, 26,एवं 27 में अवस्थित है।** • **घने आबादी क्षेत्र में स्थित जूट एवं पटुआ के गोदाम, कागज तथा प्लाईबोर्ड गोदाम, कपड़ा दुकान इत्यादि।** • **यहां आग लगने पर बड़े पैमाने पर जान–माल की हानि हो सकती है।**	निर्देशित सभी आश्रय स्थलो के निकट चलन्त शौचालय या अस्थाई स्वच्छ शौचालय का निर्माण, पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था हेतु अस्थाई चापाकल की स्थापना, जलमल निकासी एवं निपटान की व्यवस्था, ठोस कचरा निपटान एवं डी॰डी॰टी॰, ब्लिचिग पाउडर तथा सैनिटाइजर का छिड़काव एवं अन्य व्यवस्थायें।	**जिला आपदा प्रबंधन संभागः** नियंत्रण कक्ष–06452 239025 / 26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 7766027626 **नगर निगम** : सफाई निरीक्षक–6200776486 **खुले मैदान** : के. बी. झा कॉलेज, इंडोर स्टेडियम, नगर पालिका मैदान, दुर्गास्थान कैम्पस,एलडीसी मैदान,हरिशंकर नायक स्कूल मैदान **(विस्तृत सूचो संलग्न)** **टेन्ट हाउस** : वार्ड–3 गोपी 8709897053, वार्ड–4 प्रेम कुमार 9835228821, वार्ड–8 नवीन कु. 7004665332 **(विस्तृत सूची संलग्न)**
	सफाई व्यवस्था को निर्वाध बनाये रखने का हर संभव प्रयास किया जायेगा।	**नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 064523 245305 सिटी मैनेंजर – 9570915811 सफाई निरीक्षक–6200776486
	जहाँ कहीं भी अस्थाई पालतू पशु आश्रय शिविर बनाये जायगे। वहाँ पशुओं के मल–मूत्र की सफाई तथा उसके इर्द–गिर्द स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। इसके लिए एक चिह्नित कार्य बल, जरूरी यंत्र–संयत्र तथा कचरा परिवहन गाड़िया तैनात की जायेगी। डी॰डी॰टी॰, ब्लिचिंग पाउडर तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था की जायेगी।	**नगर निगम** : सफाई निरीक्षक–6200776486
	आपदा के कारण व्यवधान आने पर लो.स्वा.अभि. प्रमंडल द्वारा तत्काल टैंकर से जलापूर्ति की व्यवस्था की जायेगी। जरूरी होने पर अस्थाई चापाकल गाड़े जायेगें। साथ ही व्यवधान को शीघ्रतिशीघ्र दूर करते हुये जलपूर्ति व्यवस्था पुनर्बहाल की जायेगी।	**वाटर टैंकर** : नगर निगम के पास 2 उपलब्ध है। **लोकस्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडलः** कार्यपालक अभियंता –7858992333
	उर्जा प्रवाह बाधित होने पर उत्तर बिहार पावर होल्डिंग कम्पनी लि॰ (NBPHCL) द्वारा आवश्यक कदम उठाये जायेगे। इसके अतिरिक्त आश्रय शिविर स्थलों पर विद्युत मुहैया करायेगी।	**विद्युत विभाग** : टौल फ्री नं.18003456198 कार्यपालक अभियंता – 7763815099 सहायक अभियंता– 7763815334

ग्रीन कोरीडोर (बाधा रहित मार्ग) बनाना। यह कार्य अप या डाउन किसी एक लेन को सुरक्षित कर या किसी मार्ग को पूर्णतः बंद कर किया जा सकता है ताकि आवश्यक गाड़ियो को तेज परिचालन में किसी प्रकार की बाधा नहीं हो।	**पुलिसः** आरक्षी अधिक्षक –9431800001 डीएसपी (मुख्यालय) –9431476182 / 8544428447 **अस्पताल** : सिविल सर्जन – 9470003366 चिकित्सा पदाधिकारी –9431868655 **जिला अग्निशमन पदाधिकारी** : 8544402106 **सहायक अग्निशमन पदाधिकारी** : 8210550627 **एम्बुलेंस** : सदर अस्पताल में 3 उपलब्ध **निजी एम्बुलेंस** : (वार्ड–1) निरंजन सादा 8092769141 (वार्ड–28) लीडर क्लब –9431097018
आपदा काल में प्रभावितों को शरणस्थली तक पहुँचाने, रसद पहुँचाने तथा अन्य आपात्कालीन कार्यो के लिए जरूरी परिवहन व्यवस्था की जायेगी।	**जिला आपदा प्रबंधन संभागः** नियंत्रण कक्ष–06452 239025 / 26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 7766027626 **परिवहन विभाग** : जिला परिवहन पदाधिकारी – **जिला खाद्य आपुर्ति विभाग** : जिला आपुर्ति पदाधिकारी – 9470359154
अगलगी की अवस्था में तुंरत प्रत्युत्तर की कारवाई की जा सके इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना ने एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06452 239025 / 26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590
▪ आपदा के पश्चात् क्षति आकलन मुख्यतः संवेदनशील आबादी, अंतःसंरचना, संपत्ति की हानि तथा पर्यावरण क्षति की ओर केन्द्रित होनी चाहिये तथा प्रत्युत्तर एव विकास कार्यो से संवेदनशीलता को क्रमशः घटाने में सहायक होना चाहिये। इसे मुख्यतः दो खंड़ों में विभक्त किया जा सकता हैं। **(क)** स्थिति का आकलन **(ख)** आवश्यकता का आकलन ▪ पूणतया एवं अत्यंत क्षतिग्रस्त मकानों, बर्बाद झोपड़ियों तथा मुफ्त सहाय वितरण का काम अविलंब राज्य आपदा रिस्पांस निधि से किया जायेगा।	**जिला पदाधिकारी** : प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 **अंचल कार्यालय (सदर)**: अंचलाधिकारी – 8544412598
सभी विभागों / संभागों के साथ समन्वयित ढंग से सूचना का प्रवाह बनाये रखने का कार्य नगर कंट्रोल रूम के माध्यम से किया जायेगा।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06452 239025 / 26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 7766027626

	घटित आपदाओं की स्थिति में विभिन्न मिडिया श्रोतों से सूचना का आदान–प्रदान सुनिश्चित करना श्रेयस्कर होगा। इस हेतु नामित नोडल ऑफिसर तय समय पर मीडिया ब्रिफिंग करेगें। ऐसा करने से प्रशासन द्वारा किये जाने वाले कार्यो के बारे में आम जनता को जानकारी दी जा सकेगी।	**जिला आपदा प्रबंधन संभागः** नियंत्रण कक्ष–06452 239025 / 26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 7766027626 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 064523 245305 सिटी मैनेंजर – 9570915811 **जिला जनसंपर्क पदाधिकारी** : 7765887170 सभी मिडिया के प्रतिनिधि : सूची संलग्न।
	जिला अग्निशमन कार्यालय शहर में उपलब्ध हाईड्रेंट का समुचित उपयोग करेगी।	**जिला अग्निशमन पदाधिकारी** : 8544402106 **सहायक अग्निशमन पदाधिकारी** : 8210550627 **अग्निशमनालय** : 2 बड़े वाटर टेन्डर(4500 लिटर) तथा 8 छोटे मिस्ट टेकनोलॉजी (300 लिटर, 50लिटर फोम) **शहर में अवस्थित हाईड्रेन्ट** : वार्ड सं 1,2,8,20,21,23,29, 31 एवं 37 (वार्ड सं. 1 तथा 2 को छोड़कर बाकी सभी निजी हाईड्रेन्ट है)
	मृत्यु, घायल या संपति की क्षति की स्थिति में "राज्य आपदा रिस्पॉस कोष एवं राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉस कोष से वर्ष 2022–23 से 2025–26 तक के लिए भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्रकृति से प्रभाावित व्यक्तियों / परिवारों के लिए निर्धारित सहाय मानदर के अनुरूप राशि प्रदान की जायेगी।" **(आपदा प्रबंधन विभाग–पत्रांक 01 / प्रा॰आ॰(NDRF-SDRF) 06 / 2021 / 6304 / आ॰प्र॰ दिनांक 31.12.2022)**	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06452 239025 / 26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590

नोट :– उपरोक्त कारवाई आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के पत्रांक 936, दिनांक 08.03.2022 में दिये गये निर्देश के आधार पर तैयार की गई है।

सड़क हादसा/भीड़–भगदड

अनुमानित अत्यंत विषम परिस्थिति	आपदा के दौरान की जानेवाली कारवाई	संबंधित विभाग/संभाग एवं कार्यालय का दायित्व
1	2	3
▪ सडक हादसा :– शहरी क्षेत्र में पूर्व में 5 वर्षो में घटित सड़क दुर्घटना में लगभग 28 घटनाएं हुई जिसमें एक दर्जन मौते एवं इतने ही लोग घायल हुये। ▪ शहरी क्षेत्र में सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चलाना है। ▪ बाजार की सड़के, वैसी अंदर की सड़के जो तिराहे या चौराहे से मिलती हैं दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील माना गया है। इसके अतिरिक्त तीखे ढ़ालान वाली सड़के भी दर्घटना प्रवण है। ▪ के.बी.झा कॉलेज, गेडाबाड़ी चौक, कारगील चौक के निकट तथा NH-31 से सटी सड़के दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील है।	**सड़क दुर्घटनाः** दुर्घटना स्थल पर भीड़ पर नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखना।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06452 239025/26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 **पुलिसः** आरक्षी अधिक्षक –9431800001 डीएसपी (मुख्यालय) –9431476182/8544428447
	घायलों को दुर्घटना स्थल से सावधानी के साथ एकत्रीकरण स्थल से एम्बुलेंस या वाहन द्वारा नजदीकी अस्पताल तक पहुँचाना। शहर के पूर्व सैनिक निवासी तथा नागरिक सुरक्षा दल का सहयोग लेना।	**अस्पताल (नोडल विभाग)** : सिविल सर्जन – 9470003366 चिकित्सा पदाधिकारी –9431868655 **एम्बुलेंस** : सदर अस्पताल में 3 उपलब्ध । **नागरिक सुरक्षा समिति** : मुख्य वार्डेन –9431229081 **भूतपूर्व सैन्यकर्मीः** वार्ड–2 सुशील कुमार 8405879189 वार्ड–3 कुमार भोला झा 8877549544,प्रदीप कु. साह 9534205998 **(विस्तृत सूची संलग्न)**
	ग्रीन कोरीडोर (बाधा रहित मार्ग) बनाना।	**पुलिसः** आरक्षी अधिक्षक –9431800001 डीएसपी (मुख्यालय) –9431476182/8544428447
	कंट्रोल रूम के नंबर का सार्वजनिक प्रचार–प्रसार तथा दुर्घटना में घायलों/मृतकों के संबंध में सूचना एकत्र करना तथा निकट संबंधियों तक पहुँचाना।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06452 239025/26
	▪ हॉस्पीटल आकस्मिक प्रभाग को क्रियाशील (activate) करना। शय्या सुरक्षित करना। ▪ अतिरिक्त चिकित्सक/चिकित्सीय सुविधा का (यदि आवश्यक हो तो) प्रोटोकॉल अनुपालन करते हुये अधियाचना।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06452 239025/26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.) – 9939037590 **अस्पताल (नोडल विभाग)** : सिविल सर्जन – 9470003366 चिकित्सा पदाधिकारी –9431868655
	दुर्घटना स्थल मृतकों को अस्पताल ले जाकर पोस्टमार्टम कराना, पहचान कराना, परिजनों को सौंपना।	**अस्पताल (नोडल विभाग)** : चिकित्सा पदाधिकारी –9431868655
	वैसे मृतक जिनका पहचान न हो पाये और कोई निकट संबंधी संपर्क न करे उसका नियमानुसार के साथ अंतिम संस्कार करना।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06452 239025/26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590
	मृतकों के निकट संबंधियों को मृतक की अंतिम क्रिया हेतु अनुदान	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06452 239025/26 प्रभारी पदाधिकारो (जि.आ.प्र.)– 9939037590
	घायलों/मृतका के निकट संबंधियों को क्षतिपूर्ति राशि दावा में सहायता ।	**जिला परिवहन पदा. सह सचिवः** सड़क सुरक्षा समिति–6202751075

▪ भीड़–भगदड़ :– कुछ खास अवसरों पर एकत्रित भीड़ में अचानक विस्फोट, दुर्घटना या अफवाह के कारण भयाक्रांत भीड़ भगदड़ में बदल जाती है। ऐसे किसी भी स्थान पर जब प्रवेश एवं निकास एक ही संकरे स्थान से हो तो स्थिति और अधिक भयावह हो जाती ह। ▪ वैसे स्थल जहाँ पर्व–त्योहारो, मेला आदि में ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है :– • गोशाला चौक • बनिया टोला • शिवशंकर चौक • तेजा टोला • बी.एम.पी. छठ घाट • ईदगाह आदि।	**भीड़ भगदङः** घायलों/मृतकों के निकट संबंधियों को अनुग्रह अनुदान/क्षतिपुर्ति राशि । शहर क निवासी पूर्व सैनिक तथा नागरिक सुरक्षा दल की सहायता हासिल करना।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग :** नियंत्रण कक्ष–06452 239025/26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 **नागरिक सुरक्षा समिति :** मुख्य वार्डेन –9431229081 **भूतपूर्व सैन्यकर्मी:** वार्ड–2 सुशील कुमार 8405879189 वार्ड–3 कुमार भोला झा 8877549544, प्रदीप कु. साह 9534205998 **(विस्तृत सूची संलग्न)**

चक्रवाती तूफान

अनुमानित अत्यंत विषम परिस्थिति	आपदा के दौरान की जानेवाली कारवाई	संबंधित विभाग/संभाग एवं कार्यालय का दायित्व
1	2	3 (इसे पूर्ण किया जाना है।)
• मई 2021 में भीषण यास तूफान की वजह से शहरों में आधारभूत संरचनाओं तथा कच्चे मकानों में व्यापक क्षति का सामना करना पड़ा। • इस तूफान ने शहर में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हुआ। • पश्चिम बंगाल से उठे चक्रवातीं उच्च शक्ति की हवा से यह शहर अधिकांशतः प्रभावित होता रहता है। नगर निगम को विशेष दल गठन कर जलजमाव एवं कचरा उठाव का काम करना पड़ता है। • वैशाख (कालवैशाखी) के महीने में विशेष सतर्कता की जरूरत होती है। • आंधी तूफान से बड़ी संख्या में पेड़ पौधों का अपनी जड़ से उखड़ कर गिरना जैसी बाधाएं उत्पन्न होती है। • लोगो/पालतु जानवर की मृत्यु एवं जख्मी होना।	जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से आपदा घटित होने के पूर्व/पश्चात् सूचना प्राप्त होते ही नगर निगम कार्यालय का नियंत्रण कक्ष चौबीसो घंटे कार्य करना प्रारंभ कर देगा जो आपदा की समाप्ति की घोषणा तक जारी रहेगी।मौसम विज्ञान केन्द्र से अद्यतन जानकारी ली जायेगी ।	**जिला आपदा प्रबंधन संभागः** नियंत्रण कक्ष–06452 239025/26 जिलाधिकारी –9473191375 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 7766027626 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 064523 245305 सिटी मैनेंजर – 9570915811
	जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन तथा नागरिक सुरक्षा समिति इकाई द्वारा किया जायेगा। सभी हताहत लोगों को अस्पताल पहुँचाना।	**पुलिस** : आरक्षी अधिक्षक –9431800001 डीएसपी (मुख्यालय) –9431476182/8544428447 **सदर अस्पताल** : सिविल सर्जन – 9470003366 चिकित्सा पदाधिकारी –9431868655
	L_1 स्तर की आपदा काल में वार्ड स्तर पर गठित खोज, बचाव एवं निष्कासन दल द्वारा सम्पन्न किया जायेगा। गंभीर आपदा की स्थिति में जिलाधिकारी स्तर पर SDRF को प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए खोज एवं बचाव कार्यो के लिए आमंत्रित किया जायेगा।	**जिला आपदा प्रबंधन संभागः** नियंत्रण कक्ष–06452 239025/26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 7766027626 **SDRF- जिला स्कूल प्रांगण पूर्णिया में स्थापित** –9353212536
	निर्देशित सभी आश्रय स्थलो के निकट चलन्त शौचालय या अस्थाई स्वच्छ शौचालय का निर्माण, पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था, जलमल निकासी एवं निपटान की व्यवस्था, ठोस कचरा निपटान एवं डी॰डी॰टी॰, बिल्चिग पाउडर तथा सैनिटाइजर का छिड़काव एवं अन्य व्यवस्थायें । कुछ वार्डो को मिलाकर एक संयुक्त नगर निगम की टीम गठित की जायेगी । जिसमें सफाई निरीक्षक एवं अभियंता शामिल होगें।	**जिला आपदा प्रबंधन संभागः** नियंत्रण कक्ष–06452 239025/26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 7766027626 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 064523 245305 सिटी मैनेंजर – 9570915811 स्वास्थ्य निरीक्षक –6200776480 1. बुडको सहायक अभियंता – 785882679 2. बुडको सहायक अभियंता – 7887295092
	शहर की सफाई व्यवस्था को निर्वाध बनाये रखने का हर संभव प्रयास किया जायेगा।	**नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 064523 245305 सिटी मैनेंजर – 9570915811 स्वास्थ्य निरीक्षक –6200776480
	जहाँ कहीं भी अस्थाई पालतू पशु आश्रय शिविर बनाये जायगे। वहाँ पशुओं के मल–मूत्र की सफाई तथा उसके इर्द–गिर्द स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। इसके लिए एक चिह्नित कार्य बल, जरूरी यंत्र–संयत्र तथा कचरा परिवहन	**नगर निगम** : सिटी मैनेंजर – 9570915811 स्वास्थ्य निरीक्षक –6200776480

• **बिजली के तार पर गिरने के कारण विद्युत आपूर्ति में बाधा।** • **विद्युत आपूर्ति होने से पेयजल आपूर्ति ठप्प हो जाना।** • **होर्डिंग/टिन शेड का उखड़ना।** • **अस्पतालों निजी नर्सिग होम के कार्यो में बाधा।** • **परिवहन व्यवस्था ठप्प होना।**	गाड़िया तैनात की जायेगी। डी॰डी॰टी॰, बिल्चिग पाउडर तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था की जायेगी।	
	जहाँ कहीं पाईप एवं नल द्वारा पेयजल आपूर्ति की जाती है उन वार्डो में आपदा के कारण व्यवधान आने पर तत्काल टैंकर से जलापूर्ति की व्यवस्था की जायेगी अथवा अस्थाई चापाकल गाड़े जायेगें। साथ ही व्यवधान को शीघ्रताशीघ्र दूर करते हुये जलपूर्ति व्यवस्था पुनर्बहाल की जायेगी।	**नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 064523 245305 सिटी मैनेंजर – 9570915811 **लोक स्वास्थ्य एवं स्वछता प्र.** : कार्यपालक अभियंता– 7858992333
	उर्जा प्रवाह बाधित होने पर उत्तर बिहार पावर होल्डिंग कम्पनी लि॰ (NBPHCL) द्वारा आवश्यक कदम उठाये जायेगे। इसके अतिरिक्त आश्रय शिविर स्थलों पर विद्युत मुहैया करायेगी।	**विद्युत विभाग** : टौल फ्री नं.18003456198 कार्यपालक अभियंता – 7763815099 सहायक अभियंता– 7763815334
	सभी प्रकार के आकस्मिक निर्माण एवं रख–रखाव कार्य निर्माण विभागों के द्वारा किये जायेगे।	**नगर विकास एवं भवन निर्माण प्रमंडलः** सहायक अभियंता– 7858826791
	आमतौर पर बड़े–बड़े पेड़ आवागमन बांधित कर देता है। इन्हें हटाने के लिए कुल्हाड़ी, मोबाइल आरा मशीन आदि से काटकर इनका तुरंत निष्पादन कर दिया जायेगा। जहाँ से यह वन विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा। इस दौरान टीन के छतो के उड़ने तथा अन्य हल्के पदार्थ बेतरतीब तरीके से सड़को पर फैलकर आवागमन को बाधित करता है। जिसका निपटान किया जायेगा। साथ ही इस दौरान मृत लावारिस पशु तथा मनुष्य के शवो का विधिवत निपटान यथा दफनाने/जलान का कार्य भी किया जायेगा।	**वन प्रमंडल** : वन प्रमंडल पदाधिकारी– 06454 242744 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 064523 245305 सिटी मैनेंजर – 9570915811 **निजी आरा मशीन** : वार्ड–6 अनिशुर रहमान 9973416893 वार्ड–29 सुरेश अग्रवाल 9431868447 **निजी जे.सी.बी.+ट्रैक्टर** : वार्ड–2 आशिफ हुसैन 7634031305 वार्ड–17 बबलु सिन्हा 9431250880
	▪ आपदा के पश्चात् क्षति आकलन मुख्यतः संवेदनशील आबादी, अंतःसंरचना, संपत्ति की हानि तथा पर्यावरण क्षति की ओर केन्द्रित होनी चाहिये तथा प्रत्युत्तर एव विकास कार्यो से संवेदनशीलता को क्रमशः घटाने में सहायक हाना चाहिये। इसे मुख्यतः दो खंड़ों में विभक्त किया जा सकता हैं। **(क)** स्थिति का आकलन **(ख)** आवश्यकता का आकलन। ▪ पूणतया एवं अत्यंत क्षतिग्रस्त मकानों, बर्बाद झोपड़ियों तथा मुफ्त सहाय वितरण का काम अविलंब राज्य आपदा रिस्पांस निधि के नये मानदर के रूप किया जायेगा।	**जिला पदाधिकारी** : जिलाधिकारी –9473191375 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 **अंचल कार्यालय (सदर)**: अंचलाधिकारी – 8544412598

	सभी विभागों/संभागों के साथ समन्वयित ढंग से सूचना का प्रवाह बनाये रखने का कार्य नगर कंट्रोल रूम के माध्यम से किया जायेगा।	**जिला आपदा प्रबंधन संभागः** नियंत्रण कक्ष–06452 239025/26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 7766027626 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 064523 245305
	घटित आपदाओं की स्थिति में विभिन्न मीडिया श्रोतों से सूचना का आदान–प्रदान सुनिश्चित करना श्रेयस्कर होगा। इस हेतु नगर निकाय, जिला प्रशासन या नामित नोडल ऑफिसर तय समय पर मीडिया ब्रिफिंग करेगें। ऐसा करने से प्रशासन द्वारा किये जाने वाले कार्यो के बारे में आम जनता को जानकारी दी जा सकेगी।	**जिला आपदा प्रबंधन संभागः** नियंत्रण कक्ष–06452 239025/26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 सलाहकार (जि.आ.प्र.)– 7766027626 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 064523 245305 सिटी मैनेंजर – 9570915811 **जिला जनसंपर्क पदाधिकारी** : 7765887170
ठनका/वज्रपात (**संदर्भः**– प्रोटाकॉल फॉर अरलि वारनिंग डिसेमिनेशन ऑन थण्डर स्टॉम एंड लाईटनिंग, एनडीएमए, जुलाई 2021)	▪ मौसम विज्ञान केंद्र से आँधी/वज्रपात की संभावना की सूचना प्राप्त होने के साथ ही इसका प्रचार–प्रसार करना। ▪ SMS हेतु दूरसंचार का संभावित क्षेत्र में वृहत प्रयोग। ▪ उत्तर बिहार पावर होल्डिंग कम्पनी लि॰ (NBPHCL) बिजली की आपूर्ति में कटौती करना/बहाल करना। ▪ संबंधित विभाग/संभाग को सूचित करना।	**जिला आपदा प्रबंधन संभागः** नियंत्रण कक्ष–06452 239025/26 जिलाधिकारी –9473191375 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 064523 245305 **विद्युत विभाग** : टौल फ्री नं.18003456198 कार्यपालक अभियंता – 7763815099 सहायक अभियंता– 7763815334 स्वयं सेवी संस्थान के स्थानीय इकाई

गर्मी / लू

अनुमानित अत्यंत विषम परिस्थिति	आपदा के दौरान की जानेवाली कारवाई	संबंधित विभाग / संभाग एवं कार्यालय का दायित्व
1	2	3
▪ ग्रीष्म ऋतु के दौरान अप्रैल एवं मई महीनों में प्रचंड गर्मी और कभी–कभी गर्म हवाओं का प्रवाह लू के रूप में सामने आता है। इसके चपेट में आने वाले व्यक्तियों के बीमार होने या मृत्यु का जोखिम बढ़ जाता है। शहर में कई वर्षों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। ▪ हीटवेभ एक्शन प्लॉन–2018 के अनुसार पूर जिले को 'हीट भलनरेबलटी इंडेक्स' (HVI) के अनुसार 'उच्च सामान्य तीव्रता' का बताया गया है। ▪ पर्यावरणीय बदलाव की वजह से शहर के उष्णता में उतार–चढ़ाव बना रहता है। ▪ शहर में गत वर्ष 4 मई को सर्वाधिक उच्चतम तापक्रम 39.44^0 सेल्सियस दर्ज किया गया । शहरी उष्ण टापू निमाण की आशंका व्यक्त की जा रही है। ▪ विगत वर्षों का अनुभव रहा है कि मार्च के महीनें से ही गर्मी महसूस की जाने लगी है।	सार्वजनिक जगहों पर (मुख्य बाजार, पुलिस ट्रैफिक पोस्ट, बस स्टैंड आदि) प्याउ की व्यवस्था करना। सभी सार्वजनिक चापाकालों को चालू रखना।	**जिला आपदा प्रबंधन संभागः** नियंत्रण कक्ष–06452 239025 / 26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 064523 245305 सिटी मैनेंजर – 9570915811 **लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्र.** : कार्यपालक अभियंता– 7858992333 **वाटर टैंकर** : नगर निगम के पास 2 बड़ी गाड़ियां उपलब्ध है। **निजी प्लम्बर** : वार्ड–4 महाराणा प्रसाद राय 9534867117, सुरेश प्र. राय 9006636017, वार्ड–6 रोहित कु. 9097212122
	चेतावनी एवं बचाव के उपाय का व्यापक प्रचार–प्रसार।	**जिला आपदा प्रबंधन संभागः** नियंत्रण कक्ष–06452 239025 / 26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 064523 245305 सिटी मैनेंजर – 9570915811
	▪ रैन बसेरा में भोजन–पानी–दवा की व्यवस्था। ▪ लू / डायरिया / डिहाईड्रेशन आदि से पीड़ितों की अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था।	**जिला आपदा प्रबंधन संभागः** नियंत्रण कक्ष–06452 239025 / 26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 064523 245305 सिटी मैनेंजर – 9570915811 **सदर अस्पताल** : सिविल सर्जन – 9470003366 चिकित्सा पदाधिकारी –9431868655
	लू अथवा असहनीय गर्मी होने पर स्कूल / कॉलेजों को अस्थायी बंद करना अथवा उसके समय में परिवर्तन करने का आदेश निर्गत करना।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06452 239025 / 26 जिलाधिकारी–9473191375 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.) – 9939037590 **शिक्षा विभाग** : जिला शिक्षा पदाधिकारी –8544411441
	अत्यंत गर्मी अथवा लू की स्थिति में विशेषकर शहरों में विभिन्न तरह के कार्य करने वाले मजदूरों के कार्य समय में परिवर्तन करन का विचार किया जा सकेगा।	**जिला आपदा प्रबंधन संभागः** नियंत्रण कक्ष–06452–239025 / 26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.) – 9939037590 **श्रम संसाधन विभाग** : श्रम अधिक्षक –7903714012

शीत लहर

अनुमानित अत्यंत विषम परिस्थिति	आपदा के दौरान की जानेवाली कारवाई	संबंधित विभाग/संभाग एवं कार्यालय का दायित्व
1	2	3
▪ शीतलहर के दिनों में न्यूनतम तापमान काफी नीचे गिर जाता है तथा इससे लोगों को, विशेष कर बच्चे, वृद्ध एवं बीमार, स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रतिकुल प्रभाव पड़ता ह। ▪ गृह विहीन, मलिन बस्ती, साधन विहीन आदि पर प्रतिकुल प्रभाव देखा गया है। ▪ मौसम विभाग द्वारा तय तापमान से नीचे की गिरावट होने पर शीत लहर हेतु विशेष सहायक कार्य की आवश्यकता पड़ती है।	प्राईमरी, मध्य या माध्यमिक विद्यालयों दफ्तरो एवं मजदूरों के कार्य समय में परिवर्तन या बंदी की घोषणा ।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06452 239025/26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 **शिक्षा विभाग** : जिला शिक्षा पदाधिकारी –8544411441
	चेतावनी तथा बचाव के उपाय का व्यापक प्रचार–प्रसार।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06452 239025/26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590
	▪ सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था। ▪ रैन बसेरा तथा अस्थाई आश्रय स्थलों में निराश्रितों के लिए बिस्तर एवं कंबल की व्यवस्था। ▪ बीमारों की चिकित्सा के लिए अतिरिक्त चिकित्सीय व्यवस्था।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग** : नियंत्रण कक्ष–06452 239025/26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 064523 245305 सिटी मैनेंजर – 9570915811 सफाई निरीक्षक–6200776486
	चलंत शौचालय/जलापूर्ति/बिजली की व्यवस्था ।	**नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 064523 245305 सिटी मैनेंजर – 9570915811 सफाई निरीक्षक–6200776486 **लोक स्वास्थ्य एवं स्वछता प्र.** : कार्यपालक अभियंता– 7858992333 **निजी बिजली मिस्त्री** : वार्ड–4 तपन शर्मा 9931047208, मुन्ना राय 9199972928, वार्ड–6 शिवनाथ पासवान 9708724890

वायु प्रदूषण

अनुमानित अत्यंत विषम परिस्थिति	आपदा के दौरान की जानेवाली कारवाई	संबंधित विभाग/संभाग एवं कार्यालय का दायित्व
1	2	3
▪ **बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद् ने मिरचाई बाड़ी में वायु प्रदूषण मोनिटारिंग स्टेशन की स्थापना की है।** ▪ **इससे शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) शहरवासियों के लिए जारी होता है।** ▪ **वायु गुणवत्ता की नंवबर,2022 में प्राप्त रिर्पोट के अनुसार पूरे माह 'बहुत खराब' की स्थिति बनी रही है। कई बार सूचकांक 404 से 430 अंक तक रहा जो 'गंभीर' स्थिति को दर्शाता है।**	▪ सड़कों पर पानी छिड़काव। ▪ कचरा के गाड़ी में ढ़ककर निष्पादन। ▪ निर्माण सामग्री का ढ़ककर परिवहन। ▪ ईट–भट्टों में 'क्लीन टेक्नॉलोजी' की जाँच। ▪ कचड़े का खुले में नहीं जलाना। ▪ वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। ▪ पेट्रोल, डीजल वाले वाहनों की प्रदूषण जाँच। ▪ उद्योग धंधे से होने वाले वायु प्रदूषण की जाँच। ▪ श्वसन बीमारी, अस्थामा जैस लोगो का अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग :** नियंत्रण कक्ष–06452 239025/26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 **नगर निगम** : नियंत्रण कक्ष – 064523 245305 सिटी मैनेंजर – 9570915811 सफाई निरीक्षक–6200776486 (नगर निगम में उपलब्ध वाटर टैंकर की संख्या–2) **परिवहन विभाग** : जिला परिवहन पदाधिकारी –6202751075 मोटरयान निरिक्षक–6200850168 **अस्पताल** : सिविल सर्जन – 9470003366 चिकित्सा पदाधिकारी –9431868655 **कारखाना निरीक्षक** : 9934051140

स्वास्थ्य / महामारी

अनुमानित अत्यंत विषम परिस्थिति	आपदा के दौरान की जानेवाली कारवाई	संबंधित विभाग / संभाग एवं कार्यालय का दायित्व
1	2	3
▪ जिले में वर्ष 2019 तथा 2020 में करोना संक्रमण की भयावहता दिखा। ▪ शहर के स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था में शहर के लोगों के अतिरिक्त बाहर से आये प्रवासी लोगों का भी इलाज करना पड़ा। ▪ जिला कोविड अस्पताल (DCH), डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर (DCHC) तथा कोविड केयर सेंटर (CCC) का चिह्नीकरण किया गया। ▪ ऑक्सीजन एवं अन्य चिकित्सीय सामग्री का कुछ समय तक बड़ा अभाव रहा। ▪ ऐसे में शहर के सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पतालों पर चिकित्सा व्यवस्था, जाँच एवं वैक्सीन के कार्यों का व्यापक अतिरिक्त बोझ पड़ा। ▪ इसके अतिरिक्त इस जिले का पश्चिम बंगाल से सटे सीमा, प्रवासी मजदूर एवं राष्ट्रीय उच्च पथ पर आवाजाही की वजह से शहर के अस्पतालों पर एचआईवी की संख्या में वृद्धि देखी गई है। ▪ यहाँ टीबी के मरीजों की भी संख्या काफी है जिससे उपरोक्त दोनों बोमारियों को रिस्पांस के तहत् सदैव कार्रवाई की आवश्यकता होगी।	▪ कोरोना महामारी के आगाज होने पर केन्द्र के अनुरूप राज्य / जिला स्तर पर जारी गाईडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित कराना। ▪ मास्क पहनने, भीड़ में लोगों से दूरी रखने तथा व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए प्रेरित करना। ▪ नियमित प्रभावित इलाकों में साफ–सफाई तथा सेनेटाईजेंसन की व्यवस्था करना। ▪ रोगियों के कोरोना संक्रमण के अनुरूप – (क) कोविड अस्पताल (ख) होम आईसोलेशन (ग) कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर में स्थान्तरित कर ईलाज करना। ▪ सहायता हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना करना तथा नोडल ऑफिसर का नामित करना। ▪ ट्रेन, बस या अन्य सवारी से आने वाले लोगों का स्क्रीनिंग करना। ▪ टीकाकरण तथा वायरस जाँच के लिए अलग–अलग केन्द्र स्थापित करना।(वैक्सीन का सही तापक्रम में स्टोर करना) ▪ ऑक्सीजन की उपलब्धता(सप्लायार), ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर सर्पोट का सुचारू रूप बनायें रखना। ▪ प्रशिक्षित मेडिकलकर्मी का ड्यूटी / उपलब्धता। ▪ आई सी यू बेड, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन की सुविधा वाले आइसोलेशन बेड तथा वेंटिलेटर सर्पोट वाले बेड। ▪ करोना जाँच के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता। ▪ एम्बुलेंस की सुविधा। ▪ संक्रमण की जाँच क लिए उपकरण।	**जिला आपदा प्रबंधन संभाग :** नियंत्रण कक्ष–06452 239025 / 26 प्रभारी पदाधिकारी (जि.आ.प्र.)– 9939037590 **पुलिसः** आरक्षी अधिक्षक –9431800001 डीएसपी (मुख्यालय) –9431476182 / 8544428447 **अस्पताल (नोडल विभाग) :** सिविल सर्जन – 9470003366 चिकित्सा पदाधिकारी –9431868655 **ऑक्सीजन :** प्रेसर स्विंग एडजॉर्ब्शन प्लांट (PSA)- 4 पोर्टेबल वेन्टिलेटर –6 डी तथा बी टाईप ऑक्सीजन सिलिंडर – 469 ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर – 99 **निजी ऑक्सीजन सप्लायर –** वार्ड–31 दिपेश कुमार 8709904165 **एम्बुलेंस** : सदर अस्पताल में 3 उपलब्ध। **निजी एम्बुलेंस** : वार्ड–10 गुड्डू यादव 7979942506 वार्ड–28 लिडर क्लब 9431097018 **नगर निगम :** नियंत्रण कक्ष – 064523 245305 सिटी मैनेंजर – 9570915811

9.2 नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षदगण (मानव संसाधन) की सूची

बिहार नगर पालिका अधिनियम–2007 के अंतर्गत आपदा के न्यूनीकरण कार्य (खतरें, जोखिम, संवेदनशीलता) तथा प्रत्युत्तर कार्य में वार्डों के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा धारा–21(सशक्त स्थायी समिति), धारा–30 (वार्डों की समिति), धारा–33 (तदर्थ समिति), धारा–32 (विषय समिति) तथा धारा–361(आपदा प्रबंधन) विशेष योगदान किया जा सकेगा।

महापौर			उप महापौर		
उषा देवी अग्रवाल		9430582813	मंजुर खान		9431212111
वार्ड सं.	**वार्ड पार्षद**		**वार्ड सं.**	**वार्ड पार्षद**	
1	मुनीलाल उरांव	9155670428	**24**	रेशमा रानी	8210795148
2	मुसर्रत जहाँ	9661321184	**25**	कैलाश शर्मा	8862911199
3	ममता देवी	9771350856	**26**	गजाला खातुत	6205713673
4	साबीर	7033441627	**27**	पुनम सिंह	9340622609
5	मनीष घोष	7903103808	**28**	रूबी कुमारी	7050675950
6	रेखा देवी	9939211803	**29**	असद इकबाल	9934222454
7	आलोक कुमार	9472897745	**30**	नितेश कुमार सिंह	9798867233
8	निशा कुलकर्णी	7479712760	**31**	पिंकी देवी	7717760118
9	भद्रार्शन देवी	7909006905	**32**	सुलेखा दास	8877867728
10	उमेश कुमार पासवान	9472896962	**33**	संतोष देवी	9471013910
11	सागर कुमार पासवान	9990299779	**34**	जिमी प्रकाश	6287910710
12	अनुपम देवी	9525733920	**35**	प्रमोद महतो	8789091436
13	दिनेश कुमार पांडेय	7004969958	**36**	सरिता पाल	9939793022
14	हर्षवर्धन	9031773881	**37**	शोभा देवी	6294673550
15	सुषमा देवी	6202311936	**38**	संजय कु. महतो	9835216502
16	मंजु देवी	7321086395	**39**	बिपिन बिहारी चौबे	9431471174
17	बेबी देवी	9661450473	**40**	भोला सहनी	9430634819
18	कुमारेन्द्र प्रताप सिंह	7717730211	**41**	भारती प्रिया	7979736063
19	सलीम अंसारी	6200747736	**42**	जासमीन खातुन	
20	मुरतुजा	7258814240	**43**	चांदनी देवी	
21	ज्ञानती देवी	7992348920	**44**	आरती देवी	6201472441
22	गुड्डी कुमारी	8271339055	**45**	खुशबु प्रवीन	7352760567
23	इजहार अली				

9.3 उपलब्ध सरकारी एवं निजी मानव, भौतिक एवं यांत्रिक संसाधन की सूची :

9.3.1 निजी मानव संसाधन — वार्ड सं.– 01

क्र॰	विवरण	संपर्क हेतु नाम/पता	मोबाईल नं.
1	2	3	4
1	प्लम्बर मिस्त्री	पप्पु चौहान, भेडिया रहिका	9471362139
2	बिजली मिस्त्री	पप्पु चौहान, भेडिया रहिका	9110999583
	वार्ड संख्या–02		
1	होमियोपैथ डाक्टर	डॉ अमन, तेजा टोला	9430636481
2	भूतपूर्व सैनिक	सुशील कुमार, बंसल नगर, तेजा टोला	8405879189
3	बढ़ई मिस्त्री	विनीन शर्मा, तेजा टोला	7576800258
	वार्ड संख्या–03		
1	भूतपूर्व सैनिक	कुमार भोला झा,	8877549544
2	भूतपूर्व सैनिक	प्रदीप कुमार साह	9534205998
3	भूतपूर्व सैनिक	अवधेश कुमार सिंह	9430907970
4	चिकित्सक	डॉ सुदीप प्रसाद	7000095379
5	चिकित्सक	डॉ विरेन्द्र प्रसाद	9931294641
6	प्लम्बर मिस्त्री	अजमेर अंसारी, छीटावाड़ी	9771283786
7	प्लम्बर मिस्त्री	सचिन, छीटावाड़ी	6205635559
	वार्ड संख्या–04		
1	बिजली मिस्त्री	तपन शर्मा, तेजा टोला	9931047208
2	बिजली मिस्त्री	मुन्ना राय	9199972928
3	बढ़ई मिस्त्री	रविन्द्र शर्मा, तेजा टोला	9534269370
4	बढ़ई मिस्त्री	दिनेश शर्मा	9931066007
5	प्लम्बर	महाराणा प्रसाद राय	9534867117
6	प्लम्बर	सुरेश प्रसाद राय	9006636017
7	प्लम्बर	अनिल प्रसाद राय	7050152086
	वार्ड संख्या–05		
1	भूतपूर्व सैनिक	अजित कुमार महाराज	9835140081
	वार्ड संख्या–06		
1	चिकित्सक	डॉ सुदीप प्रसाद	7000095379
2	प्लम्बर मिस्त्री	रोहित कुमार, हृदयगंज	9097212122
3	बढ़ई मिस्त्री	अजय कुमार शर्मा, हृदयगंज	8016507923

4	बिजली मिस्त्री	शिवनाथ पासवान, हृदयगंज	9708724890
वार्ड संख्या–07			
क्र॰	**विवरण**	**संपर्क हेतु नाम/पता**	**मोबाईल नं.**
1	2	3	4
1	भूतपूर्व सैनिक	आलोक वर्मा, ऑफिसर्स कॉलनी, बुद्धाचक	9472897745
वार्ड संख्या–09			
1	भूतपूर्व सैनिक	रवि किशोर गुप्ता, बरमसिया	9570892420
वार्ड संख्या–10			
1	भूतपूर्व सैनिक	शिवशंकर सिंह	9576947187
2	प्लम्बर मिस्त्री	संजय यादव, ललियाही अंसारी टोला	9304620798
वार्ड संख्या–11			
1	बढ़ई मिस्त्री	मनोज कुमार पासवान ललियाही	9798601973
2	प्लम्बर	कृता पासवान,	6200400123
वार्ड संख्या–12			
1	चिकित्सक	अनिल कुमार द्विवेदी, पी एण्ड टी चौक, बरमसिया	9431471710
वार्ड संख्या–16			
1	भूतपूर्व सैनिक	जगदीश ठाकुर	8757721504
2	भूतपूर्व सैनिक	रामचंद्र दास	9523354141
3	भूतपूर्व सैनिक	रंजीत कुमार गुप्ता	9472818404
4	बढ़ई मिस्त्री	उमेश शर्मा, बछवावांडी	8809763358
5	बढ़ई मिस्त्री	धमेन्द्र शर्मा, बछवावांड़ी	9470054842
6	बढ़ई मिस्त्री	अमर शर्मा, बछवावांड़ी	6200413794
7	बढ़ई मिस्त्री	अमन शर्मा, बछवावांड़ी	9142901525
वार्ड संख्या–17			
1	बढ़ई मिस्त्री	संदीप शर्मा, ड्राईवर टोला, मोहनीधार	8271411886
2	प्लम्बर मिस्त्री	संजय जायसवाल, ड्राईवर टोला	9934677098
वार्ड संख्या–18			
1	भूतपूर्व सैनिक	जगन्नाथ दास, लडकनियाँ टोला, लालकोठी रोड	8906118569
वार्ड संख्या–20			
1	बढ़ई मिस्त्री	सिपाही शर्मा, कुर्लापाड़ा	9570712832
2	बिजली मिस्त्री	मिर्जा उस्मान, कुली पाड़ा	6204415063
3	चिकित्सक	फैजुल हसन, कुली पाड़ा	9570552417

वार्ड संख्या–21			
क्र॰	विवरण	संपर्क हेतु नाम/पता	मोबाईल नं.
1	2	3	4
1	भूतपूर्व सैनिक	आंनद बिहार सिंह	7768084491
वार्ड संख्या–23			
1	डॉक्टर	डॉ. शहनवाज,रामपाड़ा	8521120962
2	डॉक्टर	डॉ. इमरान, रामपाड़ा	8969655963
वार्ड संख्या–24			
1	बढ़ई मिस्त्री	केनियाहा शर्मा, कदवा, रामपाड़ा	8051779252
2	पलम्बर मिस्त्री	मो. अजीम, रामपाड़ा	9508232754
3	पलम्बर मिस्त्री	गोपाल पाण्डे, बैगना	9534098349
वार्ड संख्या–25			
1	भूतपूर्व सैनिक	प्रशांत कु. मंडल, रामनगर	7320082465
2	भूतपूर्व सैनिक	मुरारी कुमार साह	6303061795
3	बढ़ई मिस्त्री	सुधीर शर्मा, प्रभात नगर	7979723030
4	बिजली मिस्त्री	संतोष कुमार, खनका	8709344046
5	बिजली मिस्त्री	संतोष सिंह, खनका	8877885707
वार्ड संख्या–26			
1	बिजली मिस्त्री	मो. मुजफ्फर, हुसैनाबाद, चौधरी मु॰	9570228281
वार्ड संख्या–27			
1	चिकित्सक	डा. भी.ए. गुप्ता, गामीटोला	9430021371
2	बिजली मिस्त्री	मो. मेहताब आलम, हरिगंज	8092551908
3	बिजली मिस्त्री	मो. जैनूल अंसारी, हरिगंज	8092551708
4	बिजली मिस्त्री	राजेश कुमार, पटेल चौक	8051995015
वार्ड संख्या–28			
1	भूतपूर्व सैनिक	उत्तम कुमार गुप्ता गामीटोला	9852310368
वार्ड संख्या–29			
1	चिकित्सक	डा. प्रवीण चंद्रा, पानीटंकी चौक	9431060901
2	चिकित्सक	डा. सुधीर , गामीटोला	9431229353
3	चिकित्सक	डा. जीमल, आर.के.मिशन रोड	9835762205
4	बिजली मिस्त्री	मोनु कुमार, गामीटोला	8409259070

वार्ड संख्या–31			
क्र॰	विवरण	संपर्क हेतु नाम/पता	मोबाईल नं.
1	2	3	4
1	भूतपूर्व सैनिक	मो. कमरूलजमा, बिनोदपुर	9470201806
2	चिकित्सक	डा. आशुतोष कु. झा, लालीबाडी रोड	9431228657
3	चिकित्सक	डा. अतहर हुसैन, बिनोदपुर	9431097016
4	चिकित्सक	डा. मनीन्द्र नाथ मनिष, बिनोदपुर	8084189428
5	चिकित्सक	डा. के.के. मिश्रा, कालीबाड़ी	9835821703
6	पलम्बर	शंभू वर्मा,यादव टोला चौक दुर्गापरु	9934131812
7	बिजली मिस्त्री	बंटी दास, यादव चौक दुर्गापुर	6200855987
8	बढ़ई मिस्त्री	पप्पु शर्मा, बिनोदपुर	8240043542
वार्ड संख्या–32			
1	चिकित्सक	डा. आरिफ, बनिया टोला	7992269156
वार्ड संख्या–34			
1	बढ़ई मिस्त्री	दिनेश शर्मा, शिवमंदिर चौक, नयाटोला	9570985734
2	बढ़ई मिस्त्री	गणेश मिस्त्री, शिवमंदिर चौक,नयाटोला	8051900536
3	बिजली मिस्त्री	रमेश राम, नया टोला	8051465925
वार्ड संख्या–35			
1	बढ़ई मिस्त्री	नत्थु शर्मा, नया टोला	8051465730
2	बिजली मिस्त्री	मनोज साह नयाटोला	9608391686
3	पलम्बर मिस्पी	संजय यादव, नयाटोला	7004136672
वार्ड संख्या–36			
1	बढ़ई मिस्त्री	दिलीप शर्मा, मोफरगंज, गडेडी टोला	6200538268
2	बढ़ई मिस्त्री	बिनोद शर्मा, मोफरगंज, गडेडी टोला	9939818752
3	बिजली मिस्त्री	याम महतो, मोफरगंज, गडेडी टोला,	7903906318
वार्ड संख्या–37			
1	बिजली मिस्त्री	घनश्याम गुप्ता, अग्रवाल कैम्पस	7050096472
2	बढ़ई मिस्त्री	संजीव कु. शर्मा, बिनोदपुर	9835266344
3	चिकित्सक	डॉ. संत प्रसाद साहा, श्रीविहार कॉलनी	8102530406

वार्ड संख्या–39			
क्र॰	विवरण	संपर्क हेतु नाम/पता	मोबाईल नं.
1	2	3	4
1	चिकित्सक	डा. ऐनुल हक, गौशाला	8789248091
2	चिकित्सक	डा. मिरनाल, गौशाला	9955963115
3	चिकित्सक	डा. राजीव कु. चौबे, गौशाला	8936033211
4	भूतपूर्व सैनिक	सिन्टु ठाकुर, गौशाला	6204331857
5	भूतपूर्व सैनिक	अरूण यादव, गौशाला	9709718687
6	भूतपूर्व सैनिक	मो. हमीद आलम, शरीफगंज	9955234679
7	भूतपूर्व सैनिक	मो. अकरम अली, शरीफगंज	9162605057
8	भूतपूर्व सैनिक	मो. हमीद, शरीफगंज	9122016845
9	बढई मिस्त्री	मो. कलाम, शरीफगंज	9570670471
10	बिजली मिस्त्री	मो. अली, शरीफगंज	8409312063
वार्ड संख्या–40			
1	बढ़ई मिस्त्री	टुनटुन शर्मा, रानीघाट, गौशाला	9534354370
2	बिजली मिस्त्री	धमेन्द्र साह, गौशाला	7808223670
3	चिकित्सक	डॉ. रमेश चंद्र चौधरी, गौशाला	8709169971
वार्ड संख्या–41			
1	भूतपूर्व सैनिक	नंदलाल यादव, शरीफगंज	7992345266
2	भूतपूर्व सैनिक	अशोक कुमार सिंह, शरीफगंज, यादव टोला	8873936819
3	भूतपूर्व सैनिक	भीम यादव, हवाई अड्डा चौक	9682133472
4	भूतपूर्व सैनिक	राजकुमार यादव, शरीफगंज	7672853920
5	बढ़ई मिस्त्री	मो. महताब आलम, शरीफगंज	6203161654
6	चिकित्सक	रोहित कुमार, शरीफगंज	9473306502
7	बिजली मिस्त्री	मो. कुर्बान, शरीफगंज	9546265092
8	बिजली मिस्त्री	विजय मंडल, शरीफगंज	6204314227
वार्ड संख्या–42			
1	बिजली मिस्त्री	मो. मलिक शरीफगंज	9709723004
2	बिजली मिस्त्री	मो. वकील, शरीफगंज	8051363692
3	बिजली मिस्त्री	मो. जहाँगीर, शरीफगंज	8877302070
4	चिकित्सक	डॉ नसीम अख्तर, शरीफगंज	7004439520
5	चिकित्सक	डॉ परवेज यहया, शरीफगंज	7004317074

6	पलम्बर मिस्त्री	लाल बाबु, शरीफगंज	9661255232
वार्ड संख्या–43			
1	बढ़ई मिस्त्री	राम प्रसादा शर्मा, नयाटोला, डहरिया	6204569692
2	बढ़ई मिस्त्री	कामेश्वर शर्मा, गाछी टोला	7817867586
3	बिजली मिस्त्री	दिनेश बोन, डहेरिया	9852474665
4	प्लम्बर मिस्त्री	संजीव यादव, डहेरिया	7979896423
वार्ड संख्या–44			
1	बढ़ई मिस्त्री	रामविलाश शर्मा, तिनगछिया	7549529693
2	बढ़ई मिस्त्री	कैलाश मिस्त्री, तिनगछिया	8709740082
3	बिजली मिस्त्री	अशोक कुशवाहा, तिनगछिया	6202165297
4	प्लम्बर मिस्त्री	कालू यादव, तिनगछिया	9507660795
वार्ड संख्या–45			
1	भूतपूर्व सैनिक	आर्या खान, रोजितपुर	8210613744
2	बिजली मिस्त्री	नर्सिग ठाकुर, ताजगंज चिलमाड़ा	9955710965

9.3.2 निजी भौतिक संसाधन		वार्ड सं.– 01	
क्र॰	विवरण	संपर्क हेतु नाम/पता	मोबाईल नं.
1	2	3	4
1	जन वितरण प्रणाली	सुरेश श्रीवास्तव, हृदयगंज,	9431625389
2	टेन्ट हाउस	चुन्नू चौहान, भेडिया रहिका	8539996121
3	टेन्ट हाउस	पिन्टू कुमार गुप्ता, मिरचाईबाड़ी	880900955
4	टेन्ट हाउस	विनय चौहान, भेडिया रहिका	9471404388
5	मेडिकल कॉलेज	अहमद अशफाक करीम, भेडिया रहिका	06452 239202
		वार्ड संख्या–02	
1	आर.के. बैक्वेट हॉल	रघुनाथ यादव, तेजा टोला, महिपाल नगर	9431610598
2	टेन्ट हाउस	अमार, तेजा टोला	8541187524
3	एम एस एकेडमी स्कूल	भेडिया रहिका	6299779474
4	बीएमपी मैदान	बीएमपी–7	06452 222524
		वार्ड संख्या–03	
1	मध्य विद्यालय नीमरपाड़ा	नीमर पाड़ा	9905964048
2	मध्य विद्यालय वालीटीकर	वालीटीकर	9006311280
3	प्राथमिक विद्यालय	चन्द्रमा टोला	7908729043
4	सामुदायिक भवन	छीटावाड़ी	9771350856
5	टेन्ट हाउस	गोपी, छीटावाड़ी	8709897053
6	टेन्ट हाउस	अजय छीटावाड़ी	9939879406
7	जन वितरण प्रणाली	सूरज, छीटावाड़ी	9570506226
8	होल सेल दवा	विश्वजीत पाल	9430811557
9	मेडिकल स्टोर	पंकज, छीटावाड़ी	9835493144
		वार्ड संख्या–04	
1	आदर्श विवाह भवन	मकांती देवी, मिरचाई बाड़ी	9430968843
2	मध्य विद्यालय	तेजा टोला	9431626407
3	न्यू पैर्टन स्कूल	मिरचाई बाड़ी	9431472372
4	टेन्ट हाउस	प्रेम कुमार, तेजा टोला	9835228821
		वार्ड संख्या–05	
1	टेन्ट हाउस	अशोक कुमार गुप्ता, मिरचाई बाड़ी	7079933851
2	टेन्ट हाउस	मंटु कुमार साह, मिरचाई बाड़ी	9973074620
3	हरिशंकर नायक विद्यालय	मिरचाई बाड़ी	9955065123

4	आई टी आई कटिहार	मिरचाई बाड़ी	6452231625
5	मेडिकल स्टोर	इंडिया मेडिकल स्टोर	7903946602
	वार्ड संख्या–06		
क्र॰	**विवरण**	**संपर्क हेतु नाम/पता**	**मोबाईल नं.**
1	**2**	**3**	**4**
1	जन वितरण दुकान	अमित सिन्हा, हृदयगंज शिमरा बागान	7295891188
2	प्राथमिक विद्यालय	हृदयगंज, शिमरा बागान	8434237437
3	जयमाला शिक्षा निकेतन	हृदयगंज	9430927187
4	सीताराम चमरिया कॉलेज	हृदयगंज	7870950057
	वार्ड संख्या–07		
1	जनवितरण प्रणाली	कपिलदेव साह/कलिका प्र.साह,बुद्धाचक	6203232772
2	जनवितरण प्रणाली	मौसमी द्विवेदी, बुद्धाचक	9708793335
4	टेन्ट हाउस	सुनिल कुमार, बुद्धाचक	9340584301
	वार्ड संख्या–08		
1	जनवितरण प्रणाली	विरेन्द्र सिंह, मिरचाई बाड़ी	9905220057
2	जनवितरण प्रणाली	संजय सिह, मिरचाई बाड़ी	8709416659
3	जनवितरण प्रणाली	विजय दास, ऑफिसर्स कॉलनी	9031650160
4	जनवितरण प्रणाली	सोहन प्रसाद, मिरचाई बाड़ी	9473307755
5	आर के बैक्वेट	रामानन्द यादव, बरमसिया	9304898608
6	टेन्ट हाउस	कन्हैया प्र. मंडल, न्यू ऑफिसर्स कॉलनी	9334849675
7	टेन्ट हाउस	नवीन कुमार बरमसिया	7004665332
8	टेन्ट हाउस	शशि कुमा साह, न्यू ऑफिसर्स कॉलनी	8298212472
9	मध्य विद्यालय	बरमसिया	7050782843
10	नारायण गुरू अकादमी	प्रणव कुमार, बरमसिया	9430582369
11	चन्द्रकला गार्डेन, विवाह भवन	उषा देवी अग्रवाल, मिरचाई बाड़ी	9431096247
	वार्ड संख्या–09		
1	टेन्ट हाउस	नवीन कुमार, महेश नगर, बरमसिया	7004665332
2	जनवितरण प्रणाली	उषा देवी, बरमसिया	6200871967
3	स्कॉटिस पब्लिक स्कूल	अविनाश कुमार, बरमसिया	9955416626
4	डॉन बॉस्को स्कूल	बरमसिया मंहथ नगर	9051021399

वार्ड संख्या–10			
क्र॰	विवरण	संपर्क हेतु नाम/पता	मोबाईल नं.
1	2	3	4
1	कन्या मध्य विद्यालय	ललियाही	7979785768
2	उत्कर्ष सामुदायिक विवाह भवन	बलराज सिन्हा, ललियाही, शिवाजी नगर	6203915864
3	जनवितरण प्रणाली	अजय पासवान, दुर्गापुर ललियाही	6201133699
वार्ड संख्या–11			
1	जनवितरण प्रणाली	प्रभुनाथ सिंह, मिशन रोड, ललियाही	9470632325
2	जनवितरण प्रणाली	नन्दलाल राय, ललियाही	7979063489
वार्ड संख्या–12			
1	जगन्नाथपुरी सामुदायिक भवन	जगन्नाथ मंदिर, बरमसिया	9431626170
2	जगबंधु अधिकारी भवन	मिरचाईबाड़ी	9431060887
3	विवाह भवन	रविकिशोर गुप्ता, बरमसिया	9570892420
4	विवाह भवन	रजनीश कुमार, बरमसिया	8369087411
5	विवाह भवन	शंकर सिंह, बरमसिया	9472892091
6	जनवितरण प्रणाली	संजय गुप्ता, पी एण्ड टी चौक, बरमसिया	7808177943
वार्ड संख्या–16			
1	मध्य विद्यालय	बछवावांड़ी	9631934697
2	अमरूद्धीन मध्य विद्यालय	ड्राइवर टोला	70505728711
वार्ड संख्या–17			
1	टेन्ट हाउस	किशोर साह, ड्राईवर टोला	9113404243
2	टेन्ट हाउस	हरिओम पासवान, ड्राईवर टोला	9097853125
3	जनवितरण प्रणाली	राजाराम प्रसाद, ड्राईवर टोला	9570688326
4	जनवितरण प्रणाली	राधा कृष्ण प्रसाद, ड्राईवर टोला, संग्राम चौक	8409581933
वार्ड संख्या–18			
1	लॉ कॉलेज	लालकोठी रोड	8340169291
2	होलसेल दवा दूकान	निवेश चटर्जी, लडकनियाँ टोला, लालकोठी रोड	9931243928
3	वेतेल मिशन स्कूल	लालकोठी रोड	9934681140
4	पटना हॉस्पीटल	डा. नरेश झा, लालकोठी रोड	9431229666
5	कटिहर इंगलिस स्कूल	बदरे आलम, लालकोठी रोड	9431471721

वार्ड संख्या–19			
क्र॰	विवरण	संपर्क हेतु नाम/पता	मोबाईल नं.
1	2	3	4
1	त्रिवेणी नायक महाविद्यालय	लडकनियाँ टोला	7004511512
2	जनवितरण प्रणाली	विनय जायसवाल, लडकनियाँ टोला	8340343900
3	जनवितरण प्रणाली	ओम प्रकाश साह, लडकनियाँ टोला	9905124134
वार्ड संख्या–20			
1	जनवितरण प्रणाली	गुलाम अली, सहारा इंडिया न्यू मार्केट	7979011799
2	जनवितरण प्रणाली	श्यामल घोस, चित्रगुप्त मंदिर	9507998619
3	जनवितरण प्रणाली	सूर्यवंशी सहाय, चित्रगुप्त मंदिर	7488842520
4	विवाह भवन	वंगो भवन, मजार के निकट	9430039660
5	दवा दुकान	प्रेम डिट्रीब्यूटर, बाटा चौक	9471848052
6	विवाह भवन	अंजुमन इस्लामिया, कुर्लापाड़ा	7004821013
7	राशन दुकान	रॉकी, कुलीपाड़ा	7633078816
8	बंगो भवन	न्यू मार्केट	9430039660
9	हॉलसेल दवा दुकान	पुरूषोत्तम अग्रवाल, प्रेम डिस्ट्रीबुटर, बाटा चौक	9471848052
वार्ड संख्या–21			
1	के.बी.झा कॉलेज	भगवान चौक	9835433927
2	महेश्वरी एकेडमी	डॉ. राजेन्द्र प्र. रोड	9430970178
3	इस्लामियाँ स्कूल	के.बी.झा कॉलेज रोड	9431412438
4	सामुदायिक भवन	सन ऑफ इंडिया क्लब,के.बी.झा कॉलेज रोड	9934673089
5	टेन्ट हाउस	पप्पु चक्रवर्ती, इस्लामियाँ स्कूल चौक	9934673089
वार्ड संख्या–22			
1	दवा दुकान	माँ अम्बे सर्जिकल, गाँधी ग्राम	6200457438
2	दवा दुकान, आयुर्वेद	आयुर्वेदिक सेंटर, एक ना. कॉलनी	8340476989
वार्ड संख्या–23			
1	टेन्ट हाउस	हाजी मो. मशूद, रामपाड़ा	8287826191
वार्ड संख्या–24			
1	प्राथमिक विद्यालय	कदवा रामपाड़ा	9472644502
2	प्राथमिक विद्यालय	बैंगना	9470259400
3	उत्क्रमिक मध्य विद्यालय	रामपाड़ा	6200792606
4	जनविरतरण प्रणाली	बैंगना	6200931708

5	मेडिकल स्टोर	मो. शौयब, रामपाड़ा	8935917332
6	सरकारी सामुदायिक भवन	रामपाड़ा, शर्मा टोला	6299294622
	वार्ड संख्या–25		
क्र॰	**विवरण**	**संपर्क हेतु नाम/पता**	**मोबाईल नं.**
1	**2**	**3**	**4**
3	जनवितरण प्रणाली	दिलीप कुमार रविदास, रामपाड़ा	9931009232
4	जनवितरण प्रणाली	मसो.विणा देवी, रामपाड़ा, कदवा	9534281206
5	जनवितरण प्रणाली	शौकत अली, चौधरी मोहल्ला	9234796413
6	जनवितरण प्रणाली	नितेश कु. सिन्हा, रामनगर	9304197014
7	दर्शन साह कॉलेज	रामनगर	9798938854
8	होमियोपैथिक कॉलेज	निर्मल डालमियॉ, कदमपुर	9431471191
	वार्ड संख्या–26		
1	विवाह भवन	असमति खानम, चौधरी मुहल्ला	9431433878
2	विवाह भवन	शायरा तब्बसूम, चौधरी मुहल्ला	9801816300
3	विवाह भवन	प्रशांत कुमार, चौधरी मुहल्ला	8779667646
4	सैफगंज उर्दु प्रा. विद्यालय	चौधरी मुहल्ला	7903467431
5	जनवितरण प्रणाली	मो.बदरूल, चौधरी मुहल्ला	8409247111
	वार्ड संख्या–27		
1	विमल टेन्ट हाउस	गामीटोला	9934939509
2	निधिनाथ संस्कृत म. विद्यालय	गामीटोला	8210229693
3	संम्वृद्धि विवाह भवन	मनोज कु. अग्रवाल, गामीटोला	9304531050
4	जनवितरण प्रणाली	रतन कु. साह, कोरैया टोली	62030240364
5	जनवितरण प्रणाली	राजकुमार वारिक, बड़ा बाजार	9471013567
6	जनवितरण प्रणाली	प्रकाश मंडल, कैरियाटोली	9431076910
	वार्ड संख्या–28		
1	जनवितरण प्रणाली	भोला नाथ साह, बड़ा बाजार	6200356766
2	वरदान विवाह भवन	अजय गुप्ता, गामीटोला	9431229173
3	सीता राम गार्डेन विवाह भवन	आम प्रकाश अग्रवाल, पटेल चौक	9431229617
4	अशोक विवाह भवन	अशोक साह, बड़ा बाजार	9472934412
5	महादेव टेन्ट हाउस	विनोद साह, दौलतराम चौक	9852478452
6	मारवाड़ी विद्यालय	बड़ा बाजार	7739668148
7	वस्तीराम बालिका प्रा. वि.	बड़ा बाजार	8789801042

8	चंदुलाल मध्य विद्यालय	बड़ा बाजार	8010359583
9	दवाई दुकान	शिव ना. वर्णवाल, दौलतराम चौक	6204973887
	वार्ड संख्या–29		
क्र॰	**विवरण**	**संपर्क हेतु नाम/पता**	**मोबाईल नं.**
1	**2**	**3**	**4**
1	जनवितरण प्रणाली	उत्तम कुमार, आर.के. मिशन रोड, गामीटोला	9570588586
2	नगर पालिका म. विद्यायल	पानीटंकी वरबन्ना	9608810892
3	उर्दू प्राथमिक विद्यालय	बरबन्ना	8825361297
	वार्ड संख्या–30		
1	उमा देवी उच्च विद्यालय	गर्ल्स स्कूल रोड	8102065528
2	उमा देवी मध्य विद्यालय	गर्ल्स स्कूल रोड	9431445449
3	होलसेल दवा दुकान	विमल आईच, घोस कटरा, बाटा चौक	9431206014
4	होलसेल दवा दुकान	न्यू शंकर मेडिकल, घोस कटरा, बाटा चौक	9123273340
5	होलसेल दवा दुकान	भारत मेडिकल हॉल, घास कटरा, बाटा चौक	7484997227
6	होलसेल दवा दुकान	श्रवण महयांनी, वायरलेश गली,	9431229435
	वार्ड संख्या–31		
1	होलसेल दवा दुकान	शशि कुमार चौधरी, बिनोदपुर	9939878804
2	विवाह भवन	सिंधी पंचायत,बिनोदपुर	9431096501
3	सामुदायिक भवन	बिनोदपुर	7717760118
4	विवाह भवन	अग्रसेन सेवा सदन,बिनोदपुर	9480924195
5	होलसेल दवा दुकान	रूद्र नारायण भगत,बिनोदपुर	9430523269
6	विवाह भवन	अग्रशेन सेवा सदन, बिनोदपुर	7579000010
7	जन वितरण प्रणाली	शक्ति शुक्ला, मंगल बाजार	9570308818
8	टेन्ट हाउस	मो. हकीम, दुर्गापुर	7549264587
9	ऑक्सीजन सप्लाई	दिपेश वर्मा, बिनोदपुर	8709904165
	वार्ड संख्या–32		
1	विवाह भवन	चन्द्रशेखर साह, पानी टंकी	8709294534
2	जनवितरण प्रणाली	मदन कु. दास, बनिया टोला	7004409700
3	जनवितरण प्रणाली	अनिता देवी, पुरानी धर्मशाला रोड	9113193134
4	टेन्ट हाउस	शोरत दास, बनिया टोला	7004409700

वार्ड संख्या–33			
क्र॰	विवरण	संपर्क हेतु नाम/पता	मोबाईल नं.
1	2	3	4
1	विवाह भवन	रिषी भवन, शिवमंदिर चौक	9431868160
2	विवाह भवन	विन्दावन भवन, शिवमंदिर चौक	9835448154
3	उर्दु प्रा. विद्यालय	दुर्गापुर	9110025452
4	राशन दुकान	इन्द्रा सिन्हा, दुर्गापुर	9534643913
5	राशन दुकान	अवधेश चंद्र दास, दुर्गापुर	9835227551
वार्ड संख्या–34			
1	विवाह भवन	अजय गोयनका, नयाटोला	9431228980
2	जनवितरण प्रणाली	जितेन्द्र महासेठ, नया टोला	8789483452
3	बिजली मिस्त्री	रमेश राम, नया टोला	8051465925
वार्ड संख्या–35			
1	मध्य विद्यायल तिनगछिया	नयाटोला	9473311481
2	सामुदायिक भवन	नयाटोला	9470001800
3	जनवितरण प्रणाली	सुरेश साह, नया टोला	6203806727
4	जनवितरण प्रणाली	दयानंद गौर, नयाटोला	9431077121
5	किराना होल सेल	पंकज चौधरी, नयाटोला	9006659514
6	किराना होल सेल	बब्लु गुप्ता, नयाटोला	9122607955
7	टेन्ट हाउस	दिनेश महासेठ, नयाटोला	7991127497
वार्ड संख्या–36			
1	मध्य विद्यालय	मोफरगंज, गडेडी टोला	8877939051
2	उर्दु मध्य विद्यायल	मोफरगंज, गडेडी टोला	9570360337
3	मारवाड़ी इंटर कॉलेज	मोफरगंज, गडेडी टोला	7739668148
वार्ड संख्या–37			
1	जनवितरण प्रणाली	इंद्रिरा सिन्हा, डा. निरामा राय की गली	7667368115
2	मोहनलाल जिलेका म.वि.	पावर हाउस रोड	9473073652
3	विवाह भवन	जैन अतिथि भवन, बिनोदपुर	7004722097
4	होलसेल दवा दुकान	अरूण विश्वास, बिनोदपुर	9471676875
5	होलसेल दवा दुकान	मधुकर साह, बिनोदपुर	8709648374
6	निजी विद्यालय	कौशल कु. महतो, बिनोदपुर	7050988310
7	होलसेल दवा दुकान	विश्वनाथ तम्बाकुवाला, बिनोदपुर	9472022000

वार्ड संख्या–38			
क्र॰	विवरण	संपर्क हेतु नाम/पता	मोबाईल नं.
1	2	3	4
1	जनवितरण दुकान	विजय कु. पांडेय, झुल्लीयां चौक	8603567540
2	जनवितरण दुकान	विनोद कु. साह, डहेरिया चौक	865192150
3	टेन्ट हाउस	मो. अब्दुल, आजाद चौक	9534369683
4	टेन्ट हाउस	मो. परवेज आलम, आजाद चौक	9504580778
5	टेन्ट हाउस	गुड्डु महतो, डहेरिया चौक	8228846650
वार्ड संख्या–39			
1	जिला हाई स्कूल	शरीफगंज	9931888808
2	जनवितरण प्रणाली	सतीश पासवान, गौशाला	9852431186
3	जनवितरण प्रणाली	जगदीश चौधरी, गौशाला	6299405919
4	नेशनल इंगलिश स्कूल	शिवशंकर वर्मा, शरीफगंज	6202741082
5	पेरिडोट इंगलिश स्कूल	मो. मोहसीन, शरीफगंज	6200442511
वार्ड संख्या–40			
1	सुखदेव मध्य विद्यालय	रामसभा गौशाला	8986075023
2	सामुदायिक भवन	गौशाला	9470059854
3	जनवितरण प्रणाली	रिना देवी, गौशाला	9122558214
वार्ड संख्या–41			
1	जनवितरण प्रणाली	दिपक कुमार, शरीफगंज	9431077069
2	जनवितरण प्रणाली	मो. शमसुल, शरीफगंज	6299694581
3	टेन्ट हाउस	बिटु, शरीफगंज	7667822810
4	टेन्ट हाउस	फिरदौस, शरीफगंज	8298888505
5	उ.म.विद्यालय	हवाई अड्डा	9304180449
6	होलसेल दवा दुकान	जितेन्द्र यादव, शरीफगंज	7979771983
वार्ड संख्या–42			
1	जन वितरण प्रणाली	मोहसीन रहमानी, शरीफगंज	9472935783
2	जन वितरण प्रणाली	मो. इब्रार, शरीफगंज	9430947980
3	टेन्ट हाउस	मो. रज्जाक अंसारी, शरीफगंज	9973929213
4	टेन्ट हाउस	मो. कलाम, शरीफगंज	9934943088
5	उर्दु कन्या म. विद्यालय	शरीफगंज	7808044723
6	होलसेल दवा दुकान	यूनिक एजेंसी, शरीफगंज	7004205151

7	होलसेल दवा दुकान	सल्लु ड्रग्स एजेंसी, शरीफगंज	7004273880
वार्ड संख्या–44			
1	जनवितरण प्रणाली	राजकिशोर मंडल, शांति टोला, फसिया	7004281119
2	जनवितरण प्रणाली	सुदामा पासवान, बालु टोला, फसिया	7654952223
वार्ड संख्या–45			
1	प्राथमिक विद्यालय	रोजितपुर	9798903803
2	उर्दू म. विद्यायल	चिलमाड़ा	8709904841
3	सामुदायिक भवन	भट्टा टोला	8271224365
4	सामुदायिक भवन	भोड़ा वाडी	6280124403

नगर निगम के पास यांत्रिक संसाधन –

क्र.सं.	संसाधन	संख्या
1	जे.सी.वी.	2
2	ट्रैक्टर टेलर	10
3	फौगिंग मशीन	2
4	वाटर टकर	2
5	कॉम्पेक्टर	2
6	टेम्पू	6
7	शक्कड़ मशीन	3
8	रोड कटर मशीन	1
9	रोड ब्रेकर मशीन	1
10	05 एच.पी. डीजल पंप सेट	4
11	10 एच.पी. डीजल पंप सेट	3
12	30 एच.पी. डीजल पंप सेट	2
13	2 एच.पी. से 5 एच.पी. तक का इलेक्ट्रीक पंप सेट	6

9.3.3 निजी यांत्रिक संसाधन		वार्ड सं.– 01	
क्र॰	विवरण	संपर्क हेतु नाम/पता	मोबाईल नं.
1	2	3	4
1	टैक्टर	नमूंदरा उरांव,भेडिया रहिका	8969584814
2	एम्बूलेंस	निरंजन सादा, भेडिया रहिका	8092769141
		वार्ड संख्या–02	
1	ट्रेक्टर	शमशेर गंज	7061928912
2	ट्रेक्टर/जेसीबी	आसिफ हुसैन	7634031305
		वार्ड संख्या–03	
1	ट्रेक्टर	अजय कुमार सिंह	7992210664
		वार्ड संख्या–04	
1	ट्रेक्टर	मुकेश कुमार	8969956794
		वार्ड संख्या–06	
1	आरा मशीन	अनिशर रहमान	9973416893
1	ट्रेक्टर	मो. तारिक	6202144424
		वार्ड संख्या–07	
1	ट्रेक्टर	विनय कुमार	9835210282
		वार्ड संख्या–10	
1	टैक्टर	रमेश यादव, ललियाही	7903737826
2	एम्बुलेंस	गुद्धू यादव, ललियाही	7979942506
		वार्ड संख्या–11	
1	ट्रेक्टर	शम्भू सरदार, ललियाही	6200400128
		वार्ड संख्या–17	
1	ट्रेक्टर/जे.सी.बी.	बबलु सिन्हा	9431250880
		वार्ड संख्या–18	
1	ट्रैक्टर	आदित्य कुमार चौहान, लालकोठी रोड	8789666206
2	ट्रैक्टर –2	मनीष कुमार जासवाल, लालकोठी रोड	7991132314
		वार्ड संख्या–20	
1	भारी वाहन	कलीम अंसारी, कुली पाड़ा	7870448599
		वार्ड संख्या–21	
1	ट्रैक्टर –2	पंकज सिंह, के.बी.झा कॉलेज रोड	9113742697

वार्ड संख्या–23			
1	ट्रैक्टर	मो. नईम, रामपाड़ा	7485015892
वार्ड संख्या–24			
1	ट्रैक्टर	मनोज झा, सुदीन चौक	7909089276
2	ट्रैक्टर	राम बजन दास, सम्राट चौक	8102642549
वार्ड संख्या–28			
1	क्लब एम्बुलेंश	लीडर क्लब, गामीटोला, पानीटंकी चौक	9431097018
वार्ड संख्या–29			
1	आरा मशीन	सुरेश अग्रवाल	9431868447
वार्ड संख्या–35			
1	ट्रैक्टर	राकेश गुप्ता, नयाटोला	9431289325
2	ट्रैक्टर	दिना नाथ गुप्ता, नयाटोला	9431470526
वार्ड संख्या–37			
1	ट्रैक्टर	सुरशे केशनामी, राजहाता, बिनोक	9955410643
वार्ड संख्या–39			
1	ट्रैक्टर	रहमत आलम, शरीफगंज	9507294743
2	ट्रैक्टर	कुंदन सिंह, शरीफगंज	9798190701
वार्ड सं.– 40			
1	भारी वाहन	अमरेश सिंह, गौशाला	8409264357
वार्ड सं.– 41			
1	ट्रेक्टर	संतोष यादव, शरीफगंज, यादव टोला	9304597751
2	ट्रेक्टर	राज नारायण,शरीफगंज, यादव टोला	8051723536
3	ट्रेक्टर	जितेन्द्र यादव,शरीफगंज, यादव टोला	7004383459
वार्ड संख्या–42			
1	ट्रेक्टर	मो. साजिद रजा, शरीफगंज	7004982182
वार्ड संख्या–43			
1	ट्रैक्टर	पंकज सिंह	8298180220
वार्ड संख्या–45			
1	आरा मशीन	मो. अनवारूल हक, इस्लामपुर	9472879845

9.4 वार्डवार संकरी गलियों की पहचान : (चौड़ाई सर्वाधिक आठ फीट)

वार्ड सं.– 01	गलियों का नाम
1	रवि उरांव के घर से अलकाजी के घर तक
2	अलकाजी के धरसे दक्षिण पुलिस लाईन गेट तक
3	स्वामी विवेकानंद से दिलीप चौहान के घर तक
4	राजदेव राय के घर से मो. आलमगिर के घर तक
वार्ड सं.– 02	**गलियों का नाम**
1	शिव मंदिन मुख्य सड़क से रामकेवल चौहान के घर तक
2	रामविलास साह के घर से किशन रविदास के घर तक
वार्ड सं.– 03	**गलियों का नाम**
1	पक्की सड़क मो.जलील के घर से मो.कासीम के घर तक
2	खान टोला मस्जिद से मो. जहाँगीर के घर तक
3	मोफसील थाना से मो. मुस्लिम के घर तक
4	छींटाबाड़ी सोनेली पथ मो. अयास के घर से बुद्धु राय के घर तक
5	तुलसी प्रसाद के घर से टुनटुन प्रसाद के घर तक
6	शीला देवी के घर से तापेश्वर सिंह के होते हुए राम गोविंद सिंह के घर तक
7	देवी पक्की सड़क से होते हुए सुधीर रमानी के घर तक
8	मो. मोईन शोलिंग सड़क होते हुए मो. नैयर के घर तक
वार्ड सं.– 04	**गलियों का नाम**
1	सुरेन्द्र प्रसाद के घर से विनोद तांती के होते हुए प्रगति पुस्तकालय तक
2	तापस राय के घर से गणेश साह के के घर तक
3	रामबालक पासवान के घर से अनिल पासवान के घर तक
वार्ड सं.– 06	**गलियों का नाम**
1	उदय के घर से मनोज चरोड़िया के होते हुए रामनरेश सिंह के घर तक
2	कृष्ण मोहन यादव के घर से अरविंद सिन्हा के घर तक
3	स्व॰ सीताराम राय के घर से राजकुमार उरांव के घर तक

वार्ड सं.– 07	गलियों का नाम
1	रफी के घर से बाबुलाल चौहान के घर के होते हुए रूस्तम के घर तक
2	मो. मुस्तफा के घर से नियाज अंसारी के घर तक
3	ओम रंजन के घर से रविन्द्र पांडेय के घर तक
4	उदित यादव के घर से संजू मिश्रा के घर तक
5	नरेश चंद्र मंडल के घर से तपन मंडल के घर तक
6	मो. समीम के घर से सुरेश रविदास के घर तक
वार्ड सं.– 08	**गलियों का नाम**
1	एस. एस. झा के घर से बुद्धुचक मेन रोड तक
वार्ड सं.– 09	**गलियों का नाम**
1	शीतल मंडल के घर से महेन्द्र प्रसाद सिंह के घर तक
2	शीतल मंडल के घर से काली प्रसाद के घर तक
3	स्व. पुस्पलात देवी के घर से गणेश सिंह के घर तक
4	संजय चौधरी के घर से गणेश सिंह के घर तक
5	आर.पी. पासवान के घर से गणेश सिंह के घर तक
6	किरण उपाध्याय के घर से प्रशांत मिश्रा के घर तक
7	गुणानंदन महाराज के घर होते हुए स्व. कुमार टी.टी. के घर तक
8	अजय यादव के घर से शीतल मंडल के घर तक
9	लट्टू सिंह के घर से राजेश सिंह के घर तक
वार्ड सं.– 10	**गलियों का नाम**
1	मनीष पांडेय के घर से शिवनंदन पासवान के घर तक
2	राजेन्द्र मंडल के घर होते हुए सुधा झा के घर तक
3	उपेन्द्र शर्मा के घर से दीपक झा के घर तक
4	नूर ईस्लाम के घर से शाहजहाँ के घर तक

वार्ड सं.– 12	गलियों का नाम
1	रघुनाथ के घर से गुप्ताजी के घर तक
2	आदित्य स्कूल से दिनेश यादव के घर तक
3	दीपक यादव के घर से पुनीत राय के घर तक
4	राजू साह के घर से नवीन सिंह के घर तक
5	अभिषेक चक्रवर्ती के घर से पीली कोठी तक
6	सुरेंद्र कुमार यादव के घर से मंडलजी के घर तक
7	सोहन प्रसाद के घर से गोपाल दत्ता के घर तक
8	बैजनाथ सिंह के घर से जगदीश पासवान के घर तक
वार्ड सं.– 14	**गलियों का नाम**
1	उदय पांडेय के घर से शंकर अग्रवाल के घर तक
वार्ड सं.– 17	**गलियों का नाम**
1	शोभा सिंह के घर से हरिभूषण के घर तक
वार्ड सं.– 19	**गलियों का नाम**
1	चंदन भौमिक के घर से रामाशीष के घर तक
2	खालीद मास्टर के घर से माजिद मास्टर के घर तक
3	अमीनुजमा के घर से विपीन राय के घर तक
4	अशोक कुमार गुप्ता के घर से मुस्तफा के घर तक
5	किशोर कुमार के घर से बच्चु दा के घर तक
वार्ड सं.– 21	**गलियों का नाम**
1	सुखलाल साह के घर से शीला देवी के घर तक
2	दीपक चौहान के घर से पंकज सिंह के घर तक
3	बच्चा हॉस्पीटल के बगल से भगवान बाबु के घर तक
वार्ड सं.– 24	**गलियों का नाम**
1	अक्का के घर से बोनी मित्रो के घर तक
2	साह जी के घर से डोमन के घर तक
3	शोभा देवी के घर से ठाकुरजी के घर तक

वार्ड सं.– 25	गलियों का नाम
1	अशोक साह के घर से संतोष झा के घर तक
2	मो. मनसुर के घर से अलाउद्दीन के घर तक
3	स्व॰ जगदीश यादव के घर से पवन यादव के घर तक
4	दाउद के घर से सज्जाद के घर तक
5	मिल्लत नगर अलबेड़ो स्कूल से बोस के घर तक
6	पी.एन.झा के घर से शंकर साह के घर तक
वार्ड सं.– 26	**गलियों का नाम**
1	टींकु हाजिर के घर से रफीक के घर तक
2	मिलन चौक से लेकर चौधरी मोहल्ला होते हुए छोटी मस्जिद तक
वार्ड सं.– 36	**गलियों का नाम**
1	बबलू मास्टर के घर से एफ.सी.आई. मुख्य सड़क तक
2	प्रमोद भारती के घर से मुख्य सड़क तक
3	अड़गड़ा चौक मुख्य सड़क से मस्जिद क्वार्टर तक
वार्ड सं.– 37	**गलियों का नाम**
1	सुमन पासवान के घर से महेन्द्र राय के घर तब
2	रविन्द्र भगत के घर से मिलन चौक तक
3	दीपक रूंगटा के घर से अड़गड़ा चौक तक
4	किरण राय के घर से पॉवर हाउस के दीवार तक
5	संतोष सिन्हा के घर से भुनेश्वर सिंह के घर तक
वार्ड सं.– 38	**गलियों का नाम**
1	बासुदेव साह के घर से शिवलाल साह के घर तक
2	सागर चौधरी के घर से कैलाश महतो के घर तक
वार्ड सं.– 39	**गलियों का नाम**
1	मुसाफिर महतो के घर से संजय सिंह के घर तक

वार्ड सं.– 42	गलियों का नाम
1	छोटू मिस्त्री के घर से छात्रावास जाने वाली रोड तक
2	सहादत से लकड़ी दुकान से पूरब दुल्लो घर तक
3	हबीबुर रहमान के घर से रेलवे लाईन तक
4	छात्रावास जानेवाली रोड से दक्षिण अब्दुल बारीक के घर तक
5	बदरूल जमा अंसारी के घर से दक्षिण संतोष के घर तक
6	अकबर के घर से अली हुसैन के घर तक
7	इमामबाड़ा से मुरसिद के घर तक
8	जाबिर के घर से इलियास मास्टर के घर तक
9	ऐनूल बोरा की दुकान से सारिया इंजिनियरिंग के घर तक
10	छोटू राजमिस्त्री के घर से छात्रावास जानेवाली सड़क तक

वार्ड सं.– 43	गलियों का नाम
1	सोनेलाल के घर से राजकुमार के घर तक
2	राजू सिंह के घर से बिंदी राय के घर तक

वार्ड सं.– 44	गलियों का नाम
1	सुरेश मंडल के घर से तारकेश्वर पोद्दार के घर तक
2	योगी पासवान के घर से स्व॰ सत्यानारायण लाल के घर तक
3	देवनारायण पासवान के घर से स्व॰ रोहित पासवान के घर तक
4	बजरंगबली मंदिर से बालेश्वर दास के घर तक
5	बालेश्वर पासवान के घर से प्रमोद यादव के घर तक
6	शालीग्राम शर्मा के घर से सुशील घोष के चाय दुकान तक
7	सुमन चौधरी के घर से मांगन के घर तक

वार्ड सं.– 45	गलियों का नाम
1	बालेश्वर राय के घर से सुरेश महतो के घर तक

9.5 शहर में कार्यरत एन॰जी॰ओ॰ एवं एस॰एच॰जी॰ की सूची :

क्र.सं.	एन.जी.ओ. / एस.एच.जी.	मोबाईल
1	श्री अमर कुमार झा, आर्या सेवा समिति, तीनगछिया	6201966696
2	श्री बैजु पासवान, जयमति महिला शिशु मंदिर, ऑफिसर्स कॉलनी, मिरचाई बाड़ी	8750483001
3	सुनीता शर्मा, सदगुरू संवर्धन एस.एच.जी., दिलकश फकीर मिस्त्री टोला वार्ड–25	7079228716
4	गुंजा देवी, लक्खी आजीविका एस.एच.जी., कॉलनी नं.–1	8789108957
5	मोनालिसा साह, शिव संवर्द्धन एस.एच.जी., शांति टोला, फसिया	9123239085
6	रेणु देवी, मिलन आजीविका, एस.एच.जी., हृदयगंज वार्ड–6	6299593039
7	ज्योति कुमारी, लक्खी आजीविका, एस.एच.जी., कॉलनी नं.–1	6206986581
8	श्रीमती पिंकी देवी, चांदनी आजीविका, एस.एच.जी., भगवान चौक	9142218474
9	लक्खी कुमारी, महिला संगठन संवर्द्धन, एस.एच.जी., बैगना वार्ड सं–24	9299401074
10	नूतन कुमारी, जननी सर्व शिक्षा एवं शिल्प कला केन्द्र, एन.जी.ओ., तेजा टोला	977171341
11	शिवानंद सिंह, साहिबा नया टोला, मिरचाई बाड़ी	9939731305
12	सत्यभामा देवी, पीहू आजीविका एस.एच.जी., जगरनाथपुरी, बरमसिया	6200749405
13	श्रीमती रूपा देवी, सागर आजीविका, एस.एच.जी., मिशन रोड, ललियाही	7070417351
14	सोनी कुमारी, मुस्कान आजीविका तीनगछिया	7858005409
15	राहुल कुमार, आस्था वेलफेयर क॰ वेलफेयर फाउण्डेशन, के. नगर	8799859434
16	श्री राम संवर्द्धन, एस.एच.जी.,भौरावाड़ी वार्ड –45	7870554435

9.6 शहर में कार्यरत मीडियाकर्मियों की सूची

1	जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी	7979061952
2	हिन्दुस्तान	8709667691
3	दैनिक जागरण	9431087342
4	दैनिक भास्कर	8294895210
5	प्रभात खबर	9431228727
6	जी न्युज नेशन	9431649455
7	केबीसी न्युज	9430200558

9.7 सिविल डिफेन्स कटिहार के पास उपलब्ध मशीनरी :

क्र०	सामान का नाम	संख्या
1	Chevrolot Tavera Neo3 LS (P10ABSIII)	1
2	MARUTI OMNIE MPI STD BSI V	1
3	super splender Moter cycle-	1
4	Colour Television LCD 32", LG	1
5	Digital Camera 10 mega pixel (sony)	1
6	Computer Desktop wih LCD monitor (Intel Core 2 Duo Configuration with C2D 7400 Processor) HCL **	1
7	3-in-1 Laser printer	1
8	Public address system close	1
9	Public address system opon air	1
10	LCD projector with extra light two cautoon	2
11	Safety goggles- scratch resistant	6
12	Breathing air apparatus with spare cylinder	3
13	Circular saw (petrol) 10" with carbide and metal cutting Blades	1
14	Chaine saw (petrol) 12" with carbide tipped chain	1
15	Rotary hammer drill	2
16	Reciprocating saw with wood & matal catting	2
17	Elictric drill	1
18	Full body harnesses	2
19	Black board (8'x4') fixed on wall (green colour)	1
20	DVD Player- LG	1
21	Video camera – Panasonic	1
22	F/L Flex-16x8-24 pec	24
23	Canopy	2
24	Carbon-di-oxide-Co2	2
25	Fire AGE brand	2
26	Combination Cutter baltery opetater	1
27	Mega phones	1
28	Rollable White Board, Folding with marker pens (4'x3')	2
29	White Screen folding (4'x6') Tripod based	1
30	D V D Player (LG/Samsung)	1
31	CPR Mannepuin with lungs bag	1
32	Combination cutter and spreader (Battery operated)	1
33	Safety helmets	6

:=:=:=:=:=:

अध्याय : 10

पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापन

RECONSTRUCTION AND REHABILITATION

भीषण आपदाओं के दौरान निजी अथवा सार्वजनिक संरचनाओ में व्यापक क्षति होने के कारण आपदा के घटित होने के साथ ही दैन्दिनी की कई गतिविधियाँ पूर्णतः या आंशिक रूप से बाधित हो जाती है। अत्यंत संवेदनशील संरचनाये यथा बिजली, सड़क संपर्क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, रोजगार इत्यादि ठप हो जाती है। जीवन–यापन को सामान्य बनाने हेतु पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास की आवश्यकता पड़ती है। इन कार्यो को पूरा करने की कार्रवाई प्रारंभ कर इसे पूरा करने में अच्छा खासा संसाधन एवं समय लगता है। इस बीच जीवन प्रदायी राहत कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है ताकि प्रभावित समुदाय या समाज की जीवन सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके।

***यूएनआईएसडीआर* द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएँ निम्नवत है :–**

- **पुनर्निर्माण (Reconstruction)** : आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त जीवन प्रदायी संवेदनशील अंतः संरचना सेवा, मकान, जन–सुविधा तथा जीविका के साधन जो आपदाग्रस्त किसी समुदाय या समाज के पूर्ववत् क्रियाशील बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि वह मजबूत (Resillient) संरचना का मध्यकालीन या दीर्घकालीन पुनर्निर्माण जो 'टिकाउ विकास 'तथा 'पूर्व से बेहतर निर्माण' की अवधारणा के अनुरूप हो तथा जो भविष्य में आपदा जोखिम स सुरक्षित रहे।
- **पुनर्स्थापन (Rehabilitation)** : किसी समुदाय अथवा समाज के सामान्य क्रियाकलापो के लिए उपलब्ध प्राथमिक जन सुविधा, सेवा जो आपदा से ध्वस्त हो गई हो का त्वरित पुनर्निर्माण को पुर्नस्थापन कहा जायेगा।

- **पुनर्निर्माण (Reconstruction)** : तत्कालीन क्रिया–कलाप में संबंधित संस्था सर्वप्रथम क्षति का आकलन करेगो। साथ हीं संबंधित ऐजेंसियों के माध्यम से राहत व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सकेगा। सिविल सर्जन तथा नगर निगम द्वारा आपदा पश्चात् संभावित महामारी की रोकथाम के लिए सभी उपाय किये जायेंगे। अति आवश्यक क्षतिग्रस्त ढ़ाचों की मरम्मती हेतु भवन निर्माण विभाग तथा विभिन्न आधारभूत संरचना निकायों की मदद से मरम्मती का कार्य कराया जा सकेगा। इसके अलावा मध्यकालीन/दीर्घकालीन कार्य के तहत पक्का निर्माण, सामान्य सुविधा को पुनः पूर्व से बेहतर रूप में बहाल करना।

- **पुनर्वास द्वारा पुनर्प्राप्ति (Recovery through Rehabilitation)** : आपदा पश्चात् यह आवश्यक है कि लोगों को कैम्प या अन्य शरण स्थल से वापस उनके रहने के नियत स्थल पर वापस भेजा जा सके। इस कार्य हेतु जो कार्य योजना बनायी जायेगी उसमें प्रभावित लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जायेगा। जीविका के संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार की चालू योजनाओं का भी उपयोग किया जायेगा। आपदा में ट्रॉमा से ग्रसित व्यक्तियों के लिए मनोचिकित्सक तथा सलाहकार की व्यवस्था की जायेगी ताकि वह व्यक्ति हादसा से उबरने में सफल हो सके।

10.1 क्षति आकलन प्रक्रिया तथा प्रपत्र : भारत सरकार द्वारा निर्गत Post Disaster Damage Needs Assessment (PDDNA) एवं आपदा प्रबंधन विभाग को अधिसूचना संख्या–3601 दिनांक– 30.09.2014 के अनुसार "प्राकृतिक आपदा/गैर प्राकृतिक आपदा के मामले में क्षति आकलन हेतु विनिर्दिष्ट सक्षम पदाधिकारी एवं अनुदान स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी का चयन जिला दण्डाधिकारी को करना है। जिला दण्डाधिकारी अपने अधीनस्थ के बीच शक्ति का प्रत्योजन (Power Delegate) कर सकते है।

आपदा के पश्चात् क्षति आकलन मुख्यतः संवेदनशील आबादी, अंतःसंरचना, संपत्ति की हानि तथा पर्यावरण क्षति की ओर केन्द्रित होना चाहिये तथा प्रत्युत्तर एव विकास कार्यो से संवेदनशीलता को क्रमशः घटाने में सहायक होना चाहिये। इसे मुख्यतः दो खंड़ों में विभक्त किया जा सकता है।

(क) स्थिति का आकलन

(ख) आवश्यकता का आकलन

स्थिति आकलन में आपदा की तीव्रता तथा प्रभावित आबादी/क्षेत्र पर इसके आघात का आकलन किया जाता है। वहीं आवश्यकता आकलन में प्रभावित आबादी/क्षेत्र के लिए कितना कुछ करना जरूरी है, इसे तय किया जाता है।

क्षति आकलन में आपदा की प्रकृति एवं विस्तार तथा प्रभावित समुदाय खासकर संवेदनशील समुदाय की इस संघात से उबरने के लिए आवश्यक कार्रवाई का आकलन किया जाना चाहिये। तात्कालिक क्षति तथा इसके दीर्घकालिक प्रभाव की भरपाई के लिए संवेदनशील आबादी को अनुदान एवं सार्वजनिक संपत्ति तथा पर्यावरण की क्षति की भरपाई टिकाउ विकास कार्यो द्वारा की जानी चाहिये।

- आपदा क्षति क विभिन्न आयामों में निम्नांकित प्रमुख है –
- मनुष्यों की मृत्यु एवं संपत्ति को हानि
- आवासीय भवन तथा सार्वजनिक संरचनाओ की क्षति
- जीविका के संसाधनों की क्षति
- पर्यावरण की क्षति
- मनो–सामाजिक संघात

सारणी – 10.1 संभागवार आपदा क्षति आकलन की पद्धति तथा उत्तरदायी एजेंसी :

क्र.सं.	प्रभावित संभाग	पद्धति	उत्तरदायी एजेंसी
1	मानव क्षति	• मृतको के शव की शिनाख्त करने के उपरांत नजदीकी संबंधियो को सौंपना। • अंतिम क्रिया के लिए निर्धारित मानक मानदर का भुगतान। • लावारिस शवों का सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा से अंतिम क्रिया।	समुदाय, वाड पार्षद, निकट संबंधी अंचल पदाधिकारी जिला पुलिस द्वारा प्राधिकृत जिम्मेवार नागरिक
2	घायल	• घायलो को राहत शिविर या स्थानीय विशिष्ट अस्पताल तक पहुँचाना। • घायलों की समुचित देखभाल तथा चिकित्सा।	पुलिस, चौकीदार, समुदाय, स्वयंसेवी संगठन जिला स्वास्थ्य समिति
3	आधारभूत संरचना	• आपदा के उपरांत सरकारी भवनो, सड़क संपर्क, पुल–पुलिया, जल–मल निकास नाली, संचार एवं विद्युत आपूर्ति संरचना तथा सुरक्षा तटबंध इत्यादि में हुई क्षति की मापी तथा आवश्यक मरम्मती का प्राक्कलन की तैयारी।	भवन निर्माण प्रमंडल पथ प्रमंडल संचार प्रमंडल नगर विकास प्रमंडल
4	जीवनदायी संरचनाओं का मरम्मत/पुनर्निर्माण,	• क्षति का फोटोग्राफ तथा मापी के साथ मरम्मति का प्राक्कलन की तैयारी।	संबंधित विभाग
5	निजी मकान	• निजी मकानो को उनकी बनावट तथा छत की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कर आंशिक क्षति या पूर्णक्षति का ब्योरा एकत्र करना।	अंचलाधिकारी
6	पशु संसाधन	• पीड़ित व्यक्तियों के पशुओं की क्षति की जानकारी हासिल कर आर्थिक मुल्याकंन करना।	पशुपालन पदाधिकारी बीमा कम्पनी
7	चिकित्सा (भौतिक, मनोवैज्ञानिक)	• चिकित्सा के क्षेत्र में मृतकों एवं घायलों की सूची तैयार कर उन्हें तथा उनके परिवार को समुचित सुविधा मुहैया कराना। • आपदा के कारण मानसिक आघात से ग्रसित लोगों की पहचान करना तथा उन्हें मनोचिकित्सक से कांउसलिंग कराना।	असैन्य शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन)
8	जीविका के साधन बहाल करना	• जीविका के साधन या उद्योग धंधे जो आपदा प्रवण क्षेत्र में स्थापित/संचालित हो उनको बीमित करना तथा उनके पुर्नवापसी हेतु आकलन तैयार करना।	बीमा कम्पनी, श्रम संसाधन विभाग कल्याण विभाग शहरी जीविका मिशन

10.2 पीड़ितो को राहत : भूकंप, जल–जमाव तथा नगरीय बाढ़, सुखाड़, अग्नि दहन आदि आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को दिये जाने वाले राहत के संदर्भ में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार द्वारा समय–समय पर मार्गदर्शन, स्पष्टीकरण तथा निर्देश निर्गत किये गये हैं इसका संक्षिप्त विवरण का उल्लेख करते हुये आपदा प्रबंधन विभाग का संदर्भित पत्र/अधिसूचना का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नांकित है।

- मृत्यु, घायल या संपति की क्षति की स्थिति में "राज्य आपदा रिस्पॉस कोष एवं राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉसा कोष से वर्ष 2022–23 से 2025–26 तक के लिए भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्रकृति से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों के लिए निर्धारित सहाय मानदर के अनुरूप राशि प्रदान की जायेगी।" **(आपदा प्रबंधन विभाग–पत्रांक 01/प्रा॰आ॰(NDRF-SDRF) 06/2021/6304/आ॰प्र॰ दिनांक 31.12.2022)**
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के द्वारा सभी प्रकार की आपदाओं क दौरान स्थापित किये जाने वाले राहत शिविरों में आपदा पीड़ितों के शरण स्थल, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा एवं स्वच्छता के संबंध में निर्धारित न्यूनतम मापदंडों के अनुरूप कार्रवाई करने एवं आपदा के दौरान विधवा और अनाथ हो गए लोगों की विशेष व्यवस्था करने के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1202 दिनांक 17.03.2016 को निर्गत दिशा निर्देश।
- राहत केन्द्र के सफल संचालन के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 2493 दिनांक 05.09. 2008।
- पत्रांक 1418 दिनांक 17.04.15 के द्वारा वज्रपात (Lightning), लू (Heat Wave) अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा),नदियों/तालाबों/गड्ढों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना को विशेष स्थानीय आपदा (Local Disaster) के रूप में अधिसूचित करने एवं इन आपदाओं से होने वाली जानमाल की क्षति में दिनांक 20.03.15 से SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रक्रिया या मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। सड़क दुर्घटना में क्षतिपूर्ति देने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
- पत्रांक 76 दिनांक 12.01.2009 के द्वारा प्राकृतिक आपदा के कारण मृतक का शव बरामद नहीं होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की मान्यता की प्रक्रिया अधिसूचित की गई है।
- पत्रांक 1692 दिनांक 22.04.2016 द्वारा आपदा प्रभावित परिवारों के देय अनुदान की राशि RTGS/NEFT अथवा A/c Payee Cheque के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किया गया है।
- कुछ विशेष परिस्थितियों में अगलगी से प्रभावित पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित राहत का प्रावधान किया है।
  - आग से क्षतिग्रस्त दुकान/माल के लिए मुआवजा,
  - अगलगी पीड़ितों के लिए विशेष राहत केन्द्र का संचालन,
  - गैस लीक से अगलगी से पीड़ित को अनुदान,
- ओलावृष्टि/चक्रवाती तूफान/भूकंप से प्रभावितों को राहत वितरण के संबंध में राज्यादेश संधारित है। वज्रपात के कारण मृतकों के आश्रितों को भी समतुल्य अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया गया है।

10.3 आधारभूत संरचनाओं का पुर्नस्थापन : आधारभूत सरंचना यथा प्रशासनिक भवन, अस्पताल भवन, स्कूल भवन, विद्युत संचार, सड़क संपर्क, दूर संचार, पेयजल आपूर्ति इत्यादि से संबंधित आधारभूत संरचनाओं का पुर्नस्थापन प्राथमिकता के तौर पर किया जायेगा। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग संबंधित कार्यान्वयन एजेसिंयों को निधि उपलब्ध करायेगी तथा संबंधित एजेंसी युद्ध स्तर पर इसका पुनर्स्थापन सुनिश्चित करेंगे।

10.4 जीवन प्रदायी भवनों की मरम्मती : जल–जमाव एवं शहरी बाढ़ तथा भूकंप से क्षतिग्रस्त वैसे भवन जो किसी समुदाय अथवा समाज के दैन्दिनी कार्य के लिए अति महत्वपूर्ण हो, उन भवनों की यथाशीघ्र मरम्मती कर उपयोग में लाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। आपातकालीन संचालन केन्द्र, अस्पताल तथा राहत शिविरों के लिए उपयोगी भवनों की मरम्मत युद्ध स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

10.5 अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मति/पुनर्निर्माण : अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मती तथा पुर्ननिर्माण इस प्रकार से की जायेगी की वे भविष्य में किसी आपदा के दौरान जोखिम से सुरक्षित हो।

10.6 जीविका का पुनर्स्थापन : आपदा के दायरे में पड़ने वाले क्षेत्र के निवासियों के जीविका साधन भी नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। पशुपालन के व्यवसाय पर कुप्रभाव पड़ता है। आवागमन प्रभावित होता है। आर्थिक गतिविधियाँ ठप पड़ जाती हैं। ऊर्जा की समस्या कुटीर उद्योग का उत्पादन प्रभावित करती है। इस तरह की कई समस्याओं से वहाँ के समुदाय अथवा समाज की जीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे पुनः पूर्ववत स्थिति में लाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जाने चाहिये तथा प्रभावितों को अनुदान, कर्ज, बीमा इत्यादि उपलब्ध कराकर उनके जीविका के साधन को पुनर्स्थापित किया जा सकता है।

पुर्नवास एवं पुनर्स्थापन की प्रक्रिया में वर्तमान में राज्य सरकार के कृषि विभाग, समाज कल्याण, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन तथा शहरी विकास कार्यक्रमों में प्रधानता दी जायेगी।

10.7 चिकित्सीय सुविधा का पुनर्स्थापन : आपदा के संघात से घायल व्यक्ति के जल्द से जल्द स्वस्थ्य होने के लिए हर प्रकार की चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। नगर निगम क्षेत्र में चिकित्सा के लिए स्थापित अस्पताल, नर्सिंग होम, आपदा प्रभावित हो तो इनका पुनर्स्थापन किया जायेगा।

10.8 दीर्घकालिक पुर्नवापसी : बहु–आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विगत आपदाओं के दौरान हुई व्यापक क्षति की भरपाई अल्पकालीन पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण के कार्यों से करना संभव नहीं है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दीर्घकालीन पुर्नवापसी की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जायेगा। बड़ो आपदा झेलने के बाद विशेषकर महिलाएँ तथा बच्चे मानसिक त्रासदी से गुजर रहे होते हैं। ऐसी परिस्थिति में समुदायों को चिह्नित कर मनोवैज्ञानिक 'काउंसलिंग' की व्यवस्था करना होगा ताकि प्रभावितों की पीड़ा को कम किया जा सके।

:=:=:=:=:=:

अध्याय–11

न्यूनीकरण योजना

MITIGATION PLAN

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में उल्लेखित परिभाषा – अनुच्छेद 2(झ) "शमन से किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के जोखिम या प्रभाव को कम करने के लिए आशयित उपाय अभिप्रेत है;"

अधिकारिता एवं कृत्य :–

(i) उपरोक्त अधिनियम का अनुच्छेद 32 (क) (i) – "जिला योजना में यथा उपबंधित निवारण और शमन उपायों के लिए उपबंध जो संबद्ध विभाग या अभिकरण को समुदेशित है, को जिला प्राधिकरण के पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुये आपदा प्रबंधन योजना में उपवर्णित होगा,"

(ii) उपरोक्त अधिनियम का अनुच्छेद 41(1)(ग) – "स्थानीय प्राधिकारी जिला प्राधिकरण के अधीन रहते हुये यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन या उसकी अधिकारिता के भीतर सभी सन्निर्माण परियोजनाएं राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के शमन और निवारण के लिए अधिकथित मानकों और विनिर्देशो के अनुरूप हैं;"

आपदा जोखिम, समाघात या प्रभाव को कम करने के लिए संवेदनशीलता तथा एक्स्पोजर अवधि को कम करने या आपदा झेलने की क्षमता में वृद्धि करनी आवश्यक है। खतरों की तीव्रता भी जोखिम को घटाती या बढ़ाती है। सूत्र रूप में कहें तो

$$\text{जोखिम} = \frac{\text{संवेदनशीलता X खतरों की तीव्रता X एक्स्पोजर अवधि}}{\text{क्षमता}}$$

11.1 लघु अवधि शमनीकरण योजना :– नगरीय आपदा प्रबंधन योजना में शहरी विकास विभाग के लिए उपबंधित कार्य नगर निगम से अपेक्षित है वह निम्नवत है :–

11.1.1 भूकम्पीय आपदा जोखिम का शमनीकरण :– कटिहार नगर निगम क्षेत्र के लिए भूकम्पीय जोखिम एवं संवेदनशीलता का वर्णन अध्याय 4 के कंडिका 4.1.1 में वर्णित है। यहाँ शहर के अंदर घनी बसावटों वाले क्षेत्रों में संकरी सड़कों का चौड़ीकरण करते हुए नये निर्माण पर पूर्णतः रोक लगा कर पूर्व से निर्मित मकानों को भूकम्परोधी बनाने के लिए आमजनों को प्रोत्साहित किया जाना श्रेयस्कर होगा। भविष्य में नगर विस्तार के लिए नये भवनों का निर्माण कटिहार शहर से बाहर निकलने वाले राष्ट्रीय उच्च पथ, राजकीय उच्च पथ तथा मुख्य जिला सड़कों के अनुदिश प्रोत्साहित किया जाना जरूरी है। इससे वहाँ के खाली जमीनों पर नये भूकम्परोधी भवनों का निर्माण किया जा सकेगा।

बिहार भवन निर्माण उपविधि 2014 में भूकम्प रोधी भवन निर्माण के मानक विधियां तथा विशिष्टियाँ निर्धारित की गई है। सभी सार्वजनिक भवनों/संरचनाओं का विस्तृत असुरक्षितता निर्धारण कराया जायेगा। इसके अंतर्गत भूकंपीय झटकों को झेलने वाले संरचनात्मक विन्यासों (components) के साथ–साथ भंडारित सामग्री, साज–सज्जा और अन्य आंतरिक संयोजन (fittings) की जाँच की जायेगी कि वे भूकंपीय झटका का किस हद तक सहन कर पाता है।

इस संबंध में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य पदमश्री स्व॰ डॉ॰ आनंद स्वरूप आर्या के द्वारा त्वरित जाँच कार्य विधियां डिजाइन कराई है। इस जाँच विधि का उपयोग करते हुये प्राथमिकता के आधार पर सभो सरकारी भवनों/संरचनाओ का रैपिड विजुवल स्क्रिनिंग (RVS) कराया जायेगा। निजी भवनों की जाँच के लिए निजी क्षेत्र के वास्तुविद/अभियंताओं का क्षमतावर्द्धन किया जायेगा। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा भूकम्प सुरक्षा के दृष्टिकोण से जारी की गई निम्नांकित मार्ग–दर्शिकायें जनोपयोगी है जो www. bsdma.org वेबसाईट के 'पब्लिकेशन/रिपोर्टस' विषय सेक्शन पर उपलब्ध है।

(i) भूकम्प जोन IV में ईंट जोड़ाई पर आधारित मकानों के भूकम्प सुरक्षित निर्माण हेतु मार्गदर्शिका ।

(ii) बांस निर्मित आपदा रोधी मकानों की निर्माण विधि ।

(iii) बिहार में ईंट जोड़ाई दीवार पर आधारित भवनों के लिए रेट्रोफिटींग की मार्गदर्शिका।

(iv) अपने मकान की भूकम्प से सुरक्षा की स्वयं जाँच कैसे करें।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), पटना में एक ''भूकम्प सुरक्षा क्लीनिक एवं क्रेन्द्र की स्थापना की गई है। यहाँ निम्न विषयों पर प्रमाणिक जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैः–

- भवनों के भूकम्परोधी निर्माण कैसे की जाय ?
- वर्तमान भवनों का भूकम्परोधी सुदृढ़ीकरण कैसे की जाय ?
- वास्तविक आकार के भूकम्परोधी सुदृढ़ भवन का मॉडल प्रदर्शित किया गया है।
- इस केन्द्र पर भूकम्परोधी भवन निर्माण अथवा रेट्रोफिटींग सलाह मुफ्त उपलब्ध है।
- इस केन्द्र में उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारी का अधिकतम उपयोग किया जायेगा।

(**नोट** : उपरोक्त सभी कार्य नगर निकाय, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भवन निर्माण विभाग तथा नगर विकास प्रमंडल के सहयोग से संपादित होगा।)

11.1.2 दीर्घ कालीन जल–जमाव/शहरी बाढ़ – कटिहार नगर निगम क्षेत्र में जल–जमाव की समस्या का स्थाई निदान के लिए (Storm Drainage Plan) स्वीकृत किया गया है। इस योजना के तहत मुख्यतः तीन प्रमुख जल बहिर्निकासी स्थल की पहचान की गई है तथा 27 संख्या नालो के माध्यम से शहर में जमा होने वाले पानी को प्राकृतिक ढाल प्रदान करते हुये इन जल बहिर्निकासी स्थल तक पहुँचाकर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाले प्राकृतिक जल बहाव मार्गो से जोड़ दिया जायेगा। इसका विवरण निम्नांकित है :–

सारणी – 11.1 जल बहिर्निकासी स्थल का ब्योरा –

जल बहिर्निकासी स्थल	नालों की सं.	नालो का रास्ता (उपर से नीचे)
1	2	3
रोजितपुर	1	के.बी.झा कॉलेज–इस्लामियां स्कूल–दुर्गा स्थान–राम रहीम चौक–पी एंड टी कॉलोनी–कोरिया टोली चौक–महमूद चौक–डी. एस.कॉलेज रोड–IOCL पेट्रोल पंप के दूसरी ओर का लेन, होम्योपैथिक कॉलेज, रोजितपुर (मनेर चौक) –परतेली धार।
	2	रेलवे स्टेशन, बाटा चौक–न्यू मार्केट रोड–दुर्गा स्थान(यहाँ नाला सं. 1 में मिलकर नीचे परतेली धार तक जल प्रवाहित होगा)।
	3	शहीद चौक–सदर अस्पताल–कालीबारी, बिनोदपुर रोड जंक्शन–शिव मंदिर चौक–चौधरी मुहल्ला चौक–कृषि विज्ञान केंद्र–तीन गछिया काली मंदिर–बाजार समिति परतेली धार, मनेर चौक डी.पी.एस.।
	4	हल्का कचहरी–पावर हाउस रोड–महिला कॉलज–अरगड़ा चौक–एफ.सी.आई. गोदाम, कृषि फार्म तीन गछिया–बाजार समिति (यहाँ नाला से 3 में गिरेगा)।
	5	पानी टंकी चौक(नगरपालिका स्कूल), शिव मंदिर चौक से अरगड़ा चौक(नाला से 4 में गिरेगा)
	6	बी.एड कॉलेज से कोरिया टोली चौक तक।
	7	जगदीश शहाब के घर से सगम हाउस लॉ कॉलेज चर्च तक।
	8	लड़कनिया से लॉ कॉलेज तक।
	9	विवेकानंद कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग से दुर्गा स्थान।
	10	नवनीत नगर से राम रहीम चौक तक।
	11	सेवानगर (नहर) से बी.एड कॉलेज कोरिया टोली तक।
	12	रेडिएंट अस्पताल से IOCL पेट्रोल पंप तक।
कोशी प्रोजेक्ट आउटफाल जोन	13	शिवाजी कॉलोनी–ललियाही–क्र्बला–पी एण्ड टी चौक–मनिहारी मोड़–हनुमान मंदिर–हरिशंकर नायक स्कूल–प्रखंड कार्यालय–कारी कोशी नदी पर निर्मित स्लूईस गेट के निकट तक।

	14	मेडिकल कॉलेज, भेदिया रहिका से अंबेदकर चौक।
	15	नहर, चीन्ताबरी चौक, भगुआबारी, तेज टोला, अम्बेदकर चौक, डी.एम. ऑफिस, मैथिल टोला, कोशी प्रोजेक्ट।
	16	सर्किट हाउस, फुटानी चौक, आदिवासी स्कूल, मैथिल टोला से कोशी प्रोजेक्ट।
	17	मुनीलाल चौक,NBPDCL, फुटानी चौक (नाला सं.16 में गिरता है)
कारी कोशी आउटफाल	18	गोशाला चौक–हवाई अड्डा चौक– इन्डेन गैस गोदाम–कारी कोशी नदी।
	19	वर्मा कॉलोनी तिनगछिया, बाटा चौक, हवाई महल चौक, इन्डेन गैस गोदाम।
	20	रेलवे कल्भर्ट स मनिहारी रोड (नाला सं.18 में गिरता है)।

11.1.3 अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत अनिवार्य अनुपालन – विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के प्रबंधन के बारे में अध्याय–3 में विस्तृत चर्चा की गयी है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विभिन्न हितधारकों द्वारा इन समस्याओं को रोकने तथा न्यूनीकरण हेतु क्रियाशील प्रक्रिया अपनाई जाए। सभी संबंधित इकाइयों/हितधारकों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1980 के संगत नियमों के तहत अनिवार्य रूप से प्रत्येक वर्ष पिछले साल का वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान है। यह एक वैधानिक प्रक्रिया है जिसका समय बद्ध तरीके से निश्चित रूप से अनुपालन किया जाना है।

क्र. सं.	प्रपत्र/नियम	संबंधित यूनिट/हितधारक	वार्षिक रिपोर्ट जमा करने की तिथि	दायित्व
1	**प्रपत्र–IV** ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016-24(2)	शहरी निकाय, नोटिफायड ऐरिया, औद्योगिक बस्ती	30 जून	जिला प्रशासन, नगर निकाय, सिविल सर्जन तथा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद यह सुनिश्चित करेगे कि नियमों का अनुपालन हो, साथ ही प्रपत्रों में नियमित जानकारियां दिया जाय।
2	**प्रपत्र–IV** जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्र॰ नि॰, 2016-13 (i)	स्वास्थ्य सेवायें यथा अस्पताल, नर्सिंग होम, जाँच लैब, दंत क्लिनिक, डायग्नोस्टिक केन्द्र आदि	30 जून	
3	**प्रपत्र–V** प्लास्टिक अपशिष्ट प्र॰ नि॰, 2016-17(ii)	शहरी निकाय द्वारा	30 जून	
4	**प्रपत्र–III** ई–कचरा अपशिष्ट प्र॰ नि॰ 2016-4,8,9,10& 11	इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रोनिक उपकरणो के निर्माता,उत्पादक, नवीनीकरण करने वाले, पुर्नचक्र, थोक उपभोक्ता द्वारा	30 जून	
5	**प्रपत्र–II** कंस्ट्रक्शन एवं डिमालिसन अपशिष्ट प्र॰ नि॰, 2016-7(iii)	इन अपशिष्टों का स्टोर, प्रसंस्करण तथा पुर्नचक्र करने वाले यूनिट	30 जून	
6	**प्रपत्र–V** (पर्यावरण स्टेटमेंट) पर्यावरण सुरक्षा नियम, 1986-14	वैसी संस्था जिसने इस कार्य हेतु लाईसेंस प्राप्त किया है	30 सितम्बर	
7	**प्रपत्र–IV** खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार आवाजाही) नियम, 2016-16(6)	सभी व्यक्ति, संस्था, प्राधिकारी जिन्होंने सुसंगत नियमों के अंतर्गत अधिकार प्राप्त किया।	30 जून	

11.1.4 अग्नि सुरक्षा :– बिहार अग्निशमन सेवा अधिनिमय 2021 के अनुसार

- प्रत्येक हाईड्रेंड एवं जलश्रोतों के आकार को उपदर्शित किय जाने वाला पहचान प्लेट संबंधित भवन, परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा लगाया जायेगा एवं ऐसे सभी हाईड्रेंट एव जलश्रोतों का संबंधित प्राधिकार द्वारा अनुरक्षण सुनिश्चित की जायेगी। सभी सरकारी एवं सार्वजनिक भवनों में अग्निशमन हेतु अबाध जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- भवन निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग, शिक्षा विभाग, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम इत्यादि में अग्नि अभियंत्रण कोषांग का गठन किया जायेगा।

- सभी व्यवसायिक एवं सार्वजनिक भवनों विशेषकर नाजुक संस्थानो यथा स्कूलों, सार्वननिक भवनों, अस्पतालों के लिए अग्नि सुरक्षा एवं निकास योजना (Fire Safety & Evacuation Plan) विकसित किया जायेगा।
- अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 675 दि॰ 30.05.2019 के आलोक में नगर निगम स्तरीय शहरों में अवस्थित बहुमंजिले/विशेष सार्वजनिक भवनों में लगे अग्नि सुरक्षा उपकरणों की कार्य क्षमता की जाँच कर इसे सुदृढ़ करवाये जायेंगे।
- नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक 546 दि॰ 30.04.2019 के आलोक मे निम्नांकित कार्यो हेतु पहल की जा सकती है :

(i) नगर निकायों के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित सभी वार्डो में उपलब्ध पानी की स्त्रोतो की पहचान एवं जरूरत पड़ने पर दमकल की गाड़ियों को पानी उपलब्ध कराना।

नगर निगम कटिहार के परिक्षेत्र मे संप्रति 13 संख्या हाईड्रेट स्थापित है। अग्निशमन कार्यालय के सुझाव पर 9 अतिरिक्त हाईड्रेट बनाना है तथा निजी नलकूपों की मैपिंग की जानी है।

(ii) वार्ड स्तर की बैठको में पूर्व की अगलगी के आधार पर कारणों का सामाजिक आडिट करना तथा इसके मद्देनजर रोकथाम/शमनीकरण के उपाय करना।

वार्ड समिति की बैठको में उपरोक्त अंकेक्षण कार्य किये जायेंगे तथा इसके प्रतिवेदन के आधार पर हितधारियों की सहभागिता के साथ शमनीकरण के सभी कार्य किये जायेंगे।

(iii) स्थानीय सरकारी कर्मियों एवं पदाधिकारियों के साथ अगलगी रोकथाम/न्यूनीकरण हेतु समन्वय :– जिला अग्निशमन कार्यालय, पुलिस प्रशासन, जिला स्वास्थ्य समिति तथा जिला आपदा प्राधिकरण के पदाधिकारियो के साथ पूर्ण समन्वय स्थापित करते हुये आवश्यकता आधारित जरूरी उपाय किये जायेगें।

(iv) नगर निगम द्वारा अगलगी की रोकथाम न्यूनीकरण तथा तैयारियाँ संबंधी लिए गये सभी निर्णयों का नगर आपदा प्रबंधन समिति द्वारा अनपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा जिला प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन को सभी संभव एवं समुचित सहयोग प्रदान किया जायेगा। नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित निजी व्यवसायिक भवनों/बहुमंजिली इमारतों एवं सरकारी भवनों में अग्नि सुरक्षा संबंधी कार्य योजना :–

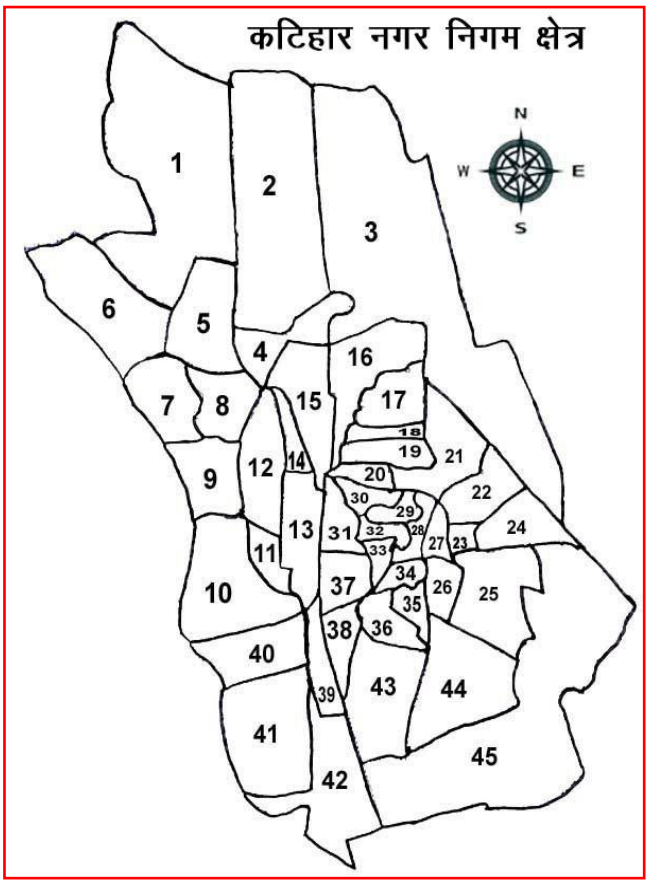

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा वर्ष 2019 में नगर निगम स्तर के सभी निकायों में उक्त भवनों का सुरक्षा आडिट भी कराया गया है तथा पाई गई त्रुटियों का निराकरण कराया जा रहा है। इस प्रकार के सुरक्षा आडिट अधिनियम 2021 की कंडिका 2.2 क अथवा एक निश्चित समय अंतराल पर विभिन्न श्रेणी के संवेदनशील भवनों तथा सर्वप्रथम अस्पतालों, शैक्षणिक

संस्थानों का प्राथमिकता के आधार पर तत्पश्चात् पुराने भवना के आडिट कराये जायेंगे।

अग्निशमन सेवा की क्षमतावृद्धि – वर्तमान में फायर इंजोनियरिंग, प्रिवेन्टिव फायर मैनेजमेंट कार्यो के लिए कोई भी सक्षम तकनीकी कर्मी नहीं है। कम से कम प्रमंडलीय/जिलों के कार्यालयों में इस प्रकार के विशेषज्ञ टीम का गठन होना है। न्यूनीकरण योजना में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान देने की आवश्कयता है।

सारणी– 11.2 अग्नि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विभिन्न सस्थाओं का दायित्व :

गतिविधि	दायित्व
1. बिहार बिल्डिग बॉयलाज 2022 (यथा संशोधित 2016) का अनुपालन तथा उस अनुरूप भवन के नक्शे की स्वीकृति	• नगर निगम • भवन निर्माण विभाग
2. बिहार राज्य अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के अनुसार भवन की अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करना	• नगर निगम • जिला अग्निशामालय
3. समय–समय पर विभिन्न स्थलों का फॉयर सेफ्टी आडिट कर तदनुसार कलर कोड तैयार कर अनुश्रवण की श्रेणी तय करना	• जिला प्रशासन • जिला अग्निशामालय
4. अस्पताल का फॉयर सेफ्टी योजना सुनिश्चित करना	• सिविल सर्जन • चिकित्सा महाविद्यालय • जिला अग्निशामालय
5. सभी बड़े मॉल तथा भवनों में 'स्मोक डिटेक्शन यंत्र' स्थापित करना	• नगर निगम • जिला अग्निशामालय • भवन के मालिक
6. चिकित्सा महाविद्यालय/सदर अस्पताल में सदैव एक फॉयर टेंडर का मौजुद रहना	• जिला अग्निशामालय • सदर अस्पताल
7. भवन–आपाटमेंट्स में 'एसेम्बली प्लेस' को पहचान	• नगर निगम • भवन निर्माण
8. सरकारी भवनों एवं अन्यत्र विद्युत कनेक्सन का सही तरिके से होना	• जिला प्रशासन • भवन प्रमंडल • जिला अग्निशामालय • नाथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि॰
9. कारखाना एवं उद्योग में अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं तीव्रता के अनुरूप कलर कोडिंग करना	• कारखाना निरीक्षक • ब्यालर निरीक्षक
10. जलापूर्ति के लिए निर्मित एवं निर्माणाधोन सभी टावर (13 संख्या) के निकट एक–एक हाईड्रेंट का निर्माण किया जाना	• नगर विकास प्रमंडल

11.1.4.1 मलिन बस्तियों की अग्नि सुरक्षा : कटिहार शहर में 36 मलिन बस्तियां चिह्नित है जिनमें 41985 के करोब लोगों का आवासन है। इस इलाके में रोड घनत्व अपेक्षाकृत बहुत कम है। बारह मासी रोड का सर्वथा अभाव है। कई बस्तियों तक पहुँचने तथा इससे निकलने के मार्ग कच्चे तथा संकरे हैं। यहाँ आग लगने पर अग्निशमन यंत्रो का पहुँचना या निकलना दुष्कर है।

नगर निगम आपदा काल में इन बस्तियों तक पहुँचने तथा निकलने का रूट मैप तैयार कर चौड़ा तथा 12 मासी सड़क संपर्क निर्माण करने का प्रयास करेगी। इन्हीं मार्गो से अग्निशमन यंत्र राहत सामग्री पहुँचाने तथा विकट स्थिति में निकासी एवं बचाव कार्य के लिए उपयोग किये जायेंगे। नगर निगम इन मलिन बस्तियों को क्लस्टर के रूप में चिह्नित करेगा।

11.1.5 गर्मी/लू/शहरी उष्ण टापू :– प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म ऋतु के अप्रैल एवं मई महीने में प्रचंड गर्मी और कभी–कभी गर्म हवाओं का प्रवाह लू के रूप में सामने आता है। जलवायु परिवर्तन जनित समस्या के

रूप में शहरी उष्ण टापू निर्माण की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। इसके प्रभावों को कम करने के लिए निम्न उपाय किये जायेंगे।

बिहार सरकार आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1194 दि॰ 29.04.21 द्वारा भीषण गर्मी एवं लू के विपरीत प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए विभिन्न विभागों के कृत्य निर्धारित किये गये है। इसके अनुसार नगर विकास विभाग के निम्नांकित कृत्यों को साकार किया जायेगा :–

सारणी – 11.3 शहरी उष्ण टापू प्रभाव के कम करने के विभिन्न तकनीक –

क्र.सं.	तकनीक तथा रणनीति	विवरण	लाभ
1	2	3	4
1	ग्रीन रूफ/वॉल	छत/दीवारों पर हरित अच्छादन का विस्तार के लिए पौधो का रोपण–पोषण	• तूफानी वर्षा के संकेन्द्रीकरण में कमी लाता है। • कंक्रीट के छत से उष्मा अवशोषित होने के साथ उत्सर्जन को बाधित करता है। • छत पर हरित आच्छादन होने से पर्यावरण प्रदूषण में कमी लाने में मदद मिलती है। ध्वनि प्रदषण को भी अवशोषित करता है।
2	ठंढो छत	छत बनाने की वैसी सामग्रिया जो प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है तथा उष्मा उत्सर्जन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी कर देती है, से निर्मित छतो को ठंढो छत कहते है। इनमें सूर्य की सभी दृष्य और परावैगनी तरंग वाली किरणो क अधिकांश भाग का परावर्तित करके भवन में गर्मी के प्रवेश को रोक देता है। बचे हुये अवशोषित उर्जा का उत्सर्जन भी धीमी गति से करता है	• घर का छत अपेक्षाकृत ठंडा रहने के कारण घर को ठंडा करने के लिए जरूरी अतिरिक्त उर्जा (बिजली) की बचत होती है। • उर्जा की बचत स इसके उत्पादन के समय उत्सर्जित प्रदूषण में कमी आती है। • गर्मी/उष्णता जनित बीमारियों में कमी होती है।
3	ठंढो सड़क/गलियाँ	रन्ध्रयुक्त (Permeable) तथा परावर्तनकारी सतहो वाली सड़के तथा गलियाँ ठंढो सड़क गली मानी जाती है। प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित करने वाली सामग्री से निर्मित अथवा सतह पर इसकी कोटिंग करके ठंढो सड़क/गलियाँ बनाई जाती है	• आसपास के वातावरण के तापक्रम में कमी आती है। जिसके कारण वातानुकूलन हेतु कम उर्जा की खपत होगी। • धरती द्वारा अवशोषित उष्मा की मात्रा में कमी होने के कारण सतह का तापक्रम ठंडा रहता है फलस्वरूप ग्रीन हाउस गैस के कारण उत्पन्न गर्मी के प्रभाव को कम करती है।
4	वृक्ष एवं पादप आच्छादन में वृद्धि	अंतःसंरचना हेतु उपलब्ध जमीन के कुछ भाग को (न्यूनतम 30 प्रतिशत) वृक्षों एवं अन्य हरित पादपो द्वारा आच्छादित करना	• धरती के सतह से सौर्य उर्जा के परावर्तन में कमी लाकर "Albed Effect" में कमी लाता है जिससे वातावरण का तापक्रम घट जाता है एवं शहर उष्ण टापू का निर्माण नहीं हो पाता है। • इससे धरती के सतह की मिट्टी का क्षरण में कमी आती है। जिससे परिस्थितिकी संतुलन बना रहता है।

(i) शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक जगहों पर यथा रेलवे स्टेशन के निकट, बस स्टैंड, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बाजार, ट्रैफिक पोस्ट तथा अन्य संवेदनशील स्थलों के निकट प्याऊ की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इन स्थानों पर गर्म हवाओं तथा लू से बचने के संबंध मे सूचना प्रदर्शित की जायेगी। यह कार्य शहरी विकास एवं आवास प्रमंडल द्वारा किया जायेगा।

(ii) सार्वजनिक चापाकलों तथा खराब पड़े सार्वजनिक नल की मरम्मति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के पूर्व करा ली जायेगो।

(iii) सभी आश्रय स्थलों/रैन बसेरों में पेयजल आपूर्ति तथा आकस्मिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

गमी तथा लू के महीनों में अचानक दैनिक तापक्रम अत्यधिक होने के समय जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न कार्यालायों तथा स्कूल/कॉलेज के कार्यकारी समय एवं दैनिक मजदूर कार्मिकों के कार्य करने के समय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन अधिसूचित किये जायेगे।

11.1.6 स्वास्थ्य एवं चिकित्सा – अस्पताल को सुरक्षित बनाये रखने तथा आपदाओं से निपटने हेतु निम्नलिखित न्यूनीकरण के उपायों को लागू करने का प्रयत्न करना होगा–

क्र.सं.	अस्पताल सुरक्षा हेतु	बोमारियों से सुरक्षा हेतु
1	आपदा प्रबंधन समिति का गठन	कोराना वायरस हेतु ट्रेस, ट्रैक, आईसोलेट की पद्दति अपनाना।
2	आपात संचालन केन्द्र का गठन	मरीजों को उनके हालात के अनुसार, कोविड अस्पताल, कोविड हेल्थ सेंटर, कोविड केयर सेंटर या होम आईसोलेसन हेतु चिह्नित करना।
3	सूचना एवं संचार समिति का गठन	टीकाकरण हेतु उत्प्रेरित करना ।
4	अचानक रोगी आने पर अतिरिक्त बेड आरक्षित	टी.वी. के रोगियों हेतु गाइडलाइन्स का अनुपालन, नियमित रेन्डम जाँच तथा दवा सुनिश्चित करना।
5	मानक संचालन प्रक्रिया पालन के लिए जिम्मेदार चिकित्सक चिह्नित	एच.आई.वी. में संवेदनशील जगहों पर प्रचार–प्रसार, जाँच तथा देखरेख में ए.आर.टी. सेंटर पर दवा एवं सलाह। ओ.पी.डी. में आने वाले मरीजों पर शंका होने तथा गर्भवती महिलाओं की जाँच।
6	उपकरण उपलब्धता (स्टोर रूम)	सभी आवश्यक उपकरणों का सही हालत में कार्यरत होना ।
7	भीड़ में घायलो का प्रबंधन	अस्पताल में आकस्मिकता हेतु अतिरिक्त शय्या तथा चिकित्सा व्यवस्था ।
8	एम्बूलेंस (अस्पताल त्वरित चिकित्सा प्रतिक्रिया दल (क्यू॰एम॰आर॰टी॰) तैयार करेगी	कम समय में चिकित्सक दल का पहुँचना एवं आवश्यक मरीजों को तत्काल सुविधा देना।

नोट – (क) उपरोक्त सभी कार्य अस्पताल प्रशासन तथा सिविल सर्जन के सहयोग से पूरा किया जायेगा।

(ख) योजना में ज्यादा लोगों के हताहत होने, आग लगने एवं भूंकप की स्थिति में संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू की जायेगी।

11.1.7 सड़क सुरक्षा – सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले मृत्यु एवं घायलों की संख्या में कमी लाने के लिए निम्नांकित उपाय किये जायेगे–

क्र.सं.	गतिविधि	उत्तरदायी विभाग
1	संवेदनशील स्थल (हॉट स्पॉट) का निरंतर अध्ययन करना।	पथ निर्माण विभाग।
2	सड़क सुरक्षा वार्षिक कार्य योजना।	
3	सड़क दुर्घटना में मृतक तथा घायलों को क्षतिपूर्ति देने के नियमों में बदलाव तथा गुड सेमेरिटन को पुरस्कृत करने की योजना का प्रचार प्रसार करना	बीमा कंपनी/जिला प्रशासन/ पुलिस प्रशासन/जिला परिवहन कार्यालय /अनुमंडल पदाधिकारी
4	फुटपाथ/फ्लैक का निर्माण एवं मरम्मति।	पथ निर्माण प्रमंडल/नगर निगम/ शहरी विकास प्रमंडल।

5	सड़क सुरक्षा ऑडिट।	पथ निर्माण प्रमंडल/परिवहन पदा./यातायात पुलिस
6	नगर निगम क्षेत्रान्तंगत सड़क दुर्घटना की जानकारी एवं समीक्षा।	नगर निगम/सिटी मैनेजर/पथ परिवहन कार्यालय।
7	नगर निगम से प्राप्त प्रतिवेदन का समेकित कार्य योजना में समावेश।	पथ प्रमंडल/शहरी विकास प्रमंडल/जिला सड़क सुरक्षा समिति।
8	सड़कों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था।	नगर निगम/विद्युत प्रभाग।
9	पॉट होल का दुरूस्त रहना।	पथ प्रमंडल/नगर विकास प्रमंडल/नगर निगम।
10	यातायात अवरोधक ट्राली, पाकिग स्थल।	ट्रेफिक पुलिस/नगर निगम।
11	वेंडिग जोन का निर्धारण।	नगर निगम।
12	हेलमेट धारण, सीट बेल्ट का उपयोग तथा वाहन चलाते वक्त माबाईल का उपयोग नहीं करना ।	जिला प्रशासन/यातायात पुलिस।
13	ट्रामा सेन्टर की स्थापना या उसकी अनुपस्थिति में निजी ट्रामा सेन्टर से समझौता।	जिला प्रशासन/असैन्य चिकित्सा–सह –मुख्य चिकित्सा पदा.(स्वास्थ्य विभाग)।
14	त्वरित चिकित्सा प्रतिक्रिया (रिस्पॉस) दल (QMRT) का गठन।	असैन्य चिकित्सा– सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सदर अस्पताल।
15	सरकारी एम्बुलेंस नहीं होने पर मुख्य मंत्री ग्राम परिवहन योजना से क्रय एम्बुलेंस का प्रयोग।	
16	घायलों के मदद करने वाले मददगार व्यक्ति (गुड सेमेरिटन) को प्रोत्साहित करना।	जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन/स्वास्थ्य विभाग/परिवहन कार्यालय।
17	सड़क दुर्घटना में मृतक तथा घायलों को क्षतिपूर्ति देने के नियमों में बदलाव तथा गुड सेमेरिटन को पुरस्कृत करने की योजना का प्रचार प्रसार करना।	बीमा कंपनी/जिला प्रशासन/ पुलिस प्रशासन/जिला परिवहन कार्यालय/अनुमंडल पदाधिकारी
18	स्कूली पाठ्यक्रम (नवमी एवं दशमी) में सड़क सुरक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम/सुरक्षित शनिवार विषयों को शामिल करना, एन.सी.सी. का जुड़ाव, महाविद्यालय में सड़क सुरक्षा एम्बेसडर का चयन।	शिक्षा विभाग (स्कूली एवं उच्च शिक्षा) संबंधित महाविद्यालय, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्।
19	सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रचार–प्रसार तथा संबंधी स्लोगन, बैनर, हैंडविल, माइकिंग, नुक्कड़ नाटक आदि को प्रदर्शित करना।	जिला प्रशासन/जिला परिवहन/ जिला जन संपर्क कार्यालय।
20	बस/टेम्पू स्टैंड में ड्राइवर जागरूकता कार्यक्रम तथा उनका स्वास्थ्य एवं नेत्र परिक्षण।	नगर निगम/पुलिस अधीक्षक/अपर समार्हता/जिला परिवहन पदाधिकारी /सिविल सर्जन।
21	पथ प्रमंडल के अभियंताओं, यातायात पुलिस के सड़क सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने वाले पदाधिकारियों को सड़क निर्माण तथा ट्रेफिक के विभिन्न आयामों (लेन ड्राइविंग हेतु मार्किंग समेत) पर प्रशिक्षण।	पथ निर्माण प्रमंडल/पुलिस प्रशासन/राज्य एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
22	गुड सेमेरिटन व्यक्तियों का प्रचार तथा यूनिवर्सल हेल्पलाइन की स्थापना एवं इसका प्रचार–प्रसार ।	असैन्य शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदा॰/परिवहन कार्यालय/जिला जन संपर्क कार्यालय।
23	सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाना जागरूकता रैली, स्कूल कॉलेज में विचार विमर्श आदि।	जिला प्रशासन/जिला शिक्षा पदा./महाविद्यालय/ट्रेफिक पुलिस।

24	सड़क सुरक्षा मद में 'सड़क सुरक्षा निधि' से वर्तमान वार्षिक आंवटन (रू॰ 50000/–) में बढ़ोतरी किया जाना ताकि विषय को बढ़ाया जा सके।	पुलिस अधीक्षक/जिला परिवहन कार्यालय।
25	स्कूली बसों में बैठन की क्षमता, चालक का नाम, मोबाइल नंबर, प्राथमिक उपचार किट हेतु बस मालिक एवं स्कूलों से समन्वय स्थापित करना ।	जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटर यान निरिक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक।
26	शहर में उपलब्ध संयंत्र लगे दो क्रेन तथा दो वाहनो का उपयोग सुनिश्चिम कराना।	पुलिस अधीक्षक/जिला परिवहन पदाधिकारी/सिविज सर्जन।
27	सड़क दुर्घटना का आंकड़ा भारत सरकार से निर्गत 17 बिन्दुओं के फॉर्मेट में तैयार करना।	पुलिस अधीक्षक का कार्यालय।

गुड सेमेरिटन

दिनांक 22.02.2021 को देर रात 02:30 बजे राष्ट्रीय उच्च पथ–31 के पोठिया ओ.पी. अंतर्गत सिकटिया पुल, खैरा मोड़ के निकट ट्रक एवं टेम्पो के बीच आपसी टक्कर में 5 व्यक्तियों की मृत्यु एवं 5 अन्य व्यक्ति घायल हो गये। अगले हीं दिन 23.02.2021 को पूर्वाह्न 5 बजे राष्ट्रीय उच्च पथ–31 के कुर्सेला पुल पर ट्रक एवं स्कोर्पियो के आपसी टक्कर से स्कोर्पियो चालक सहित 6 व्यक्तियों की मृत्यु एवं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। इस संबंध में जिला सड़क दुर्घटना जांच दल ने अपना प्रतिवेदन समर्पित किया है।

कटिहार में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियो को आम नागरिक द्वारा मदद किये जाने पर वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर तीन व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐसे हीं पाँच व्यक्तियों का सम्मान किया गया। इस हेतु सड़क सुरक्षा माह (18 जनवरी – 17 फरवरी, 2021) में आम नागरिको को 'गुड सेमेरिटन' बनने यानि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने पर होने वाले व्यय की राशि का भुगतान तत्संबंधित जानकारी आम लोगों को दी गयी। ऐसे गुड सेमेरिटन का नाम सभी स्तर के अस्पतालों के सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाय ऐसा निर्देश भी जारी किया गया है।

(स्त्रोतः जिला सड़क सुरक्षा समिति बैठक की दिनांक 22.09.2021 की कार्यवाही)

:=:=:=:=:=:

अध्याय : 12

वित्तीय व्यवस्था

FINANCIAL ARRANGEMENT

12.1 बजट एवं वित्तीय संसाधन :– ग्राम पंचायत की अपेक्षा नगर निकाया के आमदनी के श्रोत बेहतर होता है। इन श्रोतों में वृद्धि की गुंजाइस भी होती है। लेकिन यह भी सच है कि आय के श्रोत सीधे तौर पर नगर में रहने वाले नागरिकों से ही वसूली जाती है, परंतु कर वृद्धि की अपनी सीमाएं है जिसे अनवरत बढ़ाया नहीं जा सकता है।

शहर में सुख सुविधा बढ़ाने एवं साफ–सफाई तथा बुनियादी सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी नगर निगम की है, इसलिए बीते वर्ष में निधि की आवश्यता बढ़ी है। हाल के वर्ष में राज्य वित्त आयोग एवं राष्ट्रीय वित्त आयोग द्वारा प्रदान की जा रही निधि से वित्तीय संसाधन बढ़े है जिससे कई विकासात्मक कार्य किया जा रहा ह। जिले में बुडको (नगर विकास प्रमंडल) द्वारा भी कई कार्य किये जा रहे ह।

- कटिहार नगर निगम क्षेत्र के बजट प्रावधान में मकानों (होल्डिंग) की कुल संख्या 29770 हैं, जिसमें 29529 आवासीय तथा 241 गैर आवासीय गृह हैं। इस तरह से निगम को वर्ष 2020 – 2021 में होल्डिंग टैक्स के मद में कुल अपेक्षित आय 10,45,04,939/– रूपये होनी चाहिए थी, जबकि होल्डिंग टैक्स से वास्तविक राजस्व की वसूली मात्र 4,20,75,884/– रूपये ही हो सकी। यह अपेक्षित आय का मात्र 40.26 प्रतिशत है। विगत 5 वर्षों से ऐसी ही स्थिति है, जिसमें सुधार किया जाना है। इस हेतु नगर निगम क्षेत्र के निवासियों को ई–टैक्स पेमेंट के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान की होल्डिंग टैक्स का अनुमान और वास्तविक वसुली में अंतर होने का मुख्य कारण है कि आम नागरिकों से अनुमान का 80 प्रतिशत की पावत्ती की जा रही है जबकि सरकरी कार्यालयों की देय राशि बकाये के रूप में लम्बित है। लम्बित राशि (सरकारी भवनों से) की प्राप्ति के लिए सभी उपयुक्त प्रयास किया जा रहा है।

सारणी– 12.1 कटिहार नगर निगम के वर्ष 2020–21 की बजटीय स्थिति :

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 2020–21 बजट अनुमान (रू.)
1	2	3
1	प्रारंभिक शेष रोकड़ एवं बैंक (क)	84,05,19,982..00
2	राजस्व प्राप्तियां (ख)	1,86,56,77,959.00
3	पूँजीगत प्राप्तियाँ (ग)	98,88,96,646.00
4	कुल प्राप्ति (घ) = (क+ख+ग)	**3,69,50,94,587.00**
5	राजस्व भुगतान (च)	1,59,49,34,183.00
6	पूँजीगत भुगतान (छ)	1,31,07,12,068.00
7	कुल भुगतान (ज) = (च+छ)	**2,90,56,46,251.00**
8	अंतिम शेष रोकड़ एवं बैंक (झ) = (घ–ज)	78,94,48,336.00

स्त्रात : कटिहार नगर निगम

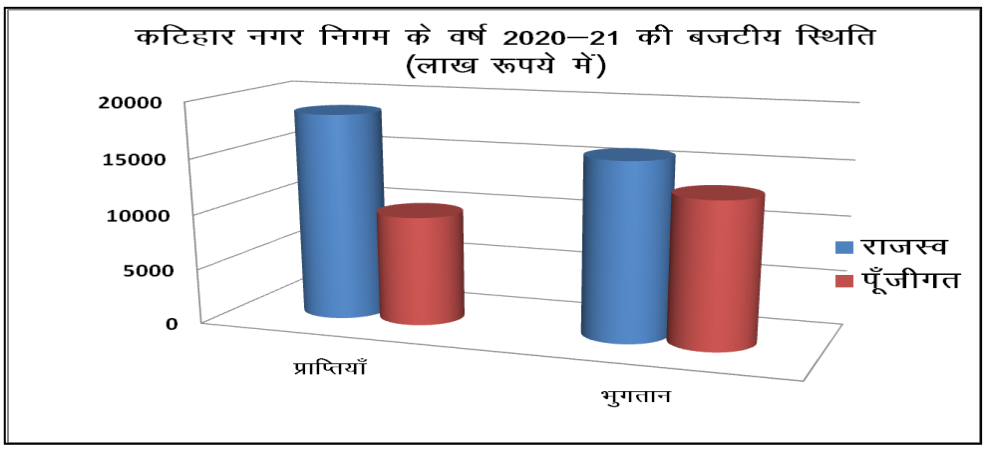

12.2 नगर निगम को अन्य श्रोतो से प्राप्त निधि :

- पंचम राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि – 15,96,24,443/– रूपये
- पंद्रहवी केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त राशि – 47,98,93,324/– रूपये

12.3 वर्तमान आय श्रोत :

- होल्डिंग टैक्स
- व्यापार अनुश्रप्ति
- दुकान किराया
- सैरात बन्दोबस्ती
- स्टाम्प शुल्क
- नक्शा शुल्क
- राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान
- केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान

12.4 संभावित आय के श्रोत :

- बिहार नगर निगम अधिनियम 2007 में किये गये संशोधन
- सम्पति (निर्धारण/संग्रहण एवं वसूली) नियमावली, 2013
- बिहार नगर पालिका सम्पति का (निर्धारण/संग्रहण एव वसूली) नियमावली, 2013
- बिहार नगर पालिका अधिनियम 2022 एवं सम्पति कर नियमावली 2012 के अंतर्गत खाली परे भूखंड़ो पर कर
- आपदा से संबंधित कार्यो हेतु सांसद निधि से सहायता
- मोबाइल संचार नियमावाली, 2012
- विज्ञापन कर एवं शुल्क से संबंधित दिशा निर्देश एवं विनियम
- पार्किंग शुल्क से संबंधित दिशा निर्देश
- करो की ऑनलाइन संग्रह की सुविधा
- बाह्य संस्था के माध्यम से कर संग्रह
- व्यापार अनुज्ञा शुल्क
- स्मार्ट मीटर की स्थापना
- घर से कचड़ा उठाव (ठोस कचड़ा प्रबंधन)
- नामांतरण
- प्रोफेशन कर
- वाहन पार्किंग
- ठोस कचरा प्रबंधन हेतु

नगर निकायों हेतु षष्ठम राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि के व्यय हेतु मार्गदर्शिका के अनुसार–

- *विकास निधि* (Development Fund) *के रूप में प्राप्त राशि* Tied *एवं* Untied *रूप में होगा।* Untied *राशि का व्यय संविधान के 12वीं अनुसूची में उल्लेखित 18 विषयों पर किया जा सकता है जबकि* Tied *राशि का व्यय विभाग द्वारा निर्धारित योजनाओं पर किया जाता है।* Tied *राशि विकास निधि का* 84% *होगा।*
- *अनुरक्षण निधि* (Maintenance Fund) *से प्राप्त राशि का 20 प्रतिशत व्यय निर्धारित 11 विषयों पर किया जाना है। इसमें भवन, फर्निचर, मशीनरी, बिजली का काम, पेयजल के पाइप लाइन, ठोस कचरा हेतु निर्माण एवं सड़कों पर बिजली के मद में किया जा सकता है।*
- *सामान्य निधि* (General Fund) *की राशि नागरिक सुविधाएँ, प्रशासकीय एवं स्थापना संबंधित खर्च, क्षमतावर्धन से संबंधित प्रशिक्षण पर किया जा सकता है। शहरी स्थायी निकाय हेतु राशि का क्षैतिज वितरण जनसंख्या और क्षेत्रफल के भारांक के आधार पर किया जायेगा जो क्रमशः* 90% *एवं* 10% *होगा।*
- *15वीं वित्त आयोग (2021–25) से प्राप्त निधि जो* Non-million plus challenge fund (MCF) *शहरों को उसके जनसंख्या* (90%) *तथा नगर निकाय का क्षेत्रफल* (10%) *के अनुपात में आवंटित होना है। इसके लिए विभिन्न मदों हेतु मार्गदर्शिका भी जारी है। (राज्य एवं केन्द्रीय वित्त आयोग का उपरोक्त निदेश नगर विकास एवं आवास विभाग के वेब साईट के सर्कुलर सेक्शन पर क्लिक कर देखा जा सकता है।*

(ज्ञापांक 1844 दिनांक 13.05.2021एवं ज्ञापांक 3488 दिनांक 30.11.2021)

:=:=:=:=:=:

अध्याय–13

अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अद्यतनीकरण

MONITORING, EVALUATION & UPDATION

13.1 योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन : योजना का सतत् अनुश्रवण एवं आवर्ती मूल्यांकन के लिए निम्नांकित चरणवद्ध कार्रवाई की जायेगी–

13.1.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को सुसंगत धारायें :

31(4) – जिला योजना का वार्षिक पुनर्विलोकन (Review) किया जायेगा और अद्यतन (Update) किया जायगा।

31(5) – उपधारा(2) और उपधारा(4) में निदिंष्ट जिला योजना की प्रतियाँ जिले में सरकारी विभागों को उपलब्ध कराई जायगी।

31(6) – जिला प्राधिकरण जिला योजना की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को भेजेगा जिसे यह राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

31(7) – जिला प्राधिकरण समय–समय पर, योजना के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करेगा और जिला में सरकार के विभिन्न विभागों को ऐसे अनुदेश जारी करेगा जिन्हें वह कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझें।

धारा 32 – जिला स्तर पर भारत सरकार और राज्य सरकार का प्रत्येक कार्यालय और स्थानीय जिला पदाधिकारी जिला प्राधिकरण के अधीन रहते हुये–

(ग) योजना का नियमित रूप से पुनर्विलोकन (Review) करेंगें और उसे अद्यतन (Update) करेंगें।

13.1.2 योजना क्रियान्वयन का नियमित पुनर्विलोकन : अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किसी भी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अनुश्रवण से यह जाना जा सकता है कि निर्धारित अनुदेशों का किस हद तक पालन हो रहा है अथवा उपेक्षा हो रही है। वहीं मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यक्रम की सफलता तथा उसकी उपयोगिता की जानकारी होती है। कुछ आपदाओं के घटित होने की संभावना वर्ष के किसी खास माह में प्रबल रूप से घनीभूत होती हैं और कुछ आपदायें बिना किसी पूर्व सूचना/आभास के अचानक घटित हो जाती है। दोनों तरह की आपदाओं की जोखिम आकलन, पूर्व तैयारी, मोचन, पुनप्राप्ति के लिए पूर्व के अनुभव तथा क्षति ब्योरा का सहारा लिया जाता है। भूतकाल के अच्छे प्रयासों को पुनः दुहराया जाता है तथा अप्रभावी प्रयासों को तिरस्कृत किया जाता है।

प्रत्येक घटित आपदा से उबर जाने के पश्चात् इसका दस्तावजीकरण करते समय प्रभावी तथा निष्प्रभावी दोनो तरह के प्रयासा की विवेचना की जानी चाहिये । इन समीक्षा दस्तावेजों के आलोक में प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में योजना का पुनर्मूल्यांकन तथा अद्यतनीकरण किया जाना श्रेयस्कर होगा।

13.1.3 भीषण आपदा के समय इस योजना को प्रभावशीलता की जाँच : प्रभावशीलता (Effectiveness) किसी कार्यक्रम की सफलता की दर होती है, जबकि कार्यक्रम की प्रभावशीलता तथा प्रयासो (Efforts) का अनुपात सक्षमता (Efficiency) का संकेत देता है। प्रत्येक प्रचंड आपदा से निबटने के उपरांत आपदा विशेष से निबटने हेतु योजना मे किये गये प्रावधानों की प्रभावशीलता का गहन मूल्यांकन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस मूल्यांकन से यह जाना जा सकता है कि कौन से उपाय, उपस्कर या कार्यविधि आपदा मोचन, पुनप्राप्ति या पुनस्थापन कार्यो में अधिक सक्षम एवं कारगर साबित हुयें है। भविष्य की आपदा प्रबंधन योजना में इन अनुभवों को बेहिचक दुहराया जा सकता है अथवा अन्य किसी आपदा प्रभावित समतुल्य स्थल पर भी इन्हें दुहराया जा सकता है। ठीक इसी तरह यदि कोई उपाय उपस्कर या क्रियाविधि कारगर साबित नहीं होते है या आपदा की विभिषिका को घटाने की बजाय बढ़ा देती है तो भविष्य के लिए या समतुल्य अन्य स्थल के लिए आपदा प्रबंधन योजना में उसे प्रतिबंधित करने पर भी विचार किया जाना चाहिये।

13.1.4 नगर निगम क्षेत्र में उपलब्ध संसाधन (निजी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा अन्य) सूची को अद्यतन करना : शहर अंतर्गत कार्यरत राज्य अथवा केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों, निकायों, पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य औद्योगिक, सैन्य एवं असैनिक प्रतिष्ठानों के कर्मठ कर्मी एवं पदाधिकारी स्कूल तथा कॉलेज के छात्र–छात्रा तथा शिक्षक–प्राध्यापक, अस्पतालों एवं निजी नर्सिग होम में कार्यरत

चिकित्सा कर्मी और पारा मेडिकल कर्मी इत्यादि के बीच से ही आपदा के दौरान सहायता करने के लिए प्रथम प्रत्युत्तरदाता (First Responder) तैयार किया जा सकता ह। इसमें से चुने हुये कर्मियो/स्वयसेवकों को आपदा मोचन की विभिन्न कार्यो में सहयोग हेतु प्रशिक्षित कर उनकी सूची योजना के परिशिष्टों में उपलब्ध रहना चाहिये। इसी प्रकार आपदा मोचन में सहायक विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े उपस्करों की सूची भी योजना के परिशिष्ट पर संधारित रहना चाहिये। समय–समय पर कर्मियों का स्थानान्तरण होने या सेवानिवृत्त होने के कारण पुराने प्रशिक्षित कर्मी की जगह नये पूर्व प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित कर्मी उनका स्थान ग्रहण करते ह। उपस्करों में भी नये की खरीद तथा पुराने अनुपयोगी उपस्कर का निपटान किया जाता है। अतः इस संसाधन सूची को भी नियमित रूप से अद्यतन करना जरूरी है। नगर आपदा प्रबंधन समिति इन बातों का पूरा ख्याल रखेगी ।

13.1.5 नियमित मॉकड्रील प्रयास द्वारा योजना की प्रभावकता की जाँच : योजना में परिकल्पित परिस्थिति विशेष में प्रभावी उपायों/उपस्करों की वास्तविक प्रभावकता वास्तविक आपदा के दौरान अक्षुण बनी रहे इस उद्देश्य से यह जरूरी है कि वास्तविक आपदा घटित होने के पूर्व एक परिकल्पित आपदा की परिस्थितियों में सभी हितभागियों के लिए निर्धारित उत्तरदायित्वों के बीच समन्वय हासिल करने को एक या अधिक बार मॉकड्रील तथा पूर्वाभ्यास किया जाय। इस पूर्वाभ्यास के दौरान समन्वय में तथा उपस्करों की प्रभावकता में त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर इसे दूर करने का प्रयास सफलतापुर्वक किया जा सकता है तथा पुर्वाभ्यास की पुनरावृति कर इसके प्रभावकता की पुनः जाँच भी कर ली जा सकती है। ऐसा करते रहने से आकस्मिक आपदा के दौरान उससे निबटने के लिए ट्रिगर मेकेनिज्म तथा परस्पर निर्भर उत्तरदायित्वों का समन्वय सर्वोत्तम तरीके से कार्य करता है तथा सफलता की गारंटी सुनिश्चित करता है।

13.1.6 योजना क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों का नियमित उन्मुखीकरण तथा प्रशिक्षणः नगर आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी सरकारी तथा गैर सरकारी पदाधिकारियों का नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में एक उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

13.1.7 योजना का अद्यतनीकरण : नगर निगम में गठित आपातकालीन संचालन केन्द्र आपदा संबंधी सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन, संधारण तथा विश्लेषण का कार्य करेगी। भीषण आपदाओं के दौरान कार्यान्वित आपदा प्रबंधन योजना की प्रभावशीलता तथा प्रयासा की सक्षमता का मूल्यांकन दस्तावेज (Documentation) के आधार पर सबसे अधिक सक्षम आपदा मोचन एवं शमनीकरण कार्यक्रमों जिसमे लागत के रूप में कम से कम धन, समय, मानव संसाधन आदि लगाना पड़ा हो, उसे प्राथमिकता प्रदान करते हुये योजना को अद्यतन करने का कार्य किया जायेगा।

13.1.8 योजना की प्रत्तियों का वितरण : सभी हितधारकों को योजना के प्रति उपलब्ध कराते हुये उन्हें उनके उत्तरदायित्वों तथा भूमिका के संबंध में जागरूक करने का कार्य सतत् जारी रखा जायेगा। वार्ड स्तर पर सक्रिय हितभागियों के लिए समय–समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त दूरसंचार माध्यमों के सहारे भी आपदा के पूर्व सूचना के साथ क्या करें और क्या न करें इस बात की जानकारी प्रसारित की जायेगी।

13.1.9 समन्वय : सभी हितभागी एजेसियों/विभागों के नोडल पदाधिकारियों के बीच आपसी समन्वय बनाये रखना प्रभावी आपदा मोचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अद्यतन बनाये रखने का सभी उपक्रम प्राथमिकता के तौर पर किये जायेगें। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर गठित आपातकालीन संचालन दल के मुखिया (Commander) जवाबदेह होग दल में शामिल सदस्य कमाडर के निर्देशा का पालन करेंगे।

13.1.10 लोक जागरण : नगर आपदा प्रबंधन योजना को नगर निगम के वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा। इसके परिशिष्टों की सूची से परिशिष्टों के विवरण को लिंक कर दिया जायेगा। आपदा की सूचना इंटरनेट द्वारा नगर निगम के वेबसाईट पर दर्ज करने तथा वहीं आपदा की स्थिति में स्व–सुरक्षा तथा सामूहिक सुरक्षा के लिए बरती जाने वाली सावधनियों का प्रमुखता से उल्लेख किया जायेगा।

:=:=:=:=:=:

अनुलग्नक

ANNEXURE

औद्योगिक इकाईयों की सूची एवं नाम पता : अनुलग्नक –1

क्र. सं.	औद्योगिक इकाईयों की सूची एवं नाम पता	अद्यतन स्थिति	उत्पाद	मजदूरों की सं.
1	2	3	4	5
1	M/s Hindustan Saw Mill, Sri Rajesh Kumar Sharma, S/o Sri Satyanarayan Sharma, At- High School Para, Katihar, Mob. 9939259153	Working	Sized Timber	5
2	M/s B.M.Packagine Pvt. Ltd., Dir. Sri Kishor Lal Gopalika, S/o Late Lakhan Lal Gopalika, Mob. 9433090256	Working	Card Board Box	7
3	M/s Mani Industries, Sri Subir Roy, S/o Late Sukumar Roy, At-Colony No.2, P.O.+Ps Katihar, Mob. 8235092041	Working	Steel Furniture & Cast Iron Molding	—
4	M/s MahaShiv Shakti Atta Mill, Smt. Ramdulari Devi Shayama Talkies Rd., Katihar, Mob. 9431255566	Working	Flour	4
5	M/s Zaid Engg. Work, Md. Amirul Haque, S/o Md. Samsul Haque, Barbana, Katihar, Mob. 9431471839	Working	General Engineering Work	5
6	M/s Katihar Ice Factory, Md. Saquib Harigannj, D.S. College Rd., Katihar, Mob. 9471013565	Working	Ice Slab	2
7	M/s Zeenat Polymer, Md. Naushad, S/o Bhai Shamsuddin, Argra Chowk, Binodpur, Katihar, Mob. 9931890786	Working	PVC Pipe & Sheet	5
8	M/s Shivraj Markting (I) Pvt. Ltd., Sri Ganesh Kr. Sah, 88 Power House, Near Womens College, Binodpur, Katihar, Mob. 7781020152	—	—	—
9	M/s Teomal Educational Trust, Sec-Sri Avinash Kr., Mandhyani Amla Tola, Katihar, Mob. 9431229146	Working	School	65
10	M/s Raj Nandni Engineerin, Sri Rajesh CHY, Durga Asthan, Katihar, Mob.8409502956	Working	Gate & Grill Fabrication	—
11	M/s Soni Bakery, Md. Ayub Ansari, Larkaniya Tola, Katihar, Mob. 9905399623	Working	Bread Loaves, Buns Rust Bread etc	—
12	M/s Narayan Das Construcation Pvt. Ltd., Govarbhan Das Khushvani, 14/144, Binodpur, Katihar, Mob. 9431815725	Working	Fabrication	—
13	M/s Vijay Plastic Product, Sri Vikram Vijay S/o Dr. Digvijay Mandal, Durga Asthan Chowk, Katihar, Mob. 80951371671	Working	Plastic Dana	5
14	M/s Zeenat Plastic Industries, Md. Bhai Samsuddin, Binodpur, Katihar, Mob. 8409303786	Working	Plastic Sheet, Pipe Bent, Granuless	2
15	M/s Jugat Bakerys, Sri Dina Nath Wadhwani, Durga Asthan Katihar, Mob 9431229244	Working	Bread Loaves, Buns etc	—
16	M/s B.M.Industries, Sri Mohan Kr. Vadhavani, S/o Lata Hasa Mal, Amla tola Wrireless Gali, Katihar, Mob. 9350153324	Working	—	—
17	M/s Yamin Foundation, Sec-Mrs. Heena Anwar, AB-11 Tilak Marg, New Delhi, Mob. 9431219146	Working	Multi Skill Training Centre	—
18	M/s City Steel, Md. Jawad Islam, M.G. Road, Fakirtakya, Durgapur, Katihar, Mob. 9430216362	Working	Steel Wooden Fabrication	5
19	M/s Maa Bashanti Engg., Sri Ram Kushwa, Mujwartal, Manihari, Katihar, Mob. 9576008306	Working	Agriclture Impliments, Atta & Chokar (Automatic mini Flour Mill)	3
20	M/s Upendra Chura Mill, Sri Upendra Pd Sah, Gami tola, Katihar	Working	E dibble Oil, Aata, Chura & Rice	—
21	M/s Quality Bakers & Namkin, Sri Gansyam Das Pamnani, S/o Late Prabh Das Pamnani, Binodpur, Katihar, Mob. 9430927149	Working	Bekery & Namkins	—
22	M/s Nihar Tobacco Product, Md. Asad Iqbal, S/o Md. Anjum Parwej, Barbanna Mohalla, Katihar, Mob. 9934222454	Working	Gul (Tooth Powder)	—
23	M/s Badir Industries, Sri Jgeshwar Prasad Sah, Katihar, Mob.9431445123	Working	Rice & Chura Mur	6
24	M/s Shiv Shakti Rice Mill, Prop- Indu Devi, Mob.8271249034	Working	Rice Mashala, Makhana & Dall	4
25	M/s Maa Bhagwati Bakery, Katihar	Working	Bakery & Namkins	5
26	M/s Surya International Kelawari, Korgoan Hussanganj, Prop-Kamlesh Kumar Singh, Mob.7440012111	Working	Water Tank Mfg.	28

Sl. No.	Name of Establishment	Name of Owner/Employer/ Occupier/Address & Contact	Registration No	Manufacturing Process
1	2	3	4	5
1	Shree Shiv Industries,	Tej Narayan Puranmalka, Bara Bazar Katihar-854105, Mob. 9431866729	2603/KTR	Repairing
2	M/s Bajrang oil Mill	Sri Bhagwan Prasad Agrawal, Salmari Katihar - 855113 Mob. 9471852553	10769/KTR	Oil Mill
3	Bharti Printing Press	Keshav Kumar Das,MG. Road Katihar-855405, Mob.9431250872	22645/KTR	Printing
4	Shree Gopal Oil Mill,	Pana Lal Sarogi, Salmari Katihar-855113, Mob. 9431641434	22646/KTR	Oil Mill
5	Bihar Ice & Icecream Factory	Sunil Kumar Puranmalka, Bara Bazar, Katihar, Mob.9431229592	25383/KTR	Icecream
6	Pasupati Press,	Mahesh Kumar Biyada, Pani Tanki Chowk Gupta Bhawan, Katihar-854105 Mob. 9430561797	25552/KTR	Printing
7	Bihar Timber Industries	Manoj Kumar, Binod Pur Katihar- 854105, Mob. 9431097340	28216/KTR	Sawing of Timber
8	Ashok Steel Products,	Ashok Kumar Agrawal, Naya Tola Katihar-854105 Mob.9431269040	28493/KTR	Gate Grill
9	Bajrang Saw Mill,	Kamta Prasad Singh, Nawab- Ganj MnihariKatihar-854113, 9431634992	31978/KTR	Sawing of Timber
10	Chhaya Repairing	Sri Dinesh Kumar Mahto, Gami- Tola Katihar- 854105 Mob. 9431866813	32819/KTR	Repairing
11	Yogmaya Press,	Sumiran Kumar Ghosh, M.G Road Katihar-854105 Mob. 9472598711	34729/KTR	Paper Printing
12	Diamond Furniture	Pritam Kumar, Industries Bara Bazar Katihar-854105 Mob. 9431205656	36323/KTR	Steel Almirah
13	Kosi Chemicals,	Nirmal Kumar Saraf, D.S College Road Katihar-854105 Mob. 9433015531	39640/KTR	N.PK.Mix fertilizer
14	M/s Shambhu printing Press,	Sri Shmbhu Sharan Mandal, Girls School Rd. Amla tola Katihar-854105, Mob. 9430039793	40076/KTR	Printing
15	Sarsawti Udyog	Dilip Kumar Agrawal, Salrmari Katihar-855113 Mob. 9470632525	42463/KTR	Oil Mill
16	M/s Fero Fabric,	Sri Manoj Kumar, Binod Pur Katihar-854105 Mob. 9431097340	43447/KTR	Gate Grill
17	M/s Munna Saw Mill	Janardan Prasad Bhagat, Kumhri Durga Ganj Katihar Mob. 9199823995	44114/KTR	Sawing of Timber
18	Banwari Saw Mill,	Vijay Kumar Agrawal, Sonuli Katihar-855114 Mob.9431868545	44127/KTR	Sawing of Timber
19	Kamakhya Udyag,	Sajan Kumar Agrawal, Salmari Katihar-855113 Mob. 9431261404	44677/KTR	Oil & Atta
20	Shushila Flour Mill	Rama Shankar Choudhary, Guru Bazar Katihr-854104 Mob. 9430683207	45577/KTR	Atta & Oil
21	Sanjay Saw Mill	Babu Lal Chernia, AG, Bazar Katihar-854101 Mob. 9430209648	47254/KTR	Sawing of Timber
22	Shankar& Shambhu Timber	Niranjan Karmakar, Hardyal Road, Katihar-854105 Mob. 9835441575	47787/KTR	Sawing of Timber
23	Modern Workshop	Rajendar Kumar, Barma Colony Tingachiya, Katihar-854103 Mob.9431229186	47791/KTR	Cultifar
24	Sri Kirshna Rice Mill	Kalyan Kumar Saha, Nawab Ganj Manihari,Katihar-854113 Mob. 8877898936	48452/KTR	Atta Rice
25	Hindustan Saw Mill	Dhannajay Kumar Jaiswal, Industrial Estate,Katihar-854105 Mob.9939259133	48740/KTR	Sawing of Timber
26	Shyam Atta Mill	Mohan Lal Agrwal, Sonauli Katihar 855114 Mob. 8757826711	49189/KTR	Flour
27	Kishore Atta Rice & Oil Mill	Krishan Kumar Sah, Kumhari, Po Durgaganj Katihar-855105 Mob. 9771379696	51117/KTR	Atta Oil Rice
28	Jamna Prasad Sah Mills	Sanjay Kumar Sah,Naya Tola Katihar-854105 Mob.9097314414	51123/KTR	Atta Masala

29	M/s Janta Saw Mill	Sri Sajjan Jajodia, Ram Krishan Mision Road Katihar-854105 Mob.9431868447	53650/KTR	Sawing of Timber
30	M/s Bhawani mill	Manoj Kumar Agrawal, Durga- Sthan Vijay Nagar, Katihar-854105, Mob. 9430909945	54153/KTR	Oil & Atta
31	Jyoti Auto Repairing Works,	Muni Lal Sharma, Mirchaibari, Katihar-854105, Mob.7091609474	55073/KTR	Repairing
32	Burma Workshop,	Mohit Kumar Verma, Burma- Colony, Tingachiya, Katihar-854103, Mob.9835678582	55081/KTR	Cultifar
33	Sahab Industries, Musapur,	Yadubir Thakur, N.H 31 Korha, Katihar-854108, Mob.9931680108	56266/KTR	Sawing of Timber
34	Shankar Saw Mill	Kamal Kishor Agrawal, Sonauli Katihar-855114, Mob.9470460054	56276/KTR	Sawing of Timber
35	M/s Deepak Agriculture Indusries	Vijay Shakar Verma, Bama Colony Tingachiya Katihar-854103 Mob. 8294999620	57778/KTR	Engg Works
36	Hajipur Saw Mill	Md. Ajhar Ali,Hajipur Katihar-854105 Mob.7561917211	58114/KTR	Sawing of Timber
37	Balaji Engineering works	Ashok Kumar Singhania,Salmari Katihar-855113 Mob.97711161451	60318/KTR	Engg Works
38	Sanjay Timber,	Rekha Agrawal Tajmul Hussain, Salmari Katihar-855113, Mob.9471855041	60707/KTR	Sawing of Timber
39	Sharma Saw Mill	Ram Chandar Sharma, Korha Katihar-854108, Mob.9572029697	61624/KTR	Sawing of Timber
40	MD. Azazul Haque Repairng Works,	Md. Azazul Haque,Salmari Katihar -8551113, Mob.9931926566	61626/KTR	Repairing
41	Kavita Steel Metal Works	Kavita Devi, Barmasia Katihar- 854105, Mob.8092325873	61629/KTR	Gate Grill
42	Navlesh Atta Mill	Navlesh Kumar Sah, AG, Bazar Kursela, Katihar-854101,Mob. 8051910779	62616/KTR	Crushving of Seeds
43	Vishwa Karma Saw Mill,	Rajiv Ranjan, Bishni Chack, Sameli Katihar-854101,Mob.8804948095	62630/KTR	Sawing of Timber
44	Sharma& Sharma Industries "	Bineshwar Sharma,Gerabari Korha, Katihar-854108, Mob.9523073711	63542/KTR	Sawing of Timber
45	Gurudeo Industries,	Laxman Kumar, Barma Colony Tingachiya, Katihar-854103,Mob.9939481724	64574/KTR	Cultifar
46	Ali Flour Mill,	Md. Ali Mumtaz, Chaudhary Muhalla, Katihar-854105, Mob.9430635836	67771/KTR	Flour Mill
47	Pawan Putra Twin Mills Pvt.Ltd	Bijay Sodhani, Fasia Tola, Tingachiya Katihar-854103, Mob.9830154041	68021/KTR	Jute Twine
48	Bishnu Flour Mill Pvt Ltd	Jagdish Prasad Agrawal, Sirsa Dalan Katihar- 854105	68272/KTR	Atta Mill
49	M/s Sagar Engineering	Md. Anwar Alam,Mahmud Chowk, Katihar-854105, Mob.9934280361	00531/BR/KTR	Gate &Grill
50	Sarswati Chura Mill,	Rajesh Kumar Singh, Salmari Katihar-855113, Mob.9430032247	00542/BR/KTR	Chura
51	Sun Bio Manufacturing Pvt.Ltd	Damodar Prasad Bhattr, Deharia, Mills Katihar-854105, Mob.9903969102	00772/BR/KTR	Jute Twine & Bags
52	Asha Devi Atta& Oill,	Smt Asha Devi, Sonauli Katihar- 855114, Mob.7545990608	00780/BR/KTR	Atta & Oil
53	Bishal Modern Workshop	Birchand Verma, Shanti Tola, Fasia Tingachiya Katihar-854103, Mob.9771637454	00782/BR/KTR	Cultifar
54	Prakash Kumar Singh Atta Mill,	Prakash Kumar Singh, Nawab Ganj Manihari Katihar-854113, Mob.7549716480	00809/BR/KTR	Atta Rice
55	Neha Cold Storage Pvt.Ltd	Jaimiat Lal Meghani, Sirnia, Udama Rekha,Katihar-854103, Mob.9431077049	00823/BR/KTR	Refrigeration of Potato
56	M/s Zeenat Plastic Industrial,	Bhai Shamshuddin, Plot No.18 (p) Industrial EstateVigay Nagar Katihar-854105, Mob. 9471250008	1477/BR/KTR	PVC Pipe & Granules
57	Ashish Motors,	Vijay Agrawal, Majar Ashuitosh path Shaheed Chowk, Katihar-854105, Mob. 9431471485	1503/BR/KTR	Servicing of Motorcycles
58	Mansa Jute Pvt Ltd	Sri Kailash Prasad Sah, Sirsa Dalan Katihar- 854105, Mob.9431230777	1815/BR/KTR	Jute Twine

59	Mehak Engineering Works	Shamim Ansari,Katihar-854105	1894/BR/KTR	Repairing
60	Grover Stores	Rakesh Grover, Bara Bazar Katihr-854105, Mob.8797555115	2299/BR/KTR	Repairing
61	M/s Zeenat Polymar	Md. Naushad, Industial Estate Katihar-854105, Mob.99318990786	2590/BR/KTR	PVC Pipes
62	M/s Shivraj Marketing India Pvt Ltd	Ganesh Kumar Sah, Plot No. 12 Vijay Pokhar Industrial Area. Katihar- 854105, Mob.7781020152	4029/BR/KTR	Washing Powder
63	Badri Industries Industrial	Badri Prasad Sah, Area Vijay Pokhar Katihar-854105, Mob.9431445123	4166/BR/KTR	Chura, Murhi Rice
64	Ananta Waste Management Pvt.Ltd.	Champa Devi Agrawal, Mahamupur, P.O- Durgaganj, Katihar-855105, Mob.9430264035	4304/BR/KTR	L.D Oil
65	Sri Jugal Works shop	Surendra Sharma, Hirdyaganj Katihar-854105, Mob.9835271189	4462/BR/KTR	Gate Grill
66	Jugat Bakers	Dinanath Wadhwani, Plot -8(P) Industrial Estate Katihar -854105	4497/BR/KTR	Bread
67	Monsa Oil Mill,	Sanjay Kumar Saha, Bara Bazar Barsoi Katihar-855102, Mob.9431657082	4878/KTR	Oil Mill
68	Pump Station9 Dumar	B.K Mishra, Oil India Limited Pump Station-9 P.O-Dumar Gurubazar,Bihar-854104	5072/BR/KTR	Crude Oil
69	Dutta Saw Mill,	Govind Nath Dutta, At Jal Kumar P.O Barsoi, Katihar-855102, Mob.9431472118	5365/KTR	Sawing of Timber
70	B.M Bricks,	Mohan Kumar Vadavani, Viyay Pokhar, Industrial Estate,Katihar-854105, Mob.9350153324	5416/BR/KTR	Fly. Ash Paver Block
71	NIHAR TOBACCO PRODUCTS	Asad Iqbal, Rarbanna Mohala Ward No-29, Katihar, Mob.9934222454	K.R./2016/1	Tobacco Products
72	B Line Agrico,	Sallan kumar,Bara Bazar stv, Mandir chowk, Katihar, Mob.943128523	KR/2016/2	Calti Far
73	Anushka Interprises,	Rekha Chaudhary,Vill- Katihar, Mob.9470483312	KR/2016/3	Cemented Ventilator
74	Anushree Cold Storage Pvt.,	Naveen Kumar Singh,Vill- Bathna, Ps-Muffashil, Katihar- 854103, Mob.9431284880	KR/2016/4	Cold Storage
75	Kalawati Cold Storaga Ltd,	Upendra Kumar Suman, At- Bari Bathna, Sirnea, Mansahi, Katihar- 854103, Mob. 9661346171	K.R./FCTY GRANT/2017 00243	Cold Storage
76	J.P.Polymer	Prabhat Singh,Sirsa Chowk, Dist- Katihar, Mob.8521626632	K.R./FCTY/ GRANT/2018 00071	PVC
77	J P Nails	Rabikishor Singh & Suman Kumar Singh,Sirsa Dalan, Katihar- 854105, Mob.9471678777	KR/FCTYgrant/2019/0 0088	Steel Nails
78	Quality Bakers & Namkeen	Ghanshyam Das Pamnani, 30P & 27P Industrial Area, Katihar 854105, Mob.7301969972	KR//FCTYGrant/2020/ 00112	Namkeen & Bakery Product
79	Adani Agri Logistics Katihar Ltd.	Puneet Mehndiratta,Bhorabari, Daharia, Katihar-854103, Mob.9899814085	KR//FCTYGrant/2020/ 00133	Storage & Packing
80	Surya International	Kamlesh Kumar Singh, Shiv Nagar Kela Bari, Hasanganj, Katihar-854337, Mob.7549471795	K.R.//FCTYGRANT/202 1/00008	PVC Water Tank, Solar Water Pump Controller

नगर निगम एवं अन्य विभागों के पदाधिकारीगण : अनुलग्नक –2

पदाधिकारियों की सूची

क्र.सं	नाम	पदनाम	मोबाइल
1	श्री कुमार मंगलम	नगर आयुक्त	7488579960 9471691945
2	श्री दिनेश कुमार सिन्हा	उप नगर आयुक्त	9431051812
3	श्री विनोद कुमार	उप नगर आयुक्त	9431665802
4	श्री विनय कुमार	सिटी मैनेजर	9570915811
5	श्री अमर कुमार झा	अभियंता	9431096180
6	श्री कैलाश चौधरी	सफाई निरिक्षक	6200776480

अन्य विभागों के पदाधिकारी –

क्र.सं	नाम	पदनाम	मोबाइल
1	श्री इंद्रदेव राम	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923240
2	श्री पंकज कुमार	कारखाना निरोक्षक	9930451140
3	श्री भास्कर चंद भारती	वन प्रमंडल, पदाधिकारी	06454–242744
4	श्री अनिल चमरिया	सिविल डिफेन्स	9431229081
5	श्री कामेश्वर प्र. गुप्ता	डीपीओ, सर्व शिक्षा अभियान	231688
6	श्री अजय कुमार/ श्री पंकज कुमार	सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल	8789772676 8292037089
7	श्री संजय कुमार	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल	7463889238
8	श्री कैलाश रजक	सहायक अभियंता, बाढ़ प्रमंडल	9431422625
9	श्री रवि शंकर उरांव	जिला आपूर्ति पदाधिकारी	9470359154
10	श्री रत्नेश कुमार	सहायक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल	7858826791
11	मो. मुम्ताज अहमद	सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल	9576488502
12	श्रीमति रश्मि	पुलिस उपाध्यक्षक मुख्यालय (ट्रैफिक)	8544428477
13	मो. अतहर	जिला परिवहन पदाधिकारी	6202751075
14	श्री राकेश रंजन	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग	8709837074
15	श्री प्रेम कुमार आंनद	सहायक अभियंता, भवन निर्माण विभाग	7979076627
16	श्री हषवर्द्धन	समादष्टा–सह–जिला अग्निशमन पदाधिकारी	8544402106
17	श्री राम निवास पाण्डे	सहायक अग्निशमन पदाधिकारी	8210550627
18	श्री अनिल	स्वयंसेवी संगठन	9472552291

सदर अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सक –

क्र.सं	नाम	पदनाम	मोबाइल
1	डॉ. डी.एन. पाण्डे	असैनिक शल्य चिकित्सक	9470003366
2	डॉ. प्रेम रंजन	मेडिकल ऑफिसर	9431868655
3	डॉ. मो. अशरफ रिज्वी	टीबी नियंत्रण पदाधिकारी	9431431186
4	मजहर अमीर	डीपीसी (टीबी)	9123242508
5	शौनिक प्रकाश	एचआईवी	7903862282

स्थानीय आपदा में सड़क दुर्घटना को विलोपित करने की अधिसूचना : अनुलग्नक –3

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

संख्या–1/प्रा0आ0–0–3–31/14 3832 /आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 27.09.2021

।। अधिसूचना ।।

भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्रांक 33–4/2015–NDM-I दिनांक 20.03.2015 के आलोक में दिनांक 01.04.2015 को आयोजित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में वज्रपात (Lightning), लू (Heat wave), अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना (Boat Tragedies), नदियों/तालाबो/गड्ढों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा– सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना को विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा (Local Disaster) के रूप में अधिसूचित करने एवं इन आपदाओं से होने वाली जानोमाल की क्षति में दिनांक 20.03.15 से SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान प्रदान करने का निर्णय विभागीय अधिसूचना संख्या–1418/आ0प्र0 दिनांक–17.04.2015 द्वारा अधिसूचित है।

2. परिवहन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–4887 दिनांक–11.08.2021 द्वारा बिहार मोटर गाड़ी (संशोधन–1) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया गया है। इसके तहत वाहन दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा गंभीर रूप से घायल होने पर तत्काल अंतरिम मुआवजा भुगतान का प्रावधान किया गया है। यह नियमावली दिनांक–15.09.2021 से प्रभावी है।

अतएव दिनांक–14.09.2021 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा (Local Disaster) के अन्तर्गत मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा– सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव में से **सड़क दुर्घटना को दिनांक–15.09.2021 के प्रभाव से विलोपित किया जाता है** तथा अधिसूचना संख्या–1418/आ0प्र0 दिनांक–17.04.2015 के शेष प्रावधान एवं समय–समय पर किये गये संशोधन यथावत् रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(संजय कुमार अग्रवाल)
सचिव

ज्ञापांक–1/प्रा0आ0–0–3–31/14 3832 /आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 27.09.2021

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक–1/प्रा0आ0–0–3–31/14 3832 /आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 27.09.2021

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/मा0 उप मुख्य (आपदा प्रबंधन) मंत्री के आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

संख्या–1 / प्रा0आ0–0–3–31 / 14..... / आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

।। अधिसूचना ।।

भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्रांक 33–4 / 2015–NDM-1 दिनांक 20.03.2015 के आलोक में दिनांक 01.04.2015 को आयोजित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में वज्रपात (Lightning), लू (Heat wave), अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना (Boat Tragedies), नदियों / तालाबो / गड्ढों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना को विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा (Local Disaster) के रूप में अधिसूचित करने एवं इन आपदाओं से होने वाली जानोमाल की क्षति में दिनांक 20.03.15 से SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रकिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान / अन्य अनुदान प्रदान करने का निर्णय विभागीय अधिसूचना संख्या–1418 दिनांक–17.04.2015 द्वारा अधिसूचित है।

2. उल्लेखनीय है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में आनेवाली चक्रवातीय तूफान का प्रभाव राज्य में भी पड़ता है, परन्तु स्थानीय आंधी–तूफान (Thunder Storm) से भी राज्य के जिले अधिकांश समय में प्रभावित होते रहते है। स्थानीय आंधी–तूफान को भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा के अन्तर्गत अधिसूचित नहीं किया गया है तथा विभागीय अधिसूचना सं0–1418 / आ0प्र0 दिनांक–17.04.2015 में भी आंधी–तूफान को राज्य के स्थानीय प्रकृति की आपदा में शामिल नहीं किया गया है। आंधी–तूफान से प्रत्येक वर्ष राज्य में व्यापक जानोमाल की क्षति होती है, जिसका कुप्रभाव सीधे जनमानस एवं राज्य के विकास पर पड़ता है। अतएव दिनांक–13.09.2017 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में आँधी–तूफान को भी स्थानीय प्रकृति की आपदा (Local Disaster) में सम्मिलित करते हुए राज्य के निवासियों को आँधी–तूफान के घटित होने की दशा में आँधी–तूफान से होने वाली जानोमाल की क्षति में SDRF/NDRF से संबंधित प्रकिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान / अन्य अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

3. वर्त्तमान में स्थानीय प्रकृति की आपदा में नदियों / तालाबों / गड्ढों में डूबने से हुए मृत्यु के मामले में अनुग्रह अनुदान भुगतान किया जाता है, परन्तु नहर में डूबने से मृत्यु का उल्लेख विभागीय अधिसूचना में नहीं है। जबकि जिलों से नहर में डूबने की घटना प्रतिवेदित हो रही है। अतएव दिनांक–12.06.2018 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में स्थानीय प्रकृति की आपदा से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या 1418 दिनांक–17.04.2015 में संशोधन करते हुए राज्य के विशिष्ट प्रकृति की आपदा में नदियों / तालाबों / गड्ढों के अतिरिक्त नहरों में डूबने से होने वाली मृत्यु में व्यक्ति / व्यक्तियों के कुप्रभावित होने पर SDRF/NDRF के सदृश्य अनुग्रह अनुदान देने का निर्णय लिया गया है।

4. अतएव राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक–13.09.2017 में लिये गये निर्णय के आलोक में आँधी–तूफान को भी स्थानीय प्रकृति की आपदा (Local Disaster) में सम्मिलित करते हुए राज्य के निवासियों को आँधी–तूफान के घटित होने की दशा में आँधी–तूफान से होने वाली जानोमाल की क्षति में SDRF/NDRF से संबंधित प्रकिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान / अन्य अनुदान प्रदान करने के प्रावधान लागू होंगे। साथ ही राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक–12.06.2018 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में अधिसूचना संख्या–1418 दिनांक–17.04.2015 को संशोधित करते हुए स्थानीय प्रकति की आपदाओं के अंतर्गत नदियों / तालाबों / गड्ढों के अतिरिक्त नहरों में भी डूबने से होने वाली मत्यु में व्यक्ति / व्यक्तियों के कुप्रभावित होने पर ही SDRF/NDRF से संबंधित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान / अन्य अनुदान भुगतान करने के प्रावधान लागू होंगे।

यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक.....1891..... / आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 16/7/18

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

फैक्स/ई–मेल

अत्यावश्यक

पत्रांक –1–प्रा0आ0(2)–24/2006/ 1061 /आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 8/3/16

विषयः **अग्निकांड की आपदा से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)।**

महाशय,

कृपया उपरोक्त विषयक विभागीय पत्रांक 818/आ0प्र0, दिनांक 04.03.2015 का उल्लेख करें जिसके अनुसार अग्निकांड की आपदा से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया परिचारित की गयी थी। उपर्युक्त विषय के संबंध में ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि इस वर्ष ग्रीष्मकाल प्रारंभ हो रहा है। ग्रीष्मकाल में राज्य के विभिन्न जिलों में अग्निकांड की संभावना काफी बढ़ जाती है। राज्य सरकार की नीति है कि अग्निकांड की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित जिले के आपदा प्रबंधन के उत्तरदायी पदाधिकारी एवं उनकी टीम यातायात के उपलब्ध सर्वाधिक तेज साधनों (fastest means of transport) से घटना स्थल पर पहुँचें एवं त्वरित गति से पीड़ितों को साहाय्य प्रदान किया जाए। भीषण अग्निकांड होने पर संबंधित जिला पदाधिकारी को स्वयं घटना स्थल पर शीघ्रातिशीघ्र पहुँच कर साहाय्य की व्यवस्था कराना है। इस संदर्भ में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पूर्व में जिलों को समय–समय पर व्यापक अनुदेश/निदेश दिये गए हैं।

2. मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अग्निकांड की आपदा के प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन के स्तर से निम्न कार्रवाईयाँ की जाएंगी :–

(i) अग्निकांड की सूचना प्राप्त होते ही अंचल अधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी घटना स्थल पर यातायात के उपलब्ध सर्वाधिक तेज साधनों से पहुँच कर राहत एवं बचाव के कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे। जहाँ पर अग्निकांड की बड़ी घटना प्रतिवेदित हो वहाँ अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन/जिला पदाधिकारी स्वयं शीघ्रातिशीघ्र पहुँच कर राहत एवं बचाव कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ii) अग्निकांड की सूचना प्राप्त होते ही आवश्यकतानुसार फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर रवाना किया जाएगा। यदि राज्य स्तर से इस संबंध में सहयोग की आवश्यकता हो तो आपदा प्रबंधन विभाग के इमरजेन्सी ऑपरेशन केन्द्र **(SEOC)** दूरभाष संख्या – 0612–2217301, 2217302, 2217303, 2217304, 2217305, 2217306, 2215731, 2215735, 2215738, 2215739, एवं फैक्स सं0–2215734 को अविलंब सूचित किया जाएगा।

(iii) फायर ब्रिगेड की गाड़ियों एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में महानिदेशक, अग्निशाम सेवाएँ, बिहार के पत्रांक–1042 दिनांक–02.03.2016 (फोटो प्रति संलग्न) विशेष रूप से द्रष्टव्य है। अभी से ही फायर ब्रिगेड के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनको सुपरिभाषित कार्यभार सौपे जा सकते हैं।

(iv) अग्निकांड पीड़ितों को 24 घंटे के अंदर अनुमान्य साहाय्य, यथा, पॉलीथिन शीट, खाद्यान्न अथवा खाद्यान्न की अनुपलब्धता की दशा में विभाग द्वारा निर्धारित राशि नकद अनुदान तथा वस्त्र एवं बर्त्तन के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था की जाएगी तथा मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान अविलंब किया जाएगा।

(v) जले एवं क्षतिग्रस्त मकानों की सूची तैयार कर गृह क्षति अनुदान का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जाएगा।

(vi) राहत एवं बचाव कार्यों को सुनिश्चित करने एवं पर्यवेक्षण हेतु कर्मचारी/ पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे।

(vii) भीषण अग्निकांड से प्रभावित क्षेत्रों में विशेष राहत केन्द्र संचालित किए जाएंगे। विशेष राहत केन्द्रों के संचालन के संबंध में विभागीय पत्रांक 52 (प्र0), दिनांक 26.05.2012 एवं पत्रांक 1834 दिनांक 08.06.2012 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। (फोटो प्रति संलग्न)।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित बिन्दुओं पर जिला प्रशासन/ गृह विभाग (अग्निशाम सेवाएँ) द्वारा कार्रवाई की जाएगी :

(i) गर्मी के मौसम के प्रारंभ में ही आगजनी की घटनाओं को रोकने एवं घटना घटित होने पर साहाय्य प्रदान करने के लिए पूर्व तैयारियाँ अविलम्ब पूरी कर ली जाय।

(ii) जिला मुख्यालय में अग्निकांड से संबंधित घटनाओं के पर्यवेक्षण एवं सहाय्य कार्य के अनुश्रवण हेतु जिला इमरजेन्सी ऑपरेशन केन्द्र (DEOC) को कार्यशील कर दिया जाय। उक्त केन्द्र का प्रभार किसी वरीय पदाधिकारी को दिया जाय। साथ हीं उक्त केन्द्र में दूरभाष/फैक्स की व्यवस्था भी की जाय एवं समाचार पत्रों के माध्यम से उक्त दूरभाष/फैक्स संख्या की जानकारी सभी को दी जाय।

(iii) फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की आवश्यकतानुसार मरम्मति अविलम्ब करा ली जाय। जहाँ चालक आदि की समस्या है, स्थानीय व्यवस्था द्वारा इसे दूर कर लिया जाय।

(iv) आवश्यकता के समय फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ सुदूर देहातों में समय पर पहुँच सके, इसके लिए यथासंभव अनुमंडल मुख्यालयों/थानों में भी गाडियों को रखने की व्यवस्था की जाय, खासकर जहाँ के क्षेत्रों का रास्ता दुर्गम हो।

(v) आगजनी की घटनाओं की निरोधात्मक कार्रवाई के संदर्भ में जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश देंगे कि वे अपने क्षेत्र में अग्निकांड की रोकथाम हेतु विभिन्न प्रचार माध्यमों से लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे।

(vi) अग्निकांड की रोकथाम हेतु जिला पदाधिकारी अपने जिला क्षेत्र में निम्नलिखित तथ्यों को प्रचारित/ प्रसारित करावेंगे :–

(क) हवा के झोंकों के तेज होने के पहले ही खाना पकाकर चूल्हे की आग को पानी से पूरी तरह बुझा दें।

(ख) चूल्हे की आग की चिंगारी पूरी तरह बुझी हो, इसे सुनिश्चित कर लिया जाए।

(ग) घर से बाहर जाते समय बिजली का स्विच ऑफ हो, इसे सुनिश्चित कर लिया जाए।

(घ) खाना वैसी जगह पकाया जाय, जहाँ हवा का झोंका न लगे।

(च) बीड़ी–सिगरेट पीकर इधर–उधर या खलिहान की तरफ न फेंकें।

(छ) गाँव/मोहल्लों में जल एवं बालू संग्रहण की व्यवस्था रखी जाय ताकि आग पर शीघ्र काबू पाया जा सके।

(ज) आगजनी से बचाव हेतु उपाय 'क्या करें–क्या न करें' को आग प्रवण क्षेत्रों में प्रसारित कराया जाय। (संलग्न है।)

(vii) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'फायर बूथों' की स्थापना लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। प्रत्येक गाँव में 'फायर बीटर्स', फायर टेंक, बाल्टी, रस्सी एवं कुल्हाड़ी आदि छोटे–छोटे अग्निशमन उपकरण एवं एक घंटी (आग की सूचना के लिए) सार्वजनिक स्थल पर रखवाने की व्यवस्था पंचायत की मदद से की जा सकती है।

(viii) प्राकृतिक आपदा के समय राहत प्रदान करने हेतु वर्ष 2015–2020 की अवधि में लागू नया मानदर विभागीय पत्रांक 1973/आ0प्र0 दिनांक 26.05.2015 द्वारा सभी जिलों को भेजा गया है। नया मानदर आपदा प्रबंधन विभाग के वेबसाइट www.disastermgmt.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है। नए मानदर के अनुसार ही राहत उपलब्ध कराया जाएगा।

(ix) अग्निकांड से राज्य के कृषकों के खेत में लगी फसल अथवा खलिहान में रखी गई फसल की क्षति की सी0आर0एफ0 (अब एस0डी0आर0एफ0) से अनुमान्यता के संबंध में विभागीय पत्रांक–1023 दिनांक–21.04.08 द्वारा निदेश भेजा गया है।

(x) यदि साहाय्य राशि की आवश्यकता हो तो उसकी मांग आपदा प्रबंधन विभाग से तत्काल की जायेगी। परन्तु इस मद में राशि अनुपलब्ध रहने पर भी जिले में उपलब्ध किसी भी मद की राशि से अग्निपीड़ित परिवारों को साहाय्य मुहैया कराना सुनिश्चित किया जायेगा। पारिवारिक लाभ योजना/ झोपड़ी

बीमा योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी अग्निपीड़ितों को नियमानुसार दिलाया जायेगा।

(xi) मकान/ झोपड़ी की क्षति के लिए निर्धारित मानदर के अनुरूप गृह क्षति अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा मुख्य सचिव, बिहार के हस्ताक्षर से निर्गत पत्रांक–2886 दि0–26.05.2005 के द्वारा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बी0पी0एल0 परिवारों को पुनर्वासित करने हेतु जिला पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। यदि पीड़ित परिवार इन्दिरा आवास प्राप्त करने की निर्धारित अर्हता रखते हैं तो इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत उन्हें भवन निर्माण कर पुनर्वासित किया जाना है।

(xii) अग्निकांड की बड़ी घटनाओं की सूचना आपदा प्रबंधन विभाग के WhatsApp group, Facebook Page एवं मोबाइल/दूरभाष के माध्यम से विभाग को तुरंत भेजा जाएगा। जो जिला पदाधिकारी WhatsApp group के सदस्य नहीं हैं, वे अपने Android mobile phone पर WhatsApp download कर इसकी सूचना प्रधान सचिव को भेज दें ताकि उन्हें Group में शामिल कर लिया जाए।

(xiii) साहाय्य कार्य सम्पन्न करने के पश्चात् अग्निकांड से हुई क्षति एवं किये गए साहाय्य कार्यों का विवरण संलग्न विहित प्रपत्र में जिला पदाधिकारी 24 घंटे के भीतर सरकार को प्रतिवेदित करेंगे।

(xiv) यदि मुख्यालय से किसी भी सहायता एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तो आपदा प्रबंधन विभाग के पदाधिकारियों (प्रधान सचिव सहित) से ससमय सम्पर्क स्थापित किया जाए।

(xv) सभी महत्वपूर्ण विभागीय परिपत्रों एवं अद्यतन मानदर से संबंधित पत्र सभी जिला पदाधिकारियों को पूर्व में उपलब्ध कराया जा चुका है, एवं विभागीय वेवसाईट www.disastermgmt.bih.nic.in पर उपलब्ध है। अगर संबंधित परिपत्र/पत्र/निदेश उपलब्ध न हों तो उसे विभाग के वेवसाईट से प्राप्त किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि आगजनी की घटना की रोकथाम एवं उसके घटित होने पर उपर्युक्त निदेशों के आलोक में राहत एवं बचाव संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

अनु0– यथा उपर्युक्त।

बिहार अग्निशमन सेवा मुख्यालय, पटना
(अतिआवश्यक सूचना)

बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के अनुसार भवन की अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित आवश्यक सूचना :–

01. बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली–2021 के अध्याय–IV के नियम–15 के आलोक में निम्न श्रेणियों के भवनों हेतु अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) को अनिवार्य किया गया है। भवनों की श्रेणी निम्नवत है –

(I) सभी श्रेणी के बहुमंजिले भवन (15 मीटर और इससे अधिक ऊँचाई वाले) अथवा भूतल क्षेत्र 500 वर्ग मीटर (किसी भी तल)

(ii) विशिष्ट भवन, जैसे– होटल, शैक्षिक, सांस्थिक, वाणिज्यिक, मर्केन्टाईल, औद्योगिक, भंडारण, जोखिम वाला भवन तथा मिश्रित अधिभोग वाले भवन जहाँ इस प्रकार के भवनों में से किसी भी भवन के किसी एक या अधिक फर्शों का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से अधिक हो ।

(iii) शैक्षिक, सांस्थिक भवन जिसकी उँचाई 09 मीटर या उससे अधिक हो।

(iv) सभी सभा भवन

(v) भवन जिसके किसी तल पर 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र सभा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता हो या चिन्हित हो ।

(vi) दो या दो से अधिक तहखाना (बेसमेंट) वाले भवन अथवा 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल का एक तहखाना वाला भवन ।

(vii) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य भवन के स्वामी के द्वारा भी राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 **समय–समय पर यथा संशोधित** के अग्नि एवं जीवन सुरक्षा से संबंधित भाग–IV के प्रावधान के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्णय लिया जा सकता है।

02. **औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु आवश्यक कागजात** :–
- (क) प्रपत्र–ख
- (ख) नक्शा 2 सेट।
- (ग) एन०ओ०सी० के लिए फिक्स शुल्क का बैंक ड्राफ्ट (अनुसूची–'ग')।
- (घ) चेक लिस्ट (प्रपत्र–'ग')।
- (ड.) शपथ पत्र/वादा (प्रपत्र–'घ')।
- (च) 15% बैंक गारंटी।

03. **अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु आवश्यक कागजात** :–
- (क) प्रपत्र–'झ'।
- (ख) एन०ओ०सी० के लिए फिक्स शुल्क का बैंक ड्राफ्ट (अनुसूची–'ग')।
- (ग) चेक लिस्ट (प्रपत्र–'ग')।

04. **अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु आवेदन के लिए आवश्यक कागजात** :–
- (क) प्रपत्र–'ङ'।
- (ख) एन०ओ०सी० के लिए फिक्स शुल्क का बैंक ड्राफ्ट (अनुसूची–'ग')।
- (ग) चेक लिस्ट (प्रपत्र–'ग')।
- (घ) अग्नि विशेषज्ञ जाँच प्रतिवेदन।

05. बिहार अग्निशमन सेवा 2021 के **अनुसूची 'ग'** के अंतर्गत भवन के सभी मंजिलों (बेसमेंट सहित) के कुल फर्श क्षेत्र **(Floor Area)** के आधार पर प्रति वर्ग मीटर के दर से शुल्क **Director, State Fire Service, Bihar, Patna** के नाम से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रस्तावित नक्शा के साथ राज्य अग्निशमन पदाधिकारी का कार्यालय में द्वितीय तल पर समय–**सुबह 9:30 बजे से संध्या 6:00 बजे तक** किसी भी कार्यालय दिवस में जमा किया जा सकता है।

06. प्रस्तावित भवन के नक्शा के साथ बिहार अग्निशमन सेवा 2021 के नियम 15 (घ) II में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक अग्नि प्रणाली के प्रावधान से संबंधित प्राक्कलन समर्पित करना होगा। उक्त प्राक्कलन का **15%** बैंक गारंटी इस आशय के अंडरटेकिंग के साथ देना होगा की आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपाय को कारगर स्थित में रखा जाएगा। अन्यथा उक्त बैंक गारंटी के विरूद्ध उक्त भवन में अग्नि सुरक्षा उपायों को कारगर स्थित में रखने में अग्निशमन विभाग द्वारा व्यय किया जाएगा। उक्त **15%** राशि का निर्धारण **Director General, CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi** द्वारा निर्गत **Plinth Area Rates, 2020** के अनुरूप किया जाएगा।

07. अनापत्ति प्रमाण पत्र/नवीनीकरण/अग्नि अंकेक्षण/अग्नि परामर्श हेतु शुल्क का उदग्रहण हेतु निर्धारित शुल्क दर निम्न प्रकार है:–

(अनुसूची 'ग')

भवन का श्रेणी	भवन के सभी मंजिलों (बेसमेंट सहित) के कुल फर्श क्षेत्र (Floor Area) के आधार पर प्रति वर्ग मीटर के दर से शुल्क निर्धारण				
	औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र	अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र	अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण	अग्नि अंकेक्षण	अग्नि परामर्श
आवासीय	₹ 02	₹ 01	₹ 01	₹ 01	₹ 01
सभा भवन/सांस्थिक भवन	₹ 04	₹ 02	₹ 02	₹ 02	₹ 02
शैक्षिक	₹ 06	₹ 03	₹ 03	₹ 03	₹ 03
वाणिज्यिक/मर्केनटाईल	₹ 08	₹ 04	₹ 04	₹ 04	₹ 04
भण्डारण/औद्योगिक/खतरनाक भवन	₹ 10	₹ 05	₹ 05	₹ 05	₹ 05

नोटः 1.NOC हेतु आवेदन के लिए प्रपत्र वेवसाईट– **http://home.bihar.gov.in/CMS/fireNOC.aspx** से download कर भरकर जमा किया जाना है।

2. NOC संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ हेतु कार्यालय दुरभाष नं०– 0612–2222020 पर संपर्क किया जा सकता है।

निदेशक सह–राज्य अग्निशमन पदाधिकारी
बिहार पटना

PR- 0004946(State Fire) 2021-22

किसी भी तरह आपदा की जानकारी अथवा सुझाव हेतु आपदा प्रबंधन के हेल्पलाइन नं. 1070 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

16 POINTS FIRE SAFETY VULNERABILITY MATRIX

Hospital:- Date:-

S. No.	Short Term Measures (Non-Structural)	Weightage
1	**Ensure electrical load on electrical systems not beyond its sanctioned capacity**	**50**
1.1	Only Standard quality ISI marked and capacity of board(2), switches(2), wire/power strips(2), connections(2), sockets-5amp(2), 15 amp(2) are used.	12
1.2	Connecting wire: Connection with equipments, fridge, fan , light, heater, A.C. etc. are done through proper plug tops or connectors.	3
1.3	Insulating all wards with adequate number of proper capacity MCBs	5
1.4	Fire suppression system in MCB box/ Board is provided.	2
1.5	Provision of auto-start smoke extractors in OTs & Critical wards	3
1.6	Condition of connection between:- Wire & MCB(.5), MCB & SDB(.5), SDB & MDB(.5), MDB & Panels(.5)	2
1.7	Rubber Mat below the panels	1
1.8	Fire suppression system of SDB(2), MDB(2), Panels(2)	6
1.9	Proper cable connection from Panels to Transformers and DG Sets	2
1.1	Condition of cable	1
1.11	DG Sets:- Earthing for main and for neutrals with strips(2), auto start system/ Training of DG set operator(1), register of running time(1), register of maintenance(1), Safety and fire protected diesel tank(1)	6
1.12	Transformers:- Earthing* (2), Safety and fire protection (1), Vegetation clearance(1), condition of silica gel for oil filled transformers^(1), whether oil pit for dripping oil(1), Fuses on the HT side(1) *Test earthing station every 2 years & water the same if required. ^Check the transformer oil every 2 years after mansoon for Di Electric strength & if required get the de-hydration dome immediately.	7
2	Removal of unserviceable junk	**5**
3	Keep all means of ingress/egress clear of any impediments	**5**
4	Provision of alarm system/call bell/hooter and PA system	**5**
5	Adequate number of fire extinguishers and balls (re-filled on due dates)	**5**
6	Display proper fire signage and evacuation routes	**5**
7	Preparation of FRP (Fire Response Plan)	**4**
8	Coordination between FRP and Security (24X7)	**4**
9	Conduct Fire Drills every 6 months	**3**
10	Keep Portable Exhaust Blowers & Ducts in case of smoke	**3**
11	Ensure functioning of fire smoke check doors, fix fire protection systems and alarm systems	**2**
12	Training for Fire Response (Attendant, staff, ward boys, nurses, workers, security)	**2**
13	Establishment of Control room	**2**
14	Appoint Fire Safety Officer with adequate fire guards if beds > 250	**2**
15	No Objection Certificate from local fire services/authority at required intervals	**2**
16	Provision of fire hydrant	**1**
	SCORE (Total)	**100**

Index Full Point=No Progress
Half Point=Incomplete
Minimum Point=Completed

KATIHAR NAGAR NIGAM

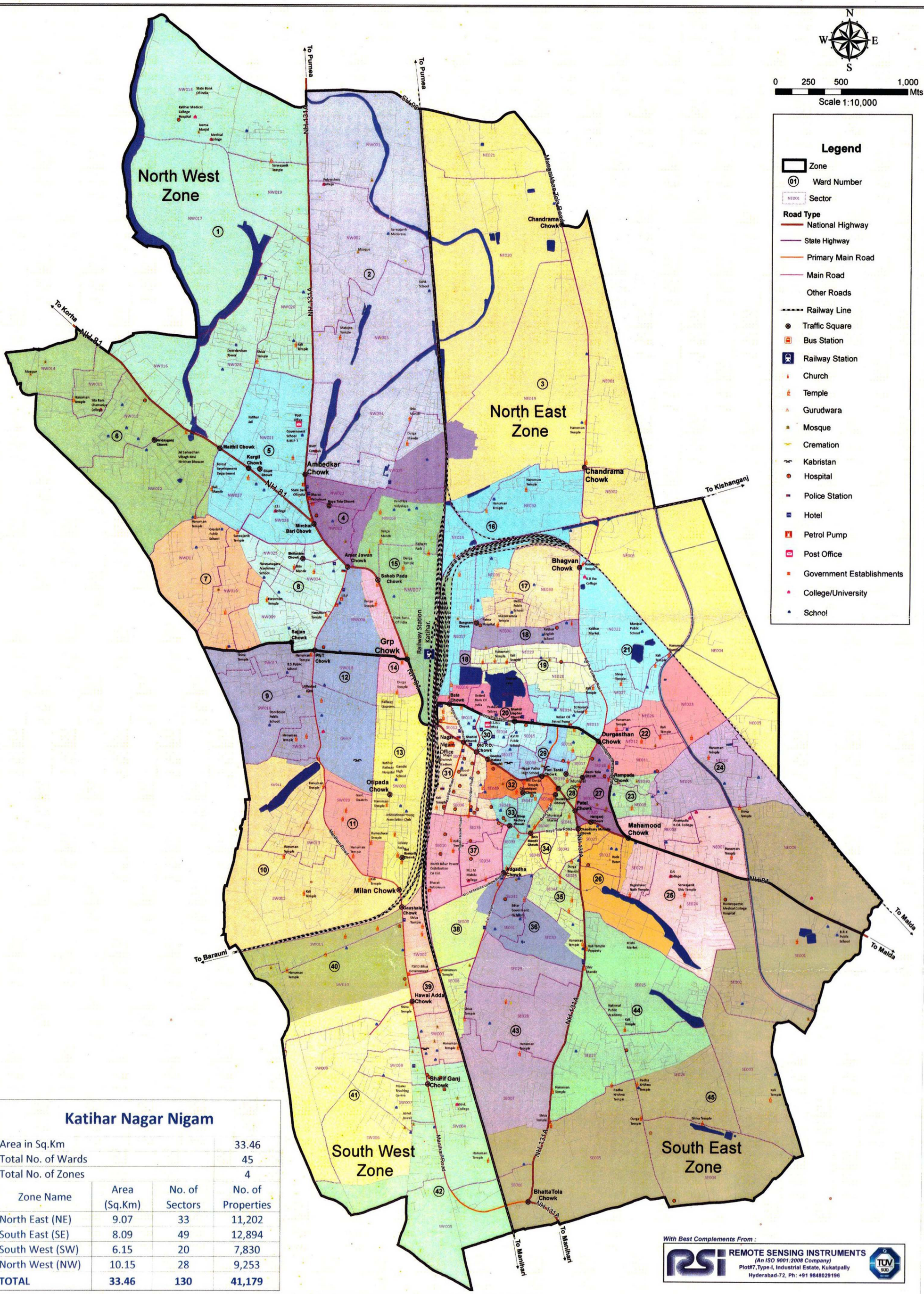

Legend

- Zone
- Ward Number
- Sector

Road Type

- National Highway
- State Highway
- Primary Main Road
- Main Road
- Other Roads
- Railway Line
- Traffic Square
- Bus Station
- Railway Station
- Church
- Temple
- Gurudwara
- Mosque
- Cremation
- Kabristan
- Hospital
- Police Station
- Hotel
- Petrol Pump
- Post Office
- Government Establishments
- College/University
- School

Katihar Nagar Nigam

Area in Sq.Km			33.46
Total No. of Wards			45
Total No. of Zones			4
Zone Name	Area (Sq.Km)	No. of Sectors	No. of Properties
North East (NE)	9.07	33	11,202
South East (SE)	8.09	49	12,894
South West (SW)	6.15	20	7,830
North West (NW)	10.15	28	9,253
TOTAL	**33.46**	**130**	**41,179**

With Best Complements From :

REMOTE SENSING INSTRUMENTS
(An ISO 9001:2008 Company)
Plot#7,Type-I, Industrial Estate, Kukatpally
Hyderabad-72, Ph: +91 9848029196

नगर निगम, कटिहार
कार्यालय
KATIHAR JN.
रीय आपदा प्रबंधन
ले हुई बैठक, लिये निर्ण
बैठक में मौजूद पदाधिकारी व पटना से आये परियोजना निदेशक .
प्रतिनिधि, कटिहार
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन 2005 के
अंतर्गत कटिहार नगर निगम के शहरी
क्षेत्र के लिए नगरीय आपदा प्रबंधन
योजना की तैयारी को लेकर एक बैठक
गुरुवार को निगम सभागार में आयोजित
किया गया. इस बैठक में जीपी सिंहा सेंटर
फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रूलर
डेवलपमेंट पटना के परियोजना निदेशक
सुधाकर झा, तकनीकी निदेशक कृष्ण
कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे.
परियोजना निदेशक ने बताया कि नगरीय
आपदा प्रबंधन योजना तैयारी को लेकर
संस्था ने पिछले एक महीने से विभिन्न
हित धारकों के साथ मिलकर शहरी क्षेत्र
र्ड नंबर एक से लेकर वार्ड नंबर 45
आपदा प्रवणता के संबंध में
किया है. उन्होंने बताया कि
विभिन्न विभागों के साथ
एवं आपदा के संबंध
उन्होंने बताया कि
आपदा प्रबंधन
बिहार के
जलजमाव, सड़क सुरक्षा,
सुरक्षा, आगलगी, वज्रपात, गर्मी
भीड़ प्रबंधन से संबंधित पूर्व
घटनाओं को देखते हुए आगे की
तैयार की जा रही है. उप नगर
दिनेश कुमार सिन्हा और विनोद
बताया कि शहर के कोई भी हित
नागरिक अपना सुझाव बिंदु बार
निगम कार्यालय में लिखित जमा
सकते हैं. यह जानकारी नगर
बेवसाइट पर भेजा जा सकता है.
नगरीय प्रबंधन योजना अच्छे
तैयार किया जा सके. बैठक में
स्वास्थ्य अभियंत्रण के
अभियंता नबी हसन, बाढ़ प्रमंडल
कार्यपालक अभियंता संजय
ट्रैफिक डीएसपी जयप्रकाश
स्वास्थ्य विभाग के
आरएन पांडे,
महाप्रबंधक इंद्रदेव
प्रमंडल के
रंजन मौजूद
डीटीओ
पंकज